

ch2cl 31USC21

(संग्रह)

जनवरी भाग-1 2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुद्रुम

संवैधानिक ⁄प्रशासनिक घटनाक्रम					
 पुद्दुचेरी द्वारा राज्य के दर्जे की मांग 	7				
जल जीवन मिशन	9				
राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा	10				
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	11				
भारत में बेरोजगारी	13				
भारत में बाँधों की स्थिति	15				
निजता का अधिकार	17				
🕨 ईडब्ल्यूएस कोटा के लिये आय मानदंड	18				
पीएमएफएमई योजना	19				
 भारत में न्यायालयों की भाषा 	21				
उजाला योजना के 7 वर्ष	24				
 यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (POSH) अधिनियम, 2013 	25				
चुनावी खर्च सीमा में बढ़ोतरी	26				
> ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC)	28				
प्रसाद परियोजनाएँ	29				
राष्ट्रीय जल पुरस्कार	30				
 समान नागरिक संहिता 	32				
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019	34				
> ई-पासपोर्ट : पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP)	35				
 आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रक्षा भूमि का सर्वेक्षण 	36				
≻ इंडिया स्किल्स 2021	37				

>	संवेदनशील गवाहों की रक्षा करना: SC	38
>	कृष्णा जल विवाद	39
>	लोक अदालत	41
>	भारत के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में चुनौतियाँ	43
>	असम-मेघालय सीमा विवाद	45
>	विधायकों का निलंबन	46
आ	र्थिक घटनाक्रम	48
>	जीएसटी क्षतिपूर्ति विस्तार	48
>	वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक	49
>	भारत और मुक्त व्यापार समझौते	50
>	वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत	52
>	जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान	54
>	मीठी क्रांति	55
>	चीन को विकासशील देश का टैग: विश्व व्यापार संगठन	57
>	त्रैमासिक रोजागार सर्वेक्षण	59
>	विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की अपील	60
>	वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022	62
अंत	र्गाष्ट्रीय घटनाक्रम	64
>	दलाई लामा	64
>	चीन का नया सीमा कानून	65
>	परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के विरुद्ध हमलों का निषेध: भारत-पाकिस्तान	67
>	परमाणु प्रसार रोकने का संकल्पः UNSC के पाँच स्थायी सदस्य	68
>	चीन ने पैंगोंग झील पर बनाया पुल	70
>	सूडान में संकट	72
>	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद	73
>	कजाखस्तान में अशांति	75

>	सीमा शुल्क में सहयोग और पारस्परिक सहायताः भारत-स्पेन	77
>	आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन: भारत-तुर्कमेनिस्तान	79
>	नया पुलः भारत और नेपाल	80
>	एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)	82
>	भारत-चीन-श्रीलंका ट्रायंगल	83
>	भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार वार्ता	85
>	भारत और अमेरिका के बीच 'होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग'	87
>	उत्तर कोरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध	89
>	नाटो-रूस परिषद वार्ता	90
>	भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता	91
•	. 4 20 0	
वि	ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	93
>	अर्द्धचालकों की कमी	93
>	सॉलिड-स्टेट बैटरी	95
>	ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म	97
>	इसरो के नए अध्यक्ष एस. सोमनाथ	98
>	5G में मिलीमीटर वेव बैंड	100
	रिस्थितिकी एवं पर्यावरण	102
પા		103
>	जैव ऊर्जा फसलों का कृषि क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव	103
>	एक्वामेशन	104
>	उत्सर्जन मानदंडों की प्राप्ति: कोयला आधारित विद्युत संयंत्र	105
>	भारत में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन	107
>	भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021	109
>	सौर अपशिष्ट	111
9.17	गोल एवं आपदा प्रबंधन	114
ન ્ટ		114
>	सेराडो में वनों की कटाई: ब्राज़ील	114

सामाजिक न्याय	116
मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन	116
निषेध कानून और मुद्दे	117
> स्वास्थ्य सेवा खंड 'हेतु एक अलग नियामक का प्रस्ताव: IRDAI	118
 सार्वभौमिक सुगम्यता' संबंधी दिशानिर्देश 	120
 भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता 	122
 प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन' पहल 	124
वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण	126
आंतरिक सुरक्षा	128
नगालैंड में अफस्पा का विस्तार	128
> स्वदेशी विमान वाहक	130
चर्चा में	132
रानी लक्ष्मीबाई	132
एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक आवृत्तिः राष्ट्रीय ग्रिड	133
कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज	133
पढ़े भारत अभियान	134
आयुष आहार	135
महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा: त्रिपुरा	136
कोविड-19 का IHU वेरिएंट	137
जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954	138
चिल्का झील: ओडिशा	139
 स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च 	141
भारत में 'चीतों' की वापसी	142
सी ड्रैगन 22 अभ्यास	144
 ई-डीएनए के माध्यम से जानवरों को ट्रैक करना 	144
माया सभ्यता	145

>	पहला बहु-आयामी साहसिक खेल अभियान: निमास	146		
>	सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन	147		
>	घड़ियाल	148		
A	प्रवासी भारतीय दिवस 2022	149		
>	रेड सैंडर्स	150		
>	वीर बाल दिवस	150		
>	'गेटवे ऑफ हेल': तुर्कमेनिस्तान	151		
>	अफ्रीकन स्वाइन फीवर	152		
>	विश्व हिंदी दिवस	153		
>	हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022	154		
>	ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण	155		
>	राष्ट्रीय युवा दिवस 2022	156		
>	पशु से मानव प्रत्यारोपण (Xenotransplantation)	157		
A	फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज	158		
>	कत्थक	159		
>	भारत-चीन सैन्य वार्ता	160		
>	कला कुंभ-कलाकार कार्यशालाएँ	161		
>	नारी शक्ति पुरस्कार 2021	162		
>	उल्कापिंड (ALH) 84001	163		
>	भारतीय सेना दिवस	164		
বিবিध 165				
।वा	ବଧ	165		

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

पुडुचेरी द्वारा राज्य के दर्जे की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश (UT) को राज्य का दर्जा देने की मांग की है।

 पुदुचेरी के लिये राज्य की मांग एक लंबे समय से लंबित मुद्दा है, जिससे यह पुदुचेरी में और अधिक उद्योगों को आमंत्रित कर तथा पर्यटन के लिये बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर रोजगार क्षमता पैदा करने के लिये किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है।

केंद्रशासित प्रदेश

- UT उन संघीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र होने के लिये बहुत छोटे हैं या आसपास के राज्यों के साथ विलय करने हेतु बहुत अलग (आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से) हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं या राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं।
 - ◆ इन कारणों से वे अलग-अलग प्रशासिनक इकाइयों के रूप में नहीं रह सके और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित करने की आवश्यकता
 थी।
- केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपित द्वारा किया जाता है। संघशासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नरों को भारत के राष्ट्रपित द्वारा उनके प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।
 - ♦ हालाँकि पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली इस संबंध में अपवाद हैं तथा आंशिक राज्य की स्थित के कारण एक निर्वाचित विधायका और सरकार है।
- वर्तमान में भारत में 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं- दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप व पुद्दचेरी।

- पृष्ठभूमि:
 - वर्ष 1949 में जब भारत के संविधान को अपनाया गया था, तब भारतीय संघीय ढाँचे में शामिल थे:
 - भाग A राज्यों में ब्रिटिश भारत के नौ तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे।
 - भाग B राज्यों में विधायिकाओं के साथ नौ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं।
 - भाग C राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं।
 - भाग D राज्य में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे।
 - वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद, भाग सी और भाग डी राज्यों को 'केंद्रशासित प्रदेश' की एक श्रेणी में मिला दिया गया।
 संघ शासित प्रदेश की अवधारणा को संविधान के सातवें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था।
- मांग का कारण:
 - भाषायी और सांस्कृतिक कारण देश में नए राज्यों के निर्माण का प्राथमिक आधार हैं।
 - अन्य कारक हैं:
 - स्थानीय संसाधनों के लिये प्रतियोगिता।
 - कुछ क्षेत्रों के प्रति सरकार की लापरवाही।
 - संसाधनों का अनुचित आवंटन।
 - 🔷 संस्कृति, भाषा, धर्म आदि में अंतर।

- रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में अर्थव्यवस्था की विफलता
- लोकप्रिय लामबंदी और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया भी इसका एक कारण है।
- 'मिट्टी के पुत्र' जैसी भावनाएँ।
- नए राज्यों के निर्माण से उत्पन्न मुद्दे:
 - ♦ अलग-अलग राज्य का दर्जा उनकी सत्ता संरचनाओं पर प्रमुख समुदाय/जाति/जनजाति के आधिपत्य को जन्म दे सकता है।
 - इससे उप-क्षेत्रों के बीच अंतर-क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता का उदय हो सकता है।
 - नए राज्यों के निर्माण के कुछ नकारात्मक राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं जैसे विधायकों का एक छोटा समूह अपनी इच्छा से सरकार बना या बिगाड़ सकता है।
 - अंतर्राज्यीय जल, बिजली और सीमा विवाद बढ़ने की भी संभावना है।
 - ◆ राज्यों के विभाजन के लिये नई राजधानियों के निर्माण और बड़ी संख्या में प्रशासकों को बनाए रखने के लिये भारी धन की आवश्यकता होगी जैसा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन में हुआ था।
 - छोटे राज्यों का निर्माण केवल पहले से मौजूद संस्थानों जैसे- ग्राम पंचायत, ज़िला कलेक्टर आदि को सशक्त किये बिना पुराने राज्य की राजधानी से नई राज्य की राजधानी में सत्ता हस्तांतरित तथा राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में विकास का प्रसार करता है।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - भारतीय संविधान केंद्र सरकार को मौजूदा राज्यों से नए राज्य बनाने या एक राज्य को दूसरे में विलय करने का अधिकार देता है तथा इस प्रक्रिया को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है।
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर संघ में प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है।
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, केंद्र सरकार के पास नए राज्य को निर्मित करने, किसी भी राज्य के आकार को बढ़ाने या घटाने और किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को परिवर्तित करने की शक्ति है।

पुदुचेरी

- पुदुचेरी शहर दक्षिण-पूर्वी भारत में स्थित पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है।
- इस UT का गठन वर्ष 1962 में फ्रांस के भारत में चार पूर्व उपनिवेशों में से एक के रूप में किया गया था
 - पांडिचेरी (अब पुदुचेरी) और कराईकल भारत के दक्षिणपूर्वी कोरोमंडल तट के साथ यनम, पूर्वी तट के साथ उत्तर में, और माहे, केरल राज्य से घिरे पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित है।
- वर्ष 1674 में इसकी उत्पत्ति एक फ्राँसीसी व्यापार केंद्र के रूप में हुई थी, जब इसे एक स्थानीय शासक से खरीदा गया था।
- पांडिचेरी उपनिवेश 17वीं शताब्दी के अंत तक फ्राँसीसी और डच के बीच लगातार लड़ाई का केंद्र बना रहा और इस पर कई बार ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कब्जा किया गया। हालाँकि यह वर्ष 1962 तक भारत में स्थानांतरित होने तक फ्राँसीसी औपनिवेशिक अधिकार में बना रहा।

आगे की राह

- राजनीतिक विचारों के बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- धर्म, जाति, भाषा या बोली के बजाय विकास, विकेंद्रीकरण और शासन जैसी लोकतांत्रिक चिंताओं को नए राज्य की मांगों को स्वीकार करने हेतु वैध आधार देना बेहतर है।
- इसके अलावा विकास और शासन की कमी जैसी मूलभूत समस्याओं जैसे- सत्ता का संकेंद्रण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता आदि का समाधान किया जाना चाहिये।

जल जीवन मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने 'जल जीवन मिशन' (JJM) के तहत मध्य प्रदेश के लिये 15,381.72 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंज़ूरी दी है।

• 'जल जीवन मिशन' का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति या 'हर घर जल' सुनिश्चित करना है।

- परिचय
 - वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया यह मिशन वर्ष 2024 तक 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
 - ♦ जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है, ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके।
 - यह मिशन 'जल शक्ति मंत्रालय' के अंतर्गत आता है।
- उद्देश्य
 - यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है; पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ-साथ सतत् कृषि को भी बढ़ावा देता है।
 - ◆ यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग; पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।
- विशेषताएँ:
 - ♦ जल जीवन मिशन (JJM) स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है।
 - ◆ वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपिशष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है।
 - ◆ यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- कार्यान्वयनः
 - 🔷 जल सिमतियाँ ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करती हैं।
 - इनमें 10-15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% महिला सदस्य एवं स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा), ऑंगनवाडी, शिक्षक आदि शामिल होते हैं।
 - सिमितियाँ सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं। योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- फंडिंग पैटर्न:
 - केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100% है।
- अब तक की प्रगति:
 - ♦ जब मिशन शुरू किया गया था, देश के ग्रामीण परिवारों में से केवल 17% (32.3 मिलियन) के पास नल के पानी की आपूर्ति थी।
 - ◆ आज 7.80 करोड़ (41.14%) घरों में नल के पानी की आपूर्ति है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुहूचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू कनेक्शन हासिल कर लिया है।
 - जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के पूरक के लिये, जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी।

राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा

चर्चा में क्यों?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा (NASP) जारी किया है, जिसके तहत संबंधित सेवाओं और उनके उपकरणों को प्रदान करने वाली संस्थाओं को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी और ऐसा नहीं होने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है।

- परिचय
 - नीति में देश में हवाई खेलों के लिये दो स्तरीय शासन संरचना का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें 'एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया'
 (ASFI) नामक एक शीर्ष शासी निकाय और प्रत्येक हवाई खेल के लिये विशिष्ट संघ शामिल होंगे।
 - 'एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा और लॉजेन स्थित (स्विट्जरलैंड)
 'फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल (FAI) तथा हवाई खेलों से संबंधित अन्य वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।
 - यह हवाई खेलों के विभिन्न पहलुओं का विनियमन करेगा, जिसमें प्रमाणन, प्रतियोगिताएँ आयोजित करना, पुरस्कार और दंड आदि शामिल हैं।
 - प्रत्येक हवाई खेल संघ उपकरण, बुनियादी अवसंरचना, किमयों और प्रशिक्षण हेतु अपने सुरक्षा मानकों का निर्धारण करेगा तथा गैर-अनुपालन के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई को निर्दिष्ट करेगा। ऐसा करने में असमर्थ होने पर ASFI द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
 - यह प्रस्तावित है कि देश में लोकप्रिय हवाई खेल क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग, सिक्किम में गंगटोक, महाराष्ट्र में हडपसर और केरल में वागामोन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हवाई खेलों के लिये एक 'नियंत्रण क्षेत्र' घोषित किया जा सकता है।
- शामिल गतिविधियाँ:
 - इसमें एरोबेटिक्स, एरोमॉडलिंग, प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग, पैरामोटरिंग, स्काईडाइविंग और विंटेज एयरक्राफ्ट जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।
- उद्देश्यः
 - ♦ इस नीति का दृष्टिकोण वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स (Air Sports) राष्ट्रों में से एक बनाना है।
 - 🔷 यह देश के एयर स्पोर्ट्स क्षेत्र को सुरक्षित, किफायती, सुलभ और टिकाऊ बनाकर इसे बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है।
 - नीति एयर स्पोर्ट्स के लिये भारत की क्षमता का लाभ उठाने का प्रयास करती है और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम उपायों को सुनिश्चित करने पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करती है।
 - ◆ इसका उद्देश्य आत्मिनर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू डिजाइन, विकास और एयर स्पोर्ट्स उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना है। कुछ वर्षों के लिये उपकरणों पर आयात शुल्क माफ करना, साथ ही जीएसटी परिषद से एयर स्पोर्ट्स उपकरणों पर जीएसटी दर को 5% या उससे कम करने पर विचार करने का अनुरोध करना है।
- महत्त्व:
 - स्कूलों और कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रम में हवाई खेलों को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे छात्रों को एफएआई की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
 - भारत में एयर स्पोर्ट्स की दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल होने की क्षमता हैक्योंकि यहाँ एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, विविध स्थलाकृति
 और उचित मौसम की स्थिति विद्यमान है।
 - इसकी एक बड़ी आबादी में युवा शामिल हैं। इसमें साहिसक खेलों और विमानन को बढ़ावा दिया गया है।
 - ♦ हवाई खेल गतिविधियों से प्रत्यक्ष राजस्व के अलावा, विशेष रूप से देश के पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन, बुनियादी ढाँचे और स्थानीय रोजगार विकास के मामले में लाभ कई गुना अधिक हो सकता है।
 - देश भर में एयर स्पोर्ट्स हब बनाने से दुनिया भर से एयर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल और पर्यटक भी यहाँ आएंगे।

खेल विकास के लिये सरकार की पहल

- खेलो इंडिया योजना।
- राष्ट्रीय खेल विकास कोष।
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (NSTC) योजना।
- भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र योजना (एसटीसी)।
- विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना।
- टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स)
- खेलो इंडिया यथ गेम्स

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस मनाया है।

- परिचय:
 - ◆ DRDO रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है।
 - ♦ आत्मिनर्भरता और सफल स्वदेशी विकास एवं सामिरक प्रणालियों तथा प्लेटफार्मों जैसे- अग्नि और पृथ्वी शृंखला मिसाइलों के उत्पादन की इसकी खोज जैसे- हल्का लड़ाकू विमान, तेजस: बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका: वायु रक्षा प्रणाली, आकाश: रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला आदि, ने भारत की सैन्य शिक्त को प्रभावशाली निरोध पैदा करने और महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करने में प्रमुख योगदान दिया है।
- गठन:
 - ◆ DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation- DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment- TDEs) तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production- DTDP) के संयोजन के बाद की गई थी।
 - ◆ DRDO वर्तमान में 50 प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- वैमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणालियाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाईफ साइंस, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तथा कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।
- मिशन•
 - ♦ हमारी रक्षा सेवाओं के लिये अत्याधुनिक सेंसरों, हथियार प्रणालियों, प्लेटफार्मों और संबद्ध उपकरणों के उत्पादन हेतु डिजाइन, विकास और नेतृत्व।
 - 🔷 युद्ध की प्रभावशीलता को अनुकूलित करने और सैनिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सेवाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करना।
 - ♦ बुनियादी ढाँचे और प्रतिबद्ध गुणवत्ता जनशक्ति का विकास करना तथा एक मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार का निर्माण करना।
- DRDO के विभिन्न कार्यक्रम:
 - ♦ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP):
 - यह मिसाइल प्रौद्योगिको के क्षेत्र में भारतीय रक्षा बलों को आत्मिनर्भर बनाने हेतु डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के प्रमुख कार्यों में से एक था।
 - IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें हैं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग।

- मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम:
 - MARS लैंड माइन्स और इनर्ट एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (Inert Explosive Devices- IEDs) को संभालने के लिये एक स्मार्ट मजबूत रोबोट है जो भारतीय सशस्त्र बलों से शत्रुओं को दूर कर निष्क्रिय करने में मदद करता है।
 - कुछ ऐड-ऑन के साथ, इस प्रणाली का उपयोग वस्तु के लिये जमीन खोदने और विभिन्न तरीकों से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव
 डिवाइस को डिफ्यूज़ करने के लिये भी किया जा सकता है।
- लद्दाख में सबसे ऊँचा स्थलीय केंद्र:
 - लद्दाख में DRDO का केंद्र पैंगोंग झील के पास चांगला में समुद्र तल से 17,600 फीट ऊपर है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिये एक प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज इकाई के रूप में कार्य करना है।
- DRDO से संबंधित मुद्देः
 - अपर्याप्त बजटीय सहायताः
 - 2016-17 के दौरान रक्षा संबंधी स्थायी सिमिति ने DRDO की चल रही परियोजनाओं के लिये अपर्याप्त बजटीय समर्थन पर चिंता व्यक्त की।
 - सिमिति ने नोट किया कि कुल रक्षा बजट में से 2011-12 में DRDO की हिस्सेदारी 5.79% थी, जो 2013-14 में घटकर 5.34 फीसदी रह गई।
 - अपर्याप्त जनशक्तिः
 - DRDO भी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अपर्याप्त जनशक्ति के कारण सशस्त्र बलों के साथ उचित तालमेल की कमी से ग्रस्त है।
 - लागत में वृद्धि और देरी ने DRDO की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है।
 - बड़े वादे और सीमित कार्य निष्पादन:
 - DRDO द्वारा बड़े वादे और सीमित कार्य निष्पादन की स्थिति देखी गई है। जवाबदेही का अभाव है।
 - वर्ष 2011 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने DRDO की क्षमताओं पर एक गंभीर सवालिया निशान लगाया, यह हवाला देते हुए कि संगठन का अपनी परियोजनाओं का एक इतिहास है जो स्थानिक समय और लागत से अधिक पीड़ित है।
 - अप्रचलित उपकरणः
 - DRDO अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने के बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के उपकरणों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ कर रहा है।
- हाल ही के विकास:
 - ◆ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम (ECWCS)।
 - ♦ 'प्रलय'।
 - कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम।
 - ♦ पिनाका एक्सटेंडेड रेंज (पिनाका-ER) मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS)।
 - सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम (स्मार्ट)।
 - उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी।
 - ♦ आकाश-NG और एमपीएटीजीएम।

आगे की राह

- फरवरी 2007 में एजेंसी की बाहरी समीक्षा के लिये पी. रामा राव की अध्यक्षता वाली सिमिति द्वारा सुझाए गए सुझाव के अनुसार DRDO को एक सबल संगठन के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिये।
 - ◆ सिमिति ने परियोजनाओं को पूरा करने में देरी को कम करने के अलावा इसे लाभदायक इकाई बनाने के लिये संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा स्थापित करने की सिफारिश की।
- DRDO के पूर्व प्रमुख वी.के. सारस्वत ने रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना के साथ-साथ एजेंसी द्वारा विकसित उत्पादों के लिये उत्पादन भागीदारों को चुनने में DRDO के लिये एक बड़ी भूमिका का आह्वान किया है।

- यदि आवश्यक हो तो DRDO को शुरू से ही निजी क्षेत्र से एक सक्षम भागीदार कंपनी का चयन करने में सक्षम होना चाहिये।
- अपने दस्तावेज "DRDO इन 2021: एचआर पर्सपेक्टिव्स" में, DRDO ने एक एचआर नीति की परिकल्पना की है जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडरता के साथ ज्ञान साझा करने, खुले वातावरण और सहभागी प्रबंधन पर जोर दिया गया है। यह सही दिशा में एक कदम है।

भारत में बेरोज़गारी

चर्चा में क्यों?

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी' (CMIE) के आँकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 में भारत की बेरोज़गारी दर बीते चार महीने के उच्चतम 7.9% पर पहुँच गई है।

- ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्पन्न खतरे के बीच कोविड-19 के मामलों में हुई बढ़ोतरी और कई राज्यों में लागू नए प्रतिबंधों के कारण आर्थिक गतिविधि और खपत का स्तर प्रभावित हुआ है।
- यह भविष्य में आर्थिक सुधार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

- बेरोजगारी के विषय में:
 - ♦ किसी व्यक्ति द्वारा सिक्रियता से रोजागार की तलाश किये जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है।
 - बेरोजगारी का प्रयोग प्राय: अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के मापक के रूप में किया जाता है।
 - ♦ बेरोजगारी को सामान्यत: बेरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है, जिसे श्रमबल में शामिल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को भाग देकर प्राप्त किया जाता है।
 - ♦ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) किसी व्यक्ति की निम्निलिखित स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता
 है:
 - कार्यरत (आर्थिक गतिविधि में संलग्न) यानी 'रोजगार'।
 - काम की तलाश में या काम के लिये उपलब्ध यानी 'बेरोज़गार'।
 - न तो काम की तलाश में है और न ही उपलब्ध।
 - पहले दो श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का प्रतिशत है जो बिना काम के है।
 - बेरोजगारी दर = (बेरोजगार श्रमिक/कुल श्रम शक्ति) × 100
- बेरोजगारी के प्रकार:
 - ♦ प्रच्छन्न बेरोजगारी: यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है।
 - यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है।
 - मौसमी बेरोजगारी: यह एक प्रकार की बेरोजगारी है, जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।
 - भारत में खेतिहर मज़दरों के पास वर्ष भर काफी कम काम होता है।
 - संरचनात्मक बेरोजगारी: यह बाजार में उपलब्ध नौकिरयों और श्रिमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है।
 - भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती है और शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें
 प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।
 - ♦ चक्रीय बेरोजगारी: यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
 - भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आँकड़े नगण्य हैं। यह एक ऐसी घटना है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है।
 - तकनीकी बेरोजगारी: यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है।
 - वर्ष 2016 में विश्व बैंक के आँकड़ों ने भिवष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात साल-दर-साल 69% है।

- ♦ घर्षण बेरोज्ञगारी: घर्षण बेरोज्ञगारी का आशय ऐसी स्थिति से है, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, तो यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है।
 - दूसरे शब्दों में, एक कर्मचारी को एक नई नौकरी खोजने या एक नई नौकरी में स्थानांतिरत करने के लिये समय की आवश्यकता होती है, यह अपिरहार्य समय की देरी घर्षण बेरोजगारी का कारण बनती है।
 - इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोज़गारी के रूप में माना जाता है क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं होता है, बिल्क वास्तव में बेहतर अवसरों की तलाश में श्रमिक स्वयं अपनी नौकरी छोड़ देते हैं।
- ♦ सुभेद्य रोजगार: इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिये कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है।
 - इन व्यक्तियों को 'बेरोज़गार' माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी भी बनाया नहीं जाता हैं।
 - यह भारत में बेरोज़गारी के मुख्य प्रकारों में से एक है।
- भारत में बेरोज़गारी का कारण:
 - सामाजिक कारक: भारत में जाति व्यवस्था प्रचलित है कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों के लिये कार्य निषिद्ध है।
 - बड़े व्यवसाय वाले बड़े संयुक्त परिवारों में बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई काम नहीं करते हैं तथा परिवार की संयुक्त आय पर निर्भर रहते हैं।
 - जनसंख्या का तीव्र विकास: भारत में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि एक बड़ी समस्या बन गई है।
 - यह बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है।
 - कृषि का प्रभुत्व: भारत में अभी भी लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर है।
 - हालाँकि भारत में कृषि अविकसित है।
 - साथ ही यह मौसमी रोजगार भी प्रदान करती है।
 - ♦ कुटीर और लघु उद्योगों का पतन: औद्योगिक विकास का कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
 - कुटीर उद्योगों का उत्पादन गिरने से कई कारीगर बेरोजगार हो गए।
 - श्रम की गितहीनता: भारत में श्रम की गितशीलता कम है। पिरवार से लगाव के कारण लोग नौकरी के लिये दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाते हैं।
 - कम गतिशीलता के लिये भाषा, धर्म और जलवायु जैसे कारक भी जिम्मेदार हैं।
 - ♦ शिक्षा प्रणाली में दोष: पूंजीवादी दुनिया में नौकिरयाँ अत्यधिक विशिष्ट हो गई हैं लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इन नौकिरयों के लिये आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है।
 - इस प्रकार बहुत से लोग जो कार्य करने के इच्छुक हैं वे कौशल की कमी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं।

सरकार द्वारा हाल की पहल

- आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिये समर्थन (SMILE)
- पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
- स्टार्टअप इंडिया योजना

आगे की राह

- श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देना: भारत में खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, लकड़ी के निर्माता और फर्नीचर, कपड़ा तथा परिधान एवं वस्त्र जैसे कई श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र हैं।
 - ♦ रोज़गार सृजित करने हेतु प्रत्येक उद्योग के लिये व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किये गए विशेष पैकेजों की आवश्यकता होती है।
- उद्योगों का विकेंद्रीकरण: औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है तािक हर क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके।

- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के प्रवास को कम करने में मदद मिलेगी जिससे शहरी क्षेत्र की नौकिरयों पर दबाव कम होगा।
- राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करना: एक राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी) की आवश्यकता है जिसमें बहुआयामी हस्तक्षेपों का एक समूह शामिल हो जिसमें कई नीति क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की एक पूरी शृंखला शामिल हो, न कि केवल श्रम और रोजगार के क्षेत्र।
 - राष्ट्रीय रोजगार नीति के अंतर्निहित सिद्धांतों में शामिल हो सकते हैं:
 - कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में वृद्धि करना।
 - औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिये पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों का सूजन करना।
 - श्रम बाजार में सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करना।
 - सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों में सुसंगतता और अभिसरण।
 - उत्पादक उद्यमों में प्रमुख निवेशक बनने के लिये निजी क्षेत्र का समर्थन करना।
 - अपनी आय में सुधार करने के लिये अपनी क्षमताओं को मज़बूत करके स्वरोज़गार करने वाले व्यक्तियों का समर्थन करना।

भारत में बाँधों की स्थिति

चर्चा में क्यों?

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, चंबल नदी (मध्य प्रदेश) पर निर्मित गांधी सागर बाँध की तत्काल मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है।

- नियमित जाँच का अभाव, गैर-कार्यात्मक उपकरण और चोक नालियाँ वर्षों से बाँध को नुकसान पहुँचाने वाले प्रमुख कारक हैं।
 गांधी सागर बाँध
- यह राष्ट्रीय महत्त्व के पाँच जलाशयों में से एक है।
- गांधी सागर बाँध का निर्माण वर्ष 1960 में राजस्थान के कई जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने और 115 मेगावाट बिजली पैदा करने हेतु
 किया गया था।
- हाल के वर्षों में यह कई बार टूट चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई।

- परिचय
 - बड़े बाँध बनाने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है।
 - ♦ अब तक बनाए गए 5,200 से अधिक बड़े बाँधों में से लगभग 1,100 बड़े बाँध पहले ही 50 वर्ष की आयु तक पहुँच चुके हैं और कुछ तो 120 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
 - ऐसे बाँधों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर 4,400 हो जाएगी।
 - ♦ इसका अर्थ है कि देश के बड़े बाँधों में से 80% के अप्रचलित होने की संभावना है, क्योंकि वे 50 वर्ष से 150 वर्ष पुराने हो जाएंगे।
 - ♦ सैकड़ों-हजारों मध्यम एवं छोटे बाँधों की स्थिति और भी खतरनाक है क्योंकि उनका जीवन बड़े बाँधों की तुलना में कम होता है।
 - ◆ उदाहरण: कृष्णा राजा सागर बाँध वर्ष 1931 में बनाया गया था और अब 90 वर्ष पुराना है। इसी तरह, मेट्टूर बाँध वर्ष 1934 में बनाया गया था और अब 87 वर्ष पुराना है। ये दोनों जलाशय पानी की कमी वाले कावेरी नदी बेसिन में स्थित हैं।
- भारत के पुराने बाँधों से संबंधित मुद्देः
 - वर्षा पैटर्न के अनुसार निर्मित:
 - भारतीय बाँध बहुत पुराने हैं और पिछले दशकों के वर्षा पैटर्न के अनुसार बनाए गए हैं। हाल के वर्षों में बेमौसम वर्षा ने उन्हें असुरिक्षत
 बना दिया है।
 - लेकिन सरकार बाँधों को वर्षा, बाढ़ चेतावनी जैसी सूचना प्रणाली से लैस कर रही है और सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिये आपातकालीन कार्य योजना तैयार कर रही है।

- भंडारण क्षमता में कमी:
 - जैसे-जैसे बाँधों की आयु बढ़ती है, जलाशयों में मिट्टी पानी का स्थान ले लेती है। इसलिये भंडारण क्षमता के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, जैसा कि 1900 और 1950 के दशकों में देखा गया था।
 - भारतीय बाँधों में जल भंडारण स्थान में अप्रत्याशित रूप से अधिक तेज़ी के साथ कमी आ रही है।
- त्रुटिपूर्ण डिजाइन:
 - अध्ययन बताते हैं कि भारत के कई बाँधों का डिजाइन त्रुटिपूर्ण है।
 - भारतीय बाँधों के डिज़ाइन में अवसादन विज्ञान (Sedimentation Science) को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया
 है अर्थात डिज़ाइन में इसका अभाव देखने को मिलता है। जिस कारण से बाँध की जल भंडारण क्षमता में कमी आती है।
- अवसाद/गाद की उच्च दर:
 - यह निलंबित अवसादों की वृद्धि एवं तलछटों पर महीन अवसादों का जमाव (अस्थायी या स्थायी) जहाँ कि वे अवांछनीय हैं, दोनों को संदर्भित करता है।
- परिणामः
 - ◆ खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव: जलाशयों में जब मिट्टी जमा होने लगती है, तो उस स्थिति में जल की आपूर्ति ठप हो जाती है। ऐसे में समय बीतने के साथ-साथ फसल क्षेत्र को प्राप्त होने वाले जल की मात्रा में कमी आनी शुरू हो सकती है।
 - इसके परिणामस्वरूप सकल सिंचित क्षेत्र का आकार सिकुड़ जाता है और यह क्षेत्र वर्षा अथवा भू-जल पर निर्भर हो जाता है जिसके कारण भू-जल के अनियंत्रित दोहन को बढ़ावा मिलता है।
 - ◆ किसानों की आय पर प्रभाव: बाँधों की जल संग्रहण क्षमता में कमी के कारण सिंचाई की प्रक्रिया और फसल की पैदावार गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, ऐसे में पर्याप्त आवश्यक हस्तक्षेप के अभाव में किसानों की आय में भी भारी कमी आएगी।
 - इसके अलावा पानी फसल की उपज और ऋण, फसल बीमा और निवेश के लिये एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
 - बाढ़ के मामलों में वृद्धि: बाँधों के जलाशयों में गाद जमा होने की उच्च दर इस तर्क को पुष्ट करती है कि देश में कई नदी बेसिनों के जलाशयों के लिये डिजाइन की गई बाढ़ नियंत्रण प्रणालियाँ पहले ही काफी हद तक नष्ट हो चुकी हैं, जिसके कारण बाँधों के अनुप्रवाह में बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।
- बाँध सुरक्षा की आवश्यकता:
 - लोगों की जान बचाने के लिये:
 - पुराने बाँध आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये चिंता का कारण बन सकते हैं।
 - निवंश की सुरक्षा:
 - इस महत्त्वपूर्ण भौतिक बुनियादी ढाँचे में भारी सार्वजनिक निवेश की सुरक्षा के साथ-साथ बाँध परियोजनाओं और राष्ट्रीय जल सुरक्षा
 से प्राप्त लाभों की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु बाँधों की सुरक्षा भी महत्त्वपूर्ण है।
 - भारत में जल संकट का समाधान:
 - भारत की बढ़ती आबादी के साथ-साथ जलवायु पिरवर्तन से जुड़े भारत के जल संकट के उभरते पिरदृश्य में भी बाँधों की सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है।
- संबंधित पहलें:
 - 🔷 बाँध सुरक्षा विधेयक, 2019: राज्यसभा ने हाल ही में बाँध सुरक्षा विधेयक, 2019 पारित किया है।
 - यह विधेयक बाँध की विफलता से संबंधित आपदा की रोकथाम हेतु निर्दिष्ट बाँध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत तंत्र को स्थापित करने का भी प्रावधान करता है।.
 - ♦ बाँध पुनर्वास और सुधार पिरयोजना (डीआरआईपी चरण II): यह एक स्थायी तरीके से चयिनत मौजूदा बाँधों और संबद्ध उपकरणों की सुरक्षा एवं प्रदर्शन में सुधार करने से संबंधित है।

आगे की राह

- बाँध सुरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू वास्तविक हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता का अस्तित्त्व है।
- पिरचालन सुरक्षा के संदर्भ में यह तय किया जाता है कि एक बाँध को कैसे संचालित किया जाना चाहिये तथा जब एक बाँध प्रस्तावित किया जाता है तो उसे पर्यावरणीय पिरवर्तनों जैसे कि गाद तथा वर्षा पैटर्न के आधार पर नियमित अंतराल पर अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है क्योंकि बाँध में आने वाली बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता के साथ-साथ स्पिलवे क्षमता बदल सकती है।
 - ♦ नियम वक्र भी पिब्लिक डोमेन में होना चाहिये तािक लोग इसके सही कामकाज पर नजर रख सकें और इसकी अनुपिस्थिति में सवाल उठा सकें।
- इसके अलावा भारत में हर नदी के रास्ते में कई बाँध आते हैं, इसलिये संचालन के संदर्भ में बाँध की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बाँध का संचयी मूल्यांकन होना चाहिये।

निजता का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा है कि उसी अदालत के एक अन्य न्यायाधीश द्वारा हाल ही में पारित एक आदेश जिसमें स्पा [मालिश और चिकित्सा केंद्र] के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के.एस पुट्टस्वामी मामला (2017) के विपरीत प्रतीत होता है।

• इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है।

- परिचयः
 - अंतर्निहित मूल्य: निजता के इस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में देखा जाता है:
 - निहित मूल्य (Inherent value): यह प्रत्येक व्यक्ति की मूल गरिमा के लिये महत्त्वपूर्ण है।
 - वाद्य मुल्य (Instrumental value): यह किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप से मुक्त जीवन जीने की क्षमता को आगे बढ़ाता है।
 - निजता के अधिकार के रूप: अनुच्छेद 21 में गारंटी के रूप में निजता कई अलग-अलग रूप में शामिल हैं:
 - दैहिक स्वतंत्रता/शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार
 - सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार
 - पसंद का अधिकार।
 - आराम करने का अधिकार/राईट टू रिलैक्स: यह संदेह कि 'स्पा' में अनैतिक गितविधियाँ हो रही हैं, किसी व्यक्ति के आराम करने के अधिकार में दखल देने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह आंतरिक रूप से उसके मौलिक अधिकार (निजता के अधिकार) का हिस्सा है।
 - इस प्रकार, स्पा जैसे किसी पिरसर के भीतर सीसीटीवी उपकरण की स्थापना निस्संदेह किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगी।
 - 🔳 ये अनुल्लंघनीय स्थान हैं जहाँ राज्य सरकार को नजर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती
 - 🔷 शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत: किसी भी न्यायिक उपाय के ज़रिये मौलिक अधिकारों की पहुँच को कम नहीं किया जा सकता है।
 - इस सिद्धांत के तहत यह माना गया है कि, यद्यपि कोई अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता है इसिलये केवल विधायिका या कार्यपालिका द्वारा ही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
 - इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय अकेले ही अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके ऐसा कर सकता है।

निजता का अधिकार

- परिचय:
 - ♦ आमतौर पर यह समझा जाता है कि गोपनीयता अकेला छोड़ दिये जाने के अधिकार (Right to Be Left Alone) का पर्याय है।
 - ♦ सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और उसके महत्त्व को विर्णत किया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद्य अधिकार है और इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिये गए निर्णय शामिल हैं।
 - ♦ निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।
- प्रतिबंध (निर्णय में वर्णित):
 - ♦ इस अधिकार को केवल राज्य कार्रवाई के तहत तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जब वे निम्नलिखित तीन परीक्षणों को पास करते हों:
 - पहला, ऐसी राजकीय कार्रवाई के लिये एक विधायी जनादेश होना चाहिये;
 - दूसरा, इसे एक वैध राजकीय उद्देश्य का पालन करना चाहिये;
 - तीसरा, यह यथोचित होनी चाहिये, अर्थात् ऐसी राजकीय कार्रवाई- प्रकृति और सीमा में समानुपाती होनी चाहिये, एक लोकतांत्रिक समाज के लिये आवश्यक होनी चाहिये तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सबसे कम अंतर्वेधी होनी चाहिये।
- निजता की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम: निजता के महत्त्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को संसद में पेश किया है।

ईडब्ल्यूएस कोटा के लिये आय मानदंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक सरकारी सिमिति की रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (Economical Weaker Sections- EWS) को परिभाषित करने हेतु "आय" एक "व्यवहार्य मानदंड" है।

• अक्तूबर 2021 में NEET के उम्मीदवारों द्वारा एक याचिका दायर कर पूछा गया कि अखिल भारतीय कोटा (AIQ) श्रेणी के तहत NEET मेडिकल प्रवेश में 10% आरक्षण के अनुदान हेतु EWS की पहचान करने के लिये वार्षिक आय मानदंड के रूप में '8 लाख रुपए'का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है।

EWS कोटा

- 10% EWS कोटा 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था
 - 🔷 इससे संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को सिम्मिलित किया गया।
- यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) हेतु शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिये है।
- यह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिये 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।
- यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- ईडब्ल्यूएस की पहचान हेतु आय मानदंड 17 जनवरी, 2019 की एक अधिसूचना द्वारा पेश किया गया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिये अन्य शर्तें रखी गई थीं, जैसे- लाभार्थी के परिवार के पास पांच एकड़ कृषि भूमि, 1,000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट और अधिसूचित/गैर-अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100/200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होनाचाहिये।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के बारे में
 - 8 लाख रुपए उपयुक्त राशिः
 - सिमिति ने कहा कि 8 लाख रुपए का मानदंड अधिक समावेश और समावेशन त्रुटियों के बीच एक उपयुक्त राशि है और प्रवेश एवं नौकरियों में आरक्षण का विस्तार करने के लिये ईडब्ल्युएस का निर्धारण करने हेत् इसे "उचित" सीमा पाया।
 - यह देखते हुए कि वर्तमान में प्रभावी आयकर छूट की सीमा व्यक्तियों के लिये लगभग 8 लाख रुपए है, सिमिति का विचार है कि पूरे परिवार के लिये 8 लाख रुपए की सकल वार्षिक आय सीमा ईडब्ल्यूएस में शामिल करने के लिये उचित होगी।
 - ओबीसी मानदंड के अनुकरण की अस्वीकृत धारणा:
 - इसने इस धारणा को खारिज कर दिया कि केंद्र ने एक संख्या के रूप में 8 लाख रुपए को "अप्रासंगिक रूप से अपनाया" था क्योंकि
 इसका उपयोग ओबीसी (अन्य पिछडा वर्ग) क्रीमी लेयर कट-ऑफ के लिये भी किया जाता था।
 - ईडब्ल्यूएस के लिये आय मानदंड अधिक सख्त:
 - सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का मानदंड आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष से संबंधित है, जबिक ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर के लिये आय मानदंड लगातार तीन वर्षों के लिये सकल वार्षिक आय पर लागू होता है।
 - दूसरे, ओबीसी क्रीमी लेयर के मामले में वेतन, कृषि और पारंपिरक कारीगर व्यवसायों से होने वाली आय को विचार से बाहर रखा
 गया है, जबिक ईडब्ल्युएस के लिये 8 लाख रुपए के मानदंड में खेती सिंहत सभी स्रोत शामिल हैं।
 - इसलिये एक ही कट-ऑफ संख्या होने के बावजूद उनकी रचना अलग है और दोनों को समान नहीं माना जा सकता है।
 - अनुसूचित जाति द्वारा समर्थित समान आय सीमा:
 - एक समान आय-आधारित सीमा की वांछनीयता को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है और इसे देश भर में आर्थिक एवं सामाजिक नीति के रूप में अपनाया जा सकता है।

सिफारिशें:

- ♦ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में अनिवार्य रूप से नए मानदंडों को अपनाने से प्रक्रिया में कई महीनों की देरी होगी जिसका भिवष्य के सभी प्रवेशों और शैक्षिक गतिविधियों / शिक्षण / परीक्षाओं पर अनिवार्य रूप से व्यापक प्रभाव पड़ेगा जो विभिन्न वैधानिक या न्यायिक रूप से बाध्य हैं।
- ♦ हालाँिक ईडब्ल्यूएस आय की परवाह िकये बिना उस व्यक्ति को बाहर कर सकता है जिसके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि है इसके साथ ही आवासीय संपत्ति मानदंड पूरी तरह से हटाया जा सकता है।
 - सिमिति ने आवासीय संपत्ति मानदंड को पूरी तरह से छोड़ दिया लेकिन 5 एकड़ कृषि भूमि मानदंड को बरकरार रखा है।
- ♦ तीन वर्ष के फीडबैक लूप चक्र का उपयोग इन मानदंडों के वास्तिवक परिणामों की निगरानी के लिये और भिवष्य में उन्हें समायोजित करने के लिये किया जा सकता है।
- आय और संपत्तियों को सत्यापित करने तथा ईडब्ल्यूएस आरक्षण व सरकारी योजनाओं हेतु लक्ष्यीकरण में सुधार के लिये डेटा एक्सचेंज एवं सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक सिक्रिय रूप से उपयोग किया जाना चाहिये।
- ♦ प्रत्येक चल रही प्रक्रिया में मौजूदा और प्रचिलत मानदंड में जहाँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध है, जारी रखा जाना चाहिये तथा इस रिपोर्ट में अनुशंसित मानदंड अगले विज्ञापन/प्रवेश चक्र से लागू िकये जा सकते हैं।

पीएमएफएमई योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा 'PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज' (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises - PM FME) योजना के अंतर्गत छह, एक जिला एक उत्पाद (ODOP) ब्रांड लॉन्च किये गए हैं।

• मंत्रालय ने PMFME योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत चयनित ODOP के 10 ब्रांड विकसित करने के लिये NAFED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इनमें से छह ब्रांड अमृत फाल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और दिल्ली बेक्स की सभी व्हीट कुकीज़ हैं।

- परिचय:
 - ◆ इसे आत्म निर्भर अभियान के तहत शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है।
 - यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लिये एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाती है।
 - 🔷 इसे पाँच वर्ष (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिये लागू किया जाएगा।
- विशेषताएँ:
 - ♦ एक जिला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण:
 - योजना के लिये ODOP मूल्य शृंखला विकास और समर्थन बुनियादी ढाँचे के संरेखण के लिये रुपरेखा प्रदान करेगा। एक जिले
 में ODOP उत्पादों के एक से अधिक समृह हो सकते हैं।
 - एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिलों को मिलाकर ODOP उत्पादों का एक समूह हो सकता है।
 - राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिलों के लिये खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे।
 - ओडीओपी में एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित तथा खराब होने वाली उपज या अनाज या खाद्य पदार्थ हो सकता है जैसे- आम,
 आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि।
 - अन्य केंद्रित क्षेत्र:
 - वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, लघु वन उत्पाद और आकांक्षी जिले।
 - क्षमता निर्माण और अनुसंधान: राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ MoFPI के तहत शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों
 को सूक्ष्म इकाइयों हेतु प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, उपयुक्त पैकेजिंग एवं मशीनरी के लिये सहायता प्रदान की जाएगी।
 - वित्तीय सहायताः
 - मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की इच्छुक हैं, वे अधिकतम 10 लाख रुपए
 प्रति यूनिट के साथ पात्र पिरयोजना लागत के 35% पर क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ प्राप्त सकती हैं।
 - एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारी सिमितियों या राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों या निजी उद्यम के माध्यम से सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम आदि सिहत सामान्य बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये 35% पर क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
 - 40,000 रुपए सीड कैपिटल (प्रारंभिक वित्तपोषण) प्रति स्वयं सहायता समूह के सदस्य को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद हेत् प्रदान किया जाएगा।
 - 'मार्केटिंग' और 'ब्रांडिंग' सहायता:
 - इस योजना के तहत एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के SPV को 'मार्केटिंग' और ब्रांडिंग सहायता प्रदान की जाएगी, जो इस प्रकार हैं:
 - 'मार्केटिंग' से संबंधित प्रशिक्षण।
 - मानकीकरण सहित एक सामान्य ब्रांड और पैकेजिंग का विकास करना।
 - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खुदरा शृंखलाओं के साथ विपणन गठजोड़।
 - उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक मानकों को पूरा करना।

वित्तपोषणः

- ♦ यह 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है।
- ◆ इस योजना के तहत व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के संदर्भ में 90:10 के अनुपात में, विधायिका युक्त केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्र द्वारा 100% साझा किया जाएगा।
- आवश्यकताः
 - 🔷 लगभग 25 लाख इकाइयों वाले असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े रोजगार में 74 प्रतिशत योगदान है।
 - ◆ इनमें से लगभग 66% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और उनमें से लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम हैं जो ग्रामीण परिवारों की आजीविका का समर्थन करते हैं तथा शहरी क्षेत्रों में उनके प्रवास को कम करते हैं।
 - ये इकाइयाँ बड़े पैमाने पर सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी में आती हैं।
 - असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना करता है जो उनके प्रदर्शन और विकास को सीमित करता है। इन चुनौतियों में आधुनिक तकनीक व उपकरणों तक पहुँच की कमी, प्रशिक्षण, संस्थागत ऋण तक पहुँच, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण पर बुनियादी जागरूकता की कमी और ब्रांडिंग व मार्केटिंग कौशल आदि की कमी शामिल हैं।
- संबंधित विभिन्न पहल:
 - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना।
 - ♦ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)।
 - न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)।
 - ♦ कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)।
 - राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)।
 - कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन।
 - मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबिलंग और प्रदर्शन) विनियम।
 राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- परिचय
 - यह भारत में कृषि उत्पादों संबंधी विपणन सहकारी सिमितियों का एक शीर्ष संगठन है।
 - 🔷 इसकी स्थापना 2 अक्तूबर, 1958 को हुई थी और यह बहु-राज्य सहकारी सिमिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है।
 - ◆ NAFED अब भारत में कृषि उत्पादों के लिये सबसे बड़ी खरीद एवं विपणन एजेंसियों में से एक है।
- उद्देश्य:
 - ♦ कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण तथा भंडारण को व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना एवं विकसित करना।
 - कृषि मशीनरी, उपकरण तथा अन्य आदानों को वितरित करना, अंतर-राज्यीय, आयात और निर्यात व्यापार, थोक या खुदरा किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्त्व लेना।
 - भारत में इसके सदस्यों, भागीदारों, सहयोगियों और सहकारी विपणन, प्रसंस्करण एवं आपूर्ति समितियों के प्रचार तथा कामकाज के लिये कृषि उत्पादन में तकनीकी सलाह हेतु कार्य करना व सहायता करना।

भारत में न्यायालयों की भाषा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) का सामना कर रहे एक पत्रकार को न्यायालय द्वारा यह कहते हुए केवल अंग्रेज़ी में बोलने के लिये कहा गया कि यह उच्च न्यायपालिका की भाषा है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभृमि:
 - भारत में न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ने मुगल काल के दौरान उर्दू से फारसी और फारसी लिपियों में बदलाव के साथ सिदयों से एक संक्रमण देखा है जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी अधीनस्थ न्यायालयों में जारी रहा।
 - अंग्रेज़ों ने भारत में राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी के साथ कानून की एक संहिताबद्ध प्रणाली की शुरुआत की।
 - ♦ स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में प्रावधान है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।
 - हालाँकि यह अनिवार्य है कि भारत के संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों हेतु अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग जारी रहेगा।
 - यह आगे प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति उक्त अविध के दौरान अंग्रेजी भाषा के अलावा संघ के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये हिंदी भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।
- संबंधित प्रावधानः
 - ♦ अनुच्छेद 348 (1) (A), जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेज़ी में आयोजित की जाएगी।
 - ♦ अनुच्छेद 348 (2) यह भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348 (1) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपित की पूर्व सहमित से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।
 - उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पहले ही अपने-अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के उपयोग को अधिकृत कर दिया है और तिमलनाडु भी अपने उच्च न्यायालय के समक्ष तिमल भाषा के उपयोग को अधिकृत करने के लिये उसी दिशा में काम कर रहा है
 - ◆ एक अन्य प्रावधान में यह कहा गया है कि इस खंड का कोई भी भाग उच्च न्यायालय द्वारा किये गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा।
 - ♦ इसिलये संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेज़ी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथिमक भाषा के रूप में मान्यता देता है कि भले ही उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाए लेकिन उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेज़ी में दिये जाने चाहये।
- राजभाषा अधिनियम 1963:
 - राजभाषा अधिनियम- 1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपित की पूर्वानुमित से उच्च न्यायलय द्वारा दिये गए निर्णयों,
 पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमित दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेज़ी अनुवाद
 भी संलग्न करना होगा।
 - यह प्रावधान करता है कि जहाँ कोई निर्णय/आदेश ऐसी किसी भी भाषा में पारित किया जाता है, तो उसके साथ उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद होना चाहिये।
 - 🔳 यदि इसे संवैधानिक प्रावधानों के साथ पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि इस अधिनियम द्वारा भी अंग्रेज़ी को प्रधानता दी गई है।
 - ♦ राजभाषा अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं है,जहाँ अंग्रेज़ी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कार्यवाही की जाती है।

नोट:

- वादी को अदालत की कार्यवाही को समझने और उसमें भाग लेने का मौलिक अधिकार है क्योंकि यह यकीनन अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद
 21 के तहत अधिकारों का एक बंडल प्रदान करता है।
- वादी को मजिस्ट्रेट के सामने उस भाषा में बोलने का अधिकार है जिसे वह समझता/समझती है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत "न्याय के अधिकार" को भी मान्यता दी गई है।
- इसलिये संविधान ने वादी को न्याय का अधिकार प्रदान किया है जिसमें आगे यह भी शामिल है कि उसे पूरी कार्यवाही तथा दिये गए निर्णय को समझने का अधिकार होगा।

- अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा:
 - उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ सभी न्यायालयों की भाषा आमतौर पर वही रहती है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रारंभ पर भाषा के रूप में होती है।
 - ◆ अधीनस्थ न्यायालयों में भाषा के प्रयोग के संबंध में प्रावधान में यह शामिल है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के तहत जिला न्यायालयों की भाषा अधिनियम की भाषा के समान होगी।
 - राज्य सरकार के पास न्यायालय की कार्यवाही के विकल्प के रूप में किसी भी क्षेत्रीय भाषा को घोषित करने की शक्ति है।
 - हालाँकि मजिस्ट्रेट द्वारा अंग्रेज़ी में निर्णय, आदेश और डिक्री पारित की जा सकती है।
 - साक्ष्यों को दर्ज करने का कार्य राज्य की प्रचलित भाषा में किया जाएगा।
 - अभिवक्ता के अंग्रेज़ी से अनिभन्न होने की स्थिति में उसके अनुरोध पर अदालत की भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा और इस तरह की लागत अदालत द्वारा वहन की जाएगी।
 - ◆ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 272 में कहा गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य सभी न्यायालयों की भाषा का निर्धारण करेगी। मोटे तौर पर इसका तात्पर्य यह है कि जिला अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्रीय भाषा होगी।
- अंग्रेज़ी प्रयोग करने का कारण:
 - ◆ जिस तरह पूरे देश से मामले सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के जज और वकील भी भारत के सभी हिस्सों से आते हैं।
 - ♦ न्यायाधीशों से शायद ही उन भाषाओं में दस्तावेज पढ़ने और तर्क सुनने की उम्मीद की जा सकती है जिनसे वे परिचित नहीं हैं।
 - 🔷 अंग्रेज़ी के प्रयोग के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना असंभव होगा। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय भी अंग्रेज़ी में दिये जाते हैं।
 - हालाँकि वर्ष 2019 में न्यायालय ने अपने निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये एक पहल की शुरुआत की, बल्कि यह एक लंबा आदेश है, जो न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों की भारी मात्रा को देखते हुए दिया गया है।
- अंग्रेज़ी का उपयोग करने का महत्त्व:
 - ♦ एकरूपता: वर्तमान में भारत में न्यायिक प्रणाली पूरे देश में अच्छी तरह से विकसित, एकीकृत और एक समान है।
 - आसान पहुँच: वकीलों के साथ-साथ न्यायाधीशों को समान कानूनों और कानून व संविधान के अन्य मामलों पर अन्य उच्च न्यायालयों के विचारों तक आसान पहुँच का लाभ मिलता है।
 - ♦ निर्बाध स्थानांतरण: वर्तमान में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में निर्बाध रूप से स्थानांतरित किया जाता है।
 - ◆ एकीकृत संरचना: इसने भारतीय न्यायिक प्रणाली को एक एकीकृत संरचना प्रदान की है। किसी भी मजबूत कानूनी प्रणाली की पहचान यह है कि कानून निश्चित, सटीक और अनुमानित होना चाहिये तथा हमने भारत में इसे लगभग हासिल कर लिया है।
 - संपर्क भाषा: बहुत हद तक हम अंग्रेज़ी भाषा के लिये ऋणी हैं, जिसने भारत के लिये एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य किया है जहाँ हमारे पास लगभग दो दर्जन आधिकारिक राज्य भाषाएँ हैं।

आगे की राह

- भारत में भाषा हमेशा एक भावनात्मक मुद्दा रहा है और 25 विभिन्न उच्च न्यायालयों में राज्यों की संबंधित आधिकारिक भाषाओं की शुरुआत का मुद्दा बड़ा है, जिसका भारतीय न्यायिक प्रणाली पर बहुत गंभीर असर होगा।
- देश के भीतर अब तक एकीकृत और अच्छी तरह से संरचित कानूनी प्रणाली राज्यों द्वारा भाषायी एकता के विघटन से विघटित हो सकती है।
- कार्यवाही के लिये आधिकारिक राज्य भाषाओं की शुरुआत भी सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण नीति का सामना करती है और हस्तक्षेप करती है।
- इस प्रकार विभिन्न राज्यों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालयों में किसी भी स्तर पर अन्य राज्यों के साथ चर्चा किये बिना या अंग्रेज़ी के स्थान पर वैकल्पिक संपर्क भाषा के लिये सर्वसम्मित की एक समानता प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास किये बिना अपनी आधिकारिक भाषा को पेश करने का विकल्प प्रदान करेगा।
- विभिन्न राज्यों की न्यायपालिकाओं के बीच संचार के माध्यम समाप्त हो जाएंगे। उस स्थिति में देश की न्यायिक व्यवस्था का एकीकृत ढाँचा ही एकमात्र वस्तु नहीं होगी, जो क्षुद्र क्षेत्रीय राजनीति और भाषायी रूढ़िवाद की वेदी पर चढ़ सकती है।

उजाला योजना के 7 वर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) कार्यक्रम के तहत LED लाइटों के वितरण और बिक्री के सात वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किये हैं।

• देश भर में वितरित 36.78 करोड़ से अधिक LEDs के साथ यह पहल दुनिया के सबसे बड़े जीरो सिब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम के रूप में विकसित हुई है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया और इसे एलईडी-आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम (DELP) के रूप में भी जाना जाता है, इसका उद्देश्य सभी के लिये ऊर्जा के कुशल उपयोग (अर्थात् इसकी खपत, बचत और प्रकाश व्यवस्था) को बढ़ावा देना है।
 - ◆ ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) को इस कार्यक्रम के लिये कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
 - प्रत्येक परिवार जो संबंधित विद्युत वितरण कंपनी का घरेलू कनेक्शन रखता है, योजना के तहत LED बल्ब प्राप्त करने के लिये पात्र है।
- उपलब्धियाँ:
 - ◆ उजाला योजना LED (लाइट-एमिटिंग डायोड) बल्बों के खुदरा मूल्य को 300-350 रुपए प्रति बल्ब से घटाकर 70-80 रुपए प्रति बल्ब करने में सफल रही है।
 - सस्ती ऊर्जा को सभी के लिये सुलभ बनाने के अलावा इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बचत भी हुई। आज तक 47.778 मिलियन kWh प्रतिवर्ष ऊर्जा की बचत की गई है।
 - ◆ इसके अलावा CO2 उत्सर्जन में 3.86 करोड़ टन की कमी आई है।
 - यह घरेलू प्रकाश उद्योग को गित प्रदान करता है एवं यह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करता है क्योंकि एलईडी बल्बों का घरेलू विनिर्माण
 1 लाख प्रतिमाह से बढ़कर 40 मिलियन प्रतिमाह हो गया है।

ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित अन्य पहलः

- ग्राम उजाला: इस पहल के तहत पाँच राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2,579 गाँवों में एलईडी बल्बों को अत्यधिक रियायती दर पर 10 रुपए में वितरित किया जाएगा।
- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT): यह ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये एक बाजार आधारित तंत्र है जिसका व्यापार किया जा सकता है।
- मानक और लेबलिंग: यह योजना वर्ष 2006 में लॉन्च की गई थी और वर्तमान में रूम एयर कंडीशनर (फिक्स्ड/वेरिएबल स्पीड), सीलिंग फैन, रंगीन टेलीविजन, कंप्यूटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, वितरण ट्रांसफार्मर, घरेलू गैस स्टोव, औद्योगिक मोटर, एलईडी लैंप तथा कृषि पम्पसेट जैसे उपकरणों पर लागू होती है।
- ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC): इसे वर्ष 2007 में नए वाणिज्यिक भवनों के लिये विकसित किया गया था। यह 100 kW (किलोवाट) के कनेक्टेड लोड या 120 KVA (किलोवोल्ट-एम्पीयर) और उससे अधिक की अनुबंध मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिये न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है।
- राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम: इसके तहत EESL अपने खर्च पर पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल LED लाइट्स से बदलना है।

यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (POSH) अधिनियम, 2013

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण (POSH) अधिनियम, 2013 के तहत मामलों में जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई है।

- जिस प्रावधान को चुनौती दी गई, वह मीडिया के साथ आदेश और निर्णय सहित रिकॉर्ड साझा करने से पार्टियों और अधिवक्ताओं पर 'ब्लैंकेट बार' से संबंधित है।
- POSH अधिनियम के तहत एक मामले में पक्षों की पहचान की रक्षा के लिये बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जीएस पटेल द्वारा ये दिशा-निर्देश दिये गए थे।

प्रमुख बिंदु

- याचिकाकर्त्ता की दलीलें:
 - ◆ अनुच्छेद 19 की भावना के खिलाफ: याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि 'ब्लैंकेट बार' अनुच्छेद-19 के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है।
 - याचिका में कहा गया है कि एक जागरूक नागरिक स्वयं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करता है।
 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब यह न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करे।
 - लोगों के सही और सटीक तथ्यों को जानने के अधिकार पर कोई भी निषेधाज्ञा उनके सूचना के अधिकार का अतिक्रमण है।
 - ◆ महिलाओं की आवाज का दमन: यह पुरुषों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न जारी रखने और उसके बाद सोशल मीडिया व समाचार मीडिया में उनकी आवाज को दबाने के लिये एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है।
 - सामाजिक न्याय और महिला सशक्तीकरण के मामलों में सार्वजनिक विमर्श महिलाओं को दिये जाने वाले कानूनी अधिकारों की प्रकृति को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - आदेश का "रिप्पल इफेक्ट" हो सकता है और बचे लोगों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने के साथ-साथ मुकदमे के मामलों के लिये एक मिसाल कायम करने से रोक सकता है।
 - ओपन कोर्ट के सिद्धांत के खिलाफ: ओपन कोर्ट के सिद्धांतों और लोगों के मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन के साथ यौन अपराधियों के अनुचित संरक्षण को वैध बनाना।
 - ओपन कोर्ट एक शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करता है।
 - न्यायालय नागिरकों के लिये यह जानने का एक मंच बन जाता है कि कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों पर कैसे प्रभाव डालता है।

यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013

- भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले के एक ऐतिहासिक फैसले में 'विशाखा दिशा निर्देश'
 िवये।
 - ◆ इन दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर मिहलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ("यौन उत्पीड़न अधिनियम") का आधार बनाया।
- 🔸 तंत्र: अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायतों के निवारण के लिये एक तंत्र बनाता है।
 - ◆ प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है।
 - ♦ शिकायत सिमतियों को साक्ष्य एकत्र करने के लिये दीवानी न्यायालयों की शक्तियाँ प्रदान की गई है।
 - ♦ शिकायत सिमतियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर जाँच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है।
- 🕨 दंडात्मक प्रावधान: नियोक्ताओं के लिये दंड निर्धारित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा।
 - 🔷 बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक दंड और व्यवसाय संचालित करने के लिये लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

- प्रशासन की जिम्मेदारी: राज्य सरकार हर जिले में जिला अधिकारी को अधिसूचित करेगी, जो एक स्थानीय शिकायत सिमिति (Local Complaints Committee-LCC) का गठन करेगा ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।
 - नोट: SHe-Box
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (Sexual Harassment electronic–Box SHe-Box) लॉन्च किया है।
- यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण की सुविधा हेतु संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही हर महिला को पहुँच प्रदान करने का प्रयास है।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी मिहला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज़ करा सकती है।
- एक बार शिकायत 'SHe-Box',' में दर्ज़ हो जाने के बाद सीधे संबंधित प्राधिकारी को मामले में कार्रवाई करने हेतु अधिकार क्षेत्र में भेजा जाएगा।

आगे की राह

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पर जे.एस. वर्मा सिमिति (J.S. Verma Committee) की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है:
 - ◆ रोजगार न्यायाधिकरण: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये।
 - ◆ स्वयं की प्रक्रिया बनाने की शक्ति: शिकायतों के त्विरत निपटान को सुनिश्चित करने के लिये सिमिति ने प्रस्ताव दिया कि न्यायाधिकरण को एक दीवानी अदालत के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, लेकिन प्रत्येक शिकायत से निपटने हेतु उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया का चयन करने की शक्ति दी जानी चाहिये।
 - अधिनियम के दायरे का विस्तार: घरेलू कामगारों को अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये।
 - सिमिति ने कहा कि किसी भी तरह के 'अवांछनीय व्यवहार' को शिकायतकर्त्ता की व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिये, जिससे यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा व्यापक हो सके।
 - नियोक्ता का दायित्त्व: वर्मा सिमिति ने कहा कि एक नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये यिद:
 - उसने यौन उत्पीड़न में उत्पीड़क की सहायता की हो।
 - एक ऐसे वातावरण के निर्माण में मदद की हो, जहाँ यौन दुराचार व्यापक एवं व्यवस्थित हो।
 - जहाँ नियोक्ता यौन उत्पीड़न पर कंपनी की नीति और कर्मचारियों द्वारा शिकायत दर्ज करने के तरीकों का खुलासा करने में विफल रहता है।
 - जब नियोक्ता ट्रिब्यूनल को शिकायत अग्रेषित करने में विफल रहता है।
 - कंपनी शिकायतकर्त्ता को मुआवज्ञे का भुगतान करने हेतु भी उत्तरदायी होगी।
 - सिमिति ने झूठी शिकायतों के लिये मिहलाओं को दंडित करने का विरोध किया, क्योंकि यह संभावित रूप से कानून के उद्देश्य को समाप्त कर सकता है।
 - वर्मा सिमिति ने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिये तीन महीने की समय-सीमा समाप्त की जानी चाहिये और शिकायतकर्ता को उसकी सहमित के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिये।

चुनावी खर्च सीमा में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिये खर्च की सीमा 54 लाख-70 लाख रुपए (राज्यों के आधार पर) से बढ़ाकर 70 लाख-95 लाख रुपए कर दी गई थी।

- इसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों के लिये खर्च की सीमा 20 लाख-28 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख- 40 लाख रुपए (राज्यों के आधार पर) कर दी गई थी।
- वर्ष 2020 में चुनाव खर्च की सीमा का अध्ययन करने हेतु चुनाव आयोग ने एक सिमित का गठन किया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
 - 🔷 40 लाख रुपए की बढ़ी हुई राशि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में तथा 28 लाख रुपए की गोवा और मणिपुर में लागू होगी।
 - कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में 10% की वृद्धि के अलावा उम्मीदवारों के लिये खर्च सीमा में अंतिम बड़ा संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था।
 - ♦ सिमिति ने पाया कि वर्ष 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांकः

- इसका उपयोग मुद्रास्फीति के कारण वर्ष-दर-वर्ष वस्तुओं और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिये किया जाता है।
- इसकी गणना कीमतों और मुद्रास्फीति दर के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु की जाती है। सरल शब्दों में समय के साथ मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होगी।
- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक= तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) में औसत वृद्धि का 75%।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कीमतों में वृद्धि की गणना करने के लिये पिछले वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही बास्केट की लागत के साथ वस्तुओं व सेवाओं (जो अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है) की वर्तमान कीमत की तुलना करता है।
- केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करके CII को निर्दिष्ट करती है।
- चुनाव व्यय सीमा:
 - यह वह राशि है जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च की जा सकती है जिसमें सार्वजिनक बैठकों,
 रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है।
 - ◆ जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act-RPA), 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किये गए सभी व्यय का एक अलग और सही खाता रखना होता है।
 - ♦ चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को ECI के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है।
 - ◆ उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय या खाते का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर RPA, 1951 की धारा 10 के तहत ECI द्वारा उसे तीन साल के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
 - ◆ ECI द्वारा निर्धारित व्यय सीमा चुनाव के दौरान किये जाने वाले वैध खर्च के लिये निर्धारित है क्योंकि चुनाव में बहुत सारा पैसा गलत एवं अवांछित कार्यों पर खर्च किया जाता है।
 - अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि चुनावी खर्च की यह सीमा अवास्तिवक है क्योंिक उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च वास्तिवक व्यय
 से बहुत अधिक होता है।
 - ◆ उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान अधिकतम खर्च की सीमा के निर्धारण के संदर्भ में दिसंबर 2019 में एक निजी सदस्य द्वारा संसद में बिल पेश किया गया-
 - ◆ यह कदम इस आधार पर उठाया गया कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च के संबंध में किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा खर्च की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है, जिस कारण अक्सर राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का शोषण किया जाता है।
 - हालाँकि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव पूरा होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होता है।

राज्य अनुदान पर सिफारिशें:

- इंद्रजीत गुप्ता सिमिति (1998) द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राज्य द्वारा वित्तपोषण आर्थिक रूप से कमज़ोर राजनीतिक दलों के लिये एक समान आधार को सुनिश्चित करेगा एवं ऐसा कदम सार्वजनिक हित में होगा।
- यह भी सिफारिश की गई कि राज्य द्वारा यह धन केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को दिया जाना चाहिये तथा यह आर्थिक सहायता उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के रूप में दी जानी चाहिये।
- विधि आयोग की रिपोर्ट (1999) के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव के लिये राज्य द्वारा वित्तीय सहायता देना वांछनीय/उचित (Desirable) है, बशर्ते राजनीतिक दल अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त न करे।
- संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये गठित राष्ट्रीय आयोग (वर्ष 2000) द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया गया लेकिन इसके द्वारा उल्लेख किया गया कि राजनीतिक दलों के नियमन के लिये एक उपयुक्त रूपरेखा को राज्य द्वारा वित्तपोषण से पहले लागू करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- राज्यों द्वारा चुनाव की फंडिंग: इस प्रणाली में राज्य द्वारा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च वहन किया जाता है।
 - यह प्रणाली वित्तपोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकती है क्योंिक यह चुनावों में इच्छुक सार्वजनिक वित्तदाताओं के प्रभाव को सीमित कर सकती है तथा इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 'इंट्रा-स्टेट ट्रांसिमशन सिस्टम' (InSTS) के लिये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) चरण- II पर योजना को मंजूरी दी।

- GEC-1:
 - म्रीन एनर्जी कॉरिडोर का पहला चरण पहले से ही गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तिमलनाडु और राजस्थान में लागु किया जा रहा है।
 - ◆ यह लगभग 24 GW अक्षय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी के लिये काम कर रहा है।
- GEC-2:
 - यह सात राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तिमलनाडु और उत्तर प्रदेश में लगभग 20 गीगावाँट अक्षय ऊर्जा (आरई) बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगा।
 - 🔷 ट्रांसिमशन सिस्टम वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्ष की अविध में बनाए जाएंगे।
 - ◆ इसे 12, 031 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत के साथ स्थापित करने का लक्ष्य है जो केंद्रीय वित्त सहायता (CFA) परियोजना लागत का 33% होगा।
 - CFA इंट्रा-स्टेट ट्रांसिमशन शुल्क को पूरा करने में मदद करेगा और इस प्रकार बिजली की लागत को कम करेगा।
- उद्देश्य:
 - ◆ इसका उद्देश्य प्रिड में पारंपिरक बिजली स्टेशनों के साथ नवीनीकरण संसाधनों जैसे पवन व सौर से उत्पादित बिजली को एकीकृत करना
 है।
 - ♦ इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 450 GW स्थापित आरई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
 - ◆ GEC का उद्देश्य लगभग 20,000 मेगावाट के साथ बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा की स्थापना करना और राज्य स्तर पर प्रिड में सुधार करना है।

- महत्त्वः
 - यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा और कार्बन फुटप्रिंट को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत् विकास को बढ़ावा देगा।
 - 🔷 यह कुशल और अकुशल दोनों तरह के कर्मियों के लिये अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

हरित ऊर्जा से संबंधित पहलें:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)।
- राष्ट्रीय सौर मिशन।
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम)
- अटल ज्योति योजना।
- सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम।
- सोलर पार्क योजना और ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना।
- रीवा सोलर पावर प्लांट।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2018
- हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल वाहन।

प्रसाद परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने PRASHAD योजना के तहत "गोवर्धन का विकास, मथुरा" परियोजना के विभिन्न घटकों का उद्घाटन किया।

 सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण और बुद्ध सिकंट जैसे विभिन्न आध्यात्मिक सिकंटों के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर पर्यटन के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिये धन आवंटित किया।

- 'प्रसाद' (PRASHAD) योजना:
 - पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिह्नित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन पर राष्ट्रीय मिशन' शुरू किया गया था।
 - अक्तूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्द्धन अभियान' (यानी 'प्रसाद') राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया।
 - आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की हृदय (HRIDAY) योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास को प्रसाद PRASHAD योजना में शामिल किया गया।
 - ♦ प्रसाद योजना के तहत विकास के लिये कई धार्मिक शहरों/स्थलों की पहचान की गई है जैसे अमरावती और श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश), कामाख्या (असम), परशुराम कुंड (लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश), पटना और गया (बिहार) आदि।
 - कार्यान्वयन एजेंसी: इस योजना के तहत चिह्नित परियोजनाओं को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा चिह्नित एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
 - ♦ वित्तपोषण तंत्र: केंद्र सरकार सार्वजनिक वित्तपोषण के लिये शुरू किये गए परियोजना घटकों हेतु 100% वित्तपोषण प्रदान करती है।
 - इस योजना के तहत परियोजनाओं की बेहतर स्थिरता के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और सार्वजिनक-निजी भागीदारी (PPP) के लिये उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तपोषण का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है।

- यह योजना इस योजना के तहत परियोजनाओं की बेहतर स्थिरता के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिये उपलब्ध स्वैच्छिक वित्त पोषण का लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है।
- प्रसाद योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- इसके गुणात्मक रोजगार सुजन और आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव के लिये तीर्थ यात्रा पर्यटन का उपयोग करना।
- तीर्थ स्थलों के विकास में गरीब समर्थक पर्यटन अवधारणा और समुदाय आधारित विकास का पालन करना।
- सार्वजिनक विशेषज्ञता और पूंजी का लाभ उठाना।
- धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे को विकसित करके पर्यटकों के आकर्षण को स्थायी रूप से बढाना।
- बेहतर जीवन स्तर हेतु आय के स्रोतों में वृद्धि और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों में पर्यटन के महत्त्व के बारे में जागरूकता को बढाना।
- पहचान किये गए स्थानों में आजीविका उत्पन्न करने हेत् स्थानीय संस्कृति, कला, व्यंजन, हस्तिशिल्प आदि को बढावा देना।
- स्वदेश दर्शन योजनाः
 - ◆ स्वदेश दर्शन, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम-आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिये शुरू किया गया था।
 - इस योजना के तहत पंद्रह विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है- बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजातीय सर्किट, वन्यजीव सर्किट।
 - इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।
 - ♦ इस योजना की पिरकल्पना अन्य योजनाओं जैसे- स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के साथ तालमेल बिटाने के लिये की गई है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र को रोजगार मृजन हेतु एक प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करने, आर्थिक विकास के लिये प्रेरणा शिक्त, विभिन्न क्षेत्रों के साथ तालमेल बनाने पर विचार करना है। साथ ही पर्यटन को अपनी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाना है।

पर्यटन से संबंधित अन्य सरकारी योजनाएँ:

- एडॉप्ट ए हेरिटेज
- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का विकास
- देखो अपना देश

राष्ट्रीय जल पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार (NWA) 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिये उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया।

सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान और तिमलनाडु को क्रमश: दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला।

- राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में:
 - ♦ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है।
 - वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला 'राष्ट्रीय जल पुरस्कार' प्रदान किया गया था।
 - यह भारत में सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने पर वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने हेतु स्टार्ट-अप के साथ-साथ प्रमुख संगठनों के लिये एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।

- वे देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किये गए अच्छे काम एवं प्रयासों तथा 'जल समृद्ध भारत' के मार्ग हेतु सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- उद्देश्य:
 - जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों/संगठनों को प्रेरित करना।
 - पानी के महत्त्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- अवसर प्रदान करना:
 - ♦ स्टार्ट-अप, अग्रणी संगठन और लोग जल संरक्षण एवं प्रबंधन गितविधियों से संबंधित मुद्दों पर मौजूदा साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं।
- जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता:
 - अति प्रयोग के कारण जल संसाधनों की कमी और जलवायु पिरवर्तन के कारण जल आपूर्ति में गिरावट भारत को पानी की कमी के चरम बिंदु के करीब ले जा रही है।
 - ◆ इनके अलावा विशेष रूप से कृषि से संबंधित कई सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप पानी का अत्यधिक दोहन हुआ है। ये कारक भारत को जल-तनावग्रस्त अर्थव्यवस्था बनाते हैं। इस संदर्भ में जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है।
 - भारत की वर्तमान पानी की आवश्यकता लगभग 1,100 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष है, जिसका वर्ष 2050 तक 1,447 बिलियन क्यूबिक मीटर तक होने का अनुमान है।
 - ♦ भारत में दुनिया की 16% आबादी निवास करती है, लेकिन देश के पास दुनिया के पीने योग्य पानी के संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही मौजूद है। बदलते मौसम के मिजाज़ और बार-बार पड़ने वाले सूखे से भारत जल संकट से जूझ रहा है।
 - केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिये प्रतिवर्ष 230 बिलियन मीटर क्यूबिक भूजल निकाला जाता है, जिससे देश के कई हिस्सों में भुजल का तेजी से क्षरण हो रहा है।
 - भारत में कुल अनुमानित भूजल की कमी 122-199 बिलियन मीटर क्यूब की सीमा में है।

संबंधित पहल

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- जल क्रांति अभियान
- कैच द रेन: नेशनल वाटर मिशन
- नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- जल जीवन मिशन
- अटल भूजल योजना
- जल शक्ति अभियान

आगे की राह

- लोग जल संरक्षण के महत्त्व की उपेक्षा करते हैं क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यह मुफ़्त है या नाममात्र का शुल्क लिया जाता है, इसिलये उनके
 लिये इसके महत्त्व को समझना और इसके दोहन की स्थिति से अवगत होना महत्त्वपूर्ण है।
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार जैसी पहल, अन्य सरकारी पहलों के साथ जागरूकता पैदा करने में मदद करेगी और सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रेरित करेगी जो भारत को 'जल समृद्ध भारत' बनने में मदद करेगी।

समान नागरिक संहिता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने वर्ष 2019 में दायर एक जनहित याचिका के जवाब में कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन, संविधान के तहत एक निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 44) है जो सार्वजनिक नीति का मामला है और यह कोई निर्देश नहीं है। यह न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है।

 केंद्र ने भारतीय विधि आयोग (21वें) से यूसीसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जाँच करने और उस पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया है।

- परिचय
 - ◆ समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
 - संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
 - अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से एक है।
 - अनुच्छेद-37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे।
- भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति
 - भारतीय कानून अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान कोड का पालन करते हैं जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम, 1872 आदि।
 - ♦ हालाँकि राज्यों ने सैकडों संशोधन किये हैं, इसलिये कुछ मामलों में इन धर्मिनरपेक्ष नागरिक कानुनों के तहत भी विविधता है।
 - हाल ही में कई राज्यों ने समान मोटर वाहन अधिनियम, 2019 द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया।
- भूमिकाः
 - ♦ समान नागरिक संहिता (UCC) की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, हालाँकि रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई।
 - ♦ ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिये बी.एन. राव समिति गठित करने के लिये मजबूर किया।
 - ♦ इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिये निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया।
 - हालाँकि मुस्लिम, इसाई और पारसी लोगों के लिये अलग-अलग व्यक्तिगत कानून थे।
 - ◆ कानून में समरूपता लाने के लिये विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।
 - शाह बानो मामले (1985) में दिया गया निर्णय सर्वविदित है।
 - सरला मुद्गल वाद (1995) भी इस संबंध में काफी चर्चित है, जो कि बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच
 विवाद से जुड़ा हुआ था।
 - प्राय: यह तर्क दिया जाता है 'ट्रिपल तलाक' और बहुविवाह जैसी प्रथाएँ एक महिला के सम्मान और उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

- व्यक्तिगत कानुनों के लिये समान नागरिक संहिता के निहितार्थ:
 - समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण
 - समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सिहत संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
 है, जबिक एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा।
 - कानूनों का सरलीकरण
 - समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी।
 परिणामस्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।
 - धर्मिनरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करना
 - भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मिनरपेक्ष' शब्द सिन्निहित है और एक धर्मिनरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून बनाना चाहिये।
 - लैंगिक न्याय
 - यदि समान नागरिक संहिता को लागू िकया जाता है, तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों
 में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।
- चुनौतियाँ
 - केंद्र सरकार के पारिवारिक कानूनों में मौजूद अपवाद
 - स्वतंत्रता के बाद से संसद द्वारा अधिनियमित सभी केंद्रीय पारिवारिक कानूनों में प्रारंभिक खंड में यह घोषणा की गई है कि वे 'जम्मू-कश्मीर राज्य को छोडकर पूरे भारत में लागू होंगे।'
 - इन सभी अधिनियमों में 1968 में एक दूसरा अपवाद जोड़ा गया था, जिसके मुताबिक, 'अधिनियम में शामिल कोई भी प्रावधान केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी पर लागू होगा।'
 - एक तीसरे अपवाद के मुताबिक, इन अधिनियमों में से कोई भी गोवा और दमन एवं दीव में लागू नहीं होगा।
 - नगालैंड और मिज़ोरम से संबंधित एक चौथा अपवाद, संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G में शामिल किया गया है, जिसके
 मुताबिक कोई भी संसदीय कानून इन राज्यों के प्रथागत कानूनों और धर्म-आधारित प्रणाली का स्थान नहीं लेगा।
 - सांप्रदायिक राजनीतिः
 - कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जाती है।
 - समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।
 - संवैधानिक बाधाः
 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है।

आगे की राह

- परस्पर विश्वास निर्माण के लिये सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए।
- एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग-अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है।
- सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना काफी महत्त्वपूर्ण है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रुढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परिक्षण किया जा सके।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत नियमों को अधिसुचित करने की समय सीमा से चुक गया।

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से संबंधित चिंताओं और बेहतर स्पष्टता के लिये लोकसभा तथा राज्यसभा में दो संसदीय सिमितियों (अधीनस्थ कानून संबंधी समितियों) ने गृह मंत्रालय से कानून को नियंत्रित करने वाले नियमों के निर्माण की मांग की थी।
- अगर सरकार नियम और कानून नहीं बनाती है, तो कोई कानून या उसके कुछ हिस्सों को लागू नहीं किया जाएगा। वर्ष 1988 का बेनामी लेन-देन अधिनियम एक ऐसे ही कानून का उदाहरण है, जो नियमों के अभाव में लागू नहीं किया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति:

- इस समिति द्वारा जाँच की जाती है और यह सदन को रिपोर्ट प्रस्तत करती है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियमों. नियमों और उप-नियमों आदि को बनाने की शक्तियों का इस तरह के प्रतिनिधिमंडल के दायरे में कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है।
- इस समिति में दोनों सदनों के सदस्य मौजूद होते हैं।
- इसमें 15 सदस्य होते हैं।
- इस समिति में किसी मंत्री को मनोनीत नहीं किया जाता है।

- CAA के बारे में:
 - ♦ CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है. जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
 - 🔷 यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छट देता है।
 - दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा या परिमट के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिये दंड निर्दिष्ट करते हैं।
- CAA के साथ संबद्ध चिंताएँ:
 - ◆ एक विशेष समुदाय को लक्षित करना: ऐसी आशंकाएँ हैं कि CAA के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का देशव्यापी संकलन होगा यह प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बाहर किये गए गैर-मुसलमानों को लाभान्वित करेगा, जबिक बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी।
 - ♦ उत्तर-पूर्व के मुद्दे: यह वर्ष 1985 के असम समझौते का खंडन करता है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को चाहे वे किसी भी धर्म के हों निर्वासित कर दिया जाएगा।
 - असम में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और उन्होंने राज्य के संसाधनों तथा अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव डालने के अलावा राज्य की जनसांख्यिकी को बदल दिया है।
 - मौलिक अधिकारों के खिलाफ: आलोचकों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है व नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है) तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है।
 - 🔷 प्रकृति में भेदभावपूर्ण: भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जिनमें श्रीलंका के तिमल और म्याँमार के हिंदू रोहिंग्या शामिल हैं। वे इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं।
 - प्रशासन में कठिनाई: सरकार के लिये अवैध प्रवासियों और प्रभावित लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल होगा।
 - ♦ द्विपक्षीय संबंधों में बाधा: यह अधिनियम धार्मिक उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है जो कि इन तीन देशों में हुआ है और हो रहा है तथा इस प्रकार उनके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध खराब हो सकते हैं।

आगे की राह

- भारत की एक समृद्ध सभ्यता रही है। इसिलये यह उन लोगों की रक्षा करने का एक नया प्रयास है जिन पर इसके पड़ोस में मुकदमा चलाया जाता है। हालाँकि तरीके संविधान की भावना के अनुसार होने चाहिये।
- इस प्रकार MHA को CAA नियमों को अत्यंत पारदर्शिता के साथ अधिसूचित करना चाहिये और सीएए से जुड़ी आशंकाओं को दूर करना चाहिये।

ई-पासपोर्ट : पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह जल्द ही नए पासपोर्ट के लिये आवेदन करने या अपने समाप्त हो रहे पासपोर्ट को नवीनीकृत करने वाले नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू करेगी।

- परिचयः
 - ◆ यह घोषणा विदेश मंत्रालय (MEA) और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत है,
 PSP (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) के अगले चरण को PSP-V2.0 कहा जाएगा।
 - MEA-TCS सहयोग वर्ष 2008 से पासपोर्ट प्रक्रिया का एक हिस्सा रहा है और इसने जटिल प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को बढ़ाने में मदद की है जिसके लिये विशाल सरकारी नेटवर्क के स्पेक्ट्रम में कई हितधारकों की आवश्यकता होती है।
 - टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 'नागरिक इंटरफेस, प्रौद्योगिकी बैकबोन, कॉल सेंटर, प्रशिक्षण और परिवर्तन प्रबंधन' जैसे "समर्थन कार्यों" की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी।
 - पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में सरकार 'सभी संप्रभु और सुरक्षा संबंधी कार्यों' का प्रयोग करेगी।
- पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP):
 - पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP) भारत के कई मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (MMPs) में से एक है।
 - 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' (MMP) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के भीतर एक ऐसी परियोजना होती है, जो बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड या वाणिज्यिक कर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक शासन के एक पहलू पर केंद्रित होती है।
- PSP-V2.0:
 - ◆ PSP-V2.0, PSP-V1.0 का ही विस्तार है, जो एक ई-सरकारी उपकरण है, जिसके तहत पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के वितरण में नए बदलाव किये गए हैं।
 - ◆ नई पहल का उद्देश्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है जो "पारदर्शी, अधिक सुलभ और विश्वसनीय" होगा तथा यह एक प्रशिक्षित कार्यबल द्वारा समर्थित होगा।
 - यह एक अत्याधुनिक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा, मौजूदा प्रक्रियाओं को ठीक करेगा और पासपोर्ट जारी करने में शामिल सरकार के विभिन्न अंगों को एकीकृत करेगा।
- PSP-V2.0 की नई विशेषताएँ:
 - नए कार्यक्रम में नवीनतम बायोमेट्रिक्स प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस डेटा एनालिटिक्स, चैट-बॉट, ऑटो-प्रतिक्रिया, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, क्लाउड सक्षमता के उपयोग सिंहत प्रौद्योगिकी उन्नयन होने की उम्मीद है।
 - ◆ PSP-V2.0 के तहत सबसे नई विशेषता ई-पासपोर्ट नामक नई पीढी के पासपोर्ट जारी करना होगा।
- ई-पासपोर्ट और इसका महत्त्व:
 - ♦ ई-पासपोर्ट पारंपिरक पासपोर्ट का अद्यतित रूप है और इसका उद्देश्य इसे अधिक सुरक्षित बनाना एवं विश्व स्तर पर अप्रवासन के लिये सुगम मार्ग सुनिश्चित करना है।

- ♦ ई-पासपोर्ट को एक चिप के साथ एम्बेड किया जाएगा जिसमें जीवन संबंधी जानकारी सहित धारक के व्यक्तिगत विवरण शामिल होगा।
- ♦ ई-पासपोर्ट के लिये सॉफ्टवेयर आईआईटी कानपुर और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है।
 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत NIC भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है। एनआईसी की स्थापना वर्ष 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- ♦ यह विश्व भर में आव्रजन प्रक्रिया (Immigration Process) को आसान बनाएगा और पासपोर्ट धारकों के लिये डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
- ई-पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organisation- ICAO) के मानकों का पालन करेंगे।
 - ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन हेतु मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी। भारत इसका सदस्य देश है।

आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रक्षा भूमि का सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने प्रभावी भूमि उपयोग और योजना बनाने तथा अतिक्रमणों को रोकने के लिये देश भर में 4,900 क्षेत्रों में फैली लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि का सर्वेक्षण किया है।

- परिचयः
 - ◆ यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार नवीनतम सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके और विभिन्न राज्य सरकारों के राजस्व अधिकारियों के सहयोग से बड़ी संख्या में पूरी रक्षा भूमि का सर्वेक्षण किया गया है।
- आधुनिक तकनीक का उपयोग:
 - सर्वेक्षण में इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ETS) और डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS) जैसी आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग किया गया है।
 - ETS को इलेक्ट्रॉनिक दूरी मापन (Electronic Distance Measurement- EDM) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कोण एवं उपकरण से ढलान की दूरी को एक विशेष बिंदु तक मापने के लिये तथा डेटा को एकत्र करने व त्रिभुज गणना करने हेतु एक ऑन-बोर्ड कंप्यूटर हो।
 - DGPS, GPS नेविगेशन का एक उन्नत रूप है जो मानक GPS की तुलना में अधिक सटीक स्थिति प्रदान करता है।
 - ♦ विश्वसनीय, मजबूत और समयबद्ध परिणामों के लिये ड्रोन इमेजरी (Drone imagery) और सैटेलाइट इमेजरी (Satellite Imagery) आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग किया गया।
 - राजस्थान में पहली बार लाखों एकड़ रक्षा भूमि के सर्वेक्षण के लिये ड्रोन इमेजरी आधारित सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया गया
 था।
 - इसके अलावा कुछ रक्षा भूमि क्षेत्रों के लिये पहली बार सैटेलाइट इमेजरी आधारित सर्वेक्षण किया गया था।
 - भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Centre- BARC) के सहयोग से डिजिटल एलिवेशन मॉडल (Digital Elevation Model- DEM) का उपयोग कर पहाड़ी क्षेत्र में रक्षा भूमि के बेहतर दृश्य के लिये 3डी मॉडलिंग तकनीक भी शुरू की गई है।
 - एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल (Digital Elevation Model- DEM) पेड़ों, इमारतों और सतह की किसी भी अन्य वस्तुओं को छोड़कर पृथ्वी की नग्न सतह की स्थलाकृतिकयों को दर्शाता है।

- इस उपलिब्ध का महत्त्व:
 - लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि के सर्वेक्षण की यह विशाल पहल केंद्र सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल के अनुरूप कम समय में भूमि सर्वेक्षण हेत् उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने का एक अनुठा उदाहरण है।
 - ♦ आजादी के 75 वर्षों बाद इस अभ्यास को आयोजित करने से यह 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत आयोजित होने वाले समारोहों का भी हिस्सा बन जाता है।
- भूमि सर्वेक्षण हेतु क्षमता निर्माण:
 - → नवीनतम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में रक्षा संपदा अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु 'राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान' में भूमि सर्वेक्षण और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मानचित्रण पर एक उत्कृष्टता केंद्र (CoE) भी स्थापित किया गया है।
 - ◆ इस उत्कृष्टता केंद्र का लक्ष्य एक शीर्ष सर्वेक्षण संस्थान का निर्माण करना है, जो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देने में सक्षम है।

इंडिया स्किल्स 2021

चर्चा में क्यों?

देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स (IndiaSkills 2021 Nationals) का हाल ही में समापन हुआ।

- परिचय:
 - यह कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिये डिज़ाइन की गई है तथा युवा लोगों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी
 प्रतिभा दिखाने हेतु एक मंच प्रदान करती है।
 - भारत कौशल प्रतियोगिता हर दो वर्ष में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से आयोजित की जाती है।
 - इसमें जमीनी स्तर तक पहुँचने और प्रभाव डालने की क्षमता है।
- प्रतिभागी:
 - 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) ने प्रतियोगिता में भाग लिया तथा वर्ष 2021 में 54 कौशलों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया,
 जिसमें सात नए कौशल शामिल थे।
 - कौशल क्षेत्रों में सौंदर्य चिकित्सा, साइबर सुरक्षा, पुष्प विज्ञान, रोबोट प्रणाली एकीकरण, क्लाउड कंप्यूटिंग, जल प्रौद्योगिकी, पेंटिंग और सजावट, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल, अन्य शामिल हैं।
- नोडल एजेंसी:
 - ♦ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के मार्गदर्शन में काम कर रहा है।
 - NSDC 2011 से वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी का नेतृत्व कर रहा है।
- राज्यों का प्रदर्शन:
 - ओडिशा चार्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद महाराष्ट्र और केरल हैं।
 - इंडियास्किल्स 2021 नेशनल्स के विजेताओं को अक्तूबर 2022 में चीन के शंघाई में होने वाली वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता
 में देश का प्रतिनिधित्त्व करने का मौका मिलेगा।
- कौशल विकास की आवश्यकता:
 - अकुशल श्रम बल:
 - यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट-2020 के अनुसार, भारत में वर्ष 2010-2019 की अवधि में केवल 21.1% श्रम शक्ति ही कुशल (Skilled) थी।
 - यह निराशाजनक परिणाम नीतिगत कार्रवाइयों में सामंजस्य की कमी, समग्र दृष्टिकोण की अनुपस्थिति और एकल रूप से कार्य करने के कारण है।

- बढती बेरोजगारी से निपटना:
 - वर्ष 2020 में भारत की बेरोज़गारी दर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थी।
 - इसके लिये कई कारक जिम्मेदार थे, जिनमें कोरोनावायरस महामारी के कारण लगने वाला लॉकडाउन भी शामिल है।
- अर्थव्यवस्था में सहयोग की संभावना:
 - जनवरी 2021 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक अपस्किलिंग में निवेश संभावित रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और भारत की अर्थव्यवस्था में 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढने की संभावना है।
 - भारत में अपस्किलिंग के माध्यम से दूसरी सबसे बड़ी अतिरिक्त रोजगार क्षमता है, क्योंकि भारत वर्ष 2030 तक 2.3 मिलियन नौकिरयों को जोड़ने की क्षमता रखता है, जबिक अमेरिका 2.7 मिलियन नौकिरयों के साथ पहले स्थान पर है।

संबंधित पहल/योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना
- आजीविका संवर्द्धन के लिये कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (SANKALP) योजना
- युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक (युवा) योजना
- कौशलाचार्य पुरस्कार
- प्रशिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिये योजना (SHREYAS)
- आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण यानी 'असीम'
- कौशल प्रमाणन

संवेदनशील गवाहों की रक्षा करना: SC

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने संवेदनशील गवाहों के अर्थ का विस्तार करते हुए इसमें अन्य यौन उत्पीड़न पीड़ितों, मानसिक रूप से बीमार, बोलने या सुनने में अक्षम लोगों को भी शामिल किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 और फिर 2004 व 2017 के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें उसने इसी तरह के निर्देश पारित किये थे।
 जब उसने देश के सभी उच्च न्यायालयों को संवेदनशील गवाहों हेतु 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किये गए दिशा निर्देशों को अपनाने के लिये कहा था।

- संवेदनशील गवाह: संवेदनशील गवाहों का मतलब केवल बाल गवाहों तक सीमित नहीं होगा। इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे:
 - यौन हमले के शिकार।
 - आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत यौन उत्पीड़न के शिकार ।
 - मानिसक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 में परिभाषित मानिसक बीमारी से पीड़ित गवाह।
- खतरों के शिकार गवाह और कोई भी भाषण या श्रवण बाधित व्यक्ति या किसी अन्य विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति।
- संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालय (HC) दो महीने की अविध के भीतर एक संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (VWDC) योजना को अपनाएँ और अधिसूचित करें।
- संवेदनशील गवाह जमा केंद्र (Vulnerable Witness Deposition Centre- VWDC)

- ♦ VWDC संवेदनशील गवाहों के साक्ष्य दर्ज़ करने के लिये एक सुरक्षित और बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करेगा।
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक ज़िले में एक VWDC हो।
- ♦ इन VWDC को वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) केंद्रों के निकट स्थापित किया जाना चाहिये।
- हितधारकों को संवेदनशील बनाना: सर्वोच्च न्यायालय ने VWDC के प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और बार, बेंच
 व कर्मचारियों सिहत सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के महत्त्व की ओर भी इशारा किया है।
 - ♦ सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल से अखिल भारतीय VWDC प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करने और लागू करने के लिये समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का आग्रह किया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने सिमिति के अध्यक्ष को प्रशिक्षण की योजनाओं हेतु एक प्रभावी इंटरफेस प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ जुड़ने का भी निर्देश दिया।
 - साथ ही न्यायालय ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवश्यक लॉजिस्टिक्स सहायता के समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया है।

भारत में गवाह संरक्षण:

- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'गवाह संरक्षण योजना- 2018' को मंज़ूरी दी थी, जिसका उद्देश्य एक गवाह को निडर और सच्चाई से गवाही देने में सक्षम बनाना है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:
 - अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का गवाहों का अधिकार अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार) का हिस्सा है।
 - यह योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत एक कानून के तौर पर लागू होगी।
 - ♦ न्यायपीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संवेदनशील गवाह केंद्र स्थापित करने को भी कहा है।
- यद्यपि यह योजना अभी तक संसद में लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में इस योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है और स्पष्ट कहा कि यह योजना देश में कानून के तौर पर लागू होगी।
- वर्षों से विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों और न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में गवाहों की रक्षा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
 - ◆ गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997), 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट और मलीमथ सिमिति की रिपोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना की सिफारिश की है।

आगे की राह

- गवाह 'न्याय की आँख और कान' होते हैं और ऐसे में यह योजना राष्ट्र की प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली की दिशा में एक सही कदम साबित होगी।
- हालाँकि अब तक ऐसे कई तदर्थ कदम उठाए गए हैं, जिसमें संवेदनशील गवाहों हेतु कुछ समर्पित अदालत कक्ष और गवाहों की पहचान छुपाना (आतंकवाद विरोधी आदि जैसे मामलों में) आदि शामिल हैं, किंतु ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहे हैं।
- इसलिये गवाहों से छेड़छाड़ के खिलाफ निषेध पर जोर देने के विधायी उपाय मौजूदा समय की अपिरहार्य आवश्यकता बन गए हैं।

कृष्णा जल विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी जल के बँटवारे के विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

- उन्होंने इसका कारण बताया कि वे पक्षपात का निशाना नहीं बनना चाहते क्योंकि विवाद उनके गृह राज्यों से संबंधित है।
 न्यायाधीशों का बिहष्कार
- यह पीठासीन न्यायालय के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के हितों के टकराव के कारण कानूनी कार्यवाही जैसी आधिकारिक कार्रवाई
 में भाग लेने से अनुपस्थित रहने से संबंधित है।

- जब हितों का टकराव होता है तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का निर्णय करते समय पक्षपात किया है।
- पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में इस मुद्दे पर बात की गई है।
 - रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रति तर्कों को बल प्रदान करती है।
 - → न्यायालय को अपने सामने मोजूद पक्ष के तर्क को देखना चाहिये और तय करना चाहिये कि वह पक्षपाती है या नहीं।

- परिचय:
 - ◆ वर्ष 2021 में आंध्र प्रदेश ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार द्वारा उसे "असंवैधानिक और अवैध" तरीके से पीने एवं सिंचाई के लिये पानी के अपने वैध हिस्से से वंचित कर दिया गया।
 - श्रीशैलम जलाशय का पानी, जो कि दोनों राज्यों के बीच नदी के जल का मुख्य भंडारण है, संघर्ष का एक प्रमुख बिंदु बन गया है।
 - आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्रीशैलम जलाशय के पानी के उपयोग का विरोध किया।
 - श्रीशैलम जलाशय आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह नल्लामाला पहाडियों में स्थित है।
 - ♦ इसने आगे तर्क दिया िक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत गठित शीर्ष परिषद में लिये गए निर्णयों, इस अधिनियम
 के तहत गठित कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के निर्देशों और केंद्र के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर रहा है।
- पृष्ठभूमि:
 - कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरणः
 - वर्ष 1969 में 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' के तहत 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' (KWDT) को स्थापित किया गया था और इसने वर्ष 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
 - साथ ही यह भी निर्धारित किया गया था कि 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' आदेश की समीक्षा या संशोधन किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायाधिकरण द्वारा 31 मई, 2000 के बाद किसी भी समय किया जा सकता है।
 - दूसरा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण
 - वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई जिसने वर्ष 2010 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2010 में दिये गए निर्णय में अधिशेष जल का 81 TMC महाराष्ट्र को, 177 TMC कर्नाटक को तथा 190 TMC आंध्र प्रदेश के लिये आवंटित किया गया था।
 - ♦ KWDT की वर्ष 2010 की रिपोर्ट के बाद:
 - आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमित याचिका के माध्यम से इसे चुनौती दी थी।
 - वर्ष 2013 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 'आगे की रिपोर्ट' जारी की, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने फिर से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
 - तेलंगाना का निर्माण:
 - तेलंगाना के निर्माण के बाद आंध्र प्रदेश ने कहा है कि तेलंगाना को KWDT में एक अलग पक्ष के रूप में शामिल किया जाए और कृष्णा जल के आवंटन को तीन के बजाय चार राज्यों के बीच फिर से वितरित किया जाए।
 - यह आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 पर आधारित है।
 - इस खंड के प्रयोजनों हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियत दिन को या उससे पहले ट्रिब्यूनल द्वारा पहले से किये गए परियोजना-विशिष्ट आवंटन संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होंगे।
- संवैधानिक प्रावधानः
 - अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
 - इसके तहत संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।

- 🔷 संसद ने दो कानून, नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) अधिनियमित किये हैं।
 - नदी बोर्ड अधिनियम (River Boards Act) अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम (Inter-State Water Disputes Act) केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के निर्णय हेतु एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।
 - किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, जिसे इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है।

कृष्णा नदीः

- स्रोत: इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- ड्रेनेज: यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 किमी), उत्तरी कर्नाटक (480 किमी) और शेष 1300 किमी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- सहायक नदियाँ: तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वर्ना, डिंडी, मुसी और दूधगंगा।

आगे की राह

- जल विवादों का समाधान या संतुलन तभी किया जा सकता है जब ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गए निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ एक स्थायी ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाए।
- किसी भी संवैधानिक सरकार का तात्कालिक लक्ष्य अनुच्छेद 262 में संशोधन और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में संशोधन तथा उसका समान रूप से क्रियान्वयन होना चाहिये।
- यह समय है कि हम सभी को जल प्रबंधन के बारे में अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिये, न केवल राज्यों के भीतर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अगले 30 वर्षों में जल परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आम सहमित के लिये संचार के चैनलों में सख्ती से सुधार करने की जरूरत है।
- तंत्र को इस तरह से सुधारना चाहिये कि केंद्र द्वारा बनाए गए निकाय को राज्यों के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिले।

लोक अदालत

चर्चा में क्यों?

लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान के सबसे प्रभावशाली उपकरण के रूप में उभरी है।

 वर्ष 2021 में कुल 1,27,87,329 मामलों का निपटारा किया गया। ई-लोक अदालतों जैसी तकनीकी प्रगति के कारण लोक अदालतें पार्टियों के दरवाजे तक पहुँच गई हैं।

- परिचय:
 - 🔷 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्यायनिर्णयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है।
 - ◆ यह वैकिल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।

- पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन के निर्णयों हेतु आयोजित किया गया था।
- समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया
 था। यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबंधित प्रावधान करता है।

संगठन:

- ◆ राज्य/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका कानूनी सेवा सिमिति ऐसे अंतराल और स्थानों पर तथा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने व ऐसे क्षेत्रों के लिये लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।
- ♦ किसी क्षेत्र के लिये आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा है।
 - सामान्यत: एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील (अधिवक्ता) और एक सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
- ♦ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।
 - NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत 9 नवंबर, 1995 को किया गया था जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित करने के लिये लागू हुआ था।
- सार्वजिनक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिये स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन किया गया था।

• क्षेत्राधिकार:

- 🔷 लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिये पक्षों के बीच समझौता या समझौता करने और तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा:
 - किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला, या
 - कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है।
- अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिये लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि:
 - दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिए सहमत हो या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिये आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।
 - पूर्व-मुकदमेबाजी के मामले में विवाद के किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।
- वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगार मुआवजे के मामले,
 बैंक वसूली से संबंधित आदि मामले लोक अदालतों में उठाए जा रहे हैं।
- हालाँकि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर-कंपाउंडेबल हैं, वे लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं।

• शक्तियाँ:

- 🔷 लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती हैं।
- इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिये अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियाँ होंगी।
- लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860) के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत
 को दंड प्रक्रिया संहिता (1973) के उद्देश्य के लिये एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।
- 🔷 लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत की डिक्री या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा।

- लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय विवाद के सभी पक्षों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।
- महत्त्व:
 - इसके तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी।
 - ◆ विवाद निपटन हेतु प्रक्रियात्मक लचीलापन और त्विरत सुनवाई होती है। लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय प्रक्रियात्मक कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
 - ◆ विवाद के पक्षकार सीधे अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ बातचीत कर सकते हैं जो कानून की नियमित अदालतों में संभव नहीं है।
 - लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला निर्णय सभी पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है और इसे सिविल कोर्ट की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह गैर-अपील योग्य होता है, जिससे अंतत: विवादों के निपटारे में देरी नहीं होती है।

भारत के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत रूफटॉप सोलर योजना के तहत अक्तूबर 2021 के अंत तक सिर्फ 6GW रूफटॉप सोलर (RTS) बिजली स्थापित कर सका।

 हालाँकि उपयोगिता-पैमाने पर सौर पिरयोजनाओं के लिये अग्रणी खिलाड़ियों के साथ जबरदस्त प्रगित देखी गई है और टैरिफ में गिरावट एवं मेगा पिरयोजनाओं को आगे बढाने वाली सरकारी एजेंसियाँ आरटीएस उपेक्षित बनी हुई हैं।

रूफटॉप सोलर

- रूफटॉप सोलर एक फोटोवोल्टिक प्रणाली है जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल आवासीय या व्यावसायिक भवन या संरचना की छत
 पर लगे होते हैं।
- रूफटॉप माउंटेड सिस्टम मेगावाट रेंज में क्षमता वाले ग्राउंड-माउंटेड फोटोवोल्टिक पावर स्टेशनों की तुलना में छोटे होते हैं।
- आवासीय भवनों पर रूफटॉप पीवी सिस्टम में आमतौर पर लगभग 5 से 20 किलोवाट (kW) की क्षमता होती है, जबिक वाणिज्यिक भवनों पर 100 किलोवाट या उससे अधिक पहुँच जाती हैं।

- रूफटॉप सोलर योजनाः
 - योजना का मुख्य उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है।
 - ♦ साथ ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर योजना के चरण 2 के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
 - 🔷 इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40 गीगावाट की अंतिम क्षमता हासिल करना है।
 - ◆ 40GW का लक्ष्य 175GW के नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता प्राप्त करने के भारत के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें वर्ष 2022 तक 100GW सौर ऊर्जा शामिल है।
 - सितंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों की गित को धीमा कर दिया और ऐसे प्रतिष्ठानों की गित भारत के वर्ष 2
 - 022 के लक्ष्य से पीछे है।
- चुनौतियाँ
 - फ्लप-फ्लॉपिंग नीतियाँ:
 - हालाँकि कई कंपनियों ने सौर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है, किंतु 'फ्लिप-फ्लॉपिंग' नीतियाँ (नीतियों का अचानक परिवर्तन) इस संबंध में एक बडी बाधा बनी हुई हैं, खासकर जब बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संदर्भ में।

- उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि जब डिस्कॉम और राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र के लिये नियमों को कड़ा करना शुरू किया तो RTS कई उपभोक्ता क्षेत्रों के लिये आकर्षक होता जा रहा था।
- भारत के वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद ने हाल ही में सौर प्रणाली के कई घटकों के GST को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है।
- इससे RTS की पूंजीगत लागत 4-5% बढ़ जाएगी।
- नियामक ढाँचाः
 - RTS खंड का विकास नियामक ढाँचे पर अत्यधिक निर्भर है।
 - धीमी वृद्धि मुख्य रूप से RTS खंड हेतु राज्य-स्तरीय नीति समर्थन की अनुपस्थिति या वापसी के कारण हुई है, विशेष रूप से व्यापार और औद्योगिक खंड के लिये, जो लक्षित उपभोक्ताओं का बड़ा हिस्सा है।
- नेट और ग्रॉस मीटरिंग पर असंगत नियम:
 - नेट मीटरिंग नियम इस क्षेत्र की प्रमुख बाधाओं में से एक हैं।
 - एक रिपोर्ट के अनुसार, बिजली मंत्रालय के नए नियम, जो 10 किलोवाट (kW) से ऊपर के रूफटॉप सोलर सिस्टम को नेट-मीटरिंग से बाहर रखते हैं. भारत में बड़े इंस्टॉलेशन को अपनाने से देश के रूफटॉप सोलर टारगेट को प्रभावित करेंगे।
 - नए नियमों में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिये 10 kW तक नेट-मीटरिंग और 10 kW से ऊपर के लोड वाले सिस्टम के लिये ग्रॉस मीटरिंग अनिवार्य है।
 - नेट मीटरिंग आरटीएस सिस्टम द्वारा उत्पादित अधिशेष बिजली को ग्रिड में वापस फीड करने की अनुमित देता है।
 - सकल मीटरिंग योजना के तहत, राज्य बिजली वितरण कंपनियां (DISCOMS) उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिंड को आपूर्ति की जाने वाली सौर ऊर्जा के लिये एक निश्चित फीड-इन-टैरिफ के साथ उपभोक्ताओं को मुआवजा देती हैं।
- कम वित्तपोषणः
 - वाणिज्यिक संस्थान और आवासीय क्षेत्र बैंक ऋण प्राप्त करके प्रिड से जुड़े आरटीएस स्थापित करने के इच्छुक हैं।
 - केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने बैंकों को आरटीएस के लिये रियायती दरों पर ऋण देने की सलाह दी है। हालाँकि राष्ट्रीयकृत बैंक शायद ही RTS को ऋण देते हैं।
 - इस प्रकार कई निजी संस्थान बाज़ार में आ गए हैं जो आरटीएस के लिये 10-12% जैसी उच्च दरों पर ऋण प्रदान करते हैं।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये योजनाएँ:

- अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिये योजना: यह मौजूदा सौर पार्क योजना के तहत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (UMREPPs) विकसित करने की एक योजना है।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2018: इस नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, बुनियादी ढाँचे और भूमि के इष्टतम व कुशल उपयोग के लिये ग्रिड कनेक्टेड विंड-सोलर पीवी सिस्टम (Wind-Solar PV Hybrid Systems) को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है।
- अटल ज्योति योजना (AJAY): AJAY योजना को सितंबर 2016 में ग्रिड पावर (2011 की जनगणना के अनुसार) में 50% से कम घरों वाले राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (Solar Street Lighting- SSL) सिस्टम की स्थापना के लिये शुरू किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) : ISA, भारत की एक पहल है जिसे 30 नवंबर, 2015 को पेरिस, फ्राँस में भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपित द्वारा पार्टियों के सम्मेलन (COP-21) में शुरू किया गया था। इस संगठन के सदस्य देशों में वे 121 सौर संसाधन संपन्न देश शामिल हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं।
- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG): यह वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु एक रूपरेखा पर केंद्रित है, जो परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर उसे साझा करता है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन (जलवायु पिरवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्ययोजना का एक हिस्सा)।
- सूर्यिमत्र कौशल विकास कार्यक्रम: इसका उद्देश्य सौर प्रतिष्ठानों की निगरानी हेतु ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

आगे की राह

- RTS को आसान वित्तपोषण, अप्रतिबंधित नेट मीटरिंग और एक आसान नियामक प्रक्रिया की आवश्यकता है। सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों व अन्य प्रमुख उधारदाताओं को खंड को उधार देने के लिये निर्धारित किया जा सकता है।
- भारतीय RTS खंड की चुनौतियों का सामना करने के लिये कुछ मौजूदा बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट को अनुकूलित किया जा सकता है जिससे इस क्षेत्र को डेवलपर्स के लिये और अधिक आकर्षक बना दिया जा सकता है।

असम-मेघालय सीमा विवाद

चर्चा में क्यों?

21 जनवरी, 2022 में को मेघालय राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह से पूर्व, गृह मंत्री द्वारा असम-मेघालय सीमा के छह क्षेत्रों में विवाद को समाप्त करने के लिये अंतिम समझौते पर मुहर लगाए जाने की उम्मीद है।

- असम-मेघालय सीमा विवाद के बारे में:
 - 🔷 असम और मेघालय दोनों राज्य 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। फिलहाल उनकी सीमाओं पर 12 बिंदुओं पर विवाद है।
 - ♦ असम-मेघालय सीमा विवाद ऊपरी ताराबारी, गजांग आरक्षित वन, हाहिम, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवाह, मातमुर, खानापारा-पिलंगकाटा, देशदेमोराह ब्लॉक I और ब्लॉक II, खंडुली और रेटचेरा के क्षेत्रों पर हैं।
 - ♦ मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के तहत असम से अलग किया गया, यह कानून जिसे मेघालय द्वारा चुनौती दी गई विवाद का कारण बना।
- विवाद का प्रमुख बिंदुः
 - असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिम गारो हिल्स में लंगपीह जिला
 है।
 - लंगपीह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद यह गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया।
 - असम इसे मिकिर पहाड़ियों (असम में स्थित) का हिस्सा मानता है।
 - मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक I और II पर सवाल उठाया है, जो अब कार्बी आंगलोंग क्षेत्र असम का हिस्सा है। मेघालय का कहना है कि ये तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स जिलों के हिस्से थे।
- विवादों को सुलझाने के प्रयास:
 - असम और मेघालय दोनों ने सीमा विवाद निपटान सिमितियों का गठन किया है।
 - सीमा विवादों को चरणबद्ध तरीके से हल करने के लिये दो क्षेत्रीय सिमितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है और सीमा विवाद को हल करते समय पाँच पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
 - 🔳 वे ऐतिहासिक तथ्य, जातीयता, प्रशासनिक सुविधा, संबंधित लोगों की मनोदशा और भूमि से निकटता हैं।
 - 🔷 पहले चरण में छह स्थलों पर विचार किया जा रहा है। ये ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बकलापारा, खानापारा-पिलिंगकाटा और रातचेरा हैं।
 - ये विवादित क्षेत्र असम की तरफ कछार, कामरूप मेट्रो और कामरूप ग्रामीण तथा मेघालय की तरफ पश्चिम खासी हिल्स, री भोई जिले व पूर्वी जयंतिया हिल्स का हिस्सा हैं।
- असम और सीमा मुद्देः
 - पूर्वोत्तर के राज्य बड़े पैमाने पर असम से जुड़े हुए हैं, जिसका कई राज्यों के साथ सीमा विवाद है।
 - अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के साथ असम के सीमा विवाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।
 - मिजोरम के साथ असम के सीमा विवाद फिलहाल बातचीत के जिरये समाधान के चरण में हैं।

- विभिन्न राज्यों के बीच अन्य सीमा विवाद:
 - बेलागवी सीमा विवाद (कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य)
 - ओडिशा सीमा विवाद

आगे की राह

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर्राज्यीय संवाद (Inter State Dialogues) अंतर्राज्यीय परिषद (Inter State Councils) और अधिकरण में विचार-विमर्श तथा इस प्रकार के विवादों को सुलझाने हेतु सहकारी संघवाद की भावना को अपनाने की आवश्यकता है।
 - संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, अंतर-राज्य परिषद से विवादों की जांच और सलाह देने, सभी राज्यों के लिये सामान्य विषयों पर चर्चा करने और बेहतर नीति समन्वय के लिये सिफारिशें करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसी तरह, प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के लियेए सामान्य चिंता के मामलों पर चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय परिषदों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है- सामाजिक और आर्थिक योजना, सीमा विवाद, अंतर-राज्य परिवहन आदि से संबंधित मामले।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

विधायकों का निलंबन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के 12 विधायक अपने एक वर्ष के निलंबन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि विधायको का पुरे एक वर्ष के लिये निलंबन प्रथम दुष्टया असंवैधानिक है और इन निर्वाचन क्षेत्रों में एक संवैधानिक शून्य की स्थिति पैदा करेगा।

- विधायकों के निलंबन के बारे में:
 - ♦ विधायकों को ओबीसी के डेटा के खुलासे के संबंध में विधानसभा में किये गए दुर्व्यवहार के लिये निलंबित किया गया है।
 - ♦ निलंबन की चुनौती मुख्य रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खंडन और निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर निर्भर करती है।
 - 12 विधायकों ने कहा है कि उन्हें अपना मामला पेश करने का मौका नहीं दिया गया और निलंबन ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानुन के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।
 - महाराष्ट्र विधानसभा का नियम 53: इसमें कहा गया है कि "अध्यक्ष किसी भी उस सदस्य को विधानसभा से तुरंत हटने के लिये निर्देश दे सकता है जो उसके फैसले को मानने से इनकार करता है या जिसका आचरण उसकी राय में अव्यवस्था उत्पन्न करता है"।
 - सदस्य को "दिन की शेष बैठक के दौरान खुद का अनुपस्थित" रहना होगा।
 - यदि किसी सदस्य को उसी सत्र में दूसरी बार वापस लेने का आदेश दिया जाता है तो अध्यक्ष सदस्य को अनुपस्थित रहने का निर्देश दे सकता है, जो "किसी भी अवधि के लिये सत्र के शेष दिनों से अधिक नहीं होना चाहिये"।
- महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा तर्कः
 - 🔷 अनुच्छेद २१२: सदन ने अनुच्छेद २१२ के तहत अपनी विधायी क्षमता के तहत कार्य किया तथा न्यायालय को विधायिका की कार्यवाही की जाँच करने का अधिकार नहीं है।
 - अनुच्छेद 212 (1) के अनुसार, "किसी राज्य के विधानमंडल प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
 - अनुच्छेद 194: राज्य ने सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों पर अनुच्छेद 194 का भी उल्लेख किया और तर्क दिया है कि इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को सदन की अंतर्निहित शक्तियों के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है।
 - राज्य द्वारा इस बात से भी इनकार किया गया है कि किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग केवल विधानसभा के नियम 53 के माध्यम से किया जा सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए तर्कः
 - संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन: विधानसभा में पूरे एक साल तक निलंबित विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होने से संविधान का मूल ढाँचा प्रभावित होगा।
 - ◆ संवैधानिक आवश्यकता: पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 190 (4) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है, "यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य साठ दिनों की अविध तक सदन की अनुमित के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपिस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।"
 - ◆ वैधानिक आवश्यकता: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 (ए) के तहत, "िकसी भी रिक्ति को भरने के लिये वहाँ एक उप-चुनाव, रिक्ति होने की तारीख से छह महीने की अविध के भीतर आयोजित किया जाएगा"।
 - इसका मतलब है कि इस धारा के तहत निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र छह महीने से अधिक समय तक प्रतिनिधि के बिना नहीं रह सकता है।
 - पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित करना: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक वर्ष का निलंबन प्रथम दृष्टया असंवैधानिक था क्योंकि यह छह महीने की सीमा से आगे निकल गया था और यहाँ "सदस्य को नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र को दंडित किया गया।
 - ♦ सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रश्न: उच्चतम न्यायालय से इस प्रश्न पर शासन करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या न्यायपालिका सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है।
 - हालाँकि संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय ने पिछले फैसलों में स्पष्ट किया है कि सदन द्वारा किये गए असंवैधानिक कृत्य के मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है।

संसद सदस्य के निलंबन के प्रावधान:

- लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत नियम 378 के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में व्यवस्था बनाई रखी जाएगी तथा उसे अपने निर्णयों को प्रवर्तित करने के लिये सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- नियम 373 के अनुसार, यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो अध्यक्ष उस सदस्य को लोकसभा से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकता है और जिस सदस्य को इस तरह का आदेश दिया जाएगा, वह तुरंत लोकसभा से बाहर चला जाएगा तथा उस दिन की बची हुई बैठक के दौरान वह सदन से बाहर रहेगा।
- नियम 374 (1), (2) तथा (3) के अनुसार, यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य ने अध्यक्ष के प्राधिकारों की उपेक्षा की है या वह जान बूझकर लोकसभा के कार्यों में बाधा डाल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष उस सदस्य का नाम लेकर उसे अविशिष्ट सत्र से निलंबित कर सकता है तथा निलंबित सदस्य तुरंत लोकसभा से बाहर चला जाएगा।
- नियम 374 (क) (1) के अनुसार, नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी प्रावधान के बावजूद यदि कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा मंट नारे लगाकर या अन्य प्रकार से लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालकर जान-बूझकर सभा के नियमों का उल्लंघन करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसका नाम लिये जाने पर वह लोकसभा की पाँच बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिये (जो भी कम हो) स्वत: निलंबित माना जाएगा।

आर्थिक घटनाक्रम

जीएसटी क्षतिपूर्ति विस्तार

चर्चा में क्यों?

कई राज्यों ने मांग की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को और पाँच वर्ष के लिये बढ़ाया जाए। साथ ही राज्यों ने मांग की है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए।

- ये मांगें इसिलये की गई हैं क्योंिक कोविड-19 महामारी ने उनके राजस्व को प्रभावित किया है।
- जीएसटी क्षितपूर्ति का प्रावधान जून 2022 में खत्म होने जा रहा है।

- परिचय:
 - 🔷 जीएसटी कराधान: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया।
 - जीएसटी के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों का एक ही कर में विलय हो गया।
 - जीएसटी क्षितपूर्ति: सैद्धांतिक रूप से जीएसटी को पिछली कर व्यवस्था के रूप में ज्यादा राजस्व उत्पन्न करना चाहिये। हालाँकि नई
 कर व्यवस्था में उपभोग पर कर लगाया जाता है न कि विनिर्माण पर।
 - इसका मतलब है कि उत्पादन के स्थान पर कर नहीं लगाया जाएगा जिसका अर्थ यह भी है कि विनिर्माता राज्यों को नुकसान होगा
 और इसलिये कई राज्यों ने जीएसटी के विचार का कड़ा विरोध किया।
 - इन राज्यों को आश्वस्त करने के लिये क्षतिपूर्ति का विचार रखा गया था।
 - केंद्र ने पाँच वर्ष की अविध हेतु जीएसटी कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में किसी भी कमी के लिये राज्यों को क्षतिपूर्ति का वादा किया।
 - इस वादे ने बड़ी संख्या में अनिच्छुक राज्यों को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिये राजी कर लिया।
- क्षतिपूर्ति उपकरः
 - राज्यों को वर्ष 2022 में समाप्त होने वाले पहले पाँच वर्षों के लिये 14% की वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) से नीचे किसी भी राजस्व कमी के लिये क्षितपूर्ति की गारंटी दी जाती है।
 - जीएसटी क्षितिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को हर दो महीने में मुआवजा उपकर से किया जाता है।
 - क्षितिपूर्ति उपकर जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया था।
 - सभी करदाता, जो विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करते हैं और जिन्होंने जीएसटी संरचना योजना का विकल्प चुना है, केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जमा करने के लिये उत्तरदायी हैं।
 - ♦ क्षितिपूर्ति उपकर कोष: जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि एकत्र किये गए उपकर और जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित राशि को फंड में जमा किया जाएगा।
- राज्यों की चिंताएँ:
 - राजस्व की कमी: वर्ष 2020-21 में राज्य का जीएसटी राजस्व अंतर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, जबिक उपकर संग्रह 65,000 करोड़ रुपये की कमी के साथ 2.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है।
 - ♦ आर्थिक मंदी: ऐसे समय में जब विकास की गित कम हो रही है, जीएसटी अधिनियम द्वारा गारंटी के अनुसार राज्यों को मुआवजे का भुगतान करने में देरी से उनके लिये अपने स्वयं के वित्त को पूरा करना अधिक कठिन हो जाएगा।
 - घटता केंद्रीय हस्तांतरण: अधिकांश राज्यों का विचार है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम हो गई है और राज्यों की हिस्सेदारी बढ गई है।
 - इसके चलते उनकी सबसे बड़ी मांग केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी बढ़ाना है।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax)

- जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
- यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
 - इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था
- जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर (वैट), सेवा कर, लक्जरी टैक्स आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया है।
- यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है और अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है।
- इसने दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दों आदि को कम करने में मदद की है और एक आम राष्ट्रीय बाजार का नेतृत्व किया है।
- वस्तु या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिये एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिये तैयार या सेट किया जा सकता है।
 - सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
- इस प्रकार जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है क्योंकि इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।
- जीएसटी के तहत कर संरचना:
 - उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिये केंद्रीय जीएसटी।
 - वैट, लक्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिये राज्य जीएसटी।
 - अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिये एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)।
 - IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ करों के समन्वय के लिये एक प्रणाली है।
 - इन बहुतायत चरणों (Slabs) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिये जीएसटी को चार दरों (5%, 12%, 18% और 28%) पर लगाया जाता है।

वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय क्षेत्र में फर्मों के दिवालियेपन से निपटने के लिये वित्तीय समाधान और जमा बीमा (FRDI) विधेयक के एक संशोधित संस्करण का मसौदा तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से सुझाव मांगे हैं।

वर्ष 2018 में सरकार ने बैंक जमाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच FRDI विधेयक 2017 को वापस ले लिया था।

- पृष्ठभूमिः
 - FRDI विधेयक, 2017 वित्तीय क्षेत्र में फर्मों के दिवालियेपन के मुद्दे को संबोधित करने के लिये था।
 - यदि कोई बैंक, एनबीएफसी, बीमा कंपनी, पेंशन फंड या पिरसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा संचालित म्यूचुअल फंड विफल हो जाता है, तो उस फर्म को बेचने, किसी अन्य फर्म के साथ विलय करने या इसे बंद करने के लिये यह एक त्विरत समाधान प्रदान करता है।
 - इसका उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पेंशन फंड और स्टॉक एक्सचेंज जैसे संस्थानों की विफलता के नतीजों को सीमित करना है।
 - केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद जमा की सुरक्षा को लेकर जनता के बीच चिंताओं के कारण विधेयक को वापस ले लिया गया
 था।
 - ◆ आलोचना का एक प्रमुख बिंदु विधेयक में तथाकथित 'बेल-इन क्लॉज' था जिसमें कहा गया था कि बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्त्ताओं को अपने दावों में कमी करके समाधान की लागत का एक हिस्सा वहन करना होगा।

- नए विधेयक के बारे में:
 - यह विधेयक एक समाधान प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान करेगा, जिसके पास बैंकों, बीमा कंपनियों और व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय फर्मों के लिये त्वरित समाधान करने की शक्ति होगी।
 - ♦ कानून बैंक जमाकर्त्ताओं के लिये 5 लाख रुपए तक का बीमा भी प्रदान करेगा, जिनके पास पहले से ही कानूनी समर्थन है।
- विधायी समर्थन की आवश्यकता:
 - यहाँ तक कि जब आरबीआई NBFC (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपिनयों) के लिये एक त्विरत सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचा लेकर
 आया है, इसके विपरीत पूरे वित्तीय क्षेत्र के लिये एक विधायी समर्थन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
 - ◆ इनमें से कई भारत में व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के आलोक में वर्तमान समाधान व्यवस्था विशेष रूप से निजी क्षेत्र की वित्तीय फर्मों के लिये अनुपयुक्त है।
 - ♦ वित्तीय फर्मों के समाधान के लिये एकल एजेंसी का प्रावधान वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC), 2011 द्वारा न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में की गई सिफारिशों के अनुरूप है।
 - ◆ FSLRC बिल के साथ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2021 ने रुग्ण वित्तीय क्षेत्र की फर्मों के समापन या पुनरुद्धार की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।

दिवाला और दिवालियापन संहिता:

- यह 2016 में अधिनियमित एक सुधार है। यह व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है।
- यह बैंकों जैसे लेनदारों की मदद करने, बकाया वसूलने और खराब ऋणों को रोकने के लिये स्पष्ट तथा तीव्र दिवालियेपन की कार्यवाही करता है, जो अर्थव्यवस्था पर एक प्रमुख दबाव है।
 प्रमुख शब्द
- दिवाला: यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति या कंपिनयाँ अपना बकाया कर्ज चुकाने में असमर्थ होती हैं।
- दिवालियापन: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार के तहत न्यायालय ने किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया है, इसे हल करने और लेनदारों के अधिकारों की रक्षा के लिये उचित आदेश पारित कर दिया है। यह कर्ज चुकाने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

भारत और मुक्त व्यापार समझौते

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समापन हेतु इजरायल के साथ वार्ता कर रहा है।

यह घोषणा दोनों देशों के बीच राजनियक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगाँठ के साथ मेल खाती है।

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
 - ♦ यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है।
 - ◆ एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिये बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किये जाते हैं।
 - ♦ मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।
- भारत तथा मुक्त व्यापार समझौते:
 - ♦ नवंबर 2019 में भारत के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर होने के बाद, 15 सदस्यीय FTA समूह जिसमें जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, भारत के लिये निष्क्रिय हो गया।

- 🔷 लेकिन मई 2021 में यह घोषणा हुई कि भारत-यूरोपीय संघ की वार्ता, जो 2013 से रुकी हुई थी, फिर से शुरू की जाएगी।
 - कार्य संबंधी इन विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिये दोनों पक्ष अब आंतरिक तैयारियों में लगे हुए हैं।
- भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ बातचीत
 की जा रही है।
- 🔷 यूएई के साथ यह समझौता 'अंतिम रूप देने के करीब' था जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए 'बहुत उन्नत चरण' में था।
- भारत के अन्य महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौते:
 - 🔷 भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)।
 - ◆ दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार समझौता (SAPTA): यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये 1995 में लागू हुआ था।
 - ◆ दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा): यह मुक्त व्यापार समझौता, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर, सामान तक ही सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को शून्य करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
 - एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए):
 - बैंकाक समझौता, यह एक तरजीही टैरिफ व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।
- भारत की विदेश व्यापार नीति संबंधी मुद्देः
 - ♦ खराब विनिर्माण क्षेत्र: हाल की अवधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% है।
 - जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे उन्नत और विकसित देशों के तुलनीय आँकड़े क्रमश: 19%, 11%, 25% और 21% हैं।
 - चीन, तुर्की, इंडोनेशिया, रूस, ब्राजील जैसे उभरते और विकासशील देशों के लिये संबंधित आँकड़े क्रमश: 27%, 19%, 20%, 13%, 9% हैं तथा कम आय वाले देशों के लिये यह हिस्सा 8% है।
 - प्रतिकूल FTA's: पिछले एक दशक में भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान), कोरिया गणराज्य, जापान और मलेशिया के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए।
 - हालाँकि काफी हद तक यह माना जाता है कि भारत के व्यापार भागीदारों को भारत की तुलना में इन समझौतों से अधिक लाभ हुआ है।
 - संरक्षणवाद: आत्मिनर्भर भारत अभियान ने इस विचार को और बढ़ा दिया है कि भारत तेज़ी से एक संरक्षणवादी बंद बाज़ार अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

भारत-इज़रायल संबंध

- ऐतिहासिक संबंध:
 - दोनों देशों के बीच सामिरक सहयोग 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान शुरू हुआ।
 - ♦ 1965 में इजरायल ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को M-58 160-mm मोर्टार गोला बारूद की आपूर्ति की।
 - 🔷 यह उन कुछ देशों में से एक था जिसने 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों की निंदा नहीं करने का फैसला किया था।
- आर्थिक:
 - भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
 - ◆ दोनों देशों के बीच वर्तमान में 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार है (अप्रैल 2020 फरवरी 2021), एक ऐसा ऑंकड़ा जिसमें रक्षा व्यापार शामिल नहीं है जो बढ़ रहा है।
 - ◆ इजरायल की कंपिनयों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयां स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

- ♦ इज़रायल-भारत औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) से पहले अनुदान प्राप्तकर्त्ता की घोषणा जुलाई 2018 में की गई थी, जिसमें कुशल जल उपयोग, संचार बुनियादी ढाँचे में सुधार, सौर ऊर्जा उपयोग के माध्यम से भारतीयों और इजरायिलयों के जीवन को बेहतर बनाने हेतू काम करने वाली कंपनियों को शामिल किया गया है।
 - इस फंड का उद्देश्य इजरायली उद्यिमयों को भारतीय बाजार में प्रवेश कराने में मदद करना है।
- - ♦ इज़रायल लगभग दो दशकों से भारत के शीर्ष चार हथियार आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है, हर वर्ष लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य बिक्री होती है।
 - भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल किया है, इसमें फाल्कन AWACS (हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली) तथा हेरॉन, सर्चर-द्वितीय तथा हारोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणालियों और स्पाइडर विमान भेदी मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।
 - अधिग्रहण में कई इजरायली मिसाइलें और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री भी शामिल है, जिसमें 'पायथन' और 'डर्बी' हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर 'क्रिस्टल मैज़' तथा स्पाइस-2000 बम शामिल हैं।
 - ♦ भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 15वीं बैठक में, दोनों देश सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक व्यापक दस-वर्षीय रोडमैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं।
- - भारत और इज़रायल ने कृषि सहयोग में विकास के लिये "तीन वर्षीय कार्य योजना समझौते" पर हस्ताक्षर किये हैं।
- कोविड-19 प्रतिक्रियाः
 - ♦ वर्ष 2020 में एक इजरायली टीम बहु-आयामी मिशन के साथ भारत पहुँची, जिसका कोड नेम 'ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस' था, इसे कोविड-19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने हेत् बनाया गया था।

आगे की राह

- यह देखते हुए कि भारत किसी बड़े-व्यापार सौदे का पक्ष नहीं है, यह एक सकारात्मक व्यापार नीति एजेंडे का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होगा।
- भारत के व्यापार नीति ढाँचे को आर्थिक सुधारों द्वारा समर्थित होना चाहिये, जिसके परिणामस्वरूप यह एक खुली, प्रतिस्पर्द्धात्मक और तकनीकी रूप से नवीन भारतीय अर्थव्यवस्था हो।
- राष्ट्रवाद, देशीवाद और संरक्षणवाद लोगों की इस भावना का फायदा उठाते हैं कि उन्हें पीछे छोड दिया जाता है और उन्हें व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है।
- इसलिये हमें आर्थिक नेटवर्क में सार्वभौमिक समावेश सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने और बेहतरी के अवसरों को प्राप्त करने की अनुमित देता है।

वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत

चर्चा में क्यों?

'इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज़' (IHS) मार्किट रिपोर्ट के मुताबिक, भारत वर्ष 2030 तक जापान को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ सकता है।

- भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- आईएचएस मार्किट दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करने वाले प्रमुख उद्योगों और बाजारों के लिये सूचना, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करने वाली एक अग्रणी वैश्विक कंपनी है।

नोट: किसी देश की समग्र अर्थव्यवस्था का आकार प्राय: उसके सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापा जाता है, जो किसी दिये गए वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुल्य होता है।

प्रमुख बिंदु

- जीडीपी अनुमानः
 - मूल्य के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2021 में 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 8.4
 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है।
 - यह बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के मामले में जापान को पीछे करने हेतु काफी है, जिससे भारत वर्ष 2030 तक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
 - ♦ पिछले वित्त वर्ष में 7.3% की गिरावट की तुलना में वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है।
 - ♦ हालाँकि चालू वित्त वर्ष (FY) की गति वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी और भारत 6.7% की वृद्धि दर हासिल करेगा।
- विभिन्न क्षेत्रों की भूमिकाः
 - ♦ भारत की विकास दर को बढाने में ई-कॉमर्स क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण, बुनियादी ढाँचा और सेवा क्षेत्र की बडी भुमिका है।
 - इतना ही नहीं, डिजिटलीकरण बढ़ने से आने वाले समय में ई-कॉमर्स बाजार और बड़ा हो जाएगा।
 - एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक 1.1 अरब भारतीयों के पास इंटरनेट होगा, वर्ष 2020 में यह संख्या 50 करोड़ थी।
- वृद्धि दर:
 - ♦ कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य मजबूत और स्थिर दिखता है, जो इसे अगले दशक में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बनाता है।
 - लंबी अविध में भी बुनियादी ढाँचा क्षेत्र और स्टार्टअप जैसे तकनीकी विकास भारत की तीव्र विकास दर को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।
 - दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते भारत उद्योगों की एक विस्तृत शृंखला में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास बाजारों में से एक बन जाएगा, जिसमें ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिसंपत्ति प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल और सूचना प्रौद्योगिकी एवं रसायन जैसे विनिर्माण उद्योग तथा बैंकिंग, बीमा जैसे सेवा उद्योग शामिल हैं।
- मध्यम वर्ग का समर्थन:
 - भारत को सबसे ज्यादा मदद उसके विशाल मध्यम वर्ग से मिलती है, जो उसकी मुख्य उपभोक्ता शक्ति है।
 - अगले दशक में भारतीय उपभोक्ता खर्च भी दोगुना हो जाएगा। यह वर्ष 2020 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 में
 3 टिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है।
- एफडीआई अंतर्वाह:
 - ♦ पिछले पाँच वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में बड़ी वृद्धि 2020 और 2021 में भी मजबूत गित के साथ जारी है।
 - ♦ इसे वैश्विक प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) जैसे कि Google और Facebook से निवेश के बड़े प्रवाह से बढ़ावा मिल रहा है, जो भारत के बड़े घरेलू उपभोक्ता बाज़ार की ओर आकर्षित हैं।
- भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति:
 - ♦ वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर भारत की GDP वित्त वर्ष 2012 की पहली तिमाही में 694.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
 - ♦ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न बेस है, जहाँ 21 से अधिक यूनिकॉर्न का सामूहिक मूल्य 73.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये सरकार की पहल

- 'मेक इन इंडिया' और इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई 2019)
- विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)
- प्रमुख दूरसंचार क्षेत्र के सुधार:
 - ♦ सितंबर 2021 में प्रमुख दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को मंजूरी दी गई है, जिससे रोजगार, विकास, प्रतिस्पर्द्धा और उपभोक्ता हितों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- ♦ समायोजित सकल राजस्व और बैंक गारंटी (BGs) का युक्तिकरण तथा स्पेक्ट्रम साझाकरण को प्रोत्साहित करना प्रमुख सुधारों में से हैं।
- डीप ओशन मिशन:
 - भारत सरकार ने अगस्त 2021 में अगले पाँच वर्षों में 4,077 करोड़ (553.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के बजट परिव्यय के साथ डीप ओशन मिशन (DOM) को मंज़्री दी।
- अक्षय स्रोतों पर ध्यान देना:
 - ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये भारत अक्षय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा का 40% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की योजना बना रहा है, जो वर्तमान में 30% से अधिक है और वर्ष 2022 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगाटन (GW) तक बढ़ाना है।
 - ♦ इसके अनुरूप भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से मई 2021 में वर्ष 2030 तक जलवायु परिवर्तन में सहयोग एवं मुकाबला करने हेत् एक 'रोडमैप 2030' लॉन्च किया।

आगे की राह

- एक ओर जहाँ वर्ष 2021 में विनिर्माण और निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार हुआ, वहीं दूसरी ओर, कम-कुशल व्यक्ति, महिलाएँ, स्वरोज्ञगार वाले लोग और छोटी फर्में पीछे रह गईं।
- बुनियादी ढाँचा और विनिर्माण दो स्तंभ हैं जिनका उपयोग संरचनात्मक रूप से विकास को आगे बढाने के लिये किया जाना चाहिये।
 - ♦ हालाँकि बुनियादी ढाँचे के निर्माण या निवेश चक्र के पुनरुद्धार के लिये, सामान्य तौर पर निजी क्षेत्र को भी योगदान देना शुरू करना होगा।
 - ♦ निजी कॉरपोरेट और घरों में पुनरुद्धार के लिये बुनियादी बातें वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से बैंकों के साथ बेहतर स्थिति, कॉरपोरेट्स और कम ब्याज दर शासन के साथ उभर रही हैं।
- वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि घरेलू आय कितनी तेजी से बढ़ रही है एवं अनौपचारिक क्षेत्र और छोटी फर्मों में गतिविधि सामान्य रहती है।
- निजी क्षेत्र को लेंबी अवधि के लिये संपत्ति निर्मित करने के साथ भारत में व्यापार को आसान बनाने तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहिये।
- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भारत के विकास का एक प्रमुख चालक है। इसलिये भारत को महिलाओं की भागीदारी बढानी चाहिये।

जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने चालू वित्त वर्ष (2021-22) के लिये जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान (FAE) जारी किया।

MoSPI के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2% की दर से बढ़ेगा।

- जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान:
 - ◆ FAE पहली बार वर्ष 2016-17 में पेश किया गया था, इसे आमतौर पर जनवरी के पहले सप्ताह के अंत में प्रकाशित किया जाता है।
 - ये पहले आधिकारिक अनुमान हैं कि उस वित्तीय वर्ष में जीडीपी कैसे बढने की उम्मीद है।
 - 🔷 इसके अलावा ये "अग्रिम" अनुमान भी हैं क्योंकि ये वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) समाप्त होने से बहुत पहले प्रकाशित होते हैं।
 - ◆ FAE तीसरी तिमाही या Q3 (अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर) की समाप्ति के तुरंत बाद प्रकाशित होता है।
 - हालाँकि इसमें औपचारिक O3 जीडीपी डेटा शामिल नहीं होता है, जो फरवरी के अंत में दूसरे अग्रिम अनुमान (SAE) के हिस्से के रूप में प्रकाशित होता है।

- ◆ महत्त्व: FAE का मुख्य महत्व इस तथ्य में निहित है किये जीडीपी अनुमान हैं जिन्हें केंद्रीय वित्त मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष के बजट आवंटन को तय करने के लिये उपयोग करता है।
 - बजट बनाने के दृष्टिकोण से नाममात्र जीडीपी और इसकी विकास दर दोनों का अनुमान लगाना महत्त्वपूर्ण है।
 - इससे वास्तविक जीडीपी तथा मुद्रास्फीति की गणना में और मदद मिलेगी।
 - वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी के बीच का अंतर वर्ष में मुद्रास्फीति के स्तर को दर्शाता है।
 - वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद = नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद मुद्रास्फीति दर।
- FAE गणनाः
 - MoSPI के अनुसार, अग्रिम अनुमानों को संकलित करने का दृष्टिकोण बेंचमार्क-संकेतक पद्धित पर आधारित है।
 - इसके अनुसार, पिछले वर्ष (इस मामले में वर्ष 2020-21) हेतु उपलब्ध अनुमान प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाते हैं।
 - ♦ MoSPI औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के पिछले डेटा, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री के डेटा आदि जैसे संकेतकों का उपयोग करके क्षेत्र-वार अनुमान प्रस्तुत करता है।
 - ♦ डेटा की गणना संबंधी मुद्दे: पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्त्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के कारण महामारी ने ऐसे कई अनुमानों को प्रभावित किया है।
 - यही कारण है कि MoSPI ने सचेत किया है कि 'ये केवल शुरुआती अनुमान हैं' तथा बाद में संशोधित हो सकते हैं, जो कि कोविड महामारी की स्थिति. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और सरकार की राजकोषीय प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

GDP बनाम GVA:

- 'सकल घरेल उत्पाद' (GDP) अर्थव्यवस्था को व्यय (या मांग) पक्ष से मापता करता है- यानी सभी व्यय जोडकर।
 - जीडीपी = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + निर्यात-आयात।
- सकल मूल्य वर्द्धन (Gross Value Added- GVA) आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर प्रदान करता है।
 - सकल मूल्य वर्द्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, यथा- प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मुल्य होता है।
 - ◆ सकल मुल्यवर्द्धन = GDP + उत्पादों पर सिब्सिडी उत्पादों पर कर।
- वर्ष 2015 में भारत ने राष्ट्रीय खातों के अपने संकलन में बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया तथा पूरी प्रक्रिया को वर्ष 2008 के संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA) के अनुरूप करने का निर्णय लिया।
 - आधार वर्ष 2004-2005 से 2011-2012 में परिवर्तन।
 - फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस से बदलना।
 - डेटा पूल का विस्तार।
 - ♦ जीडीपी अनुमान में वित्तीय निगमों का बेहतर कवरेज़ (जैसे स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड)।

मीठी क्रांति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने उत्तर प्रदेश के एक गाँव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है।

- मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों द्वारा उत्पादित शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण हेतु दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी।
- यह पहल 'मीठी क्रांति' का हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु

- 'मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन' के लाभ:
 - प्रसंस्करण संयंत्रों तक शहद का पिरवहन छोटे किसानों और मधुमक्खी पालकों के लिये एक महँगी गितविधि है।
 - उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिये अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को बहुत कम कीमत पर एजेंटों को बेच देते हैं।
 - प्रसंस्करण/प्रोसेसिंग वैन मधुमक्खी पालकों को शहद निकालने और प्रसंस्करण की लागत को कम करेगी।
 - इससे शहद में मिलावट की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी क्योंकि प्रसंस्करण का कार्य मधुमक्खी पालकों और किसानों के दरवाजे पर किया जाएगा।
- 'मीठी क्रांति' के बारे में:
 - यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसे 'मधुमक्खी पालन' '(Beekeeping) के नाम से जाना जाता है।
 - मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया।
 - इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तीव्रता लाना है।
 - अच्छी गुणवत्ता वाले शहद की मांग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही है क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से पौष्टिक उत्पाद माना जाता है।
 - अन्य मधुमक्खी पालन उत्पादों जैसे- रॉयल जेली, मोम, पराग, आदि का भी विभिन्न क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, भोजन, पेय, सौंदर्य और अन्य में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
 - ♦ शहद मिशन के तहत KVIC किसानों या मधुमक्खी पालकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है
 - मधुमक्खी कालोनियों की जाँच के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण।
 - सभी मौसमों में मधुमक्खी कालोनियों के प्रबंधन के साथ-साथ मधुमक्खी को नुकसान पहुँचाने वाले कारकों और रोगों की पहचान एवं प्रबंधन।
 - मधुमक्खी पालन के उपकरणों से परिचित और
 - शहद निष्कर्षण और मोम शुद्धि।
 - शहद मिशन कार्यक्रम वर्ष 2017-18 के दौरान केवीआईसी द्वारा शुरू किया गया था।
 - इस मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित करेगा, बीमारियों को रोकेगा या मधुमक्खी कालोनियों के नुकसान को रोकेगा तथा मधुमक्खी पालन उत्पादों की गुणवत्ता और अधिक मात्रा प्रदान करेगा।
 - खेती के तरीकों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिये बेहतर गुणवत्ता वाला शहद व अन्य उत्पाद प्राप्त होंगे।
 - मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है, जिसमें प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एक बडे कारक के रूप में उभरा है।
 - मधुमक्खी पालन को बढ़ाने से किसानों की आय दोगुनी होगी, रोजगार पैदा होगा, खाद्य सुरक्षा और मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित होगा तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम-1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है।

चीन को विकासशील देश का टैग: विश्व व्यापार संगठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में 'विकासशील देश' का दर्जा मिला है।

- यह कई देशों के फैसले के खिलाफ चिंताजनक और एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है।
- इससे पहले वर्ष 2019 में दक्षिण कोरियाई सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भविष्य की बातचीत से विकासशील देश के रूप में कोई विशेष वरीयता नहीं लेने का फैसला किया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - ♦ विश्व व्यापार संगठन ने 'विकिसत' और 'विकासशील' देशों को पिरभाषित नहीं किया है और इसलिये सदस्य देश यह घोषणा करने के लिये स्वतंत्र हैं कि वे 'विकिसत' हैं या 'विकासशील'।
 - हालाँकि अन्य सदस्य विकासशील देशों के लिये उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने के सदस्य के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं।
 - ♦ विश्व व्यापार संगठन के पास विकासशील राष्ट्र की उचित परिभाषा का अभाव है, हालाँकि इसके 164 सदस्यों में से दो-तिहाई खुद को विकासशील के रूप में वर्गीकृत करते हैं।
 - ♦ जैसा िक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य खुद को विकासशील राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, यह चीन जैसे देश को वैश्विक व्यापार में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिये लाभ प्रदान करता है, जबिक वह खुद को विकासशील के रूप में वर्गीकृत करता है और इस तरह विशेष और विभेदित उपचार (S&DT) प्राप्त करता है।
- चीन का मामला:
 - ◆ विश्व बैंक के अनुसार, चीन की प्रित व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण वह एक उच्च मध्यम आय वाला देश बन गया है और देश के अनुचित व्यापार प्रथाओं के कथित उपयोग को देखते हुए, कई देशों ने चीन से विकासशील देशों को उपलब्ध लाभों की मांग करने से परहेज करने का आह्वान किया है या एक विकासशील देश के रूप में वर्गीकरण को न करने को कहा है।
 - चीन की कुछ अनुचित व्यापार प्रथाओं में राज्य के उद्यमों के लिये संदर्भात्मक व्यवहार, डेटा प्रतिबंध और बौद्धिक संपदा अधिकारों के अपर्याप्त प्रवर्तन शामिल हैं।
 - यह असंगत प्रतीत होता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो वर्ष 2021 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की एक-चौथाई वृद्धि के लिये जिम्मेदार है, खुद को सबसे बड़ा विकासशील देश मानती है।

विश्व बैंक द्वारा देशों का वर्गीकरण

- विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को चार आय समूहों- निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता
 है।
- वर्गीकरण को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किया जाता है और यह पिछले वर्ष के वर्तमान अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) पर आधारित होता है।
 - ◆ GNI किसी देश के लोगों और व्यवसायों द्वारा अर्जित की गई कुल राशि होती है।
- विश्व बैंक ने अपने नवीनतम वर्गीकरण (2020-21) में भारत को निम्न-मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया है।
- उठाई गई चिंताएँ:
 - ♦ विश्व व्यापार संगठन में एक 'विकासशील देश' के रूप में चीन की स्थिति एक विवादास्पद मुद्दा बन गई है, जिसमें कई देशों ने WTO मानदंडों के तहत विकासशील देशों के लिये आरक्षित लाभ प्राप्त करने वाले उच्च-मध्यम आय वाले राष्ट्र पर चिंता जताई है।
 - चूरोपियन संघ (ईयू) ने अक्तूबर 2021 में आयोजित चीन की व्यापार नीति की नवीनतम समीक्षा पर एक बयान में कहा कि चीन के लिये नेतृत्व करने का एक तरीका उन लाभों का दावा करने से बचना होगा जो चल रही वार्ता में एक विकासशील देश के अनुरूप होंगे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि ने भी इसी तरह का एक बयान जारी किया।

- ऑस्ट्रेलिया ने भी सिफारिश की थी कि चीन "एस एंड डीटी (S&DT) तक अपनी पहुँच" को छोड़ दे, विश्व बैंक के अनुसार, चीन की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020 में 10.435 अमेरिकी डॉलर जबकि भारत की 1.928 अमेरिकी डॉलर थी।
- भारत ने चीन के इस दावे पर भी सवाल उठाया है कि वह एक विकासशील देश है, क्योंकि विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार,
 उसकी प्रति व्यक्ति आय एक उच्च मध्यम आय वाले देश की है।
- इसके अलावा अल्प-विकसित देशों को लेकर चिंता जािहर की गई है, जबिक बांग्लादेश संभािवत रूप से प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले
 में भारत को पीछे छोड़ने के बाद इस टैग को खो सकता है।
- विकासशील देश की स्थित के लाभ:
 - ♦ कुछ विश्व व्यापार संगठन समझौते विकासशील देशों को S&DT प्रावधानों के माध्यम से विशेष अधिकार देते हैं, जो विकासशील देशों को समझौतों को लागू करने हेतु लंबी समय-सीमा प्रदान कर सकते हैं और यहाँ तक कि ऐसे देशों के लिये व्यापार के अवसर बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त कर सकते हैं।
 - S&DT विकासशील और गरीब देशों को प्रतिबद्धताओं को लागू करने हेतु लंबी ट्रांजिशन अविध सिंहत कुछ लाभों की अनुमित देता है।
 - यह विकासशील देशों के लिये व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के उपाय भी प्रदान करता है, जिसके तहत सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को विकासशील देशों के व्यापार हितों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है, साथ ही विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन के काम करने, विवादों को संभालने और तकनीकी मानकों को लागू करने की क्षमता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।
 - ◆ विश्व व्यापार संगठन के समझौते प्राय: समय के साथ कुछ उद्योगों के लिये सरकारी समर्थन में कमी लाने और विकासशील देशों हेतु अधिक उदार लक्ष्य निर्धारित करने और विकसित देशों की तुलना में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अधिक समय देने के उद्देश्य से लागू होते हैं।
 - ♦ यह वर्गीकरण अन्य देशों को तरजीही उपचार या विशेष सुविधा प्रदान करने की भी अनुमति देता है।

नोट:

- ऐसे समय में जब विकसित राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन-सुधारों को आगे बढ़ा रहे हैं जो S&DT प्रावधानों को कमजोर कर देगा, भारत ने संकेत दिया है कि वह विकासशील दुनिया के लिये S&DT के संरक्षण हेतु संघर्ष करेगा।
- भारत पहले ही कह चुका है कि यह विषय चर्चा के लिये खुला है कि किस देश को विकासशील माना जाना चाहिये।
- चीन का पक्ष:
 - ◆ चीन ने लगातार यह सुनिश्चित किया है कि वह "दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था" है, लेकिन उसने हाल ही में संकेत दिया है कि वह विकासशील देश होने के कई लाभों को छोड़ने के लिये तैयार हो सकता है।
 - ♦ इसने कथित तौर पर सूचित किया है कि वह अत्यधिक 'फिशिंग' पर अंकुश लगाने के लिये 'फिशिंग' सिब्सिडी में कटौती करने के
 उद्देश्य से विकासशील देशों को उपलब्ध सभी छूटों को वापस ले सकता है।

आगे की राह

- विश्व व्यापार संगठन को जल्द से जल्द एक विकासशील राष्ट्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिये ताकि केवल ऐसे राष्ट्र ही S&DT का दावा कर सकें।
- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने के लिये दृष्टिकोण का उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाना है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए S&DT लाभों का दावा करने के लिये अंतत: विकासशील राष्ट्र की स्थिति से वापसी की रणनीति बनाता है।

त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिये त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (Quarterly Employment Survey- QES) के परिणाम जारी किये गए हैं।

• जुलाई-सितंबर 2021 की तिमाही में नौ चुनिंदा क्षेत्रों द्वारा सृजित कुल रोजगार 3.10 करोड़ था, जो अप्रैल-जून की अवधि की तुलना में 2 लाख अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- QES के बारे में:
 - ♦ त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण' (QES) 'ऑल-इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिश्मेंट-बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' (All-India Quarterly Establishment-based Employment Survey- AQEES) का हिस्सा है।
 - इसमें कुल 9 क्षेत्रों के संगठित खंड में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।
 - ये 9 क्षेत्र हैं- विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, पिरवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तराँ, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवा गतिविधयाँ।
 - इन क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार का बहुमत मौजूद है।
 - उद्देश्यः सरकार को 'रोजगार पर एक बेहतर राष्ट्रीय नीति' तैयार करने में सक्षम बनाना।
 - अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताः इस सर्वेक्षण की शुरुआत 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) के 'रोजगार नीति सम्मेलन, 1964' के भारत के अनुसमर्थन के तहत की गई है।
 - इसके तहत अनुसमर्थन करने वाले देशों के लिये 'पूर्ण, उत्पादक और स्वतंत्र रूप से चुने जाने रोजगार को बढ़ावा देने हेतु डिजाइन की गई एक सिक्रय नीति' को लागू करने की आवश्यकता है।
 - भारत के पास अभी तक 'राष्ट्रीय रोजगार नीति' (NEP) मौजूद नहीं है।

नोट:

- QES बनाम PLFS: जहाँ एक ओर 'त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण' (QES) श्रम बाजार में मांग-पक्ष की तस्वीर पेश करता है, वहीं 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' या 'आविधक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) श्रम बाजार की आपूर्ति पक्ष की तस्वीर प्रदान करता है।
 - ◆ साथ ही PLFS का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है।
- अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES):
 - ♦ श्रम ब्यूरो द्वारा जारी इस अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES) को नौ चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार एवं प्रतिष्ठानों के बारे में लगातार (तिमाही) अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
 - ◆ AQEES के दो घटक हैं:
 - त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (QES) और
 - एरिया फ्रेम एस्टाब्लिश्मेंट सर्वे' (AFES)
 - ◆ QES 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिये रोजगार अनुमान प्रदान करेगा।
 - ◆ AFES एक नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से असंगठित क्षेत्र (10 से कम श्रमिकों के साथ) को कवर करता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की अपील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation's- WTO) के व्यापार विवाद निपटान पैनल के एक निर्णय के खिलाफ अपील की है निर्णय दिया गया, जिसमें कहा गया कि चीनी और गन्ने के लिये देश के घरेलू समर्थन उपाय वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार नहीं है।

• इससे पूर्व विश्व व्यापार संगठन द्वारा चीन को 'विकासशील देश' का दर्जा दिया गया था, WTO के इस निर्णय पर कई देशों द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए आपित दर्ज की गई, साथ ही यह एक विवादास्पद मुद्दा बन गया था।

प्रमुख बिंदु

- भारत की अपील:
 - भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में अपील दायर की गई थी, जो इस प्रकार के व्यापार विवादों पर अंतिम प्राधिकरण है।
 - ♦ पैनल की रिपोर्ट में निहित कुछ "कानून की त्रुटियों या कानूनी व्याख्या के संबंध में भारत ने अपील की है एवं निकाय से "पैनल के निष्कर्षों, निर्णयों और सिफारिशों को उलटने, संशोधित करने या विवादास्पद एवं बिना किसी कानूनी प्रभाव के" घोषित करने का अनुरोध किया है।
 - भारत ने पैनल के निष्कर्षों की समीक्षा की मांग की है कि चीनी मिलों को विपणन लागत पर खर्च के लिये सहायता प्रदान करने की योजना, जिसमें हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं आंतरिक परिवहन की लागत व अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा योजना (Maximum Admissible Export Quantity- MAEQ) की शर्तों के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के लिये चीनी के निर्यात पर माल ढुलाई शुल्क शामिल हैं।
- भारत के खिलाफ शिकायत:
 - ◆ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज्ञील और ग्वाटेमाला का मानना है कि भारत के घरेलू समर्थन और निर्यात सब्सिडी के उपाय कृषि पर डब्ल्यूटीओ के समझौते और सब्सिडी एवं काउंटरवेलिंग मानकों (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures-SCM) पर समझौते व प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Trade and Tariffs-GATT) के अनुच्छेद XVI के विभिन्न प्रावधानों के साथ असंगत प्रतीत होते हैं।
 - ♦ तीनों देशों ने शिकायत की है कि भारत गन्ना उत्पादकों को घरेलू समर्थन प्रदान करता है जो गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य के 10% के न्यूनतम स्तर से अधिक है तथा कृषि पर हुए समझौते के असंगत था।
 - ◆ उन्होंने भारत की कथित निर्यात सिब्सिडी, उत्पादन सहायता और बफर स्टॉक योजनाओं और विपणन एवं परिवहन योजना के तहत सिब्सिडी का मुद्दा भी उठाया।
 - ◆ ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर वर्ष 1995-96 के बाद गन्ने और चीनी के लिये अपने वार्षिक घरेलू समर्थन तथा वर्ष 2009-10 के बाद से अपनी निर्यात सब्सिडी को अधिसूचित करने में "विफल" होने का आरोप लगाया, जो कि एससीएम (SCM) समझौते के प्रावधानों के साथ असंगत था।
 - मामले को देखने और अपनी रिपोर्ट की जाँच के लिये डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body
 -DSB) द्वारा एक पैनल का गठन किया गया था।

सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता

- एससीएम पर डब्ल्यूटीओ समझौता सिब्सिडी के उपयोग को अनुशासित करता है और यह उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो देश सिब्सिडी के प्रभावों का मुकाबला करने के लिये कर सकते हैं।
- समझौते के तहत कोई देश डब्ल्यूटीओ की विवाद-निपटान प्रक्रिया का उपयोग सिंब्सिडी को वापस लेने या इसके प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिये कर सकता है या देश अपनी जाँच शुरू कर सकता है तथा अंतत: सिंब्सिडी वाले आयातों पर अतिरिक्त शुल्क ("काउंटरवेलिंग इ्यूटी") लगा सकता है जो कि घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता

- इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाजार पहुँच तथा वैश्विक बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- विश्व व्यापार संगठन की कृषि सिमिति, समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख करती है और सदस्यों को संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये एक मंच प्रदान करती है।

शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता

- GATT की उत्पत्ति वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वित्तीय प्रणाली की नींव रखी और दो प्रमुख संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक की स्थापना की।
- वर्ष 1947 में जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित GATT के रूप में एक समझौता 1 जनवरी, 1948 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू हआ:
 - आयात कोटा के उपयोग को समाप्त करना।
 - वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार पर शुल्क को कम करने करना।
- GATT 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन (संस्था नहीं) बन गया जब तक कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हुई।
 - ◆ GATT 1947 को समाप्त कर दिया गया और WTO ने GATT 1994 के रूप में इसके प्रावधानों को संरक्षित रखा तथा माल का व्यापार संचालन जारी रखा।
 - ♦ उरुग्वे राउंड वर्ष 1987 से वर्ष 1994 तक आयोजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मारकेश समझौता हुआ, इसने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की।
- भारत का रुख:
 - भारत ने कहा कि "शिकायतकर्त्ता यह दिखाने में विफल रहे हैं" कि गन्ने और इसकी विभिन्न योजनाओं के लिये भारत का बाज़ार मूल्य समर्थन कृषि पर समझौते का उल्लंघन करता है।
 - ◆ इसने यह भी तर्क दिया कि 'आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समझौते के अनुच्छेद 3 की आवश्यकताएँ अभी तक भारत पर लागू नहीं हैं और भारत में आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समझौते के अनुच्छेद 27 के अनुसार निर्यात सिब्सिडी, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिये 8 वर्ष की चरणबद्ध अविधि है।
- पैनल के निष्कर्षः
 - ◆ विवाद निपटान पैनल ने चीनी क्षेत्र में भारत के घरेलू समर्थन और निर्यात सिब्सिडी उपायों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन माना है।
 - ♦ पैनल ने पाया कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक लगातार पाँच चीनी मौसमों के लिये भारत ने गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य के 10% के अनुमत स्तर से अधिक गैर-छूट उत्पाद-विशिष्ट घरेलू समर्थन प्रदान किया।
 - भारत ने तर्क दिया कि इसकी "अनिवार्य न्यूनतम कीमतों का भुगतान केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नहीं बल्कि चीनी मिलों द्वारा किया जाता है इसलिये यह बाज़ार मूल्य समर्थन का गठन नहीं करता है", हालाँकि पैनल ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि 'बाज़ार मूल्य समर्थन के लिये सरकारों को खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं होती।'
- पैनल की सिफारिशें:
 - भारत को अपने विश्व व्यापार संगठन के नियमों असंगत उपायों को कृषि समझौते और SCM समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप लाना चाहिये।
 - भारत को 120 दिनों के भीतर उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक और विपणन एवं परिवहन योजनाओं के तहत अपनी कथित सिब्सिडी वापस लेनी चाहिये।

विश्व व्यापार संगठन में विवाद निवारण:

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य जिनेवा स्थित बहुपक्षीय निकाय में मामला दर्ज कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि किसी सदस्य देश का कोई विशेष व्यापार उपाय या नीति विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के खिलाफ है।
- किसी विवाद को सुलझाने के लिये द्विपक्षीय परामर्श पहला कदम है। यदि दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो एक विवाद निपटान पैनल की स्थापना की जा सकती है।
- पैनल के फैसले या रिपोर्ट को विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में चुनौती दी जा सकती है।
 - ♦ दिलचस्प बात यह है कि इस निकाय में सदस्यों की नियुक्ति के लिये सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय काम नहीं कर पा रहा है। अपीलीय निकाय के पास पहले से ही 20 से अधिक विवाद लंबित हैं। अमेरिका सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाता रहा है।

वैश्विक जोरिवम रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा 'वैश्विक जोखिम रिपोर्ट-2022' जारी की गई। यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है।

यह पाँच श्रेणियों में जोखिमों को ट्रैक करती है: आर्थिक, पर्यावरण, भू-राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी।

- कोविड-19 का प्रभाव: महामारी की शुरुआत के बाद से सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम सबसे अधिक बढ़ गए हैं।
 - ♦ 'सामाजिक एकता में ह्रास', 'आजीविका संकट' और 'मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट' अगले दो वर्षों में दुनिया के लिये सबसे अधिक खतरे के रूप में देखे जाने वाले तीन प्रमुख जोखिमों हैं।
 - ♦ इसके अलावा इसने "ऋण संकट", "साइबर सुरक्षा विफलताओं", "डिजिटल असमानता" और "विज्ञान के खिलाफ प्रतिक्रिया" में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- वैश्विक आर्थिक आउटलुक: यह प्रमुख रूप से अल्पकालिक आर्थिक दृष्टिकोण को अस्थिर, खंडित, या तेज़ी से विनाशकारी मानता है।
 - महामारी से बनी सबसे गंभीर चुनौती आर्थिक ठहराव है।
- पर्यावरणीय जोखिम: "अत्यधिक मौसम" और "जलवायु कार्रवाई विफलता" लघु, मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोणों में शीर्ष जोखिम के रूप में दिखाई देते हैं।
 - 🔷 सरकारों, व्यवसायों और समाजों को नेट जीरो अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण के लिये बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
- भू-राजनीतिक और तकनीकी जोखिम: लंबी अवधि में, भू-राजनीतिक और तकनीकी जोखिम भी चिंता का विषय हैं, जिनमें "भू-आर्थिक टकराव", "भू-राजनीतिक संसाधन प्रतियोगिता" और "साइबर सुरक्षा विफलता" शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय जोखिम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष दोहन, सीमा पार साइबर हमले और गलत सुचना व प्रवास एवं शरणार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को शीर्ष रूप में दर्जा दिया गया था।
 - ♦ आर्थिक कठिनाई के रूप में बढ़ती असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव और राजनीतिक उत्पीड़न लाखों लोगों को बेहतर भविष्य की तलाश में अपना घर छोड़ने के लिये मजबूर करेंगे।
 - अंतरिक्ष पर्यटन के अलावा आने वाले दशकों में 70.000 उपग्रहों के प्रक्षेपण की संभावना, विनियमन की कमी के मध्य अंतरिक्ष में टकराव और बढ़ते अंतरिक्ष मलबे के जोखिम को बढ़ाएगी।

विश्व आर्थिक मंच

- विश्व आर्थिक मंच के बारे में:
 - ◆ विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर-लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
 - ♦ स्विस/स्विट्जरलैंड अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- मिशन:
 - ♦ फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिये राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है।
- संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लाउस श्वाब (Klaus Schwab)
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स:
 - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक।
 - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट।
 - वैश्विक आईटी रिपोर्ट।
 - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है।
 - लैंगिक अंतराल रिपोर्ट।
 - वैश्विक जोखिम रिपोर्ट।
 - वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट।
 - पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक।

The Vision

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

दलाई लामा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के अंतिम जीवित सदस्य, जो वर्ष 1959 में तिब्बत से भागते समय दलाई लामा को बचाकर ले गए थे, की मृत्यु हो गई है।

- परिचय:
 - ♦ दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है।
 - ♦ तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं और पहले तथा दूसरे दलाई लामाओं को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई
 थी।
 - 14वें और वर्तमान दलाई लामा 'तेनजिन ग्यात्सो' हैं।
 - माना जाता है कि दलाई लामा अवलोकितेश्वर या चेनरेजिंग, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के प्रतीक हैं।
 - बोधिसत्व सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिये बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित प्राणी हैं, जिन्होंने मानवता की मदद के लिये दुनिया में पुनर्जन्म लेने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- दलाई लामा का अनुरक्षणः
 - 1950 के दशक में चीन का राजनीतिक परिदृश्य बदलना शुरू हुआ।
 - ♦ तिब्बत को आधिकारिक रूप से चीनी नियंत्रण में लाने की योजनाएँ बनाई गईं लेकिन मार्च 1959 में तिब्बती, चीनी शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। चीनी पीपुल्स रिपब्लिक के सैनिकों ने विद्रोह को कुचल दिया और हजारों लोग मारे गए।
 - ◆ दलाई लामा 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भारत भाग आए, जहाँ उनका स्वागत पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिन्होंने उन्हें धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 'निर्वासन में तिब्बती सरकार' बनाने की अनुमित दी।
- दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया:
 - ♦ पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध धर्म के बाद वर्तमान दलाई लामा को बौद्धों द्वारा उस शरीर को चुनने में सक्षम माना जाता है जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है।
 - वह व्यक्ति जब मिल जाता है तो अगला दलाई लामा उसे बना दिया जाता है।
 - बौद्ध विद्वानों के अनुसार, यह गेलुग्पा परंपरा के उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की जिम्मेदारी है कि वे पदाधिकारी की मृत्यु के बाद अगले दलाई लामा की तलाश करें और उन्हें खोजें।
 - ◆ यदि एक से अधिक उम्मीदवारों की पहचान की जाती है, तो वास्तविक उत्तराधिकारी एक सार्वजनिक समारोह में अधिकारियों और भिक्षुओं द्वारा बहुत से लोगों को आकर्षित करते हुए पाया जाता है।
 - एक बार पहचाने जाने के बाद सफल उम्मीदवार और उसके परिवार को ल्हासा (या धर्मशाला) ले जाया जाता है,जहाँ बच्चा आध्यात्मिक नेतत्त्व की तैयारी के लिये बौद्ध धर्मग्रंथों का अध्ययन करता है।
 - इस प्रक्रिया में कई वर्ष लग सकते हैं, 14वें (वर्तमान) दलाई लामा को खोजने में चार वर्ष लग गए।
 - यह खोज आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित है, हालाँकि वर्तमान दलाई लामा ने कहा है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा और यदि होगा तो यह चीनी शासन के तहत देश में नहीं होगा।

तिब्बत और दलाई लामा: भारत-चीन संबंधों पर प्रभाव

- भूमिका:
 - ◆ सिदयों से, तिञ्बत भारत का वास्तिवक पड़ोसी था, क्योंिक भारत की अधिकांश सीमाएँ और 3500 किमी LAC (वास्तिवक नियंत्रण रेखा) तिञ्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ है न कि शेष चीन के साथ।
 - ◆ 1914 में चीनियों के साथ तिब्बती प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये जिसमें सीमाओं का निर्धारण किया गया था।
 - ♦ हालाँकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा करने के बाद चीन ने उस कन्वेंशन और मैकमोहन लाइन को खारिज कर दिया, जिसने दोनों देशों को विभाजित किया था।
 - ◆ इसके अलावा वर्ष 1954 में भारत ने चीन के साथ तिब्बत को "चीन के तिब्बत क्षेत्र" के रूप में मान्यता देने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- वर्तमान परिदृश्य:
 - ◆ दलाई लामा और तिब्बत भारत तथा चीन के संबंधों के बीच प्रमुख अड्चनों में से एक है।
 - चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है, जिनका तिब्बितयों पर अधिक प्रभाव है।
 - ♦ भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की निरंतर आक्रामकता का मुकाबला करने के लिये तिब्बती कार्ड का उपयोग करना चाहता है।
 - भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति में भारत की तिब्बत नीति में बदलाव आया है। नीति में यह बदलाव, सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सिक्रय रूप से प्रबंधन करने वाली भारत सरकार को चिह्नित करता है।
 - ♦ भारत की तिब्बत नीति में बदलाव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक पहलुओं पर केंद्रित है, लेकिन तिब्बत नीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण से संबंधित कई चुनौतियाँ हैं।

आगे की राह

- वर्तमान में भारत में बसने वाले तिब्बितयों को लेकर एक कार्यकारी नीति (कानून नहीं) है।
- भारत की वर्तमान तिब्बती नीति भारत में बसने वाले तिब्बतियों के कल्याण एवं विकास हेतु महत्त्वपूर्ण है, परंतु यह तिब्बत के मुख्य मुद्दों का कानूनी समर्थन नहीं करती है। उदाहरण के लिये तिब्बत के विध्वंसकारकों द्वारा तिब्बत में स्वतंत्रता की मांग।
- अत: अब समय आ गया है कि भारत को भी चीन से निपटने में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक मुखर रुख अपनाना चाहिये।
- इसके अलावा भारत में तिब्बत की एक युवा और अशांत आबादी निवास करती है, जो दलाई लामा के गुज़रने के बाद अपने नेतृत्व और कमान संरचना हेतु भारत के नियंत्रण से बाहर है। अत: भारत को ऐसी स्थिति से बचने की भी ज़रुरत है।

चीन का नया सीमा कानून

चर्चा में क्यों?

भूमि सीमाओं पर चीन का नया कानून 1 जनवरी, 2022 से लागू हुआ।

 यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा गितरोध अनसुलझा है और हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलकर अपने अंतर्गत होने का दावा किया है।

- चीन के नए सीमा कानून के बारे में:
 - भूमि सीमाओं का परिसीमन और सर्वेक्षण:
 - नया कानून बताता है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) सीमा को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने के लिये अपनी सभी
 भीम सीमाओं पर सीमा चिह्न स्थापित करेगा।

- सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन और रक्षा:
 - पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और चीनी पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स को सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
 - इस जिम्मेदारी में अवैध सीमा पार की घटनाओं से निपटने में स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करना शामिल है।
 - कानून किसी भी ऐसे पक्ष को सीमा क्षेत्र में ऐसी गितिविध में शामिल होने से रोकता है जो "राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालेगा या पड़ोसी देशों के साथ चीन के मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करेगा"।
 - यहाँ तक कि नागरिकों और स्थानीय संगठनों को भी सीमा के बुनियादी ढाँचे की रक्षा करना अनिवार्य है।
 - अंत में कानून युद्ध, सशस्त्र संघर्ष, ऐसी घटनाएँ जो सीमावर्ती निवासियों की सुरक्षा को खतरा पैदा करती हैं, जैसे- जैविक और रासायनिक दुर्घटनाएँ प्राकृतिक आपदाएँ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं की स्थिति में सीमा को सील करने का प्रावधान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
 - अपने सीमा-साझा देशों के विषय पर कानून कहता है कि इन देशों के साथ संबंध "समानता और पारस्परिक लाभ" के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिये।
 - इसके अलावा, कानून भूमि सीमा प्रबंधन पर बातचीत करने और सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिये उक्त देशों के साथ नागरिक एवं सैन्य दोनों संयुक्त सिमितियों के गठन का प्रावधान करता है।
 - कानून यह भी निर्धारित करता है कि पीआरसी को भूमि सीमाओं पर संधियों का पालन करना चाहिये, जिस पर उसने संबंधित देशों के साथ हस्ताक्षर किये हैं और सभी सीमा मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिये।

• चिंताएँ:

- चीनी सेना के अपराधों को औपचारिक रूप देना:
 - भूमि सीमा कानून का व्यापक उद्देश्य 2020 में एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के पार चीनी सेना के उल्लंघन को कानूनी कवर
 प्रदान करना और औपचारिक रूप देना है।
- नागरिक एजेंसियों को प्रोत्साहन:
 - कानून नागरिक आबादी के समस्या निपटान और सीमा क्षेत्र के साथ बेहतर बुनियादी ढाँचे का आह्वान करता है।
 - चीन ने पहले अपनी "नागरिक" आबादी को एलएसी के विवादित हिस्से के साथ की रणनीति का इस्तेमाल किया है, जिसके आधार पर वह इसके सही स्वामित्व का दावा करता है।
 - नया कानून ऐसे मामलों को बढ़ा सकता है तथा दोनों देशों के बीच और समस्याएँ पैदा कर सकता है।
- जल प्रवाह को सीमित करना:
 - ब्रह्मपुत्र या यारलुंग जंगबो नदी में जल प्रवाह को सीमित किये जाने भी संभावना है जो चीन से भारत में बहती है क्योंकि कानून के अनुसार "सीमा पार नदियों और झीलों की स्थिरता की रक्षा के उपाय" करना जरूरी है।
 - चीन जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में इस प्रावधान का हवाला दे सकता है जो भारत में पारिस्थितिक आपदा का कारण बन सकता है और इसे अपनी ओर से एक वैध कार्रवाई बता सकता है।
- चीन के सीमा विवाद:
 - चीन की 14 देशों के साथ 22,100 किलोमीटर की भूमि सीमा लगती है।
 - इसने 12 पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद सुलझा लिये हैं।
 - ♦ भारत और भूटान दो ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन को अभी सीमा समझौतों को अंतिम रूप देना है।
 - ♦ चीन और भूटान ने सीमा वार्ता में तेज़ी लाने के लिये तीन चरणों का रोडमैप तैयार करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।
 - भारत-चीन सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 3,488 किलोमीटर की हैं जिसमे से लगभग 400 किलोमीटर में चीन-भूटान विवाद है।

आगे की राहः

- चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का नामकरण अपने स्वयं के क्षेत्र के रूप में किया गया क्योंकि भारत और चीन LAC के साथ विवादों को सुलझाने के लिये राजनियक और सैन्य दोनों स्तरों पर लगे हुए हैं।
- संबंधों को बहाल करने के साथ-साथ सीमाओं पर यथास्थिति को बनाए रखने के लिये आपसी संवेदनशीलता और पिछले समझौतों के पालन की आवश्यकता होगी जो कि पहले से ही मतभेदों की लंबी सूची का विस्तार करने वाले अनावश्यक विवादों को उकसाने के बजाय शांति बनाए रखने में सहायक ।

परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के विरुद्ध हमलों का निषेध: भारत-पाकिस्तान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया है।

- यह आदान-प्रदान पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के अनुच्छेद- II के अनुसार था।
- दोनों देशों ने मई 2008 में हस्ताक्षरित कांसुलर एक्सेस समझौते के प्रावधानों के तहत एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान-प्रदान भी किया था।
 - 🔷 इस समझौते के तहत दोनों देशों को हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को व्यापक सूचियों का आदान-प्रदान करना चाहिये।

प्रमुख बिंदुः

- परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों का निषेध:
 - परिचय:
 - इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं की जानकारी देनी होगी।
 - समझौते पर वर्ष 1988 में हस्ताक्षर किये गए और वर्ष 1991 में इसकी पुष्टि की गई।
 - यह दोनों पड़ोसी देशों के बीच सूची का लगातार 31वाँ आदान-प्रदान था।
 - 🔷 कवरेज:
 - परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्द्धन, आइसोटोप पृथक्करण तथा पुनर्संसाधन सुविधाओं के साथ-साथ किसी भी रूप में विकिरणित परमाणु ईंधन एवं सामग्री के साथ कोई अन्य प्रतिष्ठान व महत्त्वपूर्ण मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री का भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान आदि सभी को "परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं" के तहत शामिल किया गया है।
- समझौते का महत्त्वः
 - ◆ इज्ञरायल द्वारा वर्ष 1981 में बगदाद के निकट इराक के ओसीराक रिएक्टर पर बमबारी के संदर्भ में समझौते की आवश्यकता महस्सूस की गई थी। इज्जरायली लड़ाकू विमानों द्वारा शत्रुतापूर्ण हवाई क्षेत्र पर किये गए हमले ने इराक के परमाणु हथियार कार्यक्रम को महत्त्वपूर्ण रूप से निर्धारित किया था।
 - यह समझौता पाकिस्तान के संदर्भ में भी आया था।
 - इस्लामाबाद को वर्ष 1972 की उस हार की याद ने झकझोर दिया है जिसने देश को खंडित कर दिया था और भारत में सैन्य विकास जैसे कि वर्ष 1987 में ऑपरेशन ब्रासस्टैक्स, जो आक्रामक क्षमताओं हेतु तैयार करने के लिये एक युद्ध अभ्यास था। पाकिस्तान ने उस समय अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संपत्तियों को 'हाई अलर्ट' पर रखकर जवाब दिया था।

भारत-पाकिस्तान संबंध के वर्तमान मुद्दे

- सीमा पार आतंकवाद:
 - ♦ पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद द्विपक्षीय संबंधों के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।
 - भारत ने लगातार भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिये पाकिस्तान को विश्वसनीय, अपिरवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

- सिंधु जल समझौताः
 - ♦ पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में सिंधु जल संधि को निरस्त करने के लिये भारत में समय-समय पर हंगामा होता रहता है।
 - यह विश्व बैंक के माध्यम से संपन्न कराई एक संधि है, जो यह प्रशासित करती है कि सिंधु और उसकी सहायक निदयों के पानी का उपयोग कैसे किया जाएगा जो कि दोनों देशों में बहती हैं।
- सियाचिन ग्लेशियर:
 - सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊँचा और सबसे घातक युद्धक्षेत्र माना जाता है।
 - दशकों के सैन्य अभियानों ने ग्लेशियर और आसपास के वातावरण को नुकसान पहुँचाया है।
 - लेकिन भारत-पाक संबंधों की जटिल प्रकृति और दोनों देशों के बीच अविश्वास के कारण इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ
 है।
- सरक्रीकः
 - ◆ यह कच्छ दलदली भूमि के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की 96 किमी. लंबी पट्टी है।
 - विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की व्याख्या में निहित है।
 - पाकिस्तान मुहानों के पूर्वी किनारे का अनुसरण करने के लिये रेखा का दावा करता है, जबिक भारत एक केंद्र रेखा का दावा करता है (सिंध की तत्कालीन सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित 1914 के बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव के अनुच्छेद 9 और 10 की अलग-अलग व्याख्या)।
- जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन:
 - ♦ इसने कश्मीर-केंद्रित पाकिस्तान में भी संकट पैदा कर दिया क्योंकि एक ही बार में लद्दाख का बड़ा क्षेत्र कश्मीर विवाद से अलग हो गया था।
 - पाकिस्तान की हताशा आतंकवाद को बढ़ावा देने के उसके हताश प्रयासों और भारत के इस कदम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के असफल प्रयासों में दिखाई देती है।

आगे की राह

- दोनों देश फरवरी 2021 में नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों के साथ समझौतें और युद्धविराम के सख्त पालन पर सहमत हुए।
- लेकिन जब तक आपसी इच्छा, राजनीतिक इच्छाशिक्त और दोनों पक्षों में निर्णायक कठिन निर्णय लेने का साहस न हो, देशों के भिवष्य में जुड़ाव की कोई उम्मीद नहीं है।
- खुद को भारत के बराबर या उससे बेहतर साबित करने के लिये पाकिस्तान के कभी न खत्म होने वाले संघर्ष ने कभी भी दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य नहीं होने दिया।
- वास्तिवक-लोकतंत्र की कमी और लगातार दंतिवहीन नागरिक सरकारों ने यह साबित कर दिया है कि पाक सेना की चालों से नागरिक सरकार के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव बेकार हो जाएगा।

परमाणु प्रसार रोकने का संकल्प: UNSC के पाँच स्थायी सदस्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों (चीन, फ्राँस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने एवं परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया है।

- यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव उस ऊँचाई पर पहुँच गया है जो शीत युद्ध के बाद से शायद ही कभी देखा गया हो।
- यह बयान तब आया है जब विश्व शक्तियाँ ईरान के साथ अपने विवादास्पद परमाणु अभियान पर संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) 2015 को पुनर्जीवित करने के लिये समझौते पर पहुँचने की कोशिश कर रही हैं, जिसे अमेरिका द्वारा वर्ष 2018 में समझौते से बाहर होने के कारण समाप्त कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- संकल्पः
 - 🔷 ऐसे हथियारों के प्रसार को रोका जाना चाहिये, परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता है और ऐसा युद्ध कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिये।
 - ♦ परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच युद्ध को टालना और सामरिक जोखिमों को कम करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारियों के रूप में है।
 - ♦ जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, इनसे रक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिये, आक्रमण रोकना तथा युद्ध को रोकना चाहिये।
 - ये परमाणु हथियारों के अनिधकृत या अनिपक्षित उपयोग को रोकने के लिये अपने राष्ट्रीय उपायों को बनाए रखने तथा मजबूत करने का इरादा रखते हैं।
- चीन का स्टैंड:
 - इसने चिंता जताई कि अमेरिका के साथ तनाव से ताइवान द्वीप पर संघर्ष हो सकता है।
 - चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और इस पर बलपूर्वक कब्ज़ा कर सकता है।
- रूस का स्टैंड:
 - 🔷 रूस ने परमाणु शक्तियों की घोषणा का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे वैश्विक तनाव कम होगा।

अप्रसार संधिः

- परिचय:
 - NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
 - ♦ इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किये गए और यह 1970 में लागू हुई। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देशों में लागू है।
 - भारत इसका सदस्य नहीं है।
 - ◆ इसके लिये देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तक पहुँच के बदले में परमाणु हथियार बनाने की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना को त्यागने की आवश्यकता होती है।
 - ◆ यह परमाणु-हथियार वाले राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु एक बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।
 - ◆ NPT के तहत 'परमाणु-हथियार वाले पक्षों' को 01 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण एवं विस्फोट करने वाले देशों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारत का पक्ष
 - भारत उन पाँच देशों में से एक है जिन्होंने या तो एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं िकये या हस्ताक्षर िकये िकंतु बाद में अपनी सहमित वापस ले ली, इस सूची में पाकिस्तान, इजरायल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान शामिल हैं।
 - ◆ भारत ने हमेशा NPT को भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
 - भारत ने अप्रसार के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विरोध किया है, क्योंकि वे चुनिंदा रूप से गैर-परमाणु शक्तियों पर लागू होती हैं और पाँच परमाणु हथियार सम्पन्न शक्तियों के एकाधिकार को वैध बनाती हैं।
- NPT से संबंधित मुद्देः
 - निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की विफलता:
 - NPT को मोटे तौर पर शीत युद्ध के दौर के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, जो एक विश्वसनीय निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की दिशा में मार्ग बनाने के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है।
 - संधि में कोई ठोस निरस्त्रीकरण रोडमैप का प्रस्ताव नहीं दिया गया है, परीक्षण प्रतिबंध या विखंडनीय सामग्री या परमाणु हथियारों के उत्पादन को रोकने हेतु कोई संदर्भ नहीं है, और कटौती एवं उन्मूलन के प्रावधान भी मौजूद नहीं हैं।
 - इसके बजाय इसने NWS को निर्धारित करने हेतु जनवरी 1967 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करके शस्त्रागार के निर्वाह और विस्तार की अनुमित दी।

- परमाणु 'हैव्स' और 'हैव-नॉट्स':
 - गैर-परमाणु हथियार राज्य (NNWS) इस संधि की भेदभावपूर्ण होने की आलोचना करते हैं, क्योंकि यह केवल क्षैतिज प्रसार को रोकने पर केंद्रित है जबकि इसमें ऊर्ध्वाधर प्रसार की कोई सीमा नहीं है।
 - ऊर्ध्वाधर प्रसार को एक राष्ट्र के परमाणु शस्त्रागार की उन्नित या आधुनिकीकरण के रूप में पिरभाषित किया जा सकता है, जबिक क्षैतिज प्रसार एक राष्ट्र से दूसरे में प्रौद्योगिकियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण है, जो अंतत: परमाणु हथियारों के अधिक उन्नत विकास और प्रसार को बढ़ावा देता है।.
 - चूँिक अपने शस्त्रागार को कम करने हेतु NWS पर कोई स्पष्ट दायित्व नहीं है, NWS ने बिना किसी बाधा के अपने संबंधित शस्त्रागार का विस्तार करना जारी रखा है।
 - इस संदर्भ में NNWS समूह मांग करते हैं कि परमाणु-हथियार राज्यों (NWS) को NNWS की प्रतिबद्धता के बदले में अपने शस्त्रागार और अतिरिक्त उत्पादन को त्याग देना चाहिये।
 - इस संघर्ष के कारण अधिकांश चतुष्कोणीय समीक्षा सम्मेलन (रेवकॉन), जो मंच इस संधि के कामकाज की समीक्षा करता है, वर्ष
 1995 के बाद से काफी हद तक अनिर्णायक रहा है।
- शीत युद्ध के बाद की चुनौतियाँ:
 - शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था में संधि के अस्तित्व से संबंधित चुनौतियाँ तब शुरू हुईं, जब कुछ देशों द्वारा परमाणु विलंबता को तोड़ने या हासिल करने के प्रयासों के कारण गैर-अनुपालन, उल्लंघन और अवज्ञा के कई उदाहरण सामने आए।
 - उदाहरण के लिये अमेरिका, ईरान पर सामृहिक विनाश के परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाता है।
 - वर्ष 1995 में एनपीटी के अनिश्चितकालीन विस्तार ने इसकी अपरिवर्तनीयता का आह्वान करते हुए, निरस्त्रीकरण के उद्देश्य के लिये राज्यों की अक्षमता को भी रेखांकित किया, जैसा कि एनपीटी में निहित है।
 - सामूहिक विनाश के हथियारों तक पहुँचने और एक वैश्विक परमाणु काला बाजार का पता लगाने के घोषित इरादे के साथ गैर-राज्य अभिकर्ताओं के उद्भव ने नए रणनीतिक वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिये संधि की सीमाओं को लेकर चिंता जताई है।

आगे की राह

- बढ़ती ऊर्जा मांगों ने परमाणु ऊर्जा का अनुसरण करने वाले देशों की संख्या में वृद्धि की है, और कई देश एक स्थायी और भरोसेमंद घरेलू ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ऊर्जा-स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा, विकास और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हर देश के लिये आवश्यक है।
- इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये चुनौती यह होगी कि वे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों की घुसपैठ को कम करने और प्रसार की संभावना को कम करने के साथ राज्यों की ऊर्जा स्वतंत्रता की इच्छा को कम करें।
- साथ ही NNWS, 'NEW START' और अन्य पहलों का स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांतों में परमाणु हथियारों की भूमिका को कम करने, अलर्ट के स्तर को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा और अधिक ठोस कार्रवाइयों को देखने के लिये उत्सुक हैं।
- विश्व में अधिक क्षेत्रों (अधिमानत: एनडब्ल्यूएस शामिल) को परमाणु-हथियार मुक्त क्षेत्र स्थापित करने पर बल देना चाहिये।
- इसके अलावा परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि परमाणु निरस्त्रीकरण के लिये सही दिशा में एक कदम है।

चीन ने पैंगोंग झील पर बनाया पुल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, यह पाया गया कि चीन पैंगोंग त्सो पर एक नया पुल बना रहा है जो झील के उत्तर और दक्षिण किनारों के बीच तथा एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के करीब सैनिकों को तेजी से तैनात करने के लिये एक अतिरिक्त धुरी प्रदान करेगा।

• इससे पहले, भूमि सीमाओं पर चीन का नया कानून 1 जनवरी, 2022 से ऐसे समय में लागू हुआ, जब पूर्वी लद्दाख में सीमा गितरोध अनसुलझा है और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम हाल ही में चीन ने भारतीय राज्य पर अपने दावे के हिस्से के रूप में बदल दिया है। भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढाँचे में सुधार कर रहा है। 2021 में सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया, जिनमें से अधिकांश चीन के साथ सीमा के करीब थीं।

- पृष्ठभूमिः
 - मई 2020 में सैन्य गितरोध शुरू होने के बाद से भारत और चीन ने न केवल मौजूदा बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के लिये काम किया है, बल्कि पूरी सीमा पर कई नई सड़कों, पुलों, लैंडिंग स्ट्रिप्स का भी निर्माण किया है।
 - ◆ अगस्त 2020 के अंत में भारत ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट पर कैलाश रेंज की पहले से खाली पड़ी ऊँचाइयों पर कब्जा कर चीन को पछाड़ दिया।
 - ◆ भारतीय सैनिकों ने मागर हिल, गुरुंग हिल, रेजांग ला, रेचिन ला सिहत वहाँ की चोटियों पर तैनात किया जिससे उन्हें रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्पैंगगुर गैप पर हावी होने की अनुमित दी जिसका उपयोग एक आक्रामक शुरू करने के लिये किया जा सकता है, जैसा कि चीन ने 1962 में किया था।
 - भारतीय सैनिकों ने भी उत्तरी तट पर फिंगर्स क्षेत्र में चीनी सैनिकों के ऊपर खुद को तैनात कर लिया था।
 - 🔷 कठोर सर्दियों के महीनों में दोनों देशों के सैनिक इन ऊँचाइयों पर बने रहे। जिससे चीन को बातचीत करने के लिये मज़बूर किया।
 - ♦ दोनों देश झील के उत्तरी तट से पीछे हटने और पैंगोंग त्सो के दक्षिण में चुशुल उप-क्षेत्र में कैलाश रेंज पर स्थिति पर सहमत हुए।
- पुल के बारे में:
 - ♦ झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 से 20 किमी पूर्व में पुल का निर्माण किया जा रहा है जिस पर भारत का कहना है कि फिंगर 8 एलएसी को दर्शाता है।.
 - फिंगर एरिया से झील दिखाई देती है सिरिजाप रेंज (झील के उत्तरी किनारे पर) से बाहर आठ चट्टानों का एक समूह है।
 - 135 किमी लंबी पैंगोंग त्सो एक एंडोरेइक झील है, जिसमें से दो-तिहाई से अधिक चीन के नियंत्रण में है।
 - झील के उत्तर और दक्षिण किनारे कई संवेदनशील बिंदुओं में से थे जो गितरोध की शुरुआत के बाद सामने आए थे। फरवरी 2021
 में भारत और चीन के उत्तर एवं दक्षिण तट से सैनिकों को वापस बुलाने से पहले, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लामबंदी देखी गई थी
 और दोनों पक्षों ने कुछ स्थानों पर बमुश्किल कुछ सौ मीटर की दूरी पर टैंक भी तैनात किये थे।
 - ♦ पुल साइट रुतोग काउंटी में खुर्नक किले के ठीक पूर्व में स्थित है जहाँ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People's Liberation Army-PLA) के सीमावर्ती ठिकाने हैं।
 - ऐतिहासिक रूप से भारत का एक हिस्सा, खुर्नक फोर्ट वर्ष 1958 से चीन के नियंत्रण में है।
 - ◆ खुर्नक फोर्ट से LAC काफी पश्चिम है, जिसमें भारत फिंगर 8 पर दावा करता है और चीन फिंगर 4 पर दावा करता है।
- चीन के लिये महत्त्व:
 - ◆ पुल रुडोक के माध्यम से खुर्नक से दक्षिण तट तक 180 किलोमीटर के लूप को काट देगा, जो खुर्नक और रुडोक के बीच की दूरी को लगभग 200 किलोमीटर के बजाय 40-50 किलोमीटर तक कम कर देगा।
 - ◆ अगस्त 2020 में जो हुआ उसे दोहराने से रोकने की उम्मीद में, पुल का निर्माण इस क्षेत्र में सैनिकों को तेज़ी से एकत्र करने में मदद करेगा।
- भारत के लिये निहितार्थ:
 - 🔷 पुल उनके क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है और भारतीय सेना को अपनी परिचालन योजनाओं में इसे शामिल करना होगा।
 - ♦ सड़कों का चौड़ीकरण, नई सड़कों और पुलों का निर्माण, नए बेस, हवाई पट्टी, अग्रिम लैंडिंग बेस आदि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, बिल्क ये कार्य भारत-चीन सीमा (पूर्वी, मध्य और पश्चिमी) के तीन क्षेत्रों में हो रहे हैं।

सूडान में संकट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने देश को राजनीतिक अनिश्चितता में डालते हुए इस्तीफा दे दिया है।

- श्री हमदोक जिन्हें अक्तूबर 2021 में सेना द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और कुछ सप्ताह बाद एक सौदे के हिस्से के रूप में बहाल किया
 गया था, ने देश में सेना विरोधी प्रदर्शन जारी रहने के कारण अपना पद छोड़ दिया है।
- सूडानी लोकतंत्र समर्थक समूहों ने सेना के साथ श्री हमदोक के समझौते को खारिज कर दिया और जनरलों को एक स्वतंत्र नागरिक प्राधिकरण को सत्ता सौंपने की मांग की।

- अस्थिर सूडान:
 - ♦ तख्तापलट के बाद क्रूर सैन्य शासन के कारण सूडान में गितरोधकी स्थिति है। इस संबंध में एक खराब रिकॉर्ड वाले महाद्वीप पर सूडान वर्ष 1956 में स्वतंत्रता के बाद से छह तख्तापलट और 10 असफल प्रयासों के साथ अपने स्वयं के वर्ग में है।
 - ◆ स्वतंत्रता के बाद से केवल कभी-कभार विराम के साथ सूडान को एक अरब अभिजात वर्ग द्वारा शासित किया गया है, जो अपने लोगों की कीमत पर देश की संपत्ति को लुटने पर आमादा है।
 - ♦ सेना के माध्यम से संचालित यह शासन सही मायने में एक 'क्लेप्टोक्रेसी' यानी चोर-तंत्र है।
 - 'क्लेप्टोक्रेसी' का आशय एक ऐसी सरकार से है, जिसके भ्रष्ट नेता राजनीतिक शक्ति का उपयोग कर अपने राष्ट्र की संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं, यह आमतौर पर व्यापक आबादी की कीमत पर सरकारी धन के गबन या दुरुपयोग के माध्यम से किया जाता है।
 - ◆ इसका परिणाम यह हुआ कि सूडान एक ऐसे देश के रूप में सामने आया, जो युद्धों और केंद्र एवं निरंकुश परिधियों के बीच संघर्ष से घिरा हुआ है। सेना तथा उसके सहयोगियों, विशेष रूप से रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अपनी शक्ति का उपयोग रक्षा उद्योगों से परे अपने आर्थिक हितों के लिये किया है।
 - नागरिक शासन, पारदर्शिता और लोकतंत्र लाने के साथ-साथ, शासकों के वित्तीय हितों के लिये खतरा होगा।
 - ♦ सूडान के आम लोग दशकों से कुशासन के शिकार रहे हैं। 100% से अधिक की मुद्रास्फीति दर का सामना करती हुई लगभग एक-चौथाई आबादी मुश्किल से अपना पेट भर पाती है और लाखों लोग शरणार्थी शिविरों में रहते हैं।
 - ◆ इसके विपरीत अभिजात वर्ग की स्थिति काफी बेहतर है। इसिलये अभिजात वर्ग यथास्थिति बनाए रखने हेतु संघर्ष कर रहा है।
- वर्तमान संकटः
 - ♦ अप्रैल 2019 में एक लोकप्रिय क्रांति द्वारा नरसंहार के लिये दोषी जनरल उमर अल-बशीर के पतन के बाद से मंथन तेज़ हो गया है।
 - ♦ इसके बाद,संप्रभुता परिषद, जो कि एक 11 सदस्यीय निकाय है, जिसमें सैन्य और नागरिक नेता शामिल थे, ने सैन्य नेतृत्व वाली ट्रांजीशन काउंसिल की जगह ली तथा हमदोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
 - संप्रभुता परिषद के शासन के दौरान, सूडान ने विद्रोही समूहों के साथ एक शांति समझौता किया, महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilation) पर प्रतिबंध लगा दिया, इजराइल के साथ शांति स्थापित की और आर्थिक सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों तक अपनी पहुँच स्थापित की।
 - इस अवधि के दौरान अमेरिका ने आतंकवाद प्रायोजक राज्य की सूची से देश को हटा दिया। घरेलू सुधार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ने सुझाव दिया कि सूडान पूर्ण लोकतंत्र में धीमी लेकिन स्थिर संक्रमण के दौर से गुज़र रहा था।
 - ♦ सेना द्वारा तुरंत पलटवार किया गया, जिसमें काफी लोग मारे गए। श्री हमदोक के नेतृत्व में जनरल और टेक्नोक्रेट्स का एक गठबंधन,
 अगस्त 2019 से अक्तूबर 2021 तक शासित रहा है।
 - उस तथाकथित संक्रमणकालीन सरकार को चुनावों के लिये मार्ग प्रशस्त करना था। जो कि वर्तमान समय में पहले से कहीं अधिक मुश्किल लग रहा है।

- ♦ हालिया तख्तापलट (वर्ष 2021) के बाद से प्रदर्शनकारियों द्वारा एक लोकतांत्रिक सरकार के लिये विरोध किया जा रहा है।
- रूस और चीन का दृष्टिकोण:
 - रूस की आपूर्ति:
 - एक अतिरिक्त जटिलता जनरलों के लिये रूस का समर्थन है। रूस के हितों में काम करने वाले भाड़े के संगठन वैगनर ने मिलिशिया
 और अन्य उपहारों के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया है।
 - रूस ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में सूडान को एक कवच के रूप में तैयार कर दिया है, जो पश्चिम के खिलाफ अपनी भूमिका निभाता है।
 - चीन का निवेश:
 - सूडान में चीन के व्यापक निवेश ने भी सेना को सुरक्षा प्रदान की है; चीन सुशासन पर स्थिरता का पक्षधर है।

- सेना अब मुश्किल स्थिति में है। यह देखते हुए कि नागरिक-सैन्य संबंध पहले से ही टूटने के बिंदु पर है।
 - संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वर्ष 2022 में देश के 43 मिलियन लोगों में से कम से कम एक तिहाई को मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। सुडान चाहता है वह एक स्थिर, उत्तरदायी सरकार, जो देश की असंख्य समस्याओं का तत्काल समाधान कर सकती है।
 - अंतत:, लोकतंत्र के सफल संक्रमण से जिसमें संरचनात्मक आर्थिक सुधार शामिल होंगे, बशीर-युग की संपत्ति की जवाबदेही और प्रतिधारण जैसे मुद्दों पर कुछ अरुचिकर समझौता करने की संभावना होगी।
- सभी सूडानी पार्टियों के बीच "समावेशी, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुँचने के लिये" एक सार्थक बातचीत होनी चाहिये।
- लेकिन एक वास्तिवक संक्रमण को सेना को देश के अंतिम अधिकार के रूप में कार्य करने से रोकना चाहिये, समय सारिणी को पुनर्व्यवस्थित करने और शासी अधिकारियों को हटाने में सक्षम होना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाँच नए अस्थायी सदस्यों (अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात) का चयन किया गया है।

- एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया व वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।
- अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबिक ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गैबॉन और घाना पहले तीन बार परिषद में रहे हैं तथा संयुक्त अरब अमीरात एक बार परिषद में शामिल हो चुका है।
- संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 50 से अधिक देशों को इसके गठन के बाद से कभी भी परिषद के लिये नहीं चुना गया है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः
 - ♦ परिचय:
 - सुरक्षा पिरषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
 - संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय।
 - यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है।
 - परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
 - सदस्यः
 - सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं: पाँच स्थायी सदस्य और दो वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए दस अस्थायी सदस्य।

- पाँच स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्राँस, चीन और यूनाइटेड किंगडम हैं।
- भारत ने पिछले वर्ष (2021) आठवीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और दो वर्ष यानी वर्ष 2021-22 तक परिषद में रहेगा।
- प्रतिवर्ष महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिये पाँच अस्थायी सदस्यों (कुल दस में से) का चुनाव करती है। दस अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है।
- परिषद की अध्यक्षता प्रतिमाह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है।

मतदान शक्ति

- सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सिहत नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिये जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमित अनिवार्य है। पाँच स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है।
- संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

UNSC और भारत :

- भारत ने वर्ष 1947-48 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के निर्माण में सिक्रिय रूप से भाग लिया और दक्षिण अफ्रीका
 में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को स्वीकार करने, मध्य पूर्व में प्राणघातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाई है।
- ♦ इसने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिये बड़े पैमाने पर योगदान दिया है।
 - भारत ने 43 शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें कुल योगदान 160,000 से अधिक सैनिकों और महत्त्वपूर्ण संख्या में पुलिस कर्मियों का है।
- ◆ भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत तथा वर्तमान में भारत द्वारा दिये जा रहे योगदानों ने इसकी यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत बना दिया है।

यूएनएससी के साथ मुद्देः

- अभिलेखों और बैठकों की अनुपस्थिति:
 - संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम यूएनएससी के विचार-विमर्श पर लागू नहीं होते हैं और इसकी बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।
 - इसके अतिरिक्त चर्चा, संशोधन या आपित के लिये बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

♦ UNSC में भूमिकाः

- यूएनएससी के पाँच स्थायी सदस्यों को जो वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह कालानुक्रमिक हैं।
- यूएनएससी अपने वर्तमान स्वरूप में मानव सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों व गितशीलता को समझने में एक बाधा बन गया है।

♦ P5 के बीच विभाजन:

- संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में एक ध्रुवीकरण की स्थित देखी जाती है इसिलये निर्णय या तो नहीं लिये जाते हैं या उन पर ध्यान नहीं
 दिया जाता है।
- UNSC के भीतर बार-बार विभाजन, P-5 प्रमुख के निर्णयों को अवरुद्ध करता है।
- उदाहरण: कोरोनावायरस महामारी के उद्भव के साथ संयुक्त राष्ट्र, UNSC और विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रों को महामारी के प्रसार से निपटने में मदद करने में प्रभावी भिमका निभाने में विफल रहे।

- संगठन में प्रतिनिधित्व का अभावः
 - विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण देश- भारत, जर्मनी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की UNFC में अनुपस्थिति चिंता का विषय है।

- P5 और शेष विश्व के बीच शक्ति संबंधों में असंतुलन को तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है।
- साथ ही स्थायी और अस्थायी सीटों के विस्तार के माध्यम से सुरक्षा पिरषद में सुधार करने की भी आवश्यकता है तािक संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव हेतु "सदा जटिल और उभरती चुनौतियों" से बेहतर तरीके से निपट सके।
- UNSC के अस्थायी सदस्यों में से एक के रूप में भारत UNSC में सुधार के लिये एक व्यापक सेट वाले प्रस्ताव का मसौदा तैयार करके शुरू कर सकता है।
 - यह अन्य समान विचारधारा वाले देशों (जैसे G4: भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील) से संपर्क कर सकता है तथा यूएनजीए के सभी सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर सकता है।

कजाखस्तान में अशांति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ईंधन की कीमतों में तीव्र और अचानक वृद्धि ने कजाखस्तान में राष्ट्रीय संकट पैदा कर दिया, जिससे देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए तथा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा।

- सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के बीच, देश के सत्तावादी राष्ट्रपति के अनुरोध पर रूसी नेतृत्व वाली सेनाएं भी कजाखस्तान पहुँच गई हैं।
- इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में कजाखस्तान गणराज्य के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

- अशांति का कारण:
 - ♦ तेल समृद्ध मध्य एशियाई राष्ट्र में ईंधन की कीमतों के दोगुने होने के बाद गुस्साए कजाखस्तान के लोग पहली बार सड़कों पर उस समय उतरे, जब सरकार ने सामान्यत: वाहनों में इस्तेमाल होने वाली तरल पेट्रोलियम गैस (LPG) के लिये प्राइस कैप (Price Caps) को हटा दिया।
 - ♦ आयल सिटी झानाओज़ेन में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जहाँ 2011 में खराब काम करने की स्थिति का विरोध कर रहे कम-से-कम 16 तेल श्रिमिकों को पुलिस ने मार डाला था।
 - ◆ देश भर के शहरों और कस्बों में प्रदर्शन शुरू हो गए और तेजी से हिंसक हो गए, जिसे कजाखस्तान के इतिहास में विरोध की सबसे बड़ी लहर कहा जा रहा है।
 - सोवियत संघ के पतन के बाद से कजाखस्तान में काफी हद तक स्थिर निरंकुशता (Stable Autocracy) रही है, जहाँ इस पैमाने का विद्रोह 1980 के दशक के बाद से नहीं देखा गया है।
 - निरंकुशता किसी देश की सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति के पास पूरी शक्ति होती है।
 - प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस्तीफे की मांग की है।
 - उन्होंने तर्क दिया है कि कीमतों में उछाल खाद्य कीमतों में भारी वृद्धि का कारण बनेगा और आय असमानता को बढ़ाएगा, जिसने दशकों से देश को त्रस्त किया है।
 - अभी पिछले वर्ष (2021) ही देश में मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9% तक बढ़ गई थी, यह बीते पाँच वर्षों में सबसे अधिक
 थी।
- लोकतंत्र की मांगः
 - ◆ यद्यपि देश में ईंधन काफी सस्ता है, किंतु बढ़ती आय असमानता को लेकर कजाखस्तान के आम लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है, जो कि कोरोना वायरस महामारी तथा लोकतंत्र की कमी के कारण और भी गंभीर हो गया है।

- ◆ जबिक देश राजनीतिक रूप से स्थिर होकर लाखों डॉलर के विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सक्षम रहा है, मौलिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिये वर्षों से इसकी सत्तावादी सरकार की व्यापक रूप से आलोचना की गई है।
- विरोध का महत्त्व:
 - विश्व के लिये:
 - रूस और चीन के बीच स्थित कजाखस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, जो पूरे पश्चिमी यूरोप से भी बड़ा है, हालॉंकि
 इसकी आबादी सिर्फ 19 मिलियन है।
 - इसके पास विशाल खिनज संसाधन मौजूद हैं, जिसमें 3% वैश्विक तेल भंडार और महत्त्वपूर्ण कोयला और गैस क्षेत्र हैं।
 - यह यूरेनियम का शीर्ष वैश्विक उत्पादक है, जिसकी कीमतों में अस्थिरता के बाद 8% की वृद्धि हुई है।
 - देश बिटकॉइन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बडा माइनर भी है।
 - बड़ी रूसी अल्पसंख्यक आबादी के साथ यह मुख्य रूप से मुस्लिम गणराज्य है, यह मध्य एशिया के अन्य हिस्सों में देखे गए नागरिक संघर्ष से अब तक काफी हद तक सुरक्षित रहा है।
 - नवीनतम प्रदर्शन इस लिहाज़ से महत्त्वपूर्ण हैं कि देश को अब तक एक अस्थिर क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में माना जाता है, हालाँकि यहाँ यह स्थिरता एक दमनकारी सरकार की कीमत पर आई है जो असंतोष को दबाती है।
 - रूस के लिये:
 - विरोध इसिलये भी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंिक कजाखस्तान को रूस के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके राष्ट्रपित रूस के प्रभाव क्षेत्र के
 हिस्से के रूप में देश को अपनी आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों के मामले में रूस के लिये एक निकाय के रूप में देखते हैं।
 - सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन द्वारा हस्तक्षेप, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का एक रूसी संस्करण, पहली बार है कि इसके संरक्षण क्षेत्र को एक ऐसा कदम लागू किया गया है जो संभावित रूप से इस क्षेत्र में भू-राजनीति के लिये व्यापक परिणाम प्रदर्शित कर सकता है।
 - वर्ष 2014 में यूक्रेन में और वर्ष 2020 में बेलारूस में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद एक सत्तावादी रूस- गठबंधन राष्ट्र के खिलाफ तीसरा विद्रोह है।
 - अराजकता इस क्षेत्र में रूस की क्षमता को कम करने की धमकी देती है जब रूस, यूक्रेन और बेलारूस जैसे देशों में अपनी आर्थिक और भू-राजनीतिक शक्ति का दावा करने की कोशिश कर रहा है।
 - पूर्व सोवियत संघ के देश भी विरोध प्रदर्शनों को करीब से देख रहे हैं और कजाखस्तान की घटनाओं से कहीं और विपक्षी ताकतों को सिक्रय करने में मदद मिल सकती है।
 - अमेरिका के लिये:
 - कजाखस्तान अमेरिका के लिये भी मायने रखता है, क्योंकि यह अमेरिकी ऊर्जा चिंताओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण देश बन गया है, एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन ने पश्चिमी कजाखस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है।
 - संयुक्त राज्य सरकार लंबे समय से रूस और बेलारूस की तुलना में कजाखस्तान में उत्तर सोवियत सत्तावाद की कम आलोचक रही
 है।
- सरकार की प्रतिक्रिया:
 - ◆ कजाखस्तान पर हमले के संदर्भ में सरकार ने प्रदर्शनकारियों को "आतंकवादियों का एक समूह" घोषित किया और रूसी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन को हस्तक्षेप करने के लिये कहा।
 - ◆ सरकार ने आपातकाल की स्थिति स्थापित करके और सोशल नेटवर्किंग साइटों तथा चैट ऐप्स को अवरुद्ध करके प्रदर्शनों को शांत करने का भी प्रयास किया है।
 - ♦ बिना परिमट के सार्वजिनक विरोध पहले से ही अवैध थे। इसने शुरू में प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया, कैबिनेट को खारिज कर दिया और संसद के संभावित विघटन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप नए चुनाव होंगे। लेकिन इसके अब तक के कदम असंतोष पर काबू पाने में विफल रहे हैं।

- वैश्विक प्रतिक्रियाः
 - ♦ संयुक्त राष्ट्र (यूएन), अमेरिका, ब्रिटेन और फ्राँस ने सभी पक्षों से हिंसा से दूर रहने का आह्वान किया है।
 - भारत कजाखस्तान की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और भारतीयों की वापसी में मदद करेगा।

- अमेरिका और दुनिया के अन्य प्रमुख देशों को कजाखस्तान के अधिकारियों को इंटरनेट बंद न करने और हिंसा से बचने के लिये प्रेरित करने की जरूरत है।
- दीर्घाविध में संयुक्त राष्ट्र को कजाखस्तान पर वैध रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये दबाव डालना चाहिये अन्यथा वहाँ अधिक से अधिक विरोधी गतिविधियाँ उत्पन्न होंगीं।

सीमा शुल्क में सहयोग और पारस्परिक सहायता: भारत-स्पेन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत एवं स्पेन के बीच एक समझौते को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - ♦ यह दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना साझा करने के लिये एक कानूनी ढाँचा है।
 - यह सीमा शुल्क कानूनों के उचित प्रशासन और सीमा शुल्क अपराधों का पता लगाने तथा जाँच एवं वैध व्यापार की सुविधा में मदद करता है।
- प्रावधानः
 - सीमा शुल्क का सही मूल्यांकन विशेष रूप से सीमा शुल्क, टैरिफ का वर्गीकरण और माल की उत्पत्ति के निर्धारण से संबंधित जानकारी।
 - निम्नलिखित के अवैध संचलन से संबंधित सीमा शुल्क अपराध:
 - हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक उपकरण।
 - कला और प्राचीन वस्तुएँ, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या पुरातात्विक मूल्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
 - पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरनाक विषाक्त और अन्य पदार्थ।
 - जो वस्तुएँ पर्याप्त सीमा शुल्क या करों के अधीन हैं।
 - सीमा शुल्क कानून के खिलाफ सीमा शुल्क अपराध करने हेतु नियोजित नए साधन और तरीके।
- महत्त्व:
 - यह सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम, जाँच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिये उपलब्ध, विश्वसनीय, त्वरित तथा लागत प्रभावी व ख़ुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

भारत स्पेन संबंध

- परिचय:
 - ◆ वर्ष 1956 में राजनियक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत और स्पेन के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत के पहले राजदूत को वर्ष 1965 में नियुक्त किया गया था।
 - िकसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा स्पेन की पहली राजकीय यात्रा तत्कालीन राष्ट्रपित द्वारा अप्रैल 2009 में की गई।
 - ◆ JCEC (आर्थिक सहयोग पर संयुक्त आयोग) की बैठक का 11वाँ दौर जनवरी 2018 में मैड्रिड में आयोजित किया गया था।
 - व्यापार और निवेश संबंधों को गित देने के लिये आर्थिक सहयोग पर भारत-स्पेन संयुक्त आयोग (JCEC) की स्थापना वर्ष 1972
 के व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते के तहत की गई थी और तब से इसकी दस बार बैठक हो चुकी है।

- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
 - स्पेन यूरोपीय संघ में भारत का 7वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
 - वर्ष 2018 (जनवरी-दिसंबर) में द्विपक्षीय व्यापार 6.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो एक वर्ष पहले की समान अविध की तुलना में 8.68% अधिक है।
 - भारत का निर्यात 8.49% बढ़ा और 4.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबिक आयात 8.49% बढ़ा और 1.571.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
 - ◆ स्पेन को भारतीय निर्यात में जैविक रसायन, कपड़ा और वस्त्र, लोहा व इस्पात उत्पाद, मोटर वाहन घटक, समुद्री उत्पाद तथा चमड़े के सामान शामिल हैं।
 - ◆ स्पेन भारत में 1.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जनवरी 2000 में) के संचयी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) स्टॉक के साथ 15वाँ सबसे बड़ा निवेशक है, जो ज्यादातर बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, पानी के विलवणीकरण और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में किया गया है।
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध:
 - ♦ सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारत-स्पेन द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। वर्ष 2003 में 'कासा डे ला इंडिया' (होमस्टेड) की स्थापना संस्कृति, शिक्षा, सहयोग और उद्यम के क्षेत्र में भारत व स्पेन के संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी।
 - ◆ 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद' (ICCR) द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनियाँ 'भारत के धर्म' और 'भारत की धाराएँ' भी वर्ष 2015 में विभिन्न स्पेनिश शहरों में आयोजित की गईं।
 - ◆ पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2015) में प्रतिष्ठित 'प्लाजा डे कोलन' में एक मेगा मास्टर क्लास में 1200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद एक योग सम्मेलन भी आयोजित हुआ था।
 - ◆ 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद', 'कासा डे ला इंडिया' और भारत के दूतावास के समर्थन से 'फ्लेमेंको इंडिया' शीर्षक से एक इंडो-स्पैनिश थिएटर शुरू किया गया है।
- भारतीय प्रवासी:
 - भारतीय समुदाय स्पेन की अप्रवासी आबादी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है।
 - ♦ एशियाई समुदायों में भारतीय प्रवासी चीन और पाकिस्तान के समुदायों के बाद तीसरा सबसे बड़ा समूह है।
 - ◆ स्पेन में सबसे पहले बसने वाले भारतीय सिंधी लोग थे, जो 19वीं शताब्दी के अंत में उपमहाद्वीप से आए थे और कैनरी द्वीप समूह में बस गए थे।
 - ♦ स्पेन के ऑकड़ों के अनुसार, स्पेन में भारतीय जनसंख्या वर्ष 2001 के 9000 से बढ़कर वर्ष 2015 में 34,761 हो गई है।
- द्विपक्षीय समझौते:
 - व्यापार और आर्थिक सहयोग पर समझौता (1972)
 - सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता (1982)
 - नागरिक उड्डयन समझौता (1986)
 - दोहरा कराधान परिहार समझौता (1993)
 - द्विपक्षीय निवेश संरक्षण और सवर्द्धन समझौता (1997)
 - प्रत्यर्पण संधि (2002)
 - राजनीतिक संवाद के संस्थागतकरण पर समझौता ज्ञापन (2006)

 अधिक विश्वास और सहयोग के साथ संबंधों को जारी रखने के लिये जिसके आधार पर स्पेन और भारत अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में घनिष्ठ सहयोगी बन सकते हैं, दोनों सरकारों को राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित एक अधिक महत्त्वाकांक्षी और कल्पनाशील रणनीति हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिये।

- पहलू जो तुलनात्मक लाभ उत्पन्न करने की संभावना प्रदान करते हैं उनपर बल देने की आवश्यकता है।
- स्पेन के साथ पर्यटन क्षेत्र में सहयोग भारतीय समकक्षों को अग्रणी विशेषज्ञता प्रदान करता है और दोनों देशों की प्रवासी लोगों की भूमिका को बढ़ाता है, विशेष रूप से स्पेन में अच्छी तरह से स्थापित भारतीय समुदाय, द्विपक्षीय साझेदारी के दो अतिरिक्त प्रमुख आयाम हैं।
- दोनों देशों के मध्य संबंध को यूरोपीय संघ और भारत के मध्य द्विपक्षीय संबंधों के ढाँचे द्वारा भी समर्थित होना चाहिये।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनः भारत-तुर्कमेनिस्तान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।

- परिचय:
 - यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे दोनों ही देश एक-दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित हों।
 - यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारियों, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मज्जबूत करने में मदद करेगा।
 - ◆ वर्तमान में भारत के पास स्विट्जरलैंड, रूस, जर्मनी, जापान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इटली और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिये द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते/समझौता ज्ञापन/आशय की संयुक्त घोषणा/सहयोग ज्ञापन हैं।
- भारत-तुर्कमेनिस्तान संबंधः
 - ♦ तुर्कमेनिस्तान उत्तर में कजाखस्तान, उत्तर व उत्तर-पूर्व में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में ईरान तथा दक्षिण-पूर्व में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है।
 - ♦ भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति 2012 में इस क्षेत्र के साथ गहरे पारस्परिक संबंधों की परिकल्पना की गई है जो ऊर्जा संबंधी नीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
 - भारत अश्गाबात समझौते में शामिल है, जिसमें व्यापार और निवेश को महत्त्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने हेतु मध्य एशिया को फारस की खाडी से जोडने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गिलयारा स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
 - भारत तापी (TAPI) पाइपलाइन (तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत) को तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने आर्थिक संबंधों में एक 'प्रमुख स्तंभ' मानता है।
 - वर्ष 2015 में 'फ्रीडम इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेज़', अश्गाबात में हिंदी पीठ की स्थापना की गई, जहाँ विश्वविद्यालय में छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है।
 - ♦ भारत ITEC (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम के तहत तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
 - तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है।
 - तुर्कमेनिस्तान 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार इसकी क्षमता से कम है।
 भारत तुर्कमेनिस्तान में विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र में अपनी आर्थिक उपस्थित बढ़ा सकता है। इससे भिवष्य के व्यापार संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
 - हाल ही में भारत-मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
 - यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।

नया पुल: भारत और नेपाल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाकाली नदी पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक नए पुल के निर्माण और उत्तराखंड के धारचूला को नेपाल के धारचूला से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - तीन वर्ष में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे।
 - भारत और नेपाल मित्रता एवं सहयोग के अनुठे संबंध साझा करते हैं।
 - ♦ पुल के निर्माण से उत्तराखंड के धारचूला और नेपाल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी।
- महाकाली नदी:
 - इसे उत्तराखंड में शारदा नदी या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
 - यह उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है, जो गंगा की एक सहायक नदी है।
 - नदी परियोजनाएँ: टनकपुर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शारदा बैराज।

भारत-नेपाल संबंध

- ऐतिहासिक संबंध:
 - ♦ नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों-हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं।
 - बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। बाद में बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोधगया आए, जहाँ उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया से महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने-कोने तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया।
 - भारत व नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं।
 - रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है।
 - दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ-साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मज़बूत नींव है। इस नींव को ही 'रोटी-बेटी का रिश्ता' नाम दिया गया है।
 - 🔷 वर्ष 1950 की 'भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि' दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।
 - भारत के लिये महत्त्व का दो अलग-अलग तरीकों से अध्ययन किया जा सकता है:(a) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये उनका रणनीतिक महत्त्व और (b) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका की धारणा में उनका स्थान।
 - नेपाल में उत्पन्न होने वाली निदयाँ पारिस्थितिकी और जलिबद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों को पोषित करती हैं।
- व्यापार और अर्थव्यवस्था:
 - भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ-साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है।
- कनेक्टिविटी:
 - नेपाल एक लैंडलॉक देश है जो तीन तरफ से भारत और एक तरफ तिब्बत से घिरा हुआ है।
 - भारत-नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किये हैं।
 - हाल ही में भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिये इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
 - भारत व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढाँचे के भीतर कार्गो की आवाजाही के लिये अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता
 है, नेपाल को सागर (हिंद महासागर) के साथ सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) को जोड़ने के लिये समुद्र तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान
 करता है।

रक्षा सहयोगः

- ♦ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण शामिल है।
- भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट का गठन आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों से भर्ती करके किया जाता है।
- भारत वर्ष 2011 से हर वर्ष नेपाल के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है जिसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है।

सांस्कृतिक:

- नेपाल के विभिन्न स्थानीय निकायों के साथ कला और संस्कृति, शिक्षाविदों और मीडिया के क्षेत्र में लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने की पहल की गई है।
- भारत ने काठमांडू-वाराणसी, लुंबिनी-बोधगया और जनकपुर-अयोध्या को जोड़ने के लिये तीन 'सिस्टर-सिटी' समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
 - एक 'सिस्टर-सिटी' संबंध दो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग स्थानों के बीच कानूनी या सामाजिक समझौते का एक रूप है

मानवीय सहायताः

- नेपाल एक संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थित है, जहाँ भूकंप, बाढ़ से जीवन और धन दोनों को भारी नुकसान होता है, जिसकी वजह से यह भारत की मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता बना हुआ है।
- बहुपक्षीय साझेदारी:
 - भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंचों जैसे- BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत व नेपाल), बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल), गुटिनरपेक्ष आंदोलन एवं सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिये दक्षिण एशियाई संघ) साझा करते हैं, आदि।
- मुद्दे और चुनौतियाँ:
 - चीन का हस्तक्षेप:
 - एक भूमि से घिरे राष्ट्र के रूप में नेपाल कई वर्षों तक भारतीय आयात पर निर्भर रहा, और भारत ने नेपाल के मामलों में सिक्रय भूमिका निभाई।
 - हालाँकि हाल के वर्षों में नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हो गया है और चीन ने धीरे-धीरे नेपाल में निवेश, सहायता और ऋण प्रदान करने में वृद्धि की है।
 - चीन नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में एक प्रमुख भागीदार मानता है और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की अपनी योजनाओं के हिस्से के रूप में नेपाल की बुनियादी अवसंरचना में निवेश करना चाहता है।
 - नेपाल और चीन का बढता सहयोग भारत तथा चीन के बीच नेपाल की 'बफर स्टेट' की स्थिति को कमज़ोर कर सकता है।
 - दूसरी ओर चीन नेपाल में रहने वाले तिब्बितयों के बीच किसी भी चीन विरोधी भावना को रोकना चाहता है।

सीमा विवाद

यह मुद्दा नवंबर 2019 में तब उठा जब नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जो कि उत्तराखंड के कालापानी,
 िलंपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करता है। नए नक्शे में 'सुस्ता' (पश्चिम चंपारण जिला, बिहार)
 को भी नेपाल के क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है।

आगे की राह

- भारत को सीमापार जल विवादों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्त्वावधान में नेपाल के साथ सीमा विवाद को हल करने हेतु कूटनीतिक रूप से वार्ता करनी चाहिये। इस मामले में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।
- भारत को लोगों से लोगों के जुड़ाव, नौकरशाही के जुड़ाव के साथ-साथ राजनीतिक वार्ता के मामले में नेपाल के साथ अधिक सिक्रय रूप से जुड़ना चाहिये।
- कहीं मतभेद विवाद में न बदल जाएं, अत: ऐसे में दोनों देशों को शांति से सभी मृद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

अक्तूबर 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की छठी वार्षिक बैठक में भाग लिया।

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में:
 - एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक-आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है।
 - इसका उद्देश्य लोगों, सेवाओं और बाजारों को जोड़ना है जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और स्थायी बुनियादी ढाँचे एवं अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।
 - ◆ इसकी स्थापना AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट (25 दिसंबर, 2015 से लागू) नामक एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई है। समझौते के पक्षकारों (57 संस्थापक सदस्य) हेतु बैंक की सदस्यता अनिवार्य है।
 - इसका मुख्यालय बीजिंग में है और जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ।
- AIIB के विभिन्न अंगः
 - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:
 - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक गवर्नर (Governor) और एक वैकल्पिक गवर्नर (Governor) होता है। गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त सदस्यों के प्रति सद्भावपूर्ण व्यवहार रखते हैं। AIIB की सभी शक्तियाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित हैं।
 - निदेशक मंडल:
 - परिचालन लागत को कम करने के लिये निदेशक मंडल एक गैर-आवासीय मंडल (Non-Resident Board) है।
 - यह बैंक के सामान्य संचालन के लिये जिम्मेदार है, जोिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा सौंपी गई उन सभी शक्तियों का उपयोग करता है, जिनमें शामिल है
 - वरिष्ठ प्रबंधनः
 - AIIB कर्मचारियों का नेतृत्व अध्यक्ष (President) द्वारा किया जाता है, इन्हें AIIB शेयरधारकों द्वारा पाँच साल के कार्यकाल के लिये चुना जाता है और एक बार पुनः निर्वाचित होने के लिये पात्र होते हैं।
 - अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनलः
 - बैंक की रणनीतियों और नीतियों के साथ-साथ सामान्य पिरचालन मुद्दों पर अध्यक्ष तथा विरिष्ठ प्रबंधन का समर्थन करने के लिये
 बैंक ने एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल (IAP) की स्थापना की है।
- AIIB की प्रमुख उपलिब्धयाँ:
 - विश्वव्यापी सदस्यता में तीव्र वृद्धिः
 - AIIB ने वर्ष 2016 में 57 संस्थापक सदस्यों (37 क्षेत्रीय और 20 गैर क्षेत्रीय) के साथ परिचालन शुरू किया। वर्ष 2020 के अंत तक, इसमें 103 स्वीकृत सदस्य थे जो वैश्विक आबादी का लगभग 79% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 65% का प्रतिनिधित्त्व करते थे।
 - तीन प्रमुख रेटिंग संस्थानों द्वारा सौंपी गई उच्चतम क्रेडिट रेटिंग:
 - 2017 के बाद से AIIB ने शीर्ष क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स, मूडीज और फिच से स्थिर दृष्टिकोण के साथ एएए रेटिंग प्राप्त की है।
 - अपनी मज़बूत वित्तीय स्थिति की उद्योग मान्यता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में उपस्थिति का विस्तार करने में सक्षम बनाया है।

- संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा:
 - 2018 में AIIB को संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वैश्विक निकाय के दो विकास-केंद्रित प्रमुख अंगों के विचार-विमर्श में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।
- दक्षता और जवाबदेही बढाने वाला शासन मॉडल:
 - एआईआईबी ने अपने निदेशक मंडल के लिये एक जवाबदेह प्रबंधन के कार्य को निर्देशित और उसकी देखरेख करने के लिये
 रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु एक प्रभावी वातावरण बनाया है।
 - बैंक का जवाबदेही ढाँचा एक अभिनव शासन मॉडल है जो एआईआईबी को पूरे संगठन में जवाबदेही की संस्कृति को बनाये रखता
 है।
- अंतिम रूप दी गई या विकसित नीतियाँ/रणनीति:
 - सभी प्रमुख बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों के लिये रणनीतियों और गैर-क्षेत्रीय सदस्यों में इक्किटी में निवेश, निजी पूंजी जुटाने तथा वित्तपोषण कार्यों हेत् सभी को अनुमोदित और कार्यान्वित किया जा रहा है।
- AIIB और भारत:
 - एआईआईबी ने बैंक के किसी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिये अधिक ऋण स्वीकृत किये हैं।
 - चीन इसका सबसे बड़ा और भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
 - ♦ AIIB ने भारत में 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 28 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।
 - ◆ इसने हाल ही में बुनियादी सुविधाओं के अलावा हरित परियोजनाओं और कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल का समर्थन करने पर जोर दिया है।
 - ♦ अक्तूबर 2021 में भारत ने 'एशिया पेसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी' (APVAX) पहल के तहत 'एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक' (AIIB) और एशियाई विकास बैंक (ADB) से 667 मिलियन वैक्सीन डोज खरीदने के लिये ऋण हेतु आवेदन किया था, जिसमें 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ADB द्वारा दिया जाएगा, जबिक 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर AIIB द्वारा दिया जाएगा।
 - बीते वर्ष (वर्ष 2021), AIIB ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार का समर्थन करने हेतु भारत सरकार को 356.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की भी मंज़्री दी थी।

भारत-चीन-श्रीलंका ट्रायंगल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन के विदेश मंत्री (CFM) ने श्रीलंका का दौरा किया है।

- इस बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने हिंद महासागर द्वीपीय राष्ट्रों के लिये एक मंच का प्रस्ताव रखा और यह भी कहा कि किसी भी 'तृतीय पक्ष' को चीन-श्रीलंका संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।
- यद्यपि 'तृतीय-पक्ष' के नाम का खुलासा नहीं किया गया, किंतु कई जानकार मानते हैं कि यह भारत के लिये कहा गया था।

- श्रीलंका यात्रा की मुख्य विशेषताएँ
 - चीन के विदेश मंत्री की यात्रा में ऐतिहासिक 'रबर-राइस पैक्ट' (1952) की 70वीं वर्षगाँठ और चीन एवं श्रीलंका के बीच राजनियक संबंधों की स्थापना की 65वीं वर्षगाँठ के अवसर पर समारोह शुरू करने की परिकल्पना की गई थी।
 - रबर-राइस पक्ट के तहत चीन ने रबड़ और अन्य आपूर्तियों के आयात हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की थी, क्योंकि श्रीलंका, जो कि रबड़ का एक प्रमुख निर्यातक है, चावल की कीमत में वृद्धि और रबड़ की कीमत में गिरावट का सामना कर रहा था।
 - चीन के विदेश मंत्री द्वारा कोलंबो में कोलंबो पोर्ट सिटी और हंबनटोटा पोर्ट (श्रीलंका में) का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को इनका सही से उपयोग करना चाहिये।

- ♦ उन्होंने श्रीलंका से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) की संभावनाओं पर विचार करने और मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया।
- सर्वसम्मित और तालमेल बनाने तथा विकास को बढावा देने के लिये "हिंद महासागर द्वीप देशों के विकास पर एक मंच" भी प्रस्तावित किया गया था।
- चीन-श्रीलंका संबंधों के बारे में:
 - श्रीलंका का सबसे बडा ऋणदाता: चीन श्रीलंका का सबसे बडा द्विपक्षीय ऋणदाता है।
 - श्रीलंका के सार्वजनिक क्षेत्र को चीन द्वारा प्रदत्त ऋण केंद्र सरकार के विदेशी ऋण का लगभग 15% है।
 - श्रीलंका अपने विदेशी ऋण के बोझ को दूर करने के लिये चीनी ऋण पर बहुत अधिक निर्भर है।
 - ♦ अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश: चीन ने वर्ष 2006-19 के बीच श्रीलंका की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
 - ◆ छोटे राष्ट्रों के हितों में बदलाव: श्रीलंका का आर्थिक संकट इसे अपनी नीतियों को बीजिंग के हितों के साथ सरिखित करने के लिये आगे और बाध्य कर सकता है।
 - ♦ हिंद महासागर में चीन का प्रभाव: चीन का दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की तुलना में अधिक
 - चीन को ताइवान के विरोध में, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय विवादों व अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ असंख्य संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है।
- भारत की चिंताएँ:
 - ♦ सागर पहल का विरोध: प्रस्तावित हिंद महासागर द्वीपीय देशों के मंच ने भारत के प्रधानमंत्री की 'सागर' (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) पहल के विरोध में आवाज उठाई।
 - हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की रणनीतिक भूमिका है।
 - 🔷 विकास से संबंधित मुद्दे: 99 वर्ष के पट्टे के हिस्से के रूप में चीन का श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर औपचारिक नियंत्रण है।
 - श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह शहर के चारों ओर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और चीन द्वारा वित्तपोषित एक नया आर्थिक आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है।
 - भारत के ट्रांस-शिपमेंट कार्गो का 60% कार्य कोलंबो बंदरगाह से होता है।
 - हंबनटोटा और कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को पट्टे पर देने से चीनी नौसेना की लिये हिंद महासागर में स्थायी उपस्थिति लगभग तय हो गई है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये चिंताजनक है।
 - भारत को घेरने की चीनी रणनीति को स्टिंग्स ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी कहा गया है।
 - भारत के पड़ोसियों पर प्रभाव: बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देश भी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये चीन की ओर रुख कर रहे हैं।

- सामरिक हितों का संरक्षण: श्रीलंका के साथ नेबरहुड फर्स्ट की नीति को पोषित करना भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- क्षेत्रीय मंचों का लाभ उठाना: बिम्सटेक, सार्क, सागर और आईओआरए जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग प्रौद्योगिकी संचालित कृषि, समुद्री क्षेत्र के विकास, आईटी एवं संचार बुनियादी ढाँचे आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है।
- चीन के विस्तार को रोकना: भारत को जाफना में कांकेसंतराई बंदरगाह और त्रिंकोमाली में तेल टैंक फार्म परियोजना पर काम करना जारी रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चीन श्रीलंका में आगे कोई पैठ नहीं बना सके।
 - दोनों देश आर्थिक लचीलापन पैदा करने के लिये निजी क्षेत्र के निवेश को बढाने में भी सहयोग कर सकते हैं।
- भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना: प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत अपनी आईटी कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार करके श्रीलंका में रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।
 - 🔷 ये संगठन हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा कर सकते हैं तथा द्वीपीय राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं।

भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री के साथ वार्ता की।

प्रमुख बिंदु

- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का उन्नयन:
 - ♦ दोनों देश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के उन्नयन संबंधी वार्ता पर चर्चा को नई गित प्रदान करने और दोनों देशों के उद्योग जगत के नेताओं के बीच व्यापार एवं निवेश पर व्यापक 'B2B' (व्यवसाय से व्यवसाय) वार्ता को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।
- द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्यः
 - भारत और दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 से पहले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया था, जिस पर वर्ष 2018 में आयोजित शिखर बैठक में सहमित व्यक्त की गई थी।
 - यह नियमित वार्ता दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय की कठिनाइयों और आपूर्ति शृंखला लचीलापन सिंहत उभरते व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगी।
 - ♦ दोनों पक्षों पारस्परिक लाभ हेतु निष्पक्ष और संतुलित तरीके से विकास करने के लिये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।
 - कोरिया में कड़े नियामक मुद्दों के कारण भारतीय कंपनियों को कोरिया में स्टील, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों में अपने उत्पादों का निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
 - व्यापार घाटा वर्ष 2008-09 के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौताः

- परिचय:
 - यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है। यह व्यापार सुविधा एवं सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार कर सकता है।
 - साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।
 - ◆ CEPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है।
- अन्य देशों के साथ भारत के CEPA:
 - भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं।
 - ♦ वर्ष 2021 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने औपचारिक रूप से भारत-यूएई व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता शुरू की थी।
 - भारत बांग्लादेश के साथ भी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध:

- राजनीतिकः
 - कोरिया युद्ध (वर्ष 1950-53) के दौरान युद्धरत दोनों पक्षों (उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया) के मध्य भारत ने युद्धविराम समझौता कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। भारत द्वारा प्रायोजित इस संकल्प को स्वीकार कर लिया गया और 27 जुलाई, 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई।
 - मई 2015 में द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष सामरिक भागीदारी' हेतु उन्नत किया गया।
 - भारत ने दक्षिण कोरिया की दक्षिणी नीति में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसके तहत कोरिया अपने प्रभावी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी संबंधों का विस्तार करना चाहता है।

- दक्षिण कोरिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) का एक प्रमुख सहयोगी है जिसके अंतर्गत भारत का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है।
- आर्थिक:
 - ♦ भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार व आर्थिक संबंधों ने हाल के वर्षों में गित पकड़ी है, जिसके तहत वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2018 में 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है और यह पहली बार है जब दोनों देशों के व्यापार ने 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आँकड़ा पार किया है।
 - जनवरी-दिसंबर 2020 में द्विपक्षीय व्यापार 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था।
 - ♦ वर्ष 2010 के बाद से स्थापित द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईपीए) से व्यापार और निवेश दोनों में वृद्धि हुई है।
 - कोरिया से निवेश सुविधा के लिये भारत ने 'इन्वेस्ट इंडिया' के अंतर्गत एक 'कोरिया प्लस' पहल को शुरू किया है जो निवेशकों का मार्गदर्शन, सहायता करने और संवर्द्धित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
 - ♦ सितंबर 2020 तक भारत में दक्षिण कोरिया का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 6.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह भारत के प्रमुख निवेशकों में से एक है।

रक्षा:

- ◆ वर्ष 2005 में दोनों पक्षों ने वर्ष 2006 में दोनों तट रक्षकों के बीच सहयोग पर रक्षा और रसद तथा एक अन्य समझौता ज्ञापन (एमओयू)
 में सहयोग के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- ♦ अब तक भारतीय और दक्षिण कोरियाई तटरक्षकों ने अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से पाँच अभ्यास किये हैं।
- ♦ इन अभ्यासों में से सबसे हाल ही में चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया अभ्यास था, जिसका नाम सहयोग-ह्योब्ल्येओग (Sahyog-Hyeoblyeog) 2018 है।
 - सहयोग-ह्येब्ल्येओग हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिये दो तट रक्षकों के बीच एक समझौता ज्ञापन की प्रस्तावित
 स्थापना का हिस्सा है।
- मई 2021 में भारतीय रक्षा मंत्री और उनके दक्षिण कोरियाई समकक्ष ने दिल्ली छावनी में एक समारोह में भारत-कोरिया फ्रेंडिशप पार्क का उद्घाटन किया।
- ♦ वर्ष 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय सेना के योगदान को याद करने के लिये पार्क का निर्माण किया गया था।

सांस्कृतिक:

- कोरियाई बौद्ध भिक्षु हाइको या होंग जिआओ ने 723 से 729 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की और उन्होंने 'भारत के पाँच साम्राज्यों की तीर्थयात्रा' नामक यात्रा वृतांत लिखा। यह यात्रा वृतांत भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का ज्वलंत वर्णन करता है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और इसके उज्ज्वल भविष्य के बारे में एक छोटी लेकिन विचारोत्तेजक कविता 'लैंप ऑफ द ईस्ट' की रचना की थी।
- भारत तथा कोरिया गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिये अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 में बूसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (ICC) का गठन किया गया।
 - दोनों देशों द्वारा साझा किये गए बहुपक्षीय मंच:
- संयुक्त राष्ट्र
- विश्व व्यापार संगठन
- आसियान प्लस
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)
- जी-20

- भारत-कोरिया गणराज्य (Republic of Korea) संबंधों ने हाल के वर्षों में गित पकड़ी है। वर्तमान में ये संबंध बहुआयामी हो गए हैं, जो हितों के पर्याप्त अभिसरण, आपसी सद्भाव और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान से प्रोत्साहित हुए हैं।
- हालाँकि इससे भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों के विस्तार के साथ-साथ एशिया में एक अद्वितीय संबंध बनाने की काफी संभावनाएँ
 व्यक्त की गई हैं। इसके लिये एक ऐसी राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जो विविध क्षेत्रों (जैसे- सांस्कृतिक संबंधों, लोगों के मध्य संपर्क बनाने, लोकतंत्र और उदार मृल्यों का उपयोग करने तथा सभ्यतागत संबंधों) को मजबूत करने की कल्पना करता हो।

भारत और अमेरिका के बीच 'होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था।

- अक्तूबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) के तहत भारतीय नौसेना के लिये एमके 54 टॉरपीडो और एक्सपेंडेबल (चफ एंड फ्लेयर्स) की खरीद के लिये अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- जुलाई 2021 में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया।

- परिचय:
 - भारत-अमेरिका मातृभूमि सुरक्षा वार्ता 2010 में भारत-अमेरिका की आतंकवाद विरोधी पहल पर हस्ताक्षर करने की अगली कड़ी के रूप में शुरू की गई थी।
 - पहली होमलैंड सुरक्षा वार्ता मई 2011 में आयोजित की गई थी।
 - → नवीनतम आभासी बैठक मार्च 2021 के बाद हुई, अमेरिकी राष्ट्रपित जो बाइडेन प्रशासन ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से शरु करने की घोषणा की थी जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बंद कर दिया था।
 - ईडो-युएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के तहत छह उप-समृह बनाए गए हैं, जो निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करते हैं:
 - अवैध वित्त, वित्तीय धोखाधडी और जालसाजी।
 - साइबर जानकारी।
 - मेगासिटी पुलिसिंग और संघीय, राज्य और स्थानीय भागीदारों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान।
 - वैश्विक आपूर्ति शृंखला, परिवहन, बंदरगाह, सीमा और समुद्री सुरक्षा।
 - क्षमता निर्माण।
 - प्रौद्योगिकी उन्नयन।
- भारत-अमेरिका संबंध:
 - परिचय:
 - भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक 'वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के रूप में विकसित हुए हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक हितों के बढ़ते अभिसरण पर आधारित हैं।
 - वर्ष 2015 में दोनों देशों ने 'दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंडिशप' की घोषणा की और 'जॉइंट स्ट्रेटेजिक विज्ञन फॉर एशिया-पैिसिफिक एंड इंडियन ओिसयन रीज़न' को अपनाया।
 - असैन्य-परमाणु सौदाः
 - द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर अक्तूबर 2008 में हस्ताक्षर किये गए थे।
 - ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन:
 - PACE (पार्टनरिशप टू एडवांस क्लीन एनर्जी) के तहत एक प्राथमिकता पहल के रूप में अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DOE) और भारत सरकार ने संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र (JCERDC) की स्थापना की है, जिसे भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु डिजाइन किया गया है।
 - लीडर्स क्लाइमेट सिमट 2021 में 'भारत-अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030' पार्टनरिशप की शुरुआत की गई।

रक्षा समझौते:

- वर्ष 2005 में 'भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लिये नए ढाँचे' पर हस्ताक्षर के साथ रक्षा संबंध भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है, जिसे वर्ष 2015 में और 10 वर्षों के लिये अद्यतन किया गया था।
- भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण रक्षा समझौते किये तथा क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया) के चार देशों के गठबंधन को भी औपचारिक रूप दिया।
- इस गठबंधन को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है।
- नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास ने भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों में एक उच्च बिंदु को स्पर्श किया, यह 13 वर्षों में पहली बार था कि 'क्वाड' के सभी चार देश एक साथ चीन का प्रतिरोध कर रहे थे।
- भारत की पहुँच अब अफ्रीका में जिब्रती से लेकर प्रशांत क्षेत्र के गुआम में अमेरिकी सैन्य अड्डों तक है। भारत अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार तकनीक का भी उपयोग कर सकता है।
- भारत और अमेरिका के बीच चार मुलभूत रक्षा समझौते हैं:
- भू-स्थानिक खुफिया के लिये बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA)।
- सैन्य सूचना समझौते पर सामान्य सुरक्षा (GSOMIA)।
- लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)।
- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)।
- वर्ष 2010 में आतंकवाद का विरोध करने, सूचना साझा करने और क्षमता निर्माण सहयोग का विस्तार करने के लिये भारत-अमेरिका आतंकवाद-रोधी सहयोग पहल पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- एक त्रि-सेवा अभ्यास- टाइगर ट्रायम्फ- नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था।
- द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अभ्यासों में शामिल हैं: युद्ध अभ्यास (सेना); वज्र प्रहार (विशेष बल); रिमपैक; रेड फ्लैग।

व्यापार:

- अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिये एक प्रमुख गंतव्य है।
- अमेरिका ने 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरीशस को पीछे छोड़ दिया
- पिछली अमेरिकी सरकार ने भारत की विशेष व्यापार स्थित (GSP निकासी) को समाप्त कर दिया और कई प्रतिबंध भी लगाए, भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए।
- वर्तमान अमेरिकी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की अनुमित दी है।
- विज्ञान प्रौद्योगिकीः
 - इसरो और नासा पृथ्वी अवलोकन के लिये एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह को स्थापित करने हेतु मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नाम NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) है।
- भारतीय प्रवासी:
 - अमेरिका में सभी क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति बढ रही है। उदाहरण के लिये अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति (कमला हैरिस) का भारत से गहरा संबंध है।

आगे की राह

- अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी में बदलाव के लिये मंच तैयार किया गया है। अफगानिस्तान भारत और अमेरिका दोनों के लिये निरंतर चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है तथा दोनों पक्षों की नज़र अब चीन के उदय एवं दावे से प्रेरित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभर रही बड़ी चुनौतियों पर है।
- विशेष रूप से दोनों देशों में चीन विरोधी भावना बढ़ने के कारण देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की बहुत अधिक संभावना है।

उत्तर कोरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रमों की एक शृंखला के बाद उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रमों पर अपना पहला प्रतिबंध लगाया है।

- इन प्रतिबंधों का उद्देश्य उत्तर कोरिया के कार्यक्रमों की प्रगति को रोकना और हथियार प्रौद्योगिकियों के प्रसार के उसके प्रयासों को बाधित करना है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पिरषद के कई प्रस्तावों और कूटनीति एवं परमाणु निरस्त्रीकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आह्वान के बावजूद उत्तर कोरिया अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखे हुए है।

- कोरियाई प्रायद्वीप में फूट की उत्पत्ति:
 - ♦ अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच वर्तमान संघर्ष का इतिहास सोवियत संघ व अमेरिका के बीच शीत युद्ध में खोजा जा सकता है।
 - ♦ द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 'याल्टा सम्मेलन' (1945) में मित्र देशों की सेना 'कोरिया पर फोर-पावर ट्रस्टीशिप' स्थापित करने हेतु सहमत हुई।
 - ◆ 'साम्यवाद' (किसी देश के आर्थिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व) के प्रसार के डर और सोवियत संघ व अमेरिका के बीच आपसी अविश्वास के कारण ट्रस्टीशिप योजना विफल हो गई।
 - इससे पहले कि कोई ठोस योजना तैयार की जा सके, सोवियत संघ ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया।
 - इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहाँ कोरिया का उत्तर क्षेत्र यूएसएसआर के अधीन तथा दक्षिण क्षेत्र ओर उसके बाकी सहयोगी,
 मुख्य रूप से अमेरिका के अधीन थे।
 - 38वें समानांतर रेखा द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।
 - वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने पूरे कोरिया में स्वतंत्र चुनाव का प्रस्ताव रखा।
 - यूएसएसआर ने इस योजना को खारिज कर दिया और उत्तरी भाग को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया)
 के रूप में घोषित किया गया।
 - चुनाव अमेरिकी संरक्षण में हुआ जिसके परिणामस्वरूप कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) की स्थापना हुई।
 - ◆ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ने क्षेत्रीय एवं वैचारिक रूप से अपनी पहुँच बढ़ाने की कोशिश की, जिसने कोरियाई संघर्ष को जन्म दिया।
- कोरियाई युद्धः
 - ◆ 25 जून, 1950 को उत्तर कोरिया ने यूएसएसआर द्वारा समर्थित दक्षिण कोरिया पर हमला किया और देश के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया।
 - बदले में अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र बल ने जवाबी कार्रवाई की।
 - वर्ष 1951 में डगलस मैकआर्थर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने 38वें समानांतर रेखा को पार किया और उत्तर कोरिया के समर्थन से चीन में अपने प्रवेश को गित दी।
 - बाद में वर्ष 1951 में अमेरिका को आगे बढ़ने से रोकने के लिये शांति वार्ता शुरू हुई।
 - भारत सभी प्रमुख हितधारकों अमेरिका, यूएसएसआर और चीन को शामिल करके कोरियाई प्रायद्वीप में शांति वार्ता में सिक्रय रूप से शामिल था।
 - वर्ष 1952 में कोरिया पर भारतीय के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र (UN) में अपनाया गया था।
 - ◆ 27 जुलाई, 1953 को संयुक्त राष्ट्र कमान, कोरियाई पीपुल्स आर्मी और चीनी पीपुल्स वालंटियर आर्मी के मध्य कोरियाई युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- इसने शांति संधि के बिना एक आधिकारिक युद्धविराम का नेतृत्व किया। इस प्रकार युद्ध आधिकारिक तौर पर कभी समाप्त नहीं हुआ।
- ♦ इसने 'कोरियाई डिमिलिटाइज्ड जोन' (DMZ) की स्थापना का भी नेतृत्व किया जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बफर जोन के रूप में काम करने के लिये कोरियाई प्रायद्वीप में भूमि की एक पट्टी है।
- ◆ दिसंबर 1991 में उत्तर और दक्षिण कोरिया ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें आक्रामकता से बचने के लिये सहमित व्यक्त की गई थी।
- अमेरिका-उत्तर कोरिया संघर्षः
 - शीत युद्ध के दौर में (कथित रूप से रूस और चीन के समर्थन से) उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम में तेज़ी लायी और परमाणु क्षमता विकसित की।
 - उसी दौरान अमेरिका ने अपने सहयोगियों यानी दक्षिण कोरिया और जापान के लिये अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला (परमाणु हमले के दौरान समर्थन की गारंटी) का विस्तार किया।
 - उत्तर कोरिया वर्ष 2003 में अप्रसार संधि (एनपीटी) से हट गया और बाद में वर्तमान नेता किम जोंग-उन के तहत उसने परमाणु मिसाइल परीक्षण में वृद्धि की।
 - उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों के परीक्षण से रोक दिया गया है।
 - ♦ इसके जवाब में अमेरिका ने मार्च 2017 में दक्षिण कोरिया में THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) को तैनात किया।
 - ♦ उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ क्षेत्रीय संघर्ष अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच की तकरार में तब्दील हो गया है।
 - उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारने के राजनियक प्रयासों की विफलता के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं।
- भारत का रुख:
 - भारत लगातार उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों का विरोध करता रहा है। हालाँकि इसने प्रतिबंधों को लेकर तटस्थ रुख बनाए रखा है।

नाटो-रूस परिषद वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन' (नाटो) और रूस के मध्य ब्रुसेल्स में नाटो-रूस परिषद (NRC) में यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और यूरोप की सुरक्षा हेतु इसके निहितार्थों पर चर्चा की गई।

नाटो और रूस के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता बिना किसी स्पष्ट परिणाम के संपन्न हुई।

- नाटो-रूस परिषद
 - 🔷 'नाटो-रूस परिषद' की स्थापना 28 मई 2002 को रोम (रोम घोषणा) में नाटो-रूस शिखर सम्मेलन में की गई थी।
 - इसने स्थायी संयुक्त परिषद (PJC) का स्थान लिया, जो कि आपसी संबंधों पर वर्ष 1997 के नाटो-रूस स्थापना अधिनियम द्वारा परामर्श और सहयोग हेतु एक मंच है।
 - ♦ 'नाटो-रूस परिषद' परामर्श, सर्वसम्मित-निर्माण, सहयोग, संयुक्त निर्णय और संयुक्त कार्रवाई हेतु एक तंत्र है, जिसमें व्यक्तिगत नाटो सदस्य राज्य और रूस समान हित के सुरक्षा मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम पर समान भागीदार के रूप में काम करते हैं।
- बैठक की मुख्य विशेषताएँ:
 - नाटो ने यूरोप में एक नए सुरक्षा समझौते की रूस की मांग को खारिज कर दिया, रूस को यूक्रेन के पास तैनात सैनिकों को वापस लेने और खुले संघर्ष के खतरे को कम करने हेतु बातचीत में शामिल होने की चुनौती दी।
 - अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिये यूक्रेन रूस के साथ एक महत्त्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करता है। यूक्रेन ओचािकव में और दूसरा बर्दियांस्क में एक नौसैनिक अड्डा भी बना रहा है, जिससे रूस खुश नहीं है।

- ◆ रूस ने नाटो में और सदस्यों को शामिल करने तथा अपने पूर्वी सहयोगियों से पश्चिमी ताकतों को वापस लेने की मांग की। इसने यह भी चेतावनी दी कि इससे "यूरोपीय सुरक्षा के लिये सबसे अप्रत्याशित और सबसे भयानक परिणाम" हो सकते हैं।
 - नाटो सहयोगियों और रूस के मध्य अत्यधिक मतभेद हैं जिन्हें पाटना आसान नहीं होगा।
- रूस-यूक्रेन संकट पर भारत का रुख:
 - ♦ भारत पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप की निंदा में शामिल नहीं है तथा इस मुद्दे पर उसने अपना एक तटस्थ रुख रखा।
 - ◆ नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की गई थी तथा रूस द्वारा इसका समर्थन किया गया था।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो):

- नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी।
- नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य 'एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। ज्ञातव्य है कि यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है।
- वर्ष 2019 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 30 थी। वर्ष 2017 में मोंटेनेग्रो इस गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश बन गया है।

आगे की राह

- स्थिति का एक व्यावहारिक समाधान मिन्स्क शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। इसिलये पश्चिम (अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों)
 को दोनों पक्षों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने तथा सीमा पर शांति बहाल करने हेतु मिन्स्क समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये प्रेरित करना चाहिये।
- यूरोपीय सुरक्षा को हो रहे नुकसान, मानवीय और आर्थिक लागतों को मजबूत करने तथा यूक्रेन की संप्रभुता के लिये खतरे को रोकने हेतु अमेरिका को सभी पक्षों के साथ एक ओएससीई-मध्यस्थता प्रक्रिया में सीधे शामिल होने के लिये समझौता कीकरना चाहिये

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने औपचारिक 'मुक्त व्यापार समझौता' (FTA) वार्ता शुरू की है, जिसे दोनों देशों ने वर्ष 2022 के अंत तक समाप्त करने की परिकल्पना की है।

• तब तक दोनों देश एक अंतरिम मुक्त व्यापार क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क कम हो जाएगा।

- समझौते के विषय में:
 - दोनों देश कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिये नियमों में ढील देने के अलावा वस्तुओं के एक छोटे से समूह पर टैरिफ कम करने के लिये एक प्रारंभिक फसल योजना या एक सीमित व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं।
 - ♦ इसके अलावा वे 'संवेदनशील मुद्दों' से बचने और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए जहाँ अधिक पूरकता मौजूद है।
 - व्यापार वार्ता में कृषि और डेयरी क्षेत्रों को भारत के लिये संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।
 - 🔷 साथ ही वर्ष 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
- मुक्त व्यापार समझौता (FTA):
 - ♦ यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है।
 - ◆ एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिये बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किये जाते हैं।

- 🔷 मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।
- ♦ FTAs को अधिमान्य व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंध:

- परिचय:
 - भारत और ब्रिटेन हमारे साझा इतिहास और समृद्ध संस्कृति पर बनी साझेदारी के साथ जीवंत लोकतंत्र हैं।
 - ब्रिटेन में विविध भारतीय डायस्पोरा जो एक "लिविंग ब्रिज" के रूप में कार्य करता है दोनों देशों के बीच संबंधों को और गित प्रदान करता
 - ◆ G20 देशों में ब्रिटेन भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
- भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए का महत्त्व:
 - माल का निर्यात बढ़ाना: युके के साथ व्यापार सौदों से कपड़ा, चमड़े का सामान और जूते जैसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों के निर्यात को बढावा मिल सकता है।
 - भारत की 56 समुद्री इकाइयों की मान्यता के माध्यम से भारत समुद्री उत्पादों के निर्यात में भारी उछाल दर्ज़ करने की भी उम्मीद है।
 - फार्मा पर म्युचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट (एमआरए) अतिरिक्त बाजार पहुँच प्रदान कर सकता है।
 - ♦ सेवा व्यापार पर स्पष्टता: एफटीए से निश्चितता, पूर्वानुमेयता और पारदर्शिता प्रदान करने की उम्मीद है इसे यह एक अधिक उदार, सुविधाजनक एवं प्रतिस्पर्द्धी सेवा व्यवस्था बनाएगा।
 - आयुष और ऑडियो-विजुअल सेवाओं सहित आईटी/आईटीईएस, नर्सिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे सेवा क्षेत्रों में निर्यात बढाने की भी काफी संभावनाएँ हैं।
 - भारत के लिये सेवा व्यापार को बढ़ावा देने हेतु वीजा प्रतिबंध एक प्रमुख मुद्दा रहा है।
 - RCEP से बाहर निकलना: भारत ने नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी सौदे से बाहर होने का विकल्प चुना।
 - इसिलये अमेरिका, यरोपीय संघ और युके के साथ व्यापार सौदों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो भारतीय निर्यातकों के लिये प्रमुख बाजार हैं और अपने सोर्सिंग में विविधता लाने के इच्छक हैं।
 - ◆ रणनीतिक लाभ: युरोप में एक सुरक्षा सहयोगी के रूप में बने रहते हुए ब्रिटेन हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तरफ झुक रहा है, जहाँ भारत एक स्वाभाविक सहयोगी हो सकता है।
 - वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को क्षेत्रीय संतुलन बहाल करने के लिये व्यापक गठबंधन की आवश्यकता है।
- संबंधित चुनौतियाँ:
 - ♦ FTA पर हस्ताक्षर करने में देरी: अंतरिम समझौते, जो कुछ उत्पादों पर टैरिफ को कम करते हैं, हालाँकि कुछ मामलों में व्यापक एफटीए में महत्त्वपूर्ण देरी हो सकती है।
 - भारत ने वर्ष 2004 में थाईलैंड के साथ 84 वस्तुओं पर शुल्क कम करने के लिये एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये लेकिन समझौते को कभी भी पूर्ण एफटीए में परिवर्तित नहीं किया गया।
 - ♦ विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियाँ: अंतरिम एफटीए पूर्ण एफटीए में स्नातक नहीं है, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अन्य देशों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
 - विश्व व्यापार संगठन के नियम केवल सदस्यों को अन्य देशों के लिये तरजीही की अनुमति देते हैं यदि उनके पास द्विपक्षीय समझौते हैं जो उनके बीच "पर्याप्त रूप से सभी व्यापार" को शामिल करते हैं।

आगे की राह

- भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत ने युके के साथ FTA व्यापार को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- हालाँकि नीति निर्माताओं के अनुसार, यूके के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित FTA अपेक्षित लाभप्रदाता की स्थिति में नहीं है एवं इसके विपरीत उदार नियमों के कारण देश के विनिर्माण क्षेत्र को नुकसान पहुँचा है।
- इसलिये इसमें शामिल सभी हितधारकों द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और निवेश प्रवाह के संदर्भ में FTA के विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अर्द्धचालकों की कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दुनिया भर में अर्द्धचालकों की अचानक व्यापक स्तर पर कमी देखी गई।

प्रमुख बिंदु

अर्द्धचालक के बारे में:

- अर्द्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें सुचालक (आमतौर पर धातु) और कुचालक या ऊष्मारोधी (जैसे- अधिकांश सिरेमिक) के बीच चालन की क्षमता होती है। अर्द्धचालक शुद्ध तत्त्व हो सकते हैं, जैसे- सिलिकॉन या जर्मेनियम, या यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडिमियम सेलेनाइड।
 - ♦ चालकता उस आदर्श स्थिति की माप है जिस पर विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी सामग्री से होकर गुज़र सकती है।
- सेमीकंडक्टर चिप एक विद्युत परिपथ है, जिसमें कई घटक होते हैं जैसे कि- ट्रांजिस्टर और अर्द्धचालक वेफर पर बनने वाली वायरिंग। इन घटकों में से कई से युक्त एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एकीकृत सिकंट (IC) कहा जाता है और इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, उपकरण, गेमिंग हार्डवेयर और चिकित्सा उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जा सकता है।

क्र. सं.	चालक	अर्द्धचालक	कुचालक ⁄ विद्युतरोधी
1.	विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं।	विद्युत धारा का प्रवाह चालक की तुलना में कम तथा कुचालक की तुलना में अधिक सरलता से होता है।	9
2.	इनकी बाह्य कक्षा में केवल एक संयुग्मी इलेक्ट्रान होता है।	इनकी बाह्यतम कक्षा में 4 संयुग्मी इलेक्ट्रान होते हैं।	इनको बाह्यतम कक्षा में 8 संयुग्मी इलेक्ट्रान होते हैं।
3.	सुचालक का निर्माण धात्विक बंध का उपयोग करते हुए होता है।	अर्द्धचालकों का निर्माण संयुग्मी बंध के कारण होता है।	कुचालकों का निर्माण आयनिक बंध के कारण होता है।
4.	संयुग्मी तथा संचलन बैंड ओवरलैप करते हैं।	संयुग्मी और संचलन/चालन बैंड 1.1 eV के निषिद्ध ऊर्जा अंतराल द्वारा अलग होते हैं।	9
5.	प्रतिरोध बहुत कम होता है।	प्रतिरोध उच्च होता है।	प्रतिरोध अति उच्च होता है।
6.	इनका ताप नियतांक धनात्मक/ सकारात्मक होता है।	इनका ताप नियतांक ऋणात्मक/ नकारात्मक होता है।	इनका ताप नियतांक ऋणात्मक/नकारात्मक होता है।
7.	उदाहरण: तांबा, एल्युमीनियम आदि।	उदाहरण: सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि।	उदाहरणः माइका, पेपर आदि।

- यह एक विद्युत पिरपथ है जिसमें अर्धचालक वेफर पर बने ट्रांजिस्टर और वायिंग जैसे कई घटक होते हैं। इन घटकों में से कई से युक्त एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एकीकृत सिर्कट (आईसी) कहा जाता है और इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, उपकरण, गेमिंग हार्डवेयर और चिकित्सा उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जा सकता है।
 - 🔷 इन उपकरणों को लगभग सभी उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, खासकर ऑटोमोबाइल उद्योग में।

- इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और कलपुर्जे आज एक नई आंतरिक दहन इंजन कार की लागत का 40% हिस्सा हैं, जो दो दशक पहले 20% से भी कम
 था।
 - इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर चिप्स का है।
- कमी के कारण:
 - ♦ कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम: लॉकडाउन ने लैपटॉप की बिक्री में वृद्धि को एक दशक में सबसे अधिक बढ़ा दिया।
 - जैसे ही ऑफिस का काम ऑफिस से बाहर चला गया, होम नेटवर्किंग गियर, वेबकैम और मॉनिटर को बंद कर दिया गया तथा
 स्कूल बंद होने के कारण लैपटॉप की मांग कुछ समय के लिये बढ़ गई।
 - गलत पूर्वानुमान: महामारी में बहुत जल्दी कटौती करने वाले वाहन निर्माता इस बात को कम करके आँकते हैं कि कार की बिक्री कितनी जल्दी प्रतिकूल हो जाएगी। वाहन निर्माताओं ने वर्ष 2020 के अंत में फिर से ऑर्डर देने में जल्दीबाजी किये क्योंकि चिप मेकर्स कंप्यूटिंग और स्मार्टफोन की आपूर्ति में लगे हुए थे।
 - ◆ एकत्रीकरण:कंप्यूटर निर्माताओं ने वर्ष 2020 की शुरुआत में तंग आपूर्ति के बारे में चेतावनी देना शुरू किया। फिर उस वर्ष के मध्य के आसपास चीनी स्मार्टफोन निर्माता हुआवेई टेक्नोलॉजीज़ कंपनी, जो 5G नेटवर्किंग गियर के लिये वैश्विक बाज़ार पर भी हावी है, यह सुनिश्चित करने के लिये इन्वेंट्री का निर्माण शुरू किया तािक यह अमेरिकी प्रतिबंधों से बच सके जो इसे अपने प्राथमिक आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये निर्धारित किये गए थे।
 - अन्य कंपिनयों ने हुआवेई से हिस्सेदारी हथियाने की उम्मीद में इन प्रतिबंधों का पालन किया जिससे चीन का चिप आयात वर्ष 2020
 में लगभग 380 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष लगभग 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
 - ♦ आपदाएँ: अमेरिका में उत्पादन संयंत्र ठंड से और जापान में जंगल की आग से प्रभावित हुए है।
 - मुश्किल उत्पादन: उन्नत लॉजिक चिप के निर्माण के लिये असाधारण सटीकता की आवश्यकता होती है, साथ ही तेज़ी से परिवर्तन के अधीन क्षेत्र में लंबी अविध के बड़े दांव लगाने की आवश्यकता होती है।
 - उद्योग को स्थापित करने में अरबों डॉलर का खर्च आता है और निवेश की भरपाई के लिये उन्हें चौबीसों घंटे पूरी तरह से तैयार रहना पड़ता है।

• प्रभावः

- अनिगनत उद्योग प्रभावित हुए हैं क्योंिक सेमीकंडक्टर चिप की वैश्विक मांग, आपूर्ति से अधिक है।
- ◆ चिप की कमी से इस वर्ष कार निर्माताओं के लिये 210 बिलियन अमेरिकी डालर की बिक्री प्रभावित हुई है, जिसमें 7.7 मिलियन वाहनों का उत्पादन कम हो गया है।
- सेमीकंडक्टर की कमी आपूर्ति शृंखला को और कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को गंभीर रूप बाधित करेगी।
- चिप की कमी उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती है क्योंकि वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधान के कारण टीवी से लेकर स्मार्टफोन तक रोजमर्रा के उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें बढ़ गई हैं।

आगे की राह

- उभरती प्रौद्योगिकियाँ, विशेष रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन उद्योगों में प्रमुखता प्राप्त कर रही हैं। इन अनुप्रयोगों के सभी क्षेत्रों में कर्षण प्राप्त करने के साथ, विशेष सेंसर, एकीकृत सर्किट, बेहतर मेमोरी और उन्नत प्रोसेसर की आवश्यकता बढ़ रही है।
- भारत अपनी 'मेक इन इंडिया' पहल के एक हिस्से के रूप में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण की योजना को बड़े पैमाने पर अंतिम रूप दे रहा है। देश में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने वाली प्रत्येक सेमीकंडक्टर कंपनी को राष्ट्र 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि देने की पेशकश कर रहा है।
 - ◆ स्थानीय रूप से बने चिप्स को "विश्वसनीय स्रोत" के रूप में नामित किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों से लेकर 5G उपकरण तक के उत्पादों में उपयोग किया जा सकता है।
 - ♦ दिसंबर 2021 में भारत ने देश में निर्माण इकाइयों की स्थापना या ऐसी विनिर्माण इकाइयों के अधिग्रहण के लिये चिप निर्माताओं से उनकी रुचियाँ" आमंत्रित कीं।

- यह सब अर्द्धचालकों के निर्माण में आत्मिनर्भरता हासिल करने, डेटा सुरक्षा पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने और दुनिया के देशों को मौजूदा अर्द्धचालकों की आपूर्ति शृंखला पर विशिष्ट देशों का एकाधिकार होने से रोकने के लिये किया जा रहा है।
- यह स्पष्ट है कि अर्द्धचालक हमारी आधुनिक तेज़ी से भागती दुनिया को बदल रहे हैं। इसलिये भारत को निकट भविष्य में अर्द्धचालकों को अधिकांश महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का दर्जा देना चाहिये।

सॉलिड-स्टेट बैटरी

चर्चा में क्यों?

कार निर्माता वोक्सवैगन ने क्वांटमस्केप के साथ साझेदारी के माध्यम से वर्ष 2025 तक सॉलिड-स्टेट बैटरी के उत्पादन की योजना बनाई है। ■ क्वांटमस्केप की सॉलिड-स्टेट बैटरी को दो इलेक्ट्रोड को अलग करने वाले एक ठोस इलेक्ट्रोलाइट के साथ लिथियम धातु की एक संभावना के रूप में देखा जाता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - एक सॉलिड-स्टेट बैटरी में लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है जो इलेक्ट्रोलाइट समाधान का उपयोग करती है। इसमें विस्फोट या आग का खतरा नहीं है, इसिलये सुरक्षा हेतु विभिन्न घटकों की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार इससे अधिक स्थान की बचत होती है। तब हमारे पास अधिक सिक्रय सामग्री प्रयोग करने के लिये अधिक स्थान होता है जो बैटरी क्षमता को बढ़ाता है।
 - एक सॉलिड-स्टेट बैटरी प्रति यूनिट क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व बढ़ा सकती है क्योंिक कम संख्या में बैटिरयों की आवश्यकता होती है। इस कारण से एक सॉलिड-स्टेट बैटरी मॉड्यूल और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी सिस्टम बनाने हेतु एकदम सही है एवं इसके लिये उच्च क्षमता की आवश्यकता होती है।
 - आज के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम-आयन सेल्स का ऊर्जा घनत्व पुरानी पीढ़ी की निकल-कैडिमियम बैटरी की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है।
 - ◆ पिछले एक दशक में प्रौद्योगिकी में सुधार के बावजूद लंबे समय तक चार्जिंग समय और कमज़ोर ऊर्जा घनत्व जैसे मुद्दे बने रहते हैं। जबिक लिथियम-आयन बैटरी को फोन और लैपटॉप के लिये पर्याप्त रूप से कुशल बैटरी के रूप में देखा जाता है, फिर भी उनमें उस सीमा की कमी होती है जो ईवीएस को आंतरिक दहन इंजन के लिये एक व्यवहार्य विकल्प बनाती है।

लिथियम आयन बैटरी:

- परिचय:
 - ◆ यह एक गैर-रिचार्जेबल लिथियम बैटरी में उपयोग िकये जाने वाले धातु लिथियम की तुलना में एक इलेक्ट्रोड सामग्री के रूप में इंटरकलेटेड (इंटरकलेशन स्तरित संरचनाओं के साथ सामग्री में एक अणु का प्रतिवर्ती समावेश या सिम्मलन है) लिथियम यौगिक का उपयोग करता है।
 - ♦ बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो आयनिक गति की अनुमित देता है और लिथियम-आयन बैटरी सेल के घटक दो इलेक्ट्रोड होते हैं।
 - ♦ डिस्चार्ज के दौरान लिथियम आयन नकारात्मक इलेक्ट्रोड से सकारात्मक इलेक्ट्रोड में चले जाते हैं और चार्ज करते समय वापस आ जाते हैं।
 - बैटरी के डिस्चार्ज होने के दौरान लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गित करते हैं , जबिक चार्ज होते समय विपरीत दिशा में।
- लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग:
 - इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेली-कम्युनिकेशन, एयरोस्पेस, औद्योगिक अनुप्रयोग।
 - ♦ लिथियम-आयन बैटरी प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये पसंदीदा ऊर्जा स्रोत बन गई है।

- लिथियम-आयन बैटरी की किमयाँ:
 - लंबी चार्जिंग अवधि।
 - ◆ एक बड़ी समस्या यह है कि लिथियम धातु अत्यंत प्रतिक्रियाशील है। जिससे कई बार इन बैटिरियों में आग लगने की घटनाएँ सामने आने से इसे लेकर सुरक्षा चिंताएँ भी बनी रहती हैं।
 - खर्चीली निर्माण प्रक्रिया।
 - यद्यपि लिथियम-आयन बैटरी को फोन और लैपटॉप जैसे अनुप्रयोगों के लिये पर्याप्त रूप से कुशल माना जाता है, परंतु इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में इसकी बैटरी की रेंज (एक चार्जिंग में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता) के संदर्भ में प्रौद्योगिकी में इतना सुधार नहीं हुआ है जो इन्हें आतंरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में एक वहनीय विकल्प बना सके।
- लिथियम-आयन के लाभ:
 - उच्च सेल ऊर्जा घनत्वः
 - सॉलिड-स्टेट बैटरी तकनीक के लाभों में उच्च सेल ऊर्जा घनत्व (कार्बन एनोड को समाप्त करके), चार्जिंग का कम समय (पारंपिरक लिथियम-आयन कोशिकाओं में लिथियम को कार्बन कणों में फैलाने की आवश्यकता को समाप्त करके), कार्य करने की अधिक क्षमता शामिल है। चार्जिंग साइकिल,लंबी अविध तक कार्य करने में सक्षम और बेहतर सुरक्षा।
 - लागत प्रभावी:
 - कम लागत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यह देखते हुए कि कुल लागत का 30% बैटरी खर्च वाहन की लागत का एक
 प्रमुख चालक है।
 - क्वांटमस्केप का दावा है कि वह कई वर्षों में लिथियम-आयन बैटरी की लागत के मुकाबले बैटरी की लागत को 15-20% तक कम करने का लक्ष्य बना रहा है।
- सॉलिड-स्टेट बैटरियों के अन्य संभावित विकल्पः
 - ♦ ग्रैफीन बैटरी:लिथियम बैटरियों को बार-बार चार्ज करने की आवश्यकता इसकी वहनीयता को सीमित करती है, ऐसे में ग्रैफीन बैटरियाँ
 इसका एक महत्त्वपूर्ण विकल्प हो सकती हैं। ग्रैफीन हाल ही में स्थिर और पृथक किया गया पदार्थ है।
 - फ्लोराइड बैटरी: फ्लोराइड बैटरियों में लिथियम बैटरी की तुलना में आठ गुना अधिक समय तक चलने की क्षमता है।
 - सैंड बैटरी: लिथियम-आयन बैटरी के इस वैकल्पिक प्रकार में वर्तमान ग्रेफाइट लि-आयन बैटरी की तुलना में तीन गुना बेहतर प्रदर्शन करने के लिये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यह भी स्मार्टफोन में प्रयोग की जाने वाले लिथियम-आयन बैटरी के समान होती है परंतु इसमें एनोड के रूप में में ग्रेफाइट के बजाय सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है।
 - ◆ अमोनिया संचालित बैटरी: अमोनिया से चलने वाली बैटरी का शायद बाजार में शीघ्र उपलब्ध होना संभव न हो परंतु आमतौर पर घरेलू क्लीनर के रूप में उपयोग यह रसायन लिथियम का एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह वाहनों और अन्य उपकरणों में लगे प्यूल सेल को ऊर्जा प्रदान कर सकता है।
 - यदि वैज्ञानिकों द्वारा अमोनिया उत्पादन के एक ऐसे तरीके की खोज कर ली जाती है जिसमें उपोत्पाद के रूप में ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन न होता हो, तो इसे फ्यूल सेल को ऊर्जा प्रदान करने के लिये वहनीय विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।
 - ♦ लिथियम सल्फर बैटरी: ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, उन्होंने लिथियम-सल्फर का उपयोग करके विश्व की सबसे शक्तिशाली रिचार्जेबल बैटरी विकसित की है, जो वर्तमान में उपलब्ध सबसे मजबूत बैटरी से चार गुना बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
 - ◆ ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित कार्बन नैनोट्यूब इलेक्ट्रोड: यह लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रोड हेतु अच्छा विकल्प हो सकती है जिसमें उच्च दर की क्षमता और योग्यता की आवश्यकता होती है।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गिटहब, एक ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर रिपॉजिटरी सेवा का उपयोग भारत में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने हेतु आपत्तिजनक नाम वाले एप को बनाने और साझा करने के लिये किया गया था।

- एप ने उनके सोशल मीडिया हैंडल से चुराई गई मिहलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया और "उपयोगकर्ताओं" को उनके लिये बोली लगाने के लिये आमंत्रित किया।
- गिटहब ने उपयोगकर्त्ता को अवरुद्ध कर दिया है और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को "एक उच्च स्तरीय सिमिति" बनाने के लिये कहा गया है।

गिटहब:

- गिटहब दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-सोर्स डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ उपयोगकर्त्ता अपनी परियोजनाओं और कोड को दूसरों को देखने और संपादित करने के लिये अपलोड करते हैं।
- प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर गिट का उपयोग करता है, जिसे वर्ष 2005 में ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के डेवलपर लिनुस ट्रोवाल्ड्स द्वारा बनाया गया था, ताकि फाइलों के एक सेट में परिवर्तन और सॉफ़्टवेयर में समन्वय के लिये ट्रैक किया जा सके।

प्रमुख बिंदु

- ओपन-सोर्स का अर्थ: ओपन सोर्स शब्द का अर्थ कुछ ऐसा है जिसे लोग संशोधित और साझा कर सकते हैं क्योंिक इसका डिजाइन सार्वजिनक रूप से सुलभ है।
 - अंतर्निहित सिद्धांत: ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, उत्पाद या पहल के सिद्धांतों को स्वीकार और उनका पालन करते हैं-
 - खुला विनिमय,
 - सहयोगात्मक भागीदारी,
 - तीव्र प्रोटोटाइपिंग,
 - पारदर्शिता,
 - मेरिटोक्रेसी
 - समुदायोन्मुखी विकास।
- ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर: ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (ओएसएस) वह सॉफ्टवेयर है अपने सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जो इसे अपने मूल अधिकारों के साथ उपयोग, संशोधन और वितरण के लिये उपलब्ध कराता है।
 - सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का वह हिस्सा है जिसे अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्त्ता कभी नहीं देखते हैं।
 - ♦ इस कोड का प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम या एप्लीकेशन के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु हेरफेर के लिये किया है।
 - ◆ ओएसएस में आमतौर पर एक लाइसेंस शामिल होता है जो प्रोग्रामर को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे सुलभ तरीके से सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमित देता है और यह नियंत्रित करता है कि सॉफ्टवेयर कैसे वितरित किया जा सकता है।
 - सोर्स कोड को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने का विचार वर्ष 1983 में MIT के एक प्रोग्रामर रिचर्ड स्टॉलमैन द्वारा अनौपचारिक रूप से स्थापित एक वैचारिक आंदोलन से उत्पन्न हुआ था।
 - ♦ लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर, सुगर CRM आदि प्रमुख उदाहरण हैं।
- क्लोज्ड सोर्स या प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर: क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड को सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रखता है।
 - ♦ अर्थात् उपयोगकर्त्ता किसी प्रकार के परिणाम के बिना कोड के कुछ हिस्सों को कॉपी, संशोधित या हटा नहीं सकता है।

नोट:

• जबिक एप्पल के आईफोन्स (iOS) का ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज्ड सोर्स (Closed Source) है, जिसका अर्थ है कि इसे कानूनी रूप से संशोधित या रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता है, गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन-सोर्स (Open-Source) है और इसलिये यह संभव है कि सैमसंग, Xiaomi, वनप्लस आदि जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं द्वारा इन्हें संशोधित किया जा सके।

- OSS पर सरकार की नीति
 - भारत सरकार ने 2015 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने पर एक नीति जारी की थी।
 - ◆ शिक्षा के लिये मुफ्त और मुक्त स्रोत सॉफ़्टवेयर (FOSSEE) परियोजना : यह शैक्षिक संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना है।
 - यह शिक्षण संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने वाली पिरयोजना है। यह निर्देशात्मक सामग्री (स्पोकन ट्यूटोरियल), डॉक्यूमेंटेशन, (टेक्स्ट बुक सामग्री), जागरूकता कार्यक्रम (कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग वर्कशॉप और इंटर्निशिप) के माध्यम से कराया जाता है।
 - सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के एंड्रॉयड वर्जन को भी ओपन सोर्स के माध्यम से बनाया है।
 - ♦ OSS को बढ़ावा देना GovTech 3.0 का एक हिस्सा है।
 - Gov Tech 3.0 मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (ODEs) पर केंद्रित है। यह सरकार को 'डिजिटल कॉमन्स' बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

 सरकार को अपराधियों के खिलाफ तत्काल, अनुकरणीय कार्रवाई करनी चाहिये। इस तरह के आपराधिक व्यवहार पर बिना लागत के बस एप को बंद करने से दंड से मुक्ति को बढ़ावा मिलेगा।

इसरो के नए अध्यक्ष एस. सोमनाथ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

डॉ. सोमनाथ का प्रमुख योगदान

- उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk-III (GSLV Mk-III) के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है।
- वह वर्ष 2003 में GSLV Mk-III परियोजना में शामिल हुए और वर्ष 2010 से 2014 तक परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया।
- वह प्रमोचन वाहनों के सिस्टम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं।
- बाद में उन्होंने जीएसएलवी के लिये स्वदेशी क्रायोजेनिक चरणों के विकास में योगदान दिया।

- इसरोः
 - यह भारत की अग्रणी अंतिरक्ष अन्वेषण एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बंगलूरू में है।
 - ♦ इसरो का गठन वर्ष 1969 में ग्रहों की खोज और अंतिरक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अंतिरक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और दोहन की दृष्टि से किया गया था।
 - इसरो ने अपने पूर्ववर्ती INCOSPAR (अंतिरक्ष अनुसंधान के लिये भारतीय राष्ट्रीय सिमिति) की जगह ली, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को भारतीय अंतिरक्ष कार्यक्रम के संस्थापकों में से एक माना जाता है।
- इसरो की उपलिब्धयाँ:
 - 🔷 पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट इसरो द्वारा बनाया गया था जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था।
 - वर्ष 1980 ने रोहिणी के प्रक्षेपण को चिह्नित किया, जो कि पहला उपग्रह था जिसे एसएलवी -3 द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा गया,
 यह एक भारत निर्मित प्रक्षेपण यान था।

- इसके बाद इसरो द्वारा दो अन्य रॉकेट विकसित किये गए: पीएसएलवी (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में रखने के लिये और जीएसएलवी (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) उपग्रहों को भूस्थिर कक्षाओं में रखने के लिये।
 - दोनों रॉकेटों ने भारत के साथ-साथ अन्य देशों के लिये कई पृथ्वी अवलोकन और संचार उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया

 है।
- आईआरएनएसएस और गगन जैसे स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम भी तैनात किये गए हैं।
 - क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर के पानी में जहाजों के नेविगेशन में सहायता के लिये सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है।
 - गगन (GAGAN) भारत का पहला उपग्रह आधारित ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (Global Positioning System)
 है जो इसरो के जीसैट उपग्रहों पर निर्भर करता है।
- ◆ जनवरी 2014 में ISRO ने GSAT-14 उपग्रह के GSLV-D5 प्रक्षेपण के लिये स्वदेशी रूप से निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया, जिससे यह क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने वाले दुनिया के केवल छह देशों में शामिल हो गया।
- ◆ इसरो की कुछ उल्लेखनीय अंतरिक्ष खोजों में चंद्रयान-1 चंद्र ऑबिंटर, मार्स ऑबिंटर मिशन (मंगलयान -1) और एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष वेधशाला शामिल हैं।
 - मार्स ऑबिंटर मिशन की सफलता ने भारत को मंगल की कक्षा में पहुँचने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया।
- ♦ भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-1 के बाद अपना दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया।
- 2021 में इसरो की प्रमुख उपलब्धियाँ:
 - अमेजोनिया -1
 - गगन की 53वीं उड़ान भारत की पहली उपग्रह-आधारित वैश्विक स्तर की प्रणाली है जो इसरो के जीसैट उपग्रहों पर निर्भर है। PSLV-C51 द्वारा इसरो की वाणिज्यिक शाखा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का यह पहला समर्पित मिशन था
 - नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च (आईएनपीई) का ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया-1, अमेजॅन क्षेत्र में वनों
 की कटाई की निगरानी और ब्राजील के क्षेत्र में विविध कृषि के विश्लेषण के लिये उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करेगा।
 - यूनिटीसैट (तीन उपग्रह):
 - इन्हें रेडियो रिले सेवाएँ प्रदान करने के लिये तैनात किया गया है।
 - सतीश धवन उपग्रहः
 - सतीश धवन उपग्रह (SDSAT) एक नैनो उपग्रह है जिसका उद्देश्य विकिरण स्तर/अंतिरक्ष मौसम का अध्ययन करना और लंबी दूरी की संचार प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है।
- आगामी मिशन:
 - गगनयान मिशन: भारत का पहला अंतिरक्ष मिशन, गगनयान, वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा।
 - चंद्रयान-3 मिशन: चंद्रयान-3 के 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान लॉन्च होने की संभावना है।
 - ♦ तीन भू प्रेक्षण उपग्रह (EOSs):
 - EOS-4 (Resat-1A) और EOS-6 (Oceansat-3) को इसरो के PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा, तीसरा, EOS-2 (माइक्रोसैट), स्माल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) की पहली विकासात्मक उड़ान से लॉन्च किया जाएगा।
 - इन उपग्रहों को वर्ष 2022 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा।
 - अन्यः
 - शुक्रयान मिशन: इसरो भी शुक्र ग्रह के लिये एक मिशन की योजना बना रहा है, जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान कहा जाता है।
 - स्वयं का अंतिरक्ष स्टेशन: भारत वर्ष 2030 तक अपना खुद का अंतिरक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो अमेरिका, रूस और चीन की लीग में एक विशिष्ट अंतिरक्ष क्लब में शामिल हो गया है।

- इसरो के समक्ष चुनौतियाँ:
 - वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में नाम मात्र का योगदान:
 - भारत का योगदान वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का केवल 2% हिस्सा है।
 - इसके दो प्रमुख कारण अंतिरक्ष विशिष्ट कानूनों की कमी और अंतिरक्ष से संबंधित सभी गितविधियों पर इसरो द्वारा प्राप्त प्रभावी एकाधिकार का अभाव हैं।
 - अंतर्राष्ट्रीय संधि:
 - भारत की वर्तमान अंतिरक्ष गितविधियाँ वर्तमान में दो राष्ट्रीय नीतियों के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा शासित हैं जो उपग्रह संचार नीति (SATCOM) और रिमोट सेंसिंग डेटा नीति (RSDP) है।
 - सैटकॉम नीति वर्ष 1997 में पेश की गई थी और इसका उद्देश्य भारत के भीतर अंतिरक्ष एवं उपग्रह संचार उद्योग का विकास करना है।
 - वर्ष 2000 में 1997 की नीति के कार्यान्वयन के लिये मानदंड पेश किये गए थे।
 - RSDP को वर्ष 2001 में पेश किया गया था और इसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था।
 - यह भारत के भीतर उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा के वितरण के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश देता है और कहता है कि भारत सरकार भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट (आईआरएस) से प्राप्त सभी डेटा की अनन्य मालिक है, जिसके लिये निजी संस्थाएँ केवल नोडल एजेंसी के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं।
 - घरेलू अंतिरक्ष कानून नहीं होना::कुछ समय पहले तक घरेलू अंतिरक्ष कानून की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी क्योंिक अंतिरक्ष को घरेलू के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा जाता था।
 - इसके अलावा निजी क्षेत्र ने हाल ही में वाणिज्यिक अंतिरक्ष गितिविधि की क्षमता को महसूस करने के बाद भारत के अंतिरक्ष क्षेत्र
 में निवेश करने और बडी भूमिका निभाने की इच्छा जताई।
- अंतरिक्ष क्रांति के लिये उठाए गए कदम:
 - ♦ राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति (NSTP)
 - ◆ IN-SPACE
 - न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल)
 - भारतीय अंतिरक्ष संघ

- क्षुद्रग्रह अवलोकन, पृथ्वी अवलोकन, अंतिरक्ष पर्यटन, उपग्रह प्रक्षेपण, गहरे अंतिरक्ष अन्वेषण और उपग्रह इंटरनेट जैसी गितिविधियाँ नई अंतिरिक्ष अर्थव्यवस्था के कारक होंगे।
- लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी, नवोदित स्टार्ट-अप संस्कृति, युवाओं की प्रचुरता, तकनीकी ज्ञान और इसरो के साथ पहले से ही एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में कार्य करने के साथ भारत में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता बनने की क्षमता है।
- घरेलू अंतिरक्ष कानून बनाते समय सरकार को केवल सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इसमें भारत के भविष्य को बेहतर रूप में बदलने की क्षमता है।

5G में मिलीमीटर वेव बैंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन-इंडिया (SIA) ने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में मिलीमीटर वेव (mm Wave) बैंड को शामिल करने की सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है।

- SIA एक औद्योगिक निकाय है जो भारत में संचार उपग्रह पारिस्थितिकी तंत्र के हितों का प्रतिनिधित्त्व करता है।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नीलामी के लिये स्पेक्ट्रम की मात्रा से संबंधित विषयों पर उद्योगों के विचार मांगे थे।

- 5G तकनीक:
 - परिचय:
 - 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G नेटवर्क एमएम वेव स्पेक्टम में काम करेगा।
 - यह एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों सिहत लगभग सभी को एक साथ जोड़ने के लिये डिजाइन किया गया है।
 - ◆ 5G में बैंड: 5G मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है, अर्थात् निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम जिनमें से सभी के अपने उपयोग के साथ-साथ सीमाएँ भी हैं।
 - निम्न बैंड स्पेक्ट्रम: यह इंटरनेट और डेटा एक्सचेंज की कवरेज एवं गति के मामले में बहुत अच्छा कार्य करता है, हालाँकि अधिकतम गति 100 एमबीपीएस (प्रति सेकंड मेगाबिटस) तक सीमित है।
 - मध्य बैंड स्पेक्ट्रम: यह कम बैंड की तुलना में उच्च गित प्रदान करता है, लेकिन कवरेज क्षेत्र और सिग्नल के प्रवेश के मामले में इसकी सीमाएँ हैं।
 - उच्च बैंड स्पेक्ट्रम: इसमें तीनों बैंडों की उच्चतम गित है, लेकिन इसमें बेहद सीमित कवरेज और सिग्नल इनपुट क्षमता है।
 - 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गित का परीक्षण 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) के रूप में किया गया है, जबिक अधिकांश मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा गित 1 Gbps दर्ज की गई है।
- मिलीमीटर वेव-बैंड:
 - ♦ परिचय:
 - यह रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का एक विशेष भाग है जो 24 गीगाहर्ट्ज और 100 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है।
 - जैसा कि नाम से पता चलता है इस स्पेक्ट्रम में एक छोटी तरंग दैर्ध्य है और यह अधिक गित एवं कम विलंबता प्रदान करने के लिये उपयुक्त है। यह बदले में डेटा ट्रांसफर को कुशल और निर्बाध बनाता है क्योंकि वर्तमान उपलब्ध नेटवर्क केवल कम आवृत्ति बैंडविथ पर ही बेहतर तरीके से कार्य करते हैं।
 - महत्त्व:
 - 5G सेवाओं को कम आवृत्ति बैंड का उपयोग करके तैनात किया जा सकता है। ये अधिक दूरी तय कर सकती हैं और शहरी वातावरण में भी कुशलता से काम करने के लिये सिद्ध होते हैं, जहाँ हस्तक्षेप की संभावना होती है।
 - लेकिन जब डेटा गित की बात आती है तो ये बैंड वास्तिवक 5G अनुभव के लिये आवश्यक चरम क्षमता को छूने में विफल होते
 हैं। ऐसे में mmWave मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिये सर्वोत्कृष्ट है।
 - उपग्रह उद्योग पर प्रभाव:
 - इंटरनेट मोटे तौर पर फाइबर-ऑप्टिक आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को प्रदान किया गया है। हाल ही में इंटरनेट विक्रेताओं का एक और वर्ग दिखाई दे रहा है। ये उपग्रह आधारित संचार सेवा प्रदाता हैं।
 - यह खंड शहरी और ग्रामीण दोनों उपयोगकर्ताओं को ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिये लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों का उपयोग करता है। उनकी सेवा का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिये भी किया जा सकता है।
 - 23.6-24 गीगाहर्ट्ज पर मौसम उपग्रहों के लिये उपयोग किये जाने वाले निष्क्रिय उपग्रह बैंड में आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन के कारण
 mmWave विवाद का विषय रहा था।
 - आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन आवश्यक बैंडिविड्थ के ठीक बाहर आवृत्ति या आवृत्तियों पर उत्सर्जन है जो मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होता है।
 - सूचना के संगत संचरण को प्रभावित किये बिना 'आउट ऑफ बैंड' उत्सर्जन के स्तर को कम नहीं किया जा सकता है

- उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताएँ::
 - आईटीयू मानदंडों के खिलाफ:
 - SIA ने नियामक से 5G नीलामी में mmWave स्पेक्ट्रम को शामिल किये जाने को सीमित करने का आग्रह किया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार, उपग्रह-आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिये 27.5-31 GHz और 17.7-21.2 GHz बैंड को संरक्षित किया गया है।
 - उद्योग निकाय ने यूरोप के "5G रोडमैप" की ओर इशारा किया जो उपग्रह-आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिये इन बैंडों को रखने के ITU के निर्णय पर बनाया गया है।
 - लाभ से इनकार:
 - इसने यह भी नोट किया कि आगामी 5G नीलामी में अत्यधिक स्पेक्ट्रम संसाधनों की पेशकश के परिणामस्वरूप भारतीय नागरिकों को उच्च-मांग, उन्नत उपग्रह ब्रॉडबेंड सेवाओं के लाभों से वंचित किया जाएगा।
 - अर्थव्यवस्था को नुकसानः
 - इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 184.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का भारी नुकसान होगा, साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और रोजगार सृजन लाभों का नुकसान होगा।
- SIA's के सुझाव:
 - सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन-इंडिया ने इस बात को भी इंगित किया है कि 3.3-3.67 GHz बैंड में 330 MHz स्पेक्ट्रम प्रतिस्पद्धी नीलामी सुनिश्चित करते हुए भारत की मिड बैंड 5G जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।
 - ◆ उद्योग निकाय ने इस बात पर बल दिया है कि अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रदान करने से उपग्रह-आधारित सेवा प्रदाताओं की कीमत पर स्थलीय सुविधा द्वारा बिना बिके या इससे भी खराब, कम उपयोग किये जाने वाले बैंड के नकारात्मक जोखिम पैदा हो सकते हैं। एमएमवेव बैंड का आवंटन उपग्रह संचार उद्योग के लिये महत्त्वपूर्ण है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिये एक मजबूत नियामक समर्थन की आवश्यकता है कि 5G का संचालन उनके मौजूदा संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

जैव ऊर्जा फसलों का कृषि क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि वार्षिक फसलों को बारहमासी जैव ऊर्जा फसलों में परिवर्तित करने से उन क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, जहाँ उनकी खेती की जाती है।

- शोधकर्ताओं ने भिवष्य की जैव ऊर्जा फसल की खेती के पिरदृश्यों की एक शृंखला के जैव-भौतिक जलवायु प्रभाव का अनुकरण किया।
 नीलिगिरि, चिनार, विलो, मिसकैंथस और स्विचग्रास अध्ययन में इस्तेमाल की जाने वाली जैव ऊर्जा फसलें थीं।
- अध्ययन ने फसलों के प्रकार के उस महत्त्व को भी प्रदर्शित किया, जिस पर मूल भूमि उपयोग आधारित जैव ऊर्जा फसलों का विस्तार किया जाता है।

जैव ऊर्जा फसलें

- वे फसलें जिनसे जैव ईंधन का उत्पादन या निर्माण किया जाता है, जैव ईंधन फसलें या जैव ऊर्जा फसलें कहलाती हैं। "ऊर्जा फसल" एक शब्द है जिसका उपयोग जैव ईंधन फसलों का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
- जीवाश्म ईंधन की तुलना में जैव ईंधन के कई फायदे हैं, जिसमें कम प्रदूषक होते हैं और इनमें कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों को वातावरण में छोड़ने की क्षमता शामिल है। वे पर्यावरण के अनुकूल भी हैं और ऊर्जा निगम अक्सर जैव ईंधन को गैसोलीन के साथ मिलाते हैं।

- -0.08 ~ +0.05 ग्लोबल नेट एनर्जी चेंज:
 - ♦ बायोएनर्जी फसलों के तहत खेती का क्षेत्र वैश्विक कुल भूमि क्षेत्र का 3.8% ± 0.5% है, लेकिन वे मजबूत क्षेत्रीय जैव-भौतिक प्रभाव डालते हैं, जिससे -0.08 ~ +0.05 डिग्री सेल्सियस के वायु तापमान में वैश्विक शुद्ध परिवर्तन होता है।
 - ♦ बड़े पैमाने पर बायोएनर्जी फसल की खेती के 50 वर्षों के बाद मजबूत क्षेत्रीय विरोधाभासों और अंतर-वार्षिक परिवर्तनशीलता के साथ वैश्विक वायु तापमान में 0.03 ~ 0.08 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी।
- कार्बन कैप्चर और स्टोरेज पर प्रभाव:
 - कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (BECCS) के साथ बड़े पैमाने पर बायोएनर्जी फसल की खेती को वातावरण से कार्बनडाईऑक्साइड को हटाने हेतु एक प्रमुख नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी (Negative Emission Technology-NET) के रूप में पहचाना गया है।
- बड़े स्थानिक बदलाव:
 - बड़े पैमाने पर जैव-ऊर्जा फसल की खेती वैश्विक स्तर पर एक जैव भौतिक शीतलन प्रभाव को प्रेरित करती है, लेकिन हवा के तापमान में परिवर्तन में मजबूत स्थानिक भिन्नताएँ और अंतर-वार्षिक परिवर्तनशीलता होती है।
 - बायोएनर्जी फसल परिदृश्यों में तापमान परिवर्तन में विश्व के अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ी स्थानिक भिन्नताएँ और महत्त्वपूर्ण जलवायु
 टेलीकनेक्शन हो सकते हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट को विगलन से बचाएँ:
 - यूरेशिया में 60°N और 80°N के बीच मज़बूत शीतलन प्रभाव, पर्माफ्रॉस्ट को पिघलने से बचा सकता है या आर्द्रभूमि से मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकता है।

- ◆ पर्माफ्रॉस्ट अथवा स्थायी तुषार भूमि वह क्षेत्र है जो कम-से-कम लगातार दो वर्षों से शून्य डिग्री सेल्सियस (32 डिग्री F) से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है।
- नीलिगिरि स्विचग्रास से बेहतर है:
 - ♦ नीलिगिरि की खेती आमतौर पर शीतलन प्रभाव दिखाती है, यदि स्विचग्रास को मुख्य बायोएनर्जी फसल के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह अधिक बेहतर होती है जिसका अर्थ है कि नीलिगिरी, भूमि को जैव-भौतिक रूप से ठंडा करने में स्विचग्रास से बेहतर है।
 - नीलिगिरि के लिये शीतलन प्रभाव और स्विचग्रास हेतु वार्मिंग प्रभाव अधिक होता है।
 - जंगलों को स्विचग्रास में परिवर्तित करने से न केवल बायोफिजिकल वार्मिंग प्रभाव पड़ता है, बिल्क अन्य छोटी वनस्पितयों को बायोएनर्जी फसलों में परिवर्तित करने की तुलना में वनों की कटाई के माध्यम से अधिक कार्बन जारी किया जा सकता है।

एक्वामेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एंग्लिकन आर्कबिशप और रंगभेद विरोधी प्रचारक डेसमंड टूटू का निधन हो गया। वह पर्यावरण की रक्षा तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिये बहुत भावुक थे।

- पर्यावरण के अनुकूल उनकी इच्छा अनुसार उनके शरीर को एक्वामेशन से गुजरना पड़ा जो पारंपिरक श्मशान विधियों का एक हिरत विकल्प
 था।
- एक्वामेशन की प्रक्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है जो आग से पाँच गुना कम है। यह दाह संस्कार के दौरान उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को भी लगभग 35% कम कर देता है

प्रमुख बिंदु

- एक्वामेशन के बारे में:
 - यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के शरीर को कुछ घंटों के लिये पानी और एक मजबूत क्षार के मिश्रण में एक दबाव वाले धातु
 के सिलेंडर में डुबोया जाता है और लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है।
 - सरल जल प्रवाह, तापमान और क्षारीयता का संयोजन कार्बनिक पदार्थों के टूटने पर जोर देता है।
 - यह प्रक्रिया हड्डी के टुकड़े और एक तटस्थ तरल छोड़ती है जिसे प्रवाह कहा जाता है।
 - बिह:स्राव निष्फल होता है और इसमें लवण, शर्करा, अमीनो अम्ल तथा पेप्टाइड होते हैं।
 - प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई ऊतक और डीएनए नहीं बचता है।
- पृष्ठभूमि: इस प्रक्रिया को वर्ष 1888 में एक किसान अमोस हर्बर्ट हैनसन द्वारा विकसित और पेटेंट कराया गया था, जो जानवरों के शवों से उर्वरक बनाने का एक सरल तरीका विकसित करने की कोशिश कर रहा था।
 - वर्ष 1993 में अल्बानी मेडिकल कॉलेज में पहली व्यावसायिक प्रणाली स्थापित की गई थी।
 - इसके बाद यह प्रक्रिया अस्पतालों और विश्वविद्यालयों द्वारा दान किये गए मृत शरीरों के साथ उपयोग में जारी रही।
 - इस प्रक्रिया को क्षारीय हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है और 'क्रीमेशन एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका' (कैना) (एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन) द्वारा 'फ्लेमलेस क्रीमेशन कहा जाता है।
 - ♦ इस प्रक्रिया को जल दाह संस्कार, हरित दाह संस्कार या रासायनिक दाह संस्कार के रूप में भी जाना जाता है।

डेसमंड टूटू

- डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं में से एक हैं, उन्होंने रंगभेद को समाप्त करने के प्रयासों के लिये वर्ष 1984 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।
 - ♦ उन्हें ब्लैक साउथ अफ्रीकियों के लिये आवाजहीनों की आवाज (Voice Of The Voiceless For Black South Africans) के रूप में जाना जाता है।

- जब नेल्सन मंडेला को देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था तो उन्होंने सत्य और सुलह आयोग (Truth & Reconciliation Commission) के अध्यक्ष के रूप में टूटू को नियुक्त किया था।
 - सत्य और सुलह आयोग रंगभेद की समाप्ति के बाद वर्ष 1996 में दक्षिण अफ्रीका में एक अदालत की तरह पुनर्स्थापनात्मक न्याय संस्था थी।
- अध्यक्ष के रूप में डेसमंड टूटू ने "नस्लीय विभाजन के बिना एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज" के रूप में अपना उद्देश्य निर्धारित किया तथा निम्नलिखित बिंदुओं को न्यूनतम मांगों के रूप में सामने रखा:
 - सभी के लिये समान नागरिक अधिकार।
 - दक्षिण अफ्रीका के पासपोर्ट कानूनों का उन्मूलन।
 - शिक्षा की एक सामान्य/सार्वजनिक प्रणाली।
 - दक्षिण अफ्रीका से तथाकथित "होमलैंड्स" की ओर जबरन निर्वासन की समाप्ति।

उत्सर्जन मानदंडों की प्राप्तिः कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

चर्चा में क्यों?

दिल्ली स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था- 'सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट' (CSE) के विश्लेषण के अनुसार, एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से 61 प्रतिशत, जिन्हें दिसंबर 2022 तक अपने उत्सर्जन मानकों को पूरा करना है, इस समय-सीमा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

- पृष्ठभूमि
 - ♦ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने वर्ष 2015 में नए उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किये थे और इसे पूरा करने हेतु एक समय सीमा तय की थी।
 - ♦ भारत ने प्रारंभ में जहरीले सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करने वाली फ्लू गैस डिसल्फराइज़ेशन (FGD) इकाइयों को स्थापित करने हेत् उत्सर्जन मानकों का पालन करने को थर्मल पावर प्लांट के लिये वर्ष 2017 की समय सीमा निर्धारित की थी।
 - बाद में विभिन्न क्षेत्रों के लिये अलग-अलग समय सीमा निर्धारित कर दी गई।
- विद्युत संयंत्रों का वर्गीकरण:
 - ◆ श्रेणी 'A'
 - इस श्रेणी में वे बिजली संयंत्रो शामिल हैं, जिन्हें दिसंबर 2022 तक लक्ष्य पूरा करना है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के 10 किलोमीटर के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल हैं।
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा गठित टास्क फोर्स की वर्गीकरण सूची के अनुसार इस श्रेणी में 79 कोयला आधारित बिजली संयंत्र शामिल हैं।
 - श्रेणी 'B' और 'C':
 - 68 बिजली संयंत्रों को श्रेणी B (दिसंबर 2023 की अनुपालन समय सीमा) में और 449 बिजली संयंत्रों को श्रेणी C में (दिसंबर 2024 की अनुपालन समय सीमा) रखा गया है।
 - बिजली संयंत्र जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी. के दायरे में स्थित हैं, वे श्रेणी B के अंतर्गत आते हैं, जबिक बाकी (कुल का 75%) श्रेणी С में आते हैं।
- CSE का विश्लेषण:
 - प्रमुख डिफॉल्टर्स:
 - महाराष्ट्र, तिमलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।
 - ये डिफॉल्टिंग स्टेशन बड़े पैमाने पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं।

- कम-से-कम 17 भारतीय राज्यों में कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन हैं। राज्यवार तुलना निम्नलिखित है:
- असम (AS) को छोड़कर, इन 17 में से कोई भी राज्य 100% निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करेगा। इस राज्य में 750 मेगावाट का पावर स्टेशन है जो इसकी कुल कोयला क्षमता का एक नगण्य प्रतिशत है।
- गलत पर राज्य द्वारा संचालित इकाइयाँ:
 - ◆ अधिकांश कोयला तापविद्युत क्षमता जिनके मानदंडों को पूरा करने की संभावना है, केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है इसके बाद निजी क्षेत्र का स्थान आता है।
 - राज्य क्षेत्र से संबंधित संयंत्रों में से कुछ ने निविदा जारी की है या व्यवहार्यता अध्ययन के विभिन्न चरणों में है या अभी तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई है।
- पेनल्टी मैकेनिज्म प्रभाव:
 - ♦ गैर-अनुपालन इकाइयों पर लगाया गया जुर्माना नए मानदंडों को पूरा करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (FGD) के विभिन्न घटकों की कानूनी लागत को वहन करने के बजाय भुगतान करने हेतु अधिक व्यवहार्य होगा।
 - अप्रैल 2021 की अधिसूचना में समय-सीमा में संशोधन के अलावा संबंधित समय सीमा को पूरा नहीं करने वाले प्लांट् के लिये पेनल्टी मैकेनिज्म या पर्यावरण मुआवजा (Environmental Compensation) भी पेश किया गया था।
 - जो पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा, वह इस अपेक्षित गैर-अनुपालन के लिये निवारक के रूप में कार्य करने में विफल रहेगा क्योंकि यह एक कोयला थर्मल पावर प्लांट द्वारा प्रभावी उत्सर्जन नियंत्रण की लागत की तुलना में बहुत कम है।

सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण

- स्रोतः
 - ♦ वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है।
 - ◆ सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के छोटे स्रोतों में अयस्कों से धातु निष्कर्षण जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएँ, प्राकृतिक स्रोत जैसे- ज्वालामुखी विस्फोट, इंजन, जहाज और अन्य वाहन तथा भारी उपकारणों में उच्च सल्फर ईंधन सामग्री का प्रयोग शामिल है।
- प्रभाव: सल्फर डाइऑक्साइड स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है।
 - ♦ सल्फर डाइऑक्साइड के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुँचा सकते हैं और साँस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषकर बच्चे SO2 के इन प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
 - ◆ SO2 का उत्सर्जन हवा में SO2 की उच्च सांद्रता के कारण होता है, सामान्यत: यह सल्फर के अन्य ऑक्साइड (SOx) का निर्माण करती है। (SOx) वातावरण में अन्य यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर छोटे कणों का निर्माण कर सकती है। ये कणकीय पदार्थ (Particulate Matter- PM) प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक हैं।
 - छोटे प्रदूषक कण फेफड़ों में प्रवेश कर स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- भारत का मामला:
 - ♦ भारत द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में ग्रीनपीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (Centre for Research on Energy and Clean Air) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में लगभग 6% की गिरावट (चार वर्षों में सबसे अधिक) दर्ज की गई है।
 - फिर भी भारत इस दौरान SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना रहा।
 - ♦ वायु गुणवत्ता उप-सूचकांक को अल्पकालिक अविध (24 घंटे तक) के लिये व्यापक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करने हेतु आठ प्रदूषकों (PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 तथा Pb) के आधार पर विकसित किया गया है।

भारत में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2030 तक भारत में कारों की वार्षिक बिक्री मौजूदा 3.5 मिलियन से बढ़कर लगभग 10.5 मिलियन हो जाने का अनुमान है, जो की तीन गुना अधिक है, जिससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि होगी।

भारत वर्ष 2019 तक वाहन पंजीकरण के उच्चतम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (10%) के साथ पाँचवां सबसे बड़ा वैश्विक कार निर्माता है।

- भारत में वाहन उत्सर्जन:
 - शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण वाहनों का उत्सर्जन है।
 - ◆ आमतौर पर वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु गुणवत्ता के श्वसन स्तर पर पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 का 20-30% योगदान देता है।
 - PM2.5 उन कणों को संदर्भित करता है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है (मानव बाल की तुलना में 100 गुना अधिक पतला) और लंबे समय तक निलंबित रहता है।
 - ♦ अध्ययनों के अनुसार, वाहन हर वर्ष PM2.5 के लगभग 290 गीगाग्राम (Gg) का उत्सर्जन करते हैं।
 - ◆ साथ ही भारत में कुल ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का लगभग 8% परिवहन क्षेत्र से होता है और दिल्ली में यह 30% से अधिक है।
- वाहन उत्सर्जन (विश्व):
 - परिवहन क्षेत्र कुल उत्सर्जन का एक-चौथाई हिस्सा है, जिसमें से सड़क परिवहन तीन-चौथाई उत्सर्जन (कुल वैश्विक CO₂ उत्सर्जन का 15%) के लिये जिम्मेदार है।
 - ◆ इसका सबसे बड़ा हिस्सा यात्री वाहन हैं, जो लगभग 45% CO2 उत्सर्जित करते हैं।
 - यदि यही स्थिति बनी रही तो वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2050 में वार्षिक जीएचजी उत्सर्जन 90% अधिक होगा।
- उत्सर्जन कम करने की दिशा में भारत से संबधित मुद्देः
 - ♦ भारत में ईंधन की गुणवत्ता में बदलाव, आंतरिक दहन इंजन (internal Combustion Engines- ICE) की निकास उपचार प्रणाली, वाहन खंडों के विद्युतीकरण और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की दिशा में उठाए गए कदमों के साथ वाहन प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है।
 - ♦ लेकिन ICE वाहनों की वर्ष 2040 तक पर्याप्त हिस्सेदारी होने की संभावना है।
 - इसके लिये न केवल उत्सर्जन मानकों को सख्त करने की आवश्यकता है बल्कि विश्व में उत्सर्जन को कम करने हेतु वाहनों के परीक्षण के लिये तकनीकी मानकों में संशोधन की भी आवश्यकता है।
- उत्सर्जन परीक्षण की विधि:
 - अधिकांश देशों ने विनिर्माण चरण और उपयोग के दौरान वाहनों के परीक्षण हेतू नियम तैयार किये हैं।
 - ◆ वाहन प्रमाणन प्रक्रियाओं के तहत प्रयोगशाला में 'इंजन चेसिस डायनेमोमीटर' पर इंजन प्रदर्शन परीक्षण और उत्सर्जन अनुपालन शामिल होता है।
 - ◆ इसके पश्चात् स्वीकार्य परीक्षण परिणाम प्राप्त करने हेतु 'ड्राइव साइकल' (गित और समय के निरंतर डेटा बिंदुओं की एक शृंखला जो त्वरण, मंदी और निष्क्रियता के संदर्भ में ड्राइविंग पैटर्न का अनुमान लगाती है) का भी प्रयोग किया जाता है।
 - इसके माध्यम से वाहनों की वास्तविक ड्राइविंग स्थिति जानने में मदद मिलती है, जिससे उनसे होने वाले उत्सर्जन के बारे में भी पता चलता है।

- भारत द्वारा तैयार की गई परीक्षण विधियाँ:
 - ◆ 'इंडियन ड्राइव साइकल' (IDC) व्यापक सड़क परीक्षणों के आधार पर भारत में वाहन परीक्षण और प्रमाणन हेतु तैयार किया गया पहला 'ड्राइविंग साइकल' था।
 - 'इंडियन ड्राइव साइकल' एक छोटा सा चक्र था, जिसमें 108 सेकंड के छह ड्राइविंग मोड शामिल थे (त्वरण, मंदी और निष्क्रियता के एक पैटर्न को दर्शाते हुए)।
 - ♦ किंतु IDC के तहत उन सभी जटिल ड्राइविंग स्थितियों को शामिल नहीं किया गया था, जो प्राय: आमतौर पर भारतीय सड़कों पर देखी जाती हैं।
 - ◆ इसके बाद IDC में सुधार के रूप में 'मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकल' (MIDC) को अपनाया गया, जिसमें शामिल मानक 'न्यू
 यूरोपियन ड्राइविंग साइकल' (NEDC) के समान हैं।
 - MIDC के तहत व्यापक ड्राइविंग मोड शामिल हैं और यह IDC की तुलना में काफी बेहतर है।
 - साथ ही MIDC व्यावहारिक दुनिया में ड्राइविंग के दौरान देखी गईं विभिन्न स्थितियों को काफी बेहतर ढंग से कवर करता है।
 - हालाँकि सुधारों के बावजूद, MIDC अभी भी यातायात घनत्व, भूमि उपयोग पैटर्न, सड़क बुनियादी अवसंरचना और खराब यातायात प्रबंधन में भिन्नता के कारण ऑन-रोड स्थितियों के दौरान वाहनों के उत्सर्जन का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।
 - ◆ इसिलये 'वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर' (WLTP) को अपनाना आवश्यक हो गया है, जो कि आंतरिक दहन इंजन और हाइब्रिड कारों से प्रदूषकों के स्तर को निर्धारित करने हेतु एक वैश्विक मानक है।
- व्यावहारिक दुनिया में उत्सर्जन का मापन:
 - ◆ 'वास्तिवक ड्राइविंग उत्सर्जन' (RDE) परीक्षणों को लेकर यूरोपीय आयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का सुझाव है कि 'ड्राइविंग साइकल' व प्रयोगशाला परीक्षण वास्तिवक ड्राइविंग स्थितियों के दौरान संभावित उत्सर्जन को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, क्योंिक वास्तिवक स्थितिययाँ प्रयोगशाला ड्राइविंग परीक्षण की तुलना में अधिक जिटल होती हैं।
 - 'वास्तिविक ड्राइविंग उत्सर्जन' (RDE) 'वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर' और समकक्ष प्रयोगशाला परीक्षणों
 की सीमाओं को समाप्त करने हेतु एक स्वतंत्र परीक्षण है, जिसके तहत माना जाता है कि सार्वजनिक सड़कों पर कोई कार कई तरह
 की परिस्थितियों का सामना करती है।
 - भारत में ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वर्तमान में आरडीई प्रक्रियाओं का विकास कर रहा है, जिनके वर्ष 2023 में लागू होने की संभावना है।
 - आरडीई चक्र को देश में प्रचलित स्थितियों, जैसे कम और अधिक ऊँचाई, साल भर तापमान, अतिरिक्त वाहन पेलोड, ड्राइविंग,
 शहरी और ग्रामीण सड़कों व राजमार्गों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये।

भारत में उत्सर्जन कम करने की पहल:

- भारत स्टेज- IV (BS-IV) से भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव:
 - भारत चरण (बीएस) उत्सर्जन मानकों को सरकार द्वारा मोटर वाहनों सिहत आंतिरक दहन इंजन और स्पार्क-इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिये निर्धारित किया गया है।
 - ♦ केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया है कि वाहन निर्माताओं को 1 अप्रैल 2020 से केवल BS-VI (BS-6) वाहनों का निर्माण, बिक्री और पंजीकरण करना होगा।
- 2025 तक भारत में इथेनॉल सिम्मिश्रण का रोडमैप:
 - रोडमैप में अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन की आपूर्ति करने के लिये इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के क्रमिक प्रयोग और अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक E20 के चरणबद्ध प्रयोग का प्रस्ताव है।
- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन (FAME) योजना का तेज़ी से अंगीकरण और निर्माण:
 - ◆ FAME India योजना का उद्देश्य सभी वाहन खंडों को प्रोत्साहित करना है।

- योजना के दो चरण:
 - चरण I: वर्ष 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2019 को पूरा हुआ
 - चरण II: अप्रैल, 2019 से शुरू होकर 31 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन:
 - 🔷 इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नीति और विनियमन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारत के प्रयासों को संरेखित करते हुए कार्बन उत्सर्जन में कटौती तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 जारी की है।

अक्तूबर, 2021 में भारत के वन शासन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिये MoEFCC द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था।

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के बारे में:
 - 🔷 यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से 'भारतीय वन सर्वेक्षण' द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
 - वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report-ISFR) का यह 17वाँ प्रकाशन है।
 - ♦ ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ-साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है।
 - ♦ वनों की तीन श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है जिनमें शामिल हैं- अत्यधिक सघन वन (70% से अधिक चंदवा घनत्व), मध्यम सघन वन (40-70%) और खुले वन (10-40%)।
 - ◆ स्क्रबस (चंदवा घनत्व 10% से कम) का भी सर्वेक्षण किया गया लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया।
- ISFR 2021 की विशेषताएँ:
 - 🔷 इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया है।
 - ♦ वर्ष 2011-2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किमी (0.32%) की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किमी (0.04%) की कमी आई है।
 - ♦ इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभयारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई।
 - ♦ बक्सा (पश्चिम बंगाल), अनामलाई (तिमलनाडु) और इंद्रावती रिज़र्व (छत्तीसगढ़) के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है जबिक कवल (तेलंगाना), भद्रा (कर्नाटक) और सुंदरबन रिजर्व (पश्चिम बंगाल) में हुई है।
 - अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिज़र्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है।
- रिपोर्ट के निष्कर्ष:
 - क्षेत्र में वृद्धिः
 - पिछले दो वर्षों में 1,540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है।
 - भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है जो वर्ष 2019 में 21.67% से अधिक है।
 - वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

- वनों में वृद्धि/कमी:
 - वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना (3.07%), आंध्र प्रदेश (2.22%) और ओडिशा (1.04%) हैं।
 - वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मिणपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड में हुई है।
- उच्चतम वन क्षेत्र/आच्छादन वाले राज्य:
 - क्षेत्रफल की दृष्टि से: मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र
 हैं।
 - कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पाँच राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नगालैंड हैं।
 - शब्द 'वन क्षेत्र' '(Forest Area) सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबिक 'वन आवरण'
 (Forest Cover) शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थित को दर्शाता है।
- मैंग्रोवः
 - मैंग्रोव में 17 वर्ग किमी. की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4,992 वर्ग किमी. हो गया है।
- जंगल में आग लगने की आशंका :
 - 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है। इसमें से 2.81% अत्यंत अग्नि प्रवण है, 7.85% अति उच्च अग्नि प्रवण है और 11.51% उच्च अग्नि प्रवण है।
 - वर्ष 2030 तक भारत में 45-64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे।
 - सभी राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और नगालैंड को छोड़कर) में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट होंगे। लद्दाख (वनावरण 0.1-0.2%) के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है।
- कुल कार्बन स्टॉक:
 - देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।
 - वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहीत किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर और कुछ हद तक लकड़ी और अपिशष्ट में भी।
- बाँस के वनः
 - वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बाँस की संख्या 13,882 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है।
- चिंताएँ
 - प्राकृतिक वनों में गिरावट:
 - मध्यम घने जंगलों या 'प्राकृतिक वन' में 1,582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है।
 - यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में 2,621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ-साथ देश में वनों के क्षरण को दर्शाती है।
 - साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5,320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को दर्शाता है।
 बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

पूर्वीत्तर क्षेत्र के वन आवरण में गिरावट:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में कुल मिलाकर 1,020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है।

- पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% हिस्सा है लेकिन कुल वन क्षेत्र का 23.75% हिस्सा है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट का कारण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूस्खलन और भारी बारिश के साथ-साथ मानवजनित गतिविधियों जैसे कि कृषि को स्थानांतरित करना, विकासात्मक गतिविधियों का दबाव और पेड़ों की कटाई को उत्तरदायी ठहराया गया है।

सरकारी पहलें

- हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन:
 - ♦ यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है।
 - ♦ इसे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन- पानी एवं आजीविका पर वानिकी के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP):
 - ♦ इसे निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिये वर्ष 2000 से लागू किया गया है।
 - ♦ इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- क्षितपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA Funds):
 - ♦ इसे 2016 में लॉन्च किया गया था , इसके फंड का 90% राज्यों को दिया जाना है, जबिक 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है।
 - ♦ धन का उपयोग जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों व गांवों के पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्षों को रोकने, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने, काष्ठ सुरक्षा वाले उपकरणों की आपूर्ति तथा संबद्ध गतिविधयों के लिये किया जा सकता है।
- नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन
 - ◆ इसे 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये तैयार किया गया था।
 - इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना (एफएफपीएम):
 - ♦ यह केंद्र द्वारा वित्तपोषित एकमात्र कार्यक्रम है जो विशेष रूप से जंगल की आग से निपटने में राज्यों की सहायता के लिये समर्पित है।

सौर अपशिष्ट

चर्चा में क्यों?

नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक भारत में 34,600 टन से अधिक संचयी सौर अपशिष्ट उत्पन्न कर सकता है।

- भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति नहीं है, लेकिन महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा स्थापना लक्ष्य है।
- एनएसईएफआई भारत के सभी सौर ऊर्जा हितधारकों का एक 'अंब्रेला' संगठन है। जो नीति समर्थन के क्षेत्र में काम करता है और भारत में सौर ऊर्जा विकास से जुड़े सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक राष्ट्रीय मंच है।

- परिचय:
 - ♦ सौर अपिशष्ट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कचरा है जो छोड़े गए सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न होता है। उन्हें देश में कबाड़ के रूप में बेचा जाता है।
 - ◆ यह अगले दशक तक कम से कम चार-पाँच गुना बढ़ सकता है। सौर कचरे से निपटने के लिये भारत को अपना ध्यान व्यापक नियम बनाने पर केंद्रित करना चाहिये।
- रिपोर्टः
 - यह संभावना है कि इस दशक के अंत तक भारत को सौर कचरे की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और सौर अपशिष्ट जल्द ही कचरे का सबसे प्रचलित रूप बन जाएगा।
 - सोलर पैनल की लाइफ 20-25 वर्ष होती है इसलिये कचरे की समस्या भविष्य में चुनौती बन सकती है।

- ◆ जबिक फोटोवोल्टिक वैश्विक बिजली का केवल 3% उत्पन्न करते हैं, वे दुनिया के 40% टेल्यूरियम, 15% चांदी व सेमीकंडक्टर-ग्रेड क्वार्ज़ का एक बड़ा हिस्सा और कम लेकिन अभी भी महत्त्वपूर्ण मात्रा में इंडियम, जस्ता, टिन और गैलियम का उपभोग करते हैं।
- ♦ सौर पैनलों से बरामद कच्चे माल का बाजार मूल्य वर्ष 2030 तक 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।
- पुनर्प्राप्त करने योग्य सामग्रियों का मूल्य वर्ष 2050 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर सकता है जो कि दो अरब सौर पैनलों के साथ 630 गीगावॉट बिजली प्रदान करने के लिये पर्याप्त होगा।

विश्व स्तर पर यह उम्मीद की जाती है कि सौर पैनलों के एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) अगले 10-20 वर्षों में सौर पैनल रीसाइक्लिंग के व्यवसाय में वृद्धि होगी।

- सौर अपशिष्ट को संभालने वाले अन्य देश:
 - यरोपीय संघः
 - यूरोपीय संघ का अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (WEEE) निर्देश उन निर्माताओं या वितरकों पर कचरे के निपटान की जिम्मेदारी डालता है जो पहली बार ऐसे उपकरण पेश करते हैं या स्थापित करते हैं।
 - WEEE निर्देश के अनुसार, फोटोबोल्टिक (PV) निर्माता अपने जीवनचक्र के अंत में मॉड्यूल के संग्रह, प्रबंधन और उपचार के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।
 - ♦ यूके:
 - यूके में एक उद्योग-प्रबंधित "टेक-बैक और रीसाइक्लिंग योजना" भी है, जहाँ सभी पीवी उत्पादकों को आवासीय सौर बाजार (व्यवसाय-से-उपभोक्ता) और गैर-आवासीय बाजार के लिये उपयोग किये जाने वाले उत्पादों से संबंधित डेटा को पंजीकृत करने और जमा करने की आवश्यकता होगी।

अमेरिकाः

- जबिक अमेरिका में कोई संघीय कानून या नियम नहीं हैं जो रीसाइक्लिंग के बारे में बात करते हो, किंतु कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने एंड-ऑफ-लाइफ पीवी मॉड्यूल प्रबंधन को संबोधित करने हेतु नीतियों को सिक्रय रूप से परिभाषित किया है।
- वाशिंगटन और कैलिफोर्निया 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' (EPR) नियमों के साथ आए हैं। वाशिंगटन को अब पीवी मॉड्यूल निर्माताओं को अंतिम उपयोगकर्त्ता को बिना किसी कीमत के राज्य के भीतर या राज्य में बेचे जाने वाले पीवी मॉड्यूल के टेक-बैक और पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण के वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- ऑस्ट्रेलियाः
 - ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार ने चिंता को स्वीकार किया है और पीवी सिस्टम के लिये उद्योग के नेतृत्व वाली उत्पाद प्रबंधन योजना को विकसित करने तथा लागू करने हेतु राष्ट्रीय उत्पाद प्रबंधन निवेश कोष के हिस्से के रूप में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की है।
- जापान और दक्षिण कोरिया:
 - जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने पहले ही पीवी कचरे की समस्या के समाधान के लिये समर्पित कानून बनाने के अपने संकल्प का संकेत दिया है।
- सिफारिशें:
 - ♦ मज़बूत ई-अपशिष्ट या अक्षय ऊर्जा अपशिष्ट कानून: सौर पैनल के जीवन के अंत के दौरान उत्तरदायित्त्व निर्धारित करने हेतु निर्माता
 और डेवलपर्स के लिये 'विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व' (EPR) लागू किया जा सकता है।
 - पीवी मॉड्यूल यूरोपीय संघ के WEEE नियमों में शामिल किये जाने वाले पहले नियम थे। इसमें अपशिष्ट प्रबंधन के वित्तपोषण के विकल्प शामिल हैं।
 - ◆ बुनियादी ढाँचा: पुनर्चक्रण की लागत को कम करने के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश की आवश्यकता है, अक्षय ऊर्जा कचरे को
 कुशलतापूर्वक संभालने के लिये ऊर्जा और अपिशष्ट क्षेत्र के बीच समन्वय और अधिक रीसाइक्लिंग संयंत्रों का निर्माण करना आवश्यक
 है।

- पर्यावरण निपटान और पुनर्चक्रण: सौर अपशिष्ट पर्यावरण निपटान और पुनर्चक्रण परियोजना डेवलपर्स के साथ बिजली खरीद समझौते SECI / DISCOMS / में सरकार के मुद्दों का हिस्सा हो सकती है।
- ♦ लैंडिफिल पर प्रतिबंध: सौर पैनल अपशिष्ट पर्यावरण के लिये हानिकारक हैं क्योंकि इसमें जहरीली धातू और खनिज होते हैं जिनका जमीन में रिसकते हैं।
- ♦ व्यापार प्रोत्साहन: पुनर्चक्रण उद्योग को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये नए व्यापार मॉडल, प्रोत्साहन या हरित प्रमाणपत्र के मुद्दे शामिल किये जाने चाहिये।
- ◆ अनुसंधान और विकास: डिजाइन में नवाचार का उनके द्वारा उत्पन्न कचरे के प्रकार पर प्रभाव पड़ सकता है; नवीकरणीय ऊर्जा अपशिष्ट के प्रभाव को कम करने में प्रौद्योगिकी प्रगति महत्त्वपूर्ण होगी। उदाहरण के लिये- नए पैनल निर्माण प्रक्रिया के दौरान कम सिलिकॉन का उपयोग कर कम अपशिष्ट उत्पन्न को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- संबंधित भारतीय पहल:
 - ड्राफ्ट ईपीआर अधिसूचना: प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट
 - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021
 - ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016
 - ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

सेराडो में वनों की कटाई: ब्राज़ील

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2021 में वनों की कटाई ब्राजील के सेराडो में वर्ष 2015 के बाद से उच्चतम स्तर तक पहुँच गई है, जिससे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे अधिक प्रजाति-समृद्ध सवाना की स्थिति पर आवाज उठाई है।

 यह पाया गया कि ब्राज्ञील के अमेजन में वनों की कटाई का क्षेत्र पिछले वर्ष (2020) से 22% की वृद्धि के बाद 15 वर्षों में सबसे उच्च स्तर पर पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - सेराडो ब्राजील के कई राज्यों में फैला हुआ है और दुनिया के सबसे बड़े सवाना में से एक है, जिसे अक्सर "डाउन साइड फ़ॉरेस्ट" कहा जाता है क्योंकि इसके पौधे की गहरी जड़ें सूखे और आग से बचने के लिये जमीन में डूबी रहती हैं।
 - सेराडो एक प्रमुख कार्बन सिंक है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करता है।
- सेराडो का विनाश:
 - सेराडो में इन पेड़ों, घासों और अन्य पौधों का विनाश ब्राजील के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है, हालाँकि यह अधिक प्रसिद्ध अमेजन वर्षावन की तुलना में बहुत कम घना जंगल है जो इसकी सीमा से लगा हुआ है।
 - जुलाई 2021 से अब तक 12 महीनों में सेराडो में वनों की कटाई और देशी वनस्पतियों की निकासी 8% से बढ़कर 8,531 वर्ग किलोमीटर की हो गई है।
 - वैज्ञानिकों ने अपनी विकास समर्थक बयानबाजी के साथ वनों की कटाई को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण प्रवर्तन की स्थिति के लिये सरकार को दोषी ठहराया है।

वनों की कटाई

- परिचय:
 - ◆ वनों की कटाई जंगल के अलावा किसी क्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु पेड़ों को स्थायी रूप से हटाना है। इसमें कृषि या चराई, ईंधन, निर्माण आदि के लिये भूमि को साफ करना शामिल हो सकता है।
 - ◆ आज सबसे अधिक वनों की कटाई उष्णकटिबंध क्षेत्र में हो रही है, जो क्षेत्र पहले दुर्गम थे वे अब पहुँच के भीतर हैं क्योंकि घने जंगलों में नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
 - मैरीलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ने वर्ष 2017 में लगभग 1,58,000 वर्ग किलोमीटर जंगल खो दिये है जो लगभग बांग्लादेश के आकार के थे।
- प्रभाव:
 - ◆ उष्णकिटबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई भी कैनोपी के ऊपर जल वाष्प के उत्पादन के तरीके को प्रभावित कर सकती है, जिससे कम वर्षा होती है।
 - वनों की कटाई न केवल उन वनस्पितयों को समाप्त करती है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने हेतु महत्त्वपूर्ण हैं, बिल्कि निर्वनीकरण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का उत्पादन भी करता है।
 - यह जैव विविधता और पशु जीवन को भी नुकसान पहुँचा रहा है।

सवाना

- परिचय
 - सवाना एक वनस्पित प्रकार है, जो गर्म और शुष्क जलवायु पिरिस्थितियों में पाई जाती है तथा इसमें कैनोपी (यानी बिखरे हुए वृक्ष) एवं जमीन पर लंबी घास की विशेषता मौजूद होती है।
 - ◆ सवाना के सबसे बड़े क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, म्यॉँमार (बर्मा), थाईलैंड के एशियाई क्षेत्र और मेडागास्कर में पाए जाते हैं।
- सवाना का पर्यावरण:
 - ♦ सामान्य तौर पर, सवाना भूमध्य रेखा से 8° से 20° अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगती हैं।
 - सभी मौसमों में स्थितियाँ गर्म होती हैं, लेकिन हर वर्ष केवल कुछ महीनों के लिये वर्षा होती है दक्षिणी गोलार्द्ध में अक्तूबर से मार्च तक और उत्तरी गोलार्द्ध में अप्रैल से सितंबर तक।
 - ♦ औसत वार्षिक वर्षा आमतौर पर 80 से 150 सेंटीमीटर होती है, हालाँकि कुछ केंद्रीय महाद्वीपीय स्थानों में यह 50 सेंटीमीटर जितनी कम हो सकती है।
 - ◆ शुष्क मौसम आमतौर पर बारिश के मौसम की तुलना में लंबा होता है, यह अलग-अलग क्षेत्रों में 2 से 11 महीनों तक हो होता है। शुष्क मौसम में औसत मासिक तापमान लगभग 10 से 20 डिग्री सेल्सियस और बारिश के मौसम में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है।
- सवाना के उप-विभाजन:
 - ♦ शुष्क मौसम की लंबी अवधि के आधार पर सवाना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- आई, सूखा और कॉॅंटेदार झाड़ी। आई सवाना में शुष्क मौसम आमतौर पर 3 से 5 महीने तक रहता है, शुष्क सवाना में 5 से 7 महीने और कॉंंटेदार सवाना में यह और भी लंबा होता है।
 - ♦ एक वैकल्पिक उपविभाजन को सवाना वुडलैंड के रूप में जाना जाता है, जिसमें पेड़ और झाड़ियाँ एक हल्की छतरी बनाती हैं।
 - कई उप-विभाजनों के बावजुद सभी सवाना कई विशिष्ट संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं को साझा करते हैं।
 - आमतौर पर उन्हें उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय वनस्पित प्रकारों के रूप में पिरभाषित किया जाता है जिनमें निरंतर घास का आवरण होता है तथा जो कभी-कभी पेड़ों और झाड़ियों से युक्त होता है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ झाड़ियों में आग लगने की बारंबारता होती है और जहाँ मुख्य विकास पैटर्न बारी-बारी से मौसम से आपस में जुड़े होते हैं।
 - सवाना को भूमध्यरेखीय क्षेत्रों के वर्षावनों और उच्च उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के रेगिस्तानों के बीच भौगोलिक तथा पर्यावरणीय संक्रमण क्षेत्र माना जा सकता है।
- वनस्पतिः
 - सवाना में उगने वाली घास और पेड़ कम जल और गर्म तापमान के साथ जीवन के अनुकूल हो गए हैं।
 - उदाहरण के लिये, जब पानी प्रचुर मात्रा में होता है तो घास इस आई मौसम में तेज़ी से बढ़ती है।
 - ♦ कुछ पेड़ अपनी जड़ों में पानी जमा करते हैं और केवल आर्द्र मौसम में ही पत्तियों का सृजन करते हैं।
- जीव-जंतु:
 - ◆ यह हाथी, जिराफ, जेब्रा, गैंडा आदि सिहत कई बड़े भूमि स्तनधारियों का घर है। अन्य जानवरों में बबून, मगरमच्छ, मृग आदि शामिल हैं।
 - 🔷 सवाना बायोम के कई जानवर शाकाहारी होते हैं जो कई क्षेत्रों से इस क्षेत्र में पलायन करते हैं।

सामाजिक न्याय

मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन, सेवा और व्यवसाय मॉडल के तहत वर्ष 2021 तक 700 से अधिक शहर/कस्बे मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

- मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM):
 - FSSM के बारे में:
 - भारत स्वच्छता कवरेज में अंतराल को पहचानते हुए वर्ष 2017 में FSSM पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा करने वाला प्रथम देश बन गया है।
 - FSSM मानव मल प्रबंधन वेस्ट स्ट्रीम, जिसमें रोग फैलाने की उच्चतम क्षमता होती है, को प्राथमिकता देता है।
 - यह एक कम लागत वाला और आसानी से मापनीय स्वच्छता समाधान है जो मानव अपशिष्ट के सुरक्षित संग्रह, परिवहन, उपचार और पुनः उपयोग पर केंद्रित है।.
 - नतीजतन, FSSM एक समयबद्ध तरीके से सभी के लिये पर्याप्त और समावेशी स्वच्छता के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लक्ष्य 6.2 को प्राप्त करने में सही है।
 - संबंधित पहलः
 - भारत ने खुले में शौच-मुक्त (ओडीएफ) + और ओडीएफ ++ प्रोटोकॉल के शुभारंभ के माध्यम से FSSM के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना जारी रखा है, स्वच्छ सर्वेक्षण में FSSM पर जोर दिया है, साथ ही कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत) में FSSM के लिये वित्तीय आवंटन और स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) मिशन की शुरुआत की है।
- भारत के सीवेज उपचार संयंत्रों की क्षमता:
 - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले एक-तिहाई से अधिक सीवेज का उपचार करने में सक्षम हैं।
 - ♦ भारत ने 72,368 MLD (मिलियन लीटर प्रतिदिन) का उत्पादन किया, जबकि STPs की स्थापित क्षमता 31,841 MLD (43.9%) थी।
 - ◆ 5 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक में देश की कुल स्थापित उपचार क्षमता का 60% हिस्सा है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्देः
 - ♦ शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में अपशिष्ट प्रबंधन के लिये वित्त की कमी।
 - तकनीकी विशेषज्ञता और उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था का अभाव।
 - ♦ उचित संग्रह, पृथक्करण, परिवहन और उपचार∕निपटान प्रणाली शुरू करने के प्रति यूएलबी की अनिच्छा।
 - जागरूकता की कमी के कारण कचरा प्रबंधन के प्रति नागरिकों की उदासीनता।
 - अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ परिस्थितियों के प्रति सामुदायिक भागीदारी का अभाव

आगे की राह

- FSSM गठबंधन का उपयोग: राष्ट्रीय मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (NFSSM) गठबंधन ने अब तक भारत में FSSM क्षेत्र में एक उत्प्रेरक भिमका निभाई है और राज्य एवं शहर के अधिकारियों के लिये एक तैयार संसाधन और मंच के रूप में कार्य करता है।
- दीर्घकालिक स्थिरता और गुणवत्ता कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राज्यों और शहरों को क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिये। इसके अलावा यह महत्त्वपुर्ण है कि राज्य संस्थागतकरण के लिये कदम उठाएँ।
- सबसे कमजोर, वंचित, महिलाओं और शहरी गरीबों को इस प्रयास के केंद्र में रखते हुए, राज्यों एवं शहरों को अभिनव समाधान पेश करने के लिये तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिये।
- इसके साथ ही भारत न केवल खुले में शौच को समाप्त करने के लिये बल्कि सुरक्षित रूप से प्रबंधित समग्र स्वच्छता हेतु भी दुनिया के लिये एक उदाहरण बन सकता है।

निषेध कानून और मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार ने अवैध शराब निर्माण की निगरानी के लिये ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

• इसने निषेध अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिये भौतिक और वित्तीय संसाधनों के उपयोग की उपयोगिता पर बहस शुरू कर दी है।

- परिचय:
 - ♦ निषेध कानून द्वारा किसी चीज़ को मना करने का कार्य या अभ्यास है: विशेष रूप से यह शब्द मादक पेय पदार्थों के निर्माण, भंडारण (चाहे बैरल में या बोतलों में), परिवहन, बिक्री, कब्ज़ा और खपत पर प्रतिबंध लगाने को संदर्भित करता है।
 - संवैधानिक प्रावधानः
 - अनुच्छेद 47: भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि "राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर इनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये नियम बनाएगा"।
 - राज्य का विषय: शराब, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में एक विषय है।
- भारत में अन्य निषेध अधिनियम:
 - ♦ बॉम्बे आबकारी अधिनियम, 1878: शराब निषेध पर पहला संकेत बॉम्बे आबकारी अधिनियम, 1878 के माध्यम से था।
 - यह अधिनियम वर्ष 1939 और 1947 में किये गए संशोधनों के माध्यम से अन्य बातों और शराब निषेध के पहलुओं पर नशीले पदार्थों को लेकर शल्क लगाने से संबंधित था।
 - बॉम्बे निषेध अधिनियम, 1949: बॉम्बे आबकारी अधिनियम, 1878 में शराबबंदी लागू करने के सरकार के फैसले के दृष्टिकोण से "कई खामियाँ" थीं।
 - इसके कारण बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 का जन्म हुआ।
 - सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वर्ष 1951 में बॉम्बे राज्य बनाम एफएन बलसारा के फैसले में कुछ धाराओं को छोड़कर अधिनियम को व्यापक रूप से बरकरार रखा।
 - गुजरात निषेध अधिनियम, 1949:
 - गुजरात ने वर्ष 1960 में शराबबंदी नीति को अपनाया और बाद में इसे और अधिक कठोरता के साथ लागू किया, लेकिन विदेशी
 पर्यटकों और आगंतुकों के लिये शराब परिमट प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया।
 - वर्ष 2011 में, अधिनियम का नाम बदलकर गुजरात निषेध अधिनियम कर दिया गया। वर्ष 2017 में गुजरात निषेध (संशोधन)
 अधिनियम को इस राज्य में शराब के निर्माण, खरीद, बिक्री और परिवहन पर दस साल तक की जेल के प्रावधान के साथ पारित किया गया था।

- ♦ बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 2016: बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 में लागू किया गया था।
 - 2016 से कड़े शराबबंदी कानून के तहत 3.5 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कारण जेलों में भीड़भाड़
 है और अदालतें बंद हैं।
- अन्य राज्य: मिज़ोरम, नगालैंड राज्यों के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराबबंदी लागू है।
- शराबबंदी के खिलाफ तर्क:
 - ♦ निजता का अधिकार:
 - किसी व्यक्ति के भोजन और पेय पदार्थों के चुनाव के अधिकार में राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप एक अनुचित प्रतिबंध के बराबर है और व्यक्ति की निर्णयात्मक व शारीरिक स्वायत्तता को नष्ट कर देता है।
 - वर्ष 2017 के बाद से कई फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है।
 - ♦ हिंसा की भावना: विभिन्न शोधों और अध्ययनों से पता चला है कि शराब हिंसा की भावना को बढ़ा देती है।
 - महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलु हिंसा के अधिकांश अपराध बंद दरवाजों के पीछे होते हैं।
 - राजस्व की हानि: शराब से प्राप्त कर राजस्व किसी भी सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। ये सरकार को कई जन कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाती हैं। इन राजस्वों की अनुपस्थिति राज्य की लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।
 - रोजगार का स्रोत: आज भारतीय विदेशी शराब (आईएमएफएल) उद्योग हर साल करों में 1 लाख करोड़ से अधिक का योगदान देता है। यह लाखों किसान परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है और उद्योग में कार्यरत लाखों श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।
- शराबबंदी के पक्ष में तर्कः
 - आजीविका पर प्रभाव: शराब पारिवारिक संसाधनों नष्ट कर देती है और महिलाओं और बच्चों को इसके सबसे कमजोर शिकार के रूप
 में छोड़ देती है। कम से कम जहां तक परिवार इकाई का संबंध है, एक सामाजिक कलंक अभी भी शराब के सेवन से जुड़ा हुआ है।
 - ◆ नियमित खपत को हतोत्साहित करें: शराब के नियमित और अत्यधिक सेवन को हतोत्साहित करने के लिये सख्त राज्य विनियमन अनिवार्य है।
 - ♦ जैसा कि अनुसूची सात के तहत राज्य सूची में निषेध का उल्लेख है, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह शराबबंदी से संबंधित प्रावधान करे।

आगे की राह

- नैतिकता, निषेध या पसंद की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों के बीच अर्थव्यवस्था, नौकरी आदि जैसे कारक भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इसके कारणों और प्रभावों पर एक सूचित और रचनात्मक संवाद की आवश्यकता है।
- नीति निर्माताओं को ऐसे कानून बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो ज़िम्मेदार व्यवहार और अनुपालन को प्रोत्साहित करते हैं।
 - ♦ शराब पीने की उम्र को पूरे देश में एक समान किया जाना चाहिये और इससे नीचे के किसी भी व्यक्ति को शराब खरीदने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिये।
 - सार्वजिनक रूप से शराब के नशे में व्यवहार, प्रभाव में घरेलू हिंसा और शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिये।
 - 🔷 सरकारों को शराब से अर्जित राजस्व का एक हिस्सा सामाजिक शिक्षा, नशामुक्ति और सामुदायिक समर्थन के लिये अलग रखना चाहिये।

स्वास्थ्य सेवा खंड' हेतु एक अलग नियामक का प्रस्ताव: IRDAI

चर्चा में क्यों?

अस्पतालों के लिये एक सामान्य टैरिफ संरचना विकसित करने के उद्देश्य से 'भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण' (IRDAI) ने 'स्वास्थ्य सेवा खंड' हेतु एक अलग नियामक का प्रस्ताव रखा है अथवा इस क्षेत्र को अस्पतालों को स्वयं विनियमित करने की अनुमित दी जानी चाहिये।

 यह देखा गया है कि वर्तमान में अस्पताल शुल्क की मुद्रास्फीति दर लगभग 10-15% है और नियमित आधार पर टैरिफ में बदलाव किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- अस्पतालों के वर्तमान टैरिफ फ्रेमवर्क से संबंधित मुद्दे
 - अलग-अलग टैरिफ:
 - अस्पताल नियमित आधार पर स्वयं टैरिफ बदलते रहते हैं। वर्तमान में टैरिफ संरचना और ग्रेडिंग पर उन्हें विनियमित करने हेतु कोई
 निकाय मौजूद नहीं है।
 - बीते वर्ष जब कोविड महामारी ने देश में प्रवेश किया था, तो कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों से अत्यधिक शुल्क लिया गया था।
 - स्वास्थ्य बीमा व्यवसायों की लागत:
 - यदि बीमाकर्त्ता इसी प्रकार अस्पतालों की मांग को पूरा करना जारी रखते हैं और अत्यधिक भुगतान करते रहते हैं, तो स्वास्थ्य बीमा
 व्यवसाय पर दीर्घावधि में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञात हो कि पहले से ही यह उद्योग बड़ी संख्या में दावों का सामना कर रहा है।
 - व्यक्तिगत 'हॉस्पिटल एम्पैनल्मेंट' प्रक्रिया
 - वर्तमान में स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं और निजी बीमा के तहत व्यक्तिगत 'हॉस्पिटल एम्पैनल्मेंट' प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जो विभिन्न गतिविधियों और प्रक्रियाओं के दोहराव एवं अक्षमता में योगदान करती हैं।
 - अस्पतालों को विनियमित करने हेतु बुनियादी ढाँचे का अभाव:
 - IRDAI के पास वर्तमान में अस्पतालों को विनियमित करने हेतु किसी भी प्रकार का बुनियादी ढाँचा मौजूद नहीं है। चूँकि स्वास्थ्य सेवा राज्य का विषय है, इसलिये IRDAI के लिये अस्पतालों को विनियमित करना काफी कठिन हो जाता है।
 - भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) भारत में बीमा क्षेत्र के समग्र पर्यवेक्षण एवं विकास हेतु संसद के एक अधिनियम- बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत गठित वैधानिक निकाय है।
- सिफारिशें
 - स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती पहुँच के साथ सामान्य और चिकित्सा मुद्रास्फीति कारकों को अलग करने की आवश्यकता है तथा यह देखते हुए कि चिकित्सा मुद्रास्फीति प्राय: 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' मुद्रास्फीति से काफी अधिक होती है, मूल्य निर्धारण के दृष्टिकोण में सुधार की भी आवश्यकता है।
 - ◆ IRDAI ने बीमा कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाँचे के मानकीकरण और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक कॉमन अस्पताल रजिस्ट्री, एम्पैनल्मेंट' प्रक्रिया, अस्पतालों की ग्रेडिंग और पैकेज लागत के बीच सामंजस्य का प्रस्ताव दिया है।
 - ◆ यह सिफारिश की गई है कि एक सामान्य पैनल पोर्टल स्थापित किया जाए, जिसका उपयोग सभी योजनाओं/बीमा कंपिनयों द्वारा मानकीकृत पैनल मानदंड के लिये किया जा सकता है, जो सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर विशेष ध्यान देने के साथ बेहद फायदेमंद होगा।

स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance)

- स्वास्थ्य देखभाल:
 - ◆ राजस्व और रोजागार के मामले में स्वास्थ्य देखभाल भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है। बढ़ती आबादी, बढ़ता आय स्तर, बुनियादी ढाँचे में वृद्धि, जागरूकता में वृद्धि,बीमा पॉलिसियों और चिकित्सा पर्यटन तथा नैदानिक परीक्षणों के केंद्र के रूप में भारत के उदय ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।
 - चूँिक इस क्षेत्र की जरूरतें बढ़ रही हैं, इसिलये आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा गरीबों को बिना किसी खर्चे के समय पर देखभाल से लाभान्वित करने में सक्षम बनाता है।
- स्वास्थ्य बीमा का महत्त्व:
 - ◆ स्वास्थ्य बीमा भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'आउट-ऑफ पॉकेट' (OOP) व्यय की व्यवस्था करने का एक तंत्र है।

- यह स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से पूर्व-भुगतान, जोखिम-पूलिंग और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के कारण होने वाले व्यापक व्यय से बचाव के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में सामने आया है।
- ◆ इसके अलावा प्री-पेड पूल फंड भी स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान की दक्षता में सुधार कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य बीमा से संबंधित मुद्देः
 - जीवन की स्थिति असमान रूप से वितरित है:
 - स्वतंत्रता के बाद से लोगों की जीवन प्रत्याशा में 35 वर्ष से 65 वर्ष की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन जीवन की स्थिति देश के विभिन्न भागों में असमान रूप से वितरित है तथा भारत में स्वास्थ्य समस्याएँ अभी भी बड़ी चिंता का कारण हैं।
 - कम सरकारी खर्च :
 - स्वास्थ्य पर कम सरकारी व्यय ने सार्वजिनक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता को बाधित किया है।
 - यह अधिकांश व्यक्तियों- लगभग दो-तिहाई को महँगे निजी क्षेत्र में इलाज कराने को मजबूर करता है।
 - स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सुरक्षा का अभाव:
 - कम-से-कम 30% आबादी या 40 करोड़ व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा मौजूद नही है।
- संबंधित सरकारी योजनाएँ:
 - ◆ 'आयुष्पान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) यह माध्यिमक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है) के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।

सार्वभौमिक सुगम्यता' संबंधी दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने 'भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता हेतु नवीन सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक' (2021) जारी किये हैं।

- नए नियमों के तहत योजना के डिज़ाइन से अधिक कार्यान्वयन पर ध्यान देने की परिकल्पना की गई है।
- इसके अलावा 'सार्वभौमिक सुगम्यता' संबंधी नए दिशा-निर्देशों के तहत मौजुदा पारितंत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।
- इससे पहले वर्ष 2021 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नए 'सुगम्यता' मानकों हेतु मसौदा दिशानिर्देश जारी किये थे।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

- भारत का केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD), सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों हेतु उत्तरदायी केंद्र सरकार का एक प्रमुख प्राधिकरण है।
- यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अंतर्गत आता है।
- यह इमारतों, सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर, स्टेडियम, सभागारों, प्रयोगशालाओं, बंकरों, सीमा पर बाड़ लगाने, सीमा सड़कों (पहाड़ी सड़कों) आदि जैसी जटिल संरचनाओं के निर्माण से संबंधित है।
- इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1854 में की थी।

- नए दिशा-निर्देशों के बारे में:
 - ये दिशा-निर्देश वर्ष 2016 में जारी दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिये बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण हेतु सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों और अंतरिक्ष मानकों का संशोधन है।
 - पूर्ववर्ती दिशा-निर्देश एक बाधा मुक्त वातावरण निर्मित करने से संबंधित थे लेकिन नए दिशा-निर्देश सार्वभौमिक पहुँच पर केंद्रित हैं।
 - सार्वभौमिक पहुँच की स्थिति उस स्थिति/डिग्री को संदर्भित करती है जिस तक पर्यावरण, उत्पाद और सेवाएँ विकलांग लोगों के लिये सुलभता के साथ उपलब्ध हो सकें।

- दिव्यांग लोगों के लिये "निर्मित वातावरण" से भौतिक बाधाओं को दूर करने के प्रयास का वर्णन करने हेतु बाधा मुक्त वातावरण शब्द का उपयोग किया जाता है।
- ◆ ये दिशा-निर्देश केवल दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities- PwD) के लिये ही नहीं हैं, बिल्क सरकारी भवनों
 के निर्माण से लेकर मास्टर-प्लानिंग के तहत शहरों तक, योजना परियोजनाओं में शामिल लोगों के लिये भी हैं।
- ♦ नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)।
- दिव्यांग लोगों के लिये संवैधानिक और कानूनी ढाँचा:
 - अनुच्छेद 14: राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
 - इस संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों को संविधान के समक्ष समान अधिकार प्राप्त होने चाहिये।
 - संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार: भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, जो वर्ष 2007 में लागू हुआ था।
 - कन्वेंशन एक मानव अधिकार के रूप में पहुँच को मान्यता देता है तथा विकलांग व्यक्तियों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त उपायों को अपनाने हेतु हस्ताक्षर करता है।
 - सुगम्य भारत अभियान: यह सुगम्य भारत अभियान के रूप में भी जाना जाता है और विकलांग व्यक्तियों को विकास के लिये समान अवसर प्राप्त करने हेतु सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
 - अभियान बुनियादी ढाँचे, सूचना और संचार प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण बदलाव करके पहुँच को बढ़ाने का प्रयास करता है।
 - ♦ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016: भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया, जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित प्रमुख और व्यापक कानून है।
 - अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लिये सेवाओं के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों को पिरभाषित करता है।
 - यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करके एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने की भी सिफारिश करता है जहाँ वे एक सामान्य व्यक्ति को मिलने वाले विकास लाभों को साझा कर सके।
- अन्य संबंधित पहलें:
 - दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
 - विकलांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप।
 - विशिष्ट विकलांगता पहचान परियोजना
 - अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस

दिव्यांगता (Disability)

- परिचय:
 - ◆ दिव्यांगता कुछ विशेष रूप से विकलांग लोगों से जुड़ा एक शब्द है यह एक ऐसी स्थित को जो उसे अपने आस-पास के अन्य लोगों की तरह ही काम करने से रोकती है।
- दिव्यांगता के प्रकार:
 - ♦ बौद्धिक अक्षमता: एक बौद्धिक अक्षमता (आईडी) वाले व्यक्ति में कम बुद्धि या तर्कसंगत क्षमता की कमी देखी जाती है जो कि बुनियादी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिये उनके कौशल में कमी के रूप में प्रदर्शित होती है।
 - ◆ स्नायिवक और संज्ञानात्मक विकार: लोगों के जीवनकाल में इस प्रकार की विकलांगता मस्तिष्क की खराब चोट या मल्टीपल स्केलेरोसिस से होती है।
 - मल्टीपल स्केलेरोसिस में शरीर की कोशिकाओं पर उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा हमला किया जाता है, जिससे शरीर और उसके
 मस्तिष्क के बीच संचार में समस्या पैदा हो जाती है।
 - शारीरिक अक्षमता: यह दिव्यांगता लोगों में पाई जाने वाली सबसे आम प्रकार की अक्षमता है।
 - ये मुद्दे संचार प्रणाली से लेकर तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र संबंधी हो सकते हैं।

- सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी विकलांगता है जो मस्तिष्क क्षति के कारण होती है और इसके परिणामस्वरूप चलने में समस्या होती है। ऐसी दिव्यांगता के लक्षण जन्म से ही देखे जा सकते हैं।
- 🔷 मानसिक विकलांगता: किसी व्यक्ति में इस तरह के विकार व्यक्ति में चिंता विकार, अवसाद या विभिन्न प्रकार के फोबिया को जन्म देते हैं।

भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर कैदियों की गोपनीयता, गरिमा सुनिश्चित करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कारागार प्रमुखों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2020 में देश भर की जेलों में 70 ट्रांसजेंडर कैदी थे।
- यह एडवाइजरी ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के आलोक में जारी की गई थी, जो जनवरी 2020 से लागृ हई थी।

- जेलों का बुनियादी ढाँचा:
 - ♦ निजता के अधिकार और कैदियों की गरिमा को बनाए रखने के लिये ट्रांसमेन और ट्रांस वमन के लिये अलग-अलग वार्ड और अलग शौचालय एवं शॉवर की सुविधा।
- आत्म-पहचान का सम्मान:
 - 🔷 प्रवेश प्रक्रियाओं, चिकित्सा परीक्षण, तलाशी, कपडे, पुलिस अनुरक्षक की मांग, जेलों के भीतर उपचार और देखभाल के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आत्म-पहचान का हर समय सम्मान किया जाना चाहिये।
 - ट्रांसजेंडर व्यक्ति कानून के तहत ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक करना।
- जाँच प्रोटोकॉल:
 - जाँच उनके पसंदीदा लिंग के व्यक्ति या किसी प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर या खोज करने में प्रशिक्षित एक पैरामेडिक द्वारा की जानी चाहिये।
 - तलाशी करने वाले व्यक्ति को खोजे जा रहे व्यक्ति की सुरक्षा, गोपनीयता और गरिमा सुनिश्चित करनी चाहिये।
- जेल में प्रवेश:
 - ♦ पुरुष और महिला के अलावा अन्य श्रेणी के रूप में "ट्रांसजेंडर" को शामिल करने के लिये जेल प्रवेश रजिस्टर को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।
 - इसी तरह का प्रावधान कारागार प्रबंधन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिये किया जा सकता है।
- स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:
 - 🔷 ट्रांसजेंडर कैदियों को लैंगिक पहचान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवा का समान अधिकार होना चाहिये।
- बाहरी दुनिया के साथ संचार:
 - ♦ उन्हें परिवीक्षा, कल्याण या पुनर्वास अधिकारियों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों व देखभाल के बाद की योजना पर बातचीत करने का अवसर दिया जाना चाहिये।
- कारागार कार्मिकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण:
 - 🔷 यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये लिंग पहचान, मानवाधिकार, यौन अभिविन्यास और कानूनी ढाँचे की समझ विकसित करने हेतु किया जाना चाहिये।
 - इसी तरह की जागरूकता का प्रसार अन्य बंदियों में भी किया जाना चाहिये।

ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रमुख पहलें

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019:
 - यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पिरभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय दिये गए लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें ट्रांसमेन और ट्रांस-वीमेन, इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग-क्वीर व सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे कि किन्नर आदि शामिल हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
 - ◆ राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ, 2014: सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया है।
 - भारतीय दंड संहिता (2018) की धारा 377 के प्रावधानों की समाप्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020:
 - ♦ केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नियम बनाए हैं।
 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये 'राष्ट्रीय पोर्टल' 'ट्रांसजेंडर व्यक्तिय (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020' के अनुरूप शुरू किया गया
 था।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये 'आश्रय गृह योजना':
 - ज़रूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उनके लिये 'गरिमा
 गृह' नामक आश्रय गृह स्थापित कर रहा है।

जेल अधिनियम और ट्रांसपर्सन

- भारत में कारागार अधिनियम, 1894, कारागारों के प्रशासन को विनियमित करने वाला केंद्रीय कानून है।
- यह अधिनियम मुख्य रूप से दीवानी कानून के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों को आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों से अलग करता है।
- दुर्भाग्य से यह अधिनियम यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान (SOGI) के आधार पर यौन अल्पसंख्यकों को कैदियों के एक अलग वर्ग के रूप में भी मान्यता नहीं देता है।
- यह केवल मिहलाओं, युवा अपराधियों, विचाराधीन कैदियों, दोषियों, सिविल कैदियों, बंदियों और उच्च सुरक्षा वाले कैदियों जैसी श्रेणियों में कैदियों का वर्गीकरण करता है।
- 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' (NALSA) का निर्णय अनुच्छेद-14, 15 और 21 के तहत ट्रांसपर्सन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए राज्यों को उनके कानूनी और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों पर नीतियाँ बनाने का निर्देश देता है।
- यह ट्रांस कैदियों पर भी लागू होता है, क्योंिक जेल और उनका प्रशासन राज्य का विषय है।
- भले ही नालसा के फैसले में दिये गए निर्देश देश के कानून का गठन करते हैं, फिर भी वर्तमान कानूनों में बदलाव लाने की आवश्यकता है।
- हालाँकि जेल अधिनियम, जेल अधिकारियों को उन प्रक्रियाओं का पालन करने की अनुमित देता है जो सख्ती से लिंग-द्विआधारी हैं।
- ये प्रक्रियाएँ न केवल कानून की वैधता को चुनौती देती हैं, बल्कि जेलों के अंदर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर एक तरह की यातना और अपमानजनक व्यवहार को भी बढावा देती हैं।
- यह सब कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) द्वारा 'लॉस्ट आइडेंटिटी: ट्रांसजेंडर पर्सन्स इनसाइड इंडियन प्रिजन्स' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट से प्रमाणित होता है।
- यह रिपोर्ट भारतीय जेलों में बंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालती है।

आगे की राहः

 औपनिवेशिक जेल अधिनियम अप्रचिलत हो गया है और यह संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर विफल है जो कि एक बहुलवादी और समावेशी समाज की शुरूआत करता है।

- चूँकि संवैधानिक नैतिकता एक ऐसी चीज़ है जिसे कानून की प्रकृति और लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हए विकसित किया जाना चाहिये, वर्तमान कानुनों में यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के ऐसे प्रगतिशील दृष्टिकोण की कमी है।
- यौन अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर कैदियों के संदर्भ में सुधारों को संबोधित करने के लिये जगरूकता और दस्तावेजीकरण दो महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं।
- इस प्रकार CHRI उस प्रक्रिया में एक कदम है जो ट्रांसजेंडर कैदियों के इलाज के लिये लिंग आधारित दृष्टिकोण की वकालत करता है।
- CHRI की सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर कैदियों की विशेष जरूरतों पर एक 'मॉडल पॉलिसी' लाने के लिये ट्रांस समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से नालसा के फैसले के जनादेश का सम्मान करने हेतु विचार किया जाना चाहिये।

प्रौद्योगिकी हेत् राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन' पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेत् प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये 'प्रौद्योगिकी हेत् राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन 3.0' (NEAT 3.0) की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- NEAT योजना का मॉडल: यह सरकार और भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी (एडटेक) कंपनियों के बीच एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है।
- उद्देश्य: NEAT का उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों की सुविधा के लिये शिक्षा अध्यापन में सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों को एक मंच पर लाना है।
- लक्षित क्षेत्र: इसके तहत अत्यधिक रोजगार योग्य कौशल वाले विशिष्ट क्षेत्रों में सीखने या ई-सामग्री के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले पौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- कार्य पद्धित: इसके तहत सरकार एडटेक कंपनियों द्वारा पेश किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की एक शृंखला के लिये मुफ्त कूपन वितरित करने की योजना बना रही है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE):

- इसकी स्थापना नवंबर 1945 में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा हेतु उपलब्ध सुविधाओं पर एक सर्वेक्षण करना और समन्वित एवं एकीकृत रूप से देश में विकास को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, AICTE में निहित हैं:
 - मानदंडों और मानकों के नियोजन, निर्माण और रखरखाव के लिये सर्वोच्च प्राधिकरण।
 - गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
 - देश में तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन।

एड-टेक

- एड-टेक के बारे में: एडटेक एक अधिक आकर्षक, समावेशी और व्यक्तिगत रूप से सीखने के अनुभव हेतु कक्षा में आईटी उपकरण का अभ्यास से संबंधित है।
- एड-टेक के इच्छित लाभ: प्रौद्योगिकी में अविश्वसनीय क्षमता है और यह मानव को इच्छित लाभ प्राप्त करने में सक्षम है, जो इस प्रकार हैं:
 - शिक्षा के अधिक-से-अधिक निजीकरण को बढ़ावा।
 - सीखने की दर में सुधार करके शैक्षिक उत्पादकता में वृद्धि करना।

- अवसंरचनात्मक सामग्री की लागत को कम करना और बड़े पैमाने पर सेवा प्रदान करना।
- शिक्षकों/निर्देशकों के समय का बेहतर उपयोग करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 निर्देश के हर स्तर पर प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के स्पष्ट आह्वान के लिये उत्तरदायी है।
 - शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान हेतु 'राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच' (National Educational Technology Forum- NETF) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी।
- स्कोपः भारतीय एड-टेक इकोसिस्टम में इनोवेशन की काफी संभावनाएँ हैं।
 - ♦ 4,500 से अधिक स्टार्ट-अप और लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मौजूदा मूल्यांकन के साथ बाजार तेजी से विकास कर रहा है अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में इसके 30 अरब अमेरिकी डॉलर का बाज़ार बनने की संभावना है।
- एड-टेक के साथ जुड़े मुद्दे:
 - प्रौद्योगिकी पहुँच की कमी: हर कोई जो स्कूल जाने का खर्च वहन नहीं कर सकता उनके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिये फोन, कंप्यूटर या यहाँ तक कि एक गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है।
 - वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, केवल 42% शहरी और 15% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा थी।
 - ऐसे में एड-टेक पहले से मौजूद डिजिटल डिवाइड को बढ़ा सकता है।
 - शिक्षा के अधिकार के साथ विरोधाभास: प्रौद्योगिकी सभी के लिये उपलब्ध नहीं है, पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ना उन लोगों के शिक्षा के अधिकार को छीनने जैसा है जो प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- उठाए गए प्रमुख कदम :
 - ज्ञान साझा करने के लिये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा)।
 - पीएम ई विद्या।
 - स्वयं प्रभा टीवी चैनल
 - स्वयं पोर्टल

आगे की राहः

- व्यापक एड-टेक नीति: एक व्यापक एड-टेक नीति संरचना में चार प्रमुख तत्त्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिये:
 - विशेष रूप से वंचित समृहों को सीखने के लिये पहुँच प्रदान करना।
 - शिक्षण, सीखने और मृल्यांकन की प्रक्रियाओं को सक्षम करना।
 - शिक्षक प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास की सुविधा प्रदान करना।
 - योजना, प्रबंधन और निगरानी प्रक्रियाओं सिहत शासन प्रणाली में सुधार करना।
- प्रौद्योगिको एक उपकरण है, रामबाण नहीं: सार्वजनिक शिक्षण संस्थान सामाजिक समावेश और सापेक्ष समानता में अनुकरणीय भूमिका निभाते
 - ♦ यह वह स्थान है, जहाँ सभी लिंग, वर्ग, जातियों और समुदायों के लोग मिलते हैं और एक समूह को दूसरों के सामने झुकने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है।
 - ♦ इसलिये, प्रौद्योगिकी स्कूलों को प्रतिस्थापित या शिक्षकों की जगह नहीं ले सकती है। इस प्रकार इसे "शिक्षक बनाम प्रौद्योगिकी" नहीं बल्कि "शिक्षक और प्रौद्योगिकी" होना चाहिये।
- एड-टेक के लिये बुनियादी ढाँचा प्रदान करना: तत्काल अवधि में एड-टेक परिदृश्य में विशेष रूप से उनके पैमाने, पहुँच और प्रभाव को पूरी तरह से मापने करने के लिये एक तंत्र होना चाहिये।

- ◆ शिक्षकों और छात्रों के लिये पहुँच, इक्विटी, बुनियादी ढाँचे, शासन और गुणवत्ता से संबंधित परिणामों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- ♦ डिजिटल डिवाइड को दो स्तरों पर संबोधित करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और इसका लाभ उठाने के लिये पहुँच व कौशल।

वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग वाली याचिका दर्ज की गई है।

- इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि वह इसे अपराधी बनाने की दिशा में "रचनात्मक दृष्टिकोण" पर विचार कर रही है और विभिन्न हितधारकों से सुझाव भी मांगे है।
- याचिका में आपराधिक कानून में संशोधन की मांग की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 (बलात्कार) शामिल है।

- भूमिकाः
 - 🔷 बलात्कार के अभियोजन के लिये "वैवाहिक प्रतिरक्षा" का आधार समाज की पितृसत्तात्मक सोच से उभरा हैं।
 - जिसके अनुसार, विवाह के बाद एक पत्नी की व्यक्तिगत एवं यौन स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और मानवीय गरिमा का अधिकार आत्मसमर्पित हो जाता है।
 - सत्तर के दशक में नारीवाद की दूसरी लहर के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया वर्ष 1976 में सुधारों को पारित करने वाला पहला देश बन गया और इसके बाद कई स्कैंडिनेवियाई व यूरोपीय देशों ने वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक अपराध बना दिया।
- वैवाहिक बलात्कार के संबंध में कानूनी प्रावधान:
 - वैवाहिक बलात्कार के अपवाद: भारतीय दंड संहिता की धारा 375, जो एक पुरुष को उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती अनैच्छिक यौन संबंधों की छूट देती है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो। इसे वैवाहिक बलात्कार के अपवाद" (Marital Rape Exception) के रूप में भी जाना जाता है।
 - ♦ अर्थात् IPC की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत पंद्रह वर्ष से अधिक की आयु के पित और पत्नी के बीच अनैच्छिक यौन संबंधों को धारा 375 के तहत निर्धारित "बलात्कार" की पिरभाषा से बाहर रखा गया है तथा इस प्रकार यह ऐसे कृत्यों के अभियोजन को रोक देता है।
- वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानने से संबंधित मुद्देः
 - महिलाओं के मूल अधिकारों के खिलाफ: वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानना अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) जैसे मौलिक अधिकारों में निहित व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और लैंगिक समानता के संवैधानिक लक्ष्यों का तिरस्कार है।
 - → न्यायिक प्रणाली की निराशाजनक स्थिति: भारत में वैवाहिक बलात्कार के मामलों में अभियोजन की कम दर के कुछ कारणों में शामिल हैं:
 - सोशल कंडीशनिंग और कानूनी जागरूकता के अभाव के कारण अपराधों की कम रिपोर्टिंग।
 - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के ऑंकड़ों के संग्रह का गलत तरीका।
 - न्याय की लंबी प्रक्रिया/स्वीकार्य प्रमाण की कमी के कारण अदालत के बाहर समझौता।
 - → न्यायमूर्ति वर्मा सिमिति की रिपोर्ट: 16 दिसंबर, 2012 के गैंग रेप मामले में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद गठित जे. एस. वर्मा सिमिति ने भी वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की अनुशंसा की थी।

- इस कानून की समाप्ति से महिलाएँ उत्पीड़क पितयों से सुरक्षित होंगी, वैवाहिक बलात्कार से उबरने के लिये आवश्यक सहायता
 प्राप्त कर सकेंगी और घरेल हिंसा एवं यौन शोषण से स्वयं की रक्षा में सक्षम होंगी।
- सरकार का पक्ष:
 - ◆ विवाह संस्था पर विघटनकारी प्रभाव: अब तक सरकार ने कई मौकों पर कहा है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था को खतरा होगा और निजता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा।
 - कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग: आईपीसी की धारा 498ए (एक विवाहित महिला का उसके पित और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न) और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का दुरुपयोग बढ़ रहा है।
 - वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाना पितयों को परेशान करने का एक आसान साधन बन सकता है।

आगे की राह

- 🔸 बहु-हितधारक दृष्टिकोण: वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक शुरुआत होगी।
 - दंपित्त के यौन इतिहास, पीड़ित को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान जैसे विभिन्न पहलुओं के आधार पर चिकित्सा किमयों, परिवार परामर्शदाताओं, न्यायाधीशों और पुलिस की एक विशेषज्ञ सिमिति द्वारा सजा का फैसला किया जा सकता है।
- व्यवहार में बदलाव लाना: पीड़ितों की आर्थिक स्वतंत्रता की सुविधा के लिये सहमित, समय पर चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार के महत्व पर जनता (नागिरकों, पुलिस, न्यायाधीशों, चिकित्सा किमयों) को जागरूक करने वाले जागरूकता अभियानों के माध्यम से वैधानिक सुधार किया जाना चाहिये।



आंतरिक सुरक्षा

नगालैंड में अफस्पा का विस्तार

चर्चा में क्यों?

कोन्याक संगठनों की संरक्षक संस्था 'कोन्याक सिविल सोसाइटी संगठन' ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम 1958 (AFSPA) के विस्तार की निंदा की है।

नगालैंड में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से छह महीने के लिये बढ़ा दिया गया है।

कोन्याक

- परिचय:
 - नगालैंड में कोन्याक जनजाति एओ, तंगखुल, सेमा और अंगामी के बाद सबसे बड़ी जनजाति है।
 - ♦ अन्य नागा जनजातियों में लोथा, संगतम, फोम, चांग, खिमनुंगम, यिमचुंगरे, जेलियांग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
 - माना जाता है कि 'कोन्याक' शब्द 'व्हाओ' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 'सिर' और 'न्याक' का अर्थ है 'काला'। इसका अनुवाद 'काले बालों वाला पुरुष' है।
 - ♦ उन्हें दो समूहों में बाँटा जा सकता है- 'थेंडु', जिसका अर्थ है 'टैटू वाला चेहरा' और 'थेंथो', जिसका अर्थ है 'सफेद चेहरा'।
- परिवेश:
 - ◆ यह जनजाति ज्यादातर मोन जिले में निवास करती है, जिन्हें 'द लैंड ऑफ द एंग्स' के नाम से भी जाना जाता है, वे अरुणाचल प्रदेश, असम और म्याँमार के कुछ जिलों में भी पाए जाते हैं।
 - अरुणाचल प्रदेश में उन्हें वांचो के रूप में जाना जाता है ('वांचो' 'कोन्याक' का पर्यायवाची शब्द है)।
 - जातीय, सांस्कृतिक और भाषायी रूप से एक ही पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के नोक्टेस और तांगसा भी कोन्याक से निकटता से संबंधित हैं।
- मनाए जाने वाले त्योहार :
 - तीन सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहार एओलिंगमोन्यु, एओनिमो और लाउन-ओंगमो हैं।
 - एओलिंगमोन्यु अप्रैल के पहले सप्ताह में बीज बोने के बाद मनाया जाता है और यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसका धार्मिक महत्त्व समृद्ध फसल के लिये भगवान को प्रसन्न करना है।
 - पहली फसल जैसे- मक्का और सिब्जियों की कटाई के बाद जुलाई या अगस्त में एओनिमो मनाया जाता है।
 - लाउन-ओंगमो एक धन्यवाद देने वाला त्योहार है और सभी कृषि गतिविधियों के पूरा होने के बाद मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958:

- पृष्ठभूमिः
 - भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिये बनाए गए ब्रिटिश-युग के कानून का पुनर्जन्म, AFSPA 1947 में चार अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था।
 - ♦ अध्यादेशों को 1948 में एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पूर्वोत्तर में वर्तमान कानून 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जी.बी. पंत द्वारा प्रभावी किया गया था।
 - इसे शुरू में सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता था।

♦ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लिये अनुकृलित किया गया था।

परिचय:

- ♦ AFSPA सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने तथा अभियोजन एवं कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश शक्तियाँ
- नगा हिल्स में विद्रोह से निपटने के लिये कानून पहली बार 1958 में लागू हुआ, उसके बाद असम में विद्रोह हुआ।
- अशांत क्षेत्र:
 - ♦ 1972 में अधिनियम में संशोधन किया गया और एक क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गईं।
 - ♦ वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिये AFSPA का विस्तार करने हेतु समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।
 - मिणपुर और असम के लिये अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है।
 - ♦ त्रिपुरा ने 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया और मेघालय में 27 वर्षों से AFSPA लागू था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल, 2018 से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया गया।
 - यह अधिनियम असम की सीमा से लगे 20 किलोमीटर के क्षेत्र में लागू किया गया था।
 - जम्मू और कश्मीर में एक अलग जम्मू-कश्मीर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1990 है।
- अधिनियम को लेकर विवाद:
 - मानवाधिकारों का उल्लंघन:
 - कानून गैर-कमीशन अधिकारियों तक, सुरक्षाकर्मियों को बल का उपयोग करने और "मृत्यु का कारण बनने तक" गोली मारने का अधिकार देता है, यदि वे आश्वस्त हैं कि "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिये ऐसा करना आवश्यक है।
 - यह सैनिकों को बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने. तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने की कार्यकारी शक्तियाँ भी देता है।
 - सशस्त्र बलों द्वारा इन असाधारण शक्तियों के प्रयोग से अक्सर अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर फर्जी मुठभेडों और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं, जबकि नगालैंड एवं जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में AFSPA के अनिश्चितकालीन लागू होने पर सवाल उठाया गया है।
 - जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें:
 - नवंबर 2004 में, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिये न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति नियुक्त की।
 - सिमिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं:
 - AFSPA को निरस्त किया जाना चाहिये और गैर-कानुनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में उचित प्रावधान शामिल किये जाने चाहिये
 - सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने हेत् गैरकानुनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक जिले में जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं, शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने चाहिये।
 - दूसरी ARC की सिफारिशें: सार्वजिनक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासिनक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट में भी अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। हालाँकि, इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।
- अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार:
 - ♦ वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय (नगा पीपुल्स मुवमेंट ऑफ ह्युमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।

- इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
 - केंद्र सरकार द्वारा स्व-प्रेरणा से घोषणा की जा सकती है, हालांकि यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहिये:
 - घोषणा एक सीमित अविध के लिये होनी चाहिये और घोषणा की समय-समय पर समीक्षा हेतु 6 महीने की अविध समाप्त हो गई
 है:
 - अफस्पा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय, प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिये ।

आगे की राह

- वर्षों से हुई कई मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के कारण अधिनियम की यथास्थिति अब स्वीकार्य समाधान नहीं है। AFSPA उन क्षेत्रों में उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है जहाँ इसे लागू किया गया है इसिलये सरकार को प्रभावित लोगों को संबोधित करने और उन्हें अनुकूल कार्रवाई के लिये आश्वस्त करने की आवश्यकता है।
- सरकार को मामले-दर-मामले आधार पर अफ्सपा को लागू करने और हटाने पर विचार करना चाहिये और पूरे राज्य में इसे लागू करने के बजाय इसे केवल कुछ सवेदनशील जिलों तक सीमित करना चाहिये।
- सरकार और सुरक्षा बलों को सर्वोच्च न्यायालय, जीवन रेड्डी आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी पालन करना चाहिये।

स्वदेशी विमान वाहक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'स्वदेशी विमान वाहक-1' (IAC), जिसे भारतीय नौसेना में प्रवेश करने के बाद INS विक्रांत कहा जाएगा, ने समुद्री परीक्षणों का एक और चरण शुरू किया है।

INS विक्रांत भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है।

- विमान वाहक के विषय में:
 - ◆ विमानवाहक पोत 'एक बड़ा जहाज़ है, जो सैन्य विमानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और इसमें जहाजों के लिये 'एयर बेस' मौजूद होती है।
 - ये 'एयर बेस' एक पूर्ण-लंबाई वाली उड़ान डेक से लैस होते हैं, जो विमान को ले जाने, हथियार तैनात करने और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।
 - ये युद्ध और शांति के समय में नौसेना के बेड़े की कमान के रूप में कार्य करते हैं।
 - 🔷 एक वाहक युद्ध समूह में विमान वाहक और उसके अनुरक्षक शामिल होते हैं, जो क साथ एक समूह का निर्माण करते हैं।
 - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल जापानी नौसेना ने पहली बार बड़ी संख्या में वाहक को एक टास्क फोर्स में इकट्ठा किया था जिसे किडो बूटाई के नाम से जाना जाता था।
 - इस टास्क फोर्स का इस्तेमाल पर्ल हार्बर अटैक के दौरान किया गया था।
- भारत में विमान वाहक:
 - आईएनएस विक्रांत (सेवामुक्त): आईएनएस विक्रांत से शुरुआत, जिसने वर्ष 1961 से 1997 तक भारत की सेवा की।
 - भारत ने वर्ष 1961 में यूनाइटेड किंगडम से विक्रांत का अधिग्रहण किया और इस वाहक ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ।
 - वर्ष 2014 में आईएनएस विक्रांत का मुंबई में भंजन हुआ।

- आईएनएस विराट (सेवामुक्त): आईएनएस विक्रांत के बाद सेंटौर-श्रेणी का वाहक एचएमएस (हर मेजेस्टीज शिप) हर्मीस आया, जिसे भारत में आईएनएस विराट के रूप में नाम दिया गया और इसने वर्ष 1987 से 2016 तक भारतीय नौसेना में सेवा प्रदान कीं।
- आईएनएस विक्रमादित्यः
 - यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत और रूसी नौसेना के सेवामुक्त एडिमरल गोर्शकोव/बाकू से पिरवर्तित युद्धपोत है।
 - INS विक्रमादित्य एक संशोधित कीव-श्रेणी का विमानवाहक पोत है जिसे नवंबर 2013 में कमीशन किया गया था।
- ♦ INS विक्रांतः
 - INS विक्रांत की विरासत को सम्मान देने हेतु पहले IAC को INS विक्रांत के रूप में नामित किया जाएगा।
 - इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है।
 - वर्तमान में इसका समुद्री परीक्षण चल रहा है और इसका परिचालन वर्ष 2023 में शुरू होने की संभावना है।
 - इसके निर्माण ने भारत को अत्याधुनिक विमान वाहक बनाने की क्षमता वाले चुनिंदा देशों में शामिल किया है।
 - संचालन के तौर-तरीके: भारतीय नौसेना के अनुसार, यह युद्धपोत मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बह-भूमिका हेलीकॉप्टर और स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) का संचालन करेगा।
- विमान वाहक का महत्त्व:
 - ◆ वर्तमान में अधिकांश विश्व शक्तियाँ अपने समुद्री अधिकारों और हितों की रक्षा के लिये तकनीकी रूप से उन्नत विमान वाहक का संचालन या निर्माण कर रही हैं।
 - ◆ दुनिया भर में तेरह नौसेनाएँ अब विमान वाहक पोत संचालित करती हैं। कुछ के नाम निम्नलिखित हैं:
 - निमित्ज़ क्लास, US
 - गेराल्ड आर फोर्ड क्लास, US
 - क्वीन एलिजाबेथ क्लास, UK
 - एडिमरल कुजनेत्सोव, रूस
 - लिओनिंग, चीन
 - INS विक्रमादित्य, भारत
 - चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस
 - कैवोर, इटली
 - जुआन कार्लोस, स्पेन
 - यूएसएस अमेरिका, US
 - भारत के लिये एयरक्राफ्ट कैरियर एक निवारक नौसैनिक क्षमता प्रदान करता है जो न केवल आवश्यक है बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता भी है।
 - ऐसा इसिलये है क्योंकि भारत की जिम्मेदारी का क्षेत्र अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक है
- भावी प्रयास:
 - ◆ वर्ष 2015 से नौसेना देश के लिये तीसरा विमानवाहक पोत बनाने की मंजूरी मांग रही है, जिसे अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी-2) बन जाएगा।
 - ◆ INS विशाल नाम के इस प्रस्तावित वाहक को 65,000 टन के विशाल पोत के रूप में उभारना है, जो आईएसी-1 और INS विक्रमादित्य से काफी बड़ा है।

चर्चा में

रानी लक्ष्मीबाई

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रारंभिक जीवनः
 - उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था।
 - ♦ उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम 'मणिकर्णिका' था और उन्हें प्यार से 'मनु' कहा जाता था।
 - ◆ उनका एक पुत्र दामोदर राव पैदा हुआ, जो अपने जन्म के चार महीने के भीतर ही मर गया। शिशु की मृत्यु के बाद उनके पित ने एक चचेरे भाई के बच्चे आनंद राव को गोद लिया, जिसका नाम महाराजा की मृत्यु से एक दिन पहले दामोदर राव रखा गया था।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका
 - रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर योद्धाओं में से एक थीं।
 - वर्ष 1853 में जब झांसी के महाराजा की मृत्यु हुई, तो लॉर्ड डलहौजी ने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse) को लागू किया और राज्य पर कब्जा लिया।
 - रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साम्राज्य को विलय से बचाने के लिये अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 17 जून, 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई।
 - ♦ जब इंडियन नेशनल आर्मी ने अपनी पहली महिला इकाई (1943 में) शुरू की, तो इसका नाम झांसी की बहादुर रानी के नाम पर रखा
 गया।

व्यपगत का सिब्हांत (Doctrine of Lapse):

- यह वर्ष 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन की जाने वाली एक विलय नीति
 थी।
- इसके अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहाँ शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था।
 - ♦ इस प्रकार भारतीय शासक के किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता था।
- व्यपगत का सिद्धांत लागू करते हुए डलहौजी द्वारा निम्निलिखित राज्यों पर कब्जा किया गया:
 - सतारा (1848 ई.),
 - जैतपुर, और संबलपुर (1849 ई.),
 - ◆ बघाट (1850 ई.),
 - उदयपुर (1852 ई.),
 - ♦ झाँसी (1853 ई.) और
 - नागपुर (1854 ई.)

नाम बदलने की प्रक्रियाः

 िकसी भी गाँव, कस्बे, शहर या स्टेशन का नाम बदलने के लिये राज्य विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है, जबिक संसद में बहुमत के साथ एक राज्य का नाम बदलने के लिये संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति मिलने के बाद किसी भी रेलवे स्टेशन या स्थान का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे देता है।

एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक आवृत्तिः राष्ट्रीय ग्रिड

हाल ही में पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने 'वन नेशन-वन ग्रिड-वन फ्रीक्वेंसी' यानी नेशनल ग्रिड के संचालन की वर्षगाँठ मनाई।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय ग्रिड का विकास:
 - क्षेत्रीय आधार पर राष्ट्रीय ग्रिड प्रबंधन 60 के दशक में शुरू हुआ।
 - 🔷 योजना और परिचालन उद्देश्यों के लिये भारतीय विद्युत प्रणाली को पाँच क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित किया गया है।
 - 🔷 नब्बे के दशक की शुरुआत में क्षेत्रीय ग्रिड के एकीकरण और इस तरह राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की अवधारणा की गई थी।
 - प्रारंभ में राज्य ग्रिड को एक क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिये आपस में जोड़ा गया था और भारत को 5 क्षेत्रों अर्थात् उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में सीमांकित किया गया था।
 - 🔷 वर्ष 1991 में उत्तर-पूर्वी और पूर्वी ग्रिड को जोड़ा गया था। इसके अलावा वर्ष 2003 में पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड को इससे जोड़ा गया था।
 - ♦ अगस्त 2006 में उत्तर और पूर्व ग्रिड आपस में जुड़े हुए थे, जिससे 4 क्षेत्रीय ग्रिड समकालिक रूप से जुड़े हुए थे और एक आवृत्ति पर एक केंद्रीय ग्रिड का संचालन कर रहे थे।
 - 🔷 31 दिसंबर 2013 को दक्षिणी क्षेत्र को सेंट्रल ग्रिड से जोड़ा गया। जिससे 'वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी' हासिल की जा सके।
 - यह सुनिश्चित करने के लिये सभी संभव उपाय िकये जाते हैं िक ग्रिड आवृत्ति हमेशा 49.90-50.05 हर्ट्ज बैंड के भीतर बनी रहे।

एक आवृत्ति का महत्वः

- एक सुसंगत विद्युत आवृत्ति बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कई आवृत्तियाँ एक दूसरे के साथ-साथ उपकरणों को नुकसान पहुँचाए बिना काम नहीं कर सकती हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर बिजली उपलब्ध कराते समय इसके गंभीर निहितार्थ हैं।
- राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता:
 - 🔷 वर्तमान में देश में लगभग 1,12,250 मेगावाट की कुल अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता है, जिसे वर्ष 2022 तक बढ़ाकर लगभग 1,18,740 मेगावाट करने की उम्मीद है।
- एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक आवृत्ति के लाभ:
 - ♦ मांग-आपूर्ति का मिलान: सभी क्षेत्रीय ग्रिडों के समन्वय से संसाधन केंद्रित क्षेत्रों से लोड केंद्रित क्षेत्रों में बिजली के हस्तांतरण द्वारा दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग में मदद मिलेगी।
 - बिजली बाज़ार का विकास: इसके अलावा यह एक जीवंत बिजली बाज़ार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा जिससे सभी क्षेत्रों में बिजली के व्यापार मेंकी सुविधा होगी।

कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़

आठ कोर इंडस्ट्रीज़ का उत्पादन नवंबर में आठ महीनों में सबसे धीमी गित 3.1% की दर से बढ़ा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर को संकेतित करता है। कच्चे तेल और सीमेंट को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

आठ कोर सेक्टर हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली।

प्रमुख बिंदु

- आठ कोर सेक्टर के बारे में:
 - ♦ इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
 - आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग उनके भार के घटते क्रम में: रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।
- औद्योगिक उत्पादन का सुचकांक:
 - ♦ IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
 - ◆ यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित
 किया जाता है।
 - यह एक समग्र संकेतक है जो निम्न वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है:
 - व्यापक क्षेत्र, अर्थातु खनन, विनिर्माण और बिजली।
 - उपयोग-आधारित क्षेत्र, अर्थात् मूल वस्तुएँ, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ।
 - ♦ IIP के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।
 - ♦ IIP का महत्व:
 - इसका उपयोग नीति-निर्माण उद्देश्यों के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
 - त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) अनुमानों की गणना के लिये IIP अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।

पढ़े भारत अभियान

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 'पढे भारत' का 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है।

• 21 फरवरी जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, को भी हमारे समाज की स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान के साथ एकीकृत किया गया है।

- परिचय:
 - ◆ यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जो स्थानीय/मातृभाषा/क्षेत्रीय/आदिवासी भाषा में बच्चों के लिये आयु उपयुक्त पाठय पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिये आनंदपूर्ण पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है।
 - NEP 2020 का उद्देश्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना" है।
 - एनईपी आजादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढाँचे में केवल तीसरा बड़ा सुधार है। इससे पहले की दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968
 और 1986 में लाई गई थीं।
 - ♦ इसमें बालवाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों पर फोकस किया जाएगा
 - ♦ इस अभियान को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी मिशन के विजन और लक्ष्यों के साथ भी जोड़ा गया है।
 - ◆ इसका उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता-पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सिहत राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी है।
- अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसः
 - ◆ इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर, 1999 को की गई थी और जिसे विश्व द्वारा वर्ष 2000 से मनाया जाने लगा। यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिये किये गए लंबे संघर्ष की भी याद दिलाता है।
 - ◆ 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। इन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में वर्ष 1952 में हुई हत्याओं को याद करने के लिये उक्त तिथि प्रस्तावित की थी।

🔷 इस पहल का उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना है।

भारत में शिक्षा

- संवैधानिक प्रावधान:
 - ♦ भारतीय संविधान के भाग IV, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषित होने के साथ-साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
 - 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने शिक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
 - केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियाँ एक व्यापक दिशा प्रदान करती हं और राज्य सरकारों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के लिये तमिलनाड़ 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रि-भाषा फार्मूले का पालन नहीं करता है।
 - ♦ 2002 में 86वें संशोधन ने शिक्षा को अनुच्छेद 21-A के तहत लागू करने योग्य अधिकार बना दिया।
- संबंधित कानून:
 - ♦ शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।
 - यह गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिक एकीकृत और समावेशी स्कूली शिक्षा प्रणाली बनाने हेतु वंचित वर्गों के बच्चों के लिये अपनी प्रवेश स्तर की सीटों में से कम-से-कम 25% सीटों को अलग रखने का आदेश देता है।
- संबंधित सरकारी पहल:
 - प्रधानमंत्री पोषण योजना
 - निपुण भारत मिशन
 - समग्र शिक्षा
 - NISHTHA (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नित के लिये राष्ट्रीय पहल)
 - ज्ञान साझा करने के लिये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा)
 - स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लिनैंग फॉर यंग एस्पायिंग माइंड्स (स्वयं)
 - शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढावा देने के लिये योजना (SPARC)
 - प्रज्ञाता दिशा-निर्देश
 - बेटी बचाओ बेटी पढाओ

आयुष आहार

हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुष भवन (दिल्ली) में अपनी कैंटीन में 'आयुष आहार' उपलब्ध कराकर एक नई शुरुआत की। इसका उद्देश्य पौष्टिक आहार और स्वस्थ जीवन को बढावा देना है।

- आयुष का अर्थः
 - ◆ स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपिरक और गैर-पारंपिरक प्रणालियाँ जिनमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी आदि शामिल हैं।
 - भारतीय चिकित्सा पद्धित की सकारात्मक विशेषताएँ अर्थात् उनकी विविधता और लचीलापन; अभिगम्यता; सामर्थ्य, आम जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा व्यापक स्वीकृति; तुलनात्मक रूप से कम लागत या बढ़ते आर्थिक मूल्य, उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनाने की काफी संभावनाएँ हैं जिनकी हमारे लोगों के बड़े हिस्से को ज़रूरत है।

- आयुष मंत्रालय की कुछ पहलें:
 - ♦ राष्ट्रीय आयुष मिशन:
 - सरकार आयुष चिकित्सा प्रणाली के विकास और संवर्द्धन के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से मिशन की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है।
 - सरकार ने इसे 2026 तक जारी रखने का फैसला किया है।
 - आहार क्रांति मिशन:
 - मिशन पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये समर्पित है।
 - आयुष क्षेत्र पर नए पोर्टल:
 - आयुष क्षेत्र पर पाँच नए पोर्टल लॉन्च िकये गए हैं CTRI (क्लिनिकल ट्रायल रिजस्ट्री ऑफ इंडिया), RMIS (रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉमेंशन सिस्टम), SAHI (आयुर्वेद ऐतिहासिक छापों का प्रदर्शन), AMAR (आयुष पांडुलिपियां उन्नत रिपोजिटरी) और ई-मेधा (इलेक्ट्रॉनिक) चिकित्सा विरासत परिग्रहण)।
 - ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी एप:
 - आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल: विभिन्न रोग स्थितियों के उपचार के लिये आयुष प्रणालियों की ताकत को चित्रित करने के लिये।
 - आयुष संजीवनी एप तीसरा संस्करण: यह चयनित आयुष हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता के बारे में एक महत्वपूर्ण अध्ययन और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें आयुष 64 और कबसुरा कुदिनीर दवाएँ स्पर्शोन्मुख एवं हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के प्रबंधन में शामिल हैं।

महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा: त्रिपुरा

हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराजा बीर बिक्रम (MBB) हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना एवं विद्याज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन 100 जैसी प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया।

- महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा:
 - बांग्लादेश से राज्य की निकटता और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तक पहुँच के कारण इस नए टर्मिनल के उद्घाटन को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में संचालन के लिये पहला कदम माना जाता है।
 - उनाकोटी पहाड़ियों की स्थानीय आदिवासी पत्थर की मूर्तियाँ और स्थानीय बाँस हस्तिशिल्प का भवन के अंदरूनी हिस्सों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है।
 - महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे को मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के दौरान तत्कालीन रियासत के राजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य देबबर्मन के सहयोग से अमेरिकी वायु सेना द्वारा बनाया गया था।
 - इसे पहले अगरतला हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था और वर्ष 2018 में इसका नाम पिरविर्तित किया गया।
- बीर बिक्रम किशोर देबबर्मन:
 - माणिक्य वंश के महाराजा कर्नल बीर बिक्रम किशोर माणिक्य देबबर्मन बहादुर (1908-1947) को व्यापक रूप से त्रिपुरा के अग्रणी राजा के रूप में माना जाता है।
 - वह अगस्त 1923 में अपने पिता बीरेंद्र किशोर माणिक्य देबबर्मन के उत्तराधिकारी बने। उनके बेटे महाराजा किरीट बिक्रम किशोर,
 वर्ष 1949 में भारत में राज्य के विलय होने तक दो वर्ष के लिये राजा रहे, लेकिन उन्होंने शासन नहीं किया क्योंकि वह नाबालिंग थे।
 - वह वर्ष 1947 तक त्रिपुरा राज्य के राजा थे।
 - ♦ उन्होंने त्रिपुरा के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें त्रिपुरा में आधुनिक वास्तुकला के पिता के रूप में जाना जाता है उनके शासन के दौरान वर्तमान त्रिपुरा की पूरी योजना शुरू की गई थी।

- ◆ वह भूमि सुधार के अग्रदूत थे। वर्ष 1939 में उन्होंने त्रिपुरा आदिवासियों के लिये भूमि आरक्षित की। बाद में इस कदम ने त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 🔷 इन्होंने त्रिपुरा (अगरतला हवाई अड्डा) में पहला हवाई अड्डा बनाया था।
- मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजनाः
 - यह योजना हर घर आवास, आयुष्मान कवरेज, बीमा कवर, केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड), सड़कों एवं नल के पानी को बढ़ावा देगी जिससे ग्रामीण आबादी में विश्वास बढ़ेगा।
- विद्याज्योति विद्यालयों का प्रोजेक्ट मिशन 100:
 - ♦ इसका उद्देश्य राज्य में 100 मौजूदा उच्च/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्याज्योति विद्यालयों में परिवर्तित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
 - ◆ इस पिरयोजना में नर्सरी से बारहवीं कक्षा तक के लगभग 1.2 लाख छात्र शामिल होंगे और इसकी लागत अगले तीन वर्ष में लगभग 500 करोड़ रु. है।

कोविड-19 का IHU वेरिएंट

कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में फ्राँस में उभरे 'IHU (इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटलो-यूनिवर्सिटेयर्स)' नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है।

प्रमुख बिंदुः

- खोज:
 - ◆ इसकी खोज की घोषणा फ्राँस के इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटलो-यूनिवर्सिटेयर्स (IHU या यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट्स) के मार्सिले हिस्से में मेडिटेरैनी इंफेक्शन के शोधकर्ताओं ने की थी, इसलिये इसका यह नाम पड़ा।
 - ◆ IHU संस्करण का पहला ज्ञात मामला नवंबर 2021 के मध्य में फ्राँस के एक व्यक्ति में पाया गया था जो अफ्रीका के कैमरून से लौटा था (वह महाद्वीप जहाँ ओमिक्रॉन खोजा गया था)।
- परिचय
 - ◆ यह वेरिएंट B.1.640 का एक उप-वंश है। इसे बी.1.640.2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - ◆ इस प्रकार के आनुवंशिक कोड में ओमिक्रॉन से अधिक 46 उत्परिवर्तन और 37 विलोपन हैं, इनमें से कई स्पाइक प्रोटीन को प्रभावित करते हैं।
- प्रसार दर:
 - ♦ फ्राँस में अब तक एक दर्जन मामले ही सामने आए हैं। िकसी अन्य देश में नए वेरिएंटके िकसी भी नए मामले का पता नहीं लगा है। यह निश्चित रूप से उतना खतरनाक नहीं है जितना िक ओमीक्रॉन।
 - जबिक इस प्रकार में बड़ी संख्या में महत्त्वपूर्ण उत्परिवर्तन ने शोधकर्ताओं की रुचि को आकर्षित किया है और जनता के बीच चिंता बढ़ा दी है, B.1.640 उस दर से नहीं फैल रहा है जो परेशान करने वाली है।
 - ♦ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अभी तक इस आईएचयू संस्करण को इंटरेस्ट, चिंता यहाँ तक कि जाँच के तहत एक प्रकार के रूप में नहीं माना है।

वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (VOI)

• यह एक विशिष्ट 'जेनेटिक मार्कर्स' (Genetic Markers) वाला वेरिएंट है जो 'रिसेप्टर बाइंडिंग' में परिवर्तन करने, पूर्व में हुए संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा संक्रमण के प्रभाव को कम करने, नैदानिक प्रभाव तथा संभावित उपचार को कम करने या संक्रमण को प्रसारित करने या बीमारी की गंभीरता में वृद्धि करने से संबंधित है।

- वर्तमान में VOI के दो प्रकार हैं:
 - ♦ Mu (B.1.621), जो वर्ष 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में उभरा।
 - ◆ Lambda (C.37), जो वर्ष 2020 के अंत में पेरू में उभरा।

वेरिएंट ऑफ कंसर्न (VOC):

- वायरस के इस वेरिएंट के परिणामस्वरूप संक्रामकता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी (जैसे- अस्पताल में भर्ती या मृत्यु हो जाना), पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी में महत्त्वपूर्ण कमी, उपचार या टीके की प्रभावशीलता में कमी या नैदानिक उपचार की विफलता देखने को मिलती है।
- B.1.1.7 (यूके वेरिएंट), B.1.351 (दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट), P.1 (ब्राज्ञील वेरिएंट), B.1.427 और अमेरिका में मिलने वाले B.1.429 वेरिएंट को VOC के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अधिक गंभीर वेरिएंट:

 अधिक गंभीर वेरिएंट से इस बात की पुष्टि होती है कि रोकथाम के उपाय या मेडिकल प्रतिउपायों ने पहले से प्रचलित वेरिएंट की सापेक्ष प्रभावशीलता को काफी कम कर दिया है।

वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन (VUI):

- पिब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (PHE) का कहना है कि अगर SARS-CoV-2 के वेरिएंट में महामारी, प्रतिरक्षा या रोगजनक गुण पाए जाते हैं
 तो इसकी औपचारिक जाँच (Formal Investigation) की जा सकती है।
- इस कार्य के लिये B.1.617 वेरिएंट को VUI के रूप में नामित किया गया है।

उत्परिवर्तन, वेरिएंट और स्ट्रेन

- जब कोई वायरस स्वयं की प्रतिकृति बनाता है तो वह सदैव अपनी एक सटीक प्रतिलिपि बनाने में सक्षम नहीं होता है।
- इसका अर्थ यह है कि समय के साथ वायरस अपने आनुवंशिक अनुक्रम के संदर्भ में थोड़ा भिन्न होना शुरू कर सकता है।
- इस प्रक्रिया के दौरान वायरल आनुवंशिक अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।
- नए उत्परिवर्तन वाले वायरस को कभी-कभी वेरिएंट कहा जाता है। वेरिएंटएक या कई म्यूटेशन से भिन्न हो सकते हैं।
- जब एक नए वेरिएंट में मूल वायरस से अलग कार्यात्मक गुण मौजूद होते हैं, तो इसे वायरस के नए स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है।
 - इस प्रकार सभी स्ट्रेन वेरिएंट होते हैं, लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते।

जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954

हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 1954 के श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।

- परिचय:
 - वर्ष 1806 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिये नियम जारी किये थे, जिसे औपनिवेशिक शासकों द्वारा जगरनॉट टेंपल कहा जाता था।
 - इन नियमों के तहत, मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों से करों का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती थी।
 - ब्रिटिश सरकार को मंदिर में विरिष्ठ पुजारियों की नियुक्ति का काम सौंपा गया था।
 - मंदिर के प्रबंधन की शक्तियाँ तीन वर्ष बाद खोरधा के राजा को सौंप दी गईं थी जबिक औपनिवेशिक सरकार ने इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था।
 - भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1952 पेश किया गया जो वर्ष 1954 में लागू हुआ।

- इस अधिनियम में मंदिर के भूमि अधिकार, पुजारियों के कर्त्तव्य, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की प्रशासनिक शक्तियों के अधिकार, पुरी के राजा और मंदिर के प्रबंधन व प्रशासन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के विशेषाधिकार शामिल हैं।
- हालिया संशोधनः
 - 🔷 जगन्नाथ मंदिर के नाम पर ज़मीन बेचने और पट्टे पर देने की शक्ति अब मंदिर प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
 - पहले के विपरीत, इस प्रक्रिया हेतु राज्य सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
 - अधिनियम की धारा 16 (2) में कहा गया है कि मंदिर समिति के कब्ज़े वाली कोई भी अचल संपत्ति राज्य सरकार की पूर्व मंज़री के बिना पट्टे पर, गिरवी, बेची या अन्यथा हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

जगन्नाथ मंदिर:

- ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश (Eastern Ganga Dynasty) के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था।
- जगन्नाथ पुरी मंदिर को 'यमनिका तीर्थ' भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार, पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता 'यम' की शक्ति समाप्त हो गई है।
- इस मंदिर को "सफेद पैगोडा" कहा जाता था और यह चारधाम तीर्थयात्रा (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) का एक हिस्सा है।
- मंदिर के चार (पूर्व में 'सिंह द्वार', दक्षिण में 'अश्व द्वार', पश्चिम में 'व्याघरा द्वार' और उत्तर में 'हस्ति द्वार') मुख्य द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है।
- इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित था।
- ओडिशा स्थित अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक:
 - कोणार्क सूर्य मंदिर (यूनेस्को विश्व विरासत स्थल)
 - तारा तारिणी मंदिर
 - लिंगराज मंदिर
 - उदयगिरि और खंडिगिरि गुफाएँ

चिल्का झील: ओडिशा

चिल्का झील में किये गए जलपक्षी स्थित सर्वेक्षण-2022 के अनुसार, लगभग 11 लाख जलपक्षी और आईभूमि पर निर्भर अन्य प्रजातियाँ इस झील की तरफ आईं।

चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील और शीत ऋतु के दौरान पक्षियों के आगमन हेतु सबसे बड़ा स्थान है।

- चिल्का झील के विषय में:
 - चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है।
 - ♦ शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पिक्षयों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है।
 - 🔷 वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का पहला भारतीय आईभूमि नामित किया गया था।
 - ♦ चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉलिफन (Irrawaddy Dolphins) हैं जिन्हें अक्सर सातपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है।
 - 🔷 लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किमी. में फैला नलबाना द्वीप (फारेस्ट ऑफ रीडस) को वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया
 - कालिजई मंदिर- यह मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है।

- ◆ चिल्का झील कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, रूस के सुदूर हिस्सों, मंगोलिया के किर्गिज स्टेप्स, मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया, लद्दाख तथा हिमालय से हजारों मील दूर प्रवास करने वाले पक्षियों की मेजबानी करती है।
- यहाँ मौजूद विशाल मिट्टी के मैदान और प्रचुर मात्रा में मछली भंडार, पिक्षयों के लिये उपयुक्त हैं।
- भारत में प्रवासी प्रजातियाँ:
 - भारत कई प्रवासी जानवरों और पिक्षयों का अस्थायी निवास स्थान है।
 - ♦ इनमें अमूर फाल्कन्स (Amur Falcons), बार-हेडेड गीज (Bar-Headed Geese), ब्लैक-नेक्ड क्रेन (Black-Necked Cranes), मरीन टर्टल (Marine Turtles), ड्र्गोंग (Dugongs), हंपबैक व्हेल (Humpback Whales) आदि शामिल हैं।
 - ♦ भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway) के तहत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) भी शुरू की है क्योंकि भारत प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (Convention on Migratory Species-CMS) का एक पक्षकार है।

ओमिस्योर किट

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने SARS-CoV-2 कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिये ओमिस्योर नाम की एक 'मेड-इन-इंडिया' परीक्षण किट को मंजूरी दी है।

- वर्तमान में देश में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिये उपयोग की जाने वाली किट को अमेरिका स्थित वैज्ञानिक उपकरण कंपनी थर्मो फिशर द्वारा विकसित किया गया है।
- इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने प्रयोगशाला क्षमताओं को मजबूत करने के लिये कुछ उपायों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें कोविड -19 निदान उपकरणों तक पहुँच में असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- ओमिस्योर:
 - यह आरटी-पीसीआर किट 'टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स' द्वारा निर्मित की गई है।
 - यह 's-जीन टारगेट फेलर' (एसजीटीएफ) रणनीति का उपयोग करती है।
 - वर्तमान में जीनोम अनुक्रमण के बाद ही ओमिक्रॉन रोगियों का पता लगाया जाता है।
 - ओमिस्योर टेस्ट किट इस प्रक्रिया को खत्म करने में मदद करती है और आरटी-पीसीआर परीक्षणों के दौरान नासॉफिरिन्जियल/ ऑरोफरीन्जियल नमनों में SARS-CoV2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाती है।
 - ♦ ओमिक्रॉन वेरिएंट के एस-जीन (S-gene) में कई उत्परिवर्तन देखे जाते हैं। एसजीटीएफ रणनीति (SGTF strategy) कोविड पोजिटिव पाए जाने वाले रोगियों की जाँच करती है एवं इसके लक्षणों को इंगित करती है।
 - ♦ 'एस' जीन, ओआरएफ, 'एन' जीन, आरडीआरपी, 'ई' जीन वायरल जीन हैं जिन्हें कोविड-19 वायरस का पता लगाने हेतु लिक्षत िकया जाता है।
- WHO का प्रस्ताव:
 - जीनोमिक्स कंसोर्टियम: WHO दक्षिण पूर्व एशिया में SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम स्थापित करने का प्रस्ताव कर रहा है।
 - महामारियों के लिये SARS-CoV-2 वायरल खतरों का पता लगाने और निगरानी हेतु एक मजबूत क्षेत्रीय प्रणाली विकसित करने के लिये कंसोर्टियम जीनोमिक अनुक्रमण और निगरानी को बढ़ाने में मदद करेगा।
 - जीनोम सीक्वेंसिंग: WHO द्वारा जीनोम अनुक्रमण/जीनोम सीक्वेंसिंग (Genome Sequencing) को बढ़ाने हेतु आह्वान किया
 गया था।
 - यह सार्वजिनक स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेते समय जीनोमिक डेटा के समय पर उपयोग में सुधार करने और भिवष्य के प्रकोप / महामारी के लिये तैयारियों और प्रतिक्रिया को मजबूत करने में भी मदद करेगा।

 प्रमुख बाधाओं को संबोधित करना: निरंतर दीर्घकालिक परीक्षण और अनुक्रमण क्षमताओं के लिये सीमित प्रशिक्षित कार्यबल तथा अन्य संसाधनों जैसी प्रमुख बाधाओं की जाँच करने की आवश्यकता है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)

- ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं संवर्द्धन के लिये भारत का शीर्ष निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (IRFA) के नाम से हुई थी और वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया।
- यह भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्तपोषित है।

स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने "स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च (सार)" (Smart cities and Academia Towards Action & Research-SAAR) कार्यक्रम की शुरुआत की है

 यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है।

प्रमुख बिंदु

- SAAR:
 - इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे।
 - इन दस्तावेजो में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास पिरयोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी पेशेवरों तथा शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार के उपायों का उल्लेख किया जाएगा।
 - आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर्स विशिष्ट ऐतिहासिक परियोजनाओं के लिये संस्थानों व स्मार्ट शहरों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेंगे, जिन्हें कार्यक्रम के तहत दस्तावेज का रूप देना है।
 - ◆ सार के तहत परिकल्पित पहली गतिविधि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत में 75 ऐतिहासिक शहरी परियोजनाओं का एक समूह तैयार करना है।

शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान

- NIUA शहरी विकास और प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं सूचना के प्रसार के लिये एक संस्थान है। यह नई दिल्ली, भारत में स्थित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1976 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- यह संस्थान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों, शहरी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों तथा शहरी मुद्दों से संबंधित अन्य एजेंसियों द्वारा समर्थित है।
- स्मार्ट सिटी मिशन:
 - परिचय:
 - यह नागरिकों के लिये स्मार्ट परिणाम सुनिश्चित करने के साधन के रूप में स्थानीय विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु MoHUA के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
 - ♦ उद्देश्य: इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं और अपने नागिरकों को स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण तथा 'स्मार्ट' समाधान के अनुप्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करते हैं।

- फोकस: सतत् और समावेशी विकास तथा कॉम्पैक्ट क्षेत्रों पर प्रभाव को देखने के लिये एक प्रतिकृति मॉडल का निर्माण करना जो अन्य महत्त्वाकांक्षी शहरों हेतु एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा।
- ◆ एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC): यह एक समेकित तरीके से बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता के साथ वास्तिवक समय डेटा संचालन संबंधित निर्णय लेने हेतु मानकीकृत शहरों को न्यूनतम और अधिकतम डेटा से लैस करता है। ICCC से नागरिकों के दैनिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट परिणाम प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
- अब तक का प्रदर्शन:
 - वर्ष 2015 में मिशन की शुरुआत के बाद से 100 स्मार्ट सिटी 2,05,018 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कुल 5,151 परियोजनाओं का विकास कर रहे हैं।

शहरी विकास से संबंधित पहल

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन- अमृत मिशन (AMRUT)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs)
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0
- इंडिया स्मार्ट सिटीज फेलोशिप प्रोग्राम
- ट्यूलिप- द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम

भारत में 'चीतों' की वापसी

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 'भारत में चीते की पुन: वापसी हेतु कार्य योजना' शुरू की है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में 50 'चीतों' को लाया जाएगा।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 19वीं बैठक में इस कार्य योजना का शुभारंभ किया गया।
 - ◆ 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण' पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- बीते वर्ष (2021) सर्वोच्च न्यायालय ने नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में लाने के प्रस्ताव पर सात वर्ष के लंबे प्रतिबंध को हटा दिया
 था।

- परिचय
 - किसी प्रजाति को 'पुन: प्रस्तुत' करने का अर्थ उसे किसी ऐसे स्थान में छोड़ना है, जहाँ वह जीवित रहने में सक्षम हो।
 - ♦ बड़े माँसाहारी जानवरों को 'पुन: प्रस्तुत' करने को, विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के बहाल करने की रणनीति के
 रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
 - चीता एकमात्र बड़ा माँसाहारी जानवर है, जो कि अति-शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो गया था।
 - चीतों का संरक्षण घास के मैदानों और उनके बायोम एवं आवास को पुनर्जीवित करेगा, ठीक उसी तरह जैसे प्रोजेक्ट टाइगर ने जंगलों और उन सभी प्रजातियों के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- विलुप्त होने के कारण:
 - ♦ शिकार, घटते आवास और पर्याप्त शिकार की अनुपलब्धता काला हिरन, चिकारा और खरगोश भारत में बिल्ली के विलुप्त होने का कारण बना (1952)।
 - ♦ जलवायु परिवर्तन की स्थिति और बढ़ती मानव आबादी ने समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है।
- पुनः प्रवेश कार्य योजनाः
 - भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की मदद से मंत्रालय दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से लगभग 8-12 चीतों का पुनर्स्थानांतरण करेगा।
 - इन देशों में जानवरों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है।

- अपने उपयक्त आवास और पर्याप्त शिकार आधार के कारण बड़ी बिल्लियाँ कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) में रहेंगी।
- एनटीसीए बैठक की अन्य मुख्य बातें:
 - जल एटलस:
 - भारत के बाघों वाले क्षेत्रों में सभी जल निकायों का मानचित्रण करने वाला एक जल एटलस भी जारी किया गया है।
 - एटलस में शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी परिदृश्य, मध्य भारतीय परिदृश्य तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट परिदृश्य, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों व ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान एवं सुंदरबन सहित कई क्षेत्रों में ऐसे निकायों की उपस्थिति के बारे में जानकारी है।
 - एटलस में रिमोट-सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग का उपयोग किया गया है।
 - यह वन प्रबंधकों को उनकी भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को आकार देने के लिये आधारभत जानकारी प्रदान करेगा।
 - कंजर्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS) प्रत्यायन:
 - CA|TS के तहत चौदह बाघ अभयारण्यों को मान्यता दी गई है और एनटीसीए CA|TS मान्यता के लिये अन्य रिज़र्व का मूल्यांकन कर रहा है।
 - CA|TS को टाइगर रेंज देशों (TRCs) के वैश्विक गठबंधन द्वारा एक मान्यता प्राप्त उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघ एवं संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है।

चीता

- चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति को पाँच मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसीन युग में देखा गया।
- चीता दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी भी है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है।

अनुक्रमांक	पैरामीटर	अफ्रीकी चीता	एशियाई चीता
1.	IUCN की रेड लिस्ट	'सुभेद्य' (Vulnerable)	'अति संकटग्रस्त' (Critically Endangered).
2.	CITES की सूची	सूची का परिशिष्ट-I	सूची का परिशिष्ट-I
3.	वितरण	वन में लगभग 6,500-7,000 अफ्रीकी चीते मौजूद हैं।	40-50 केवल ईरान में पाए जाते हैं।
4.	भौतिक विशेषताएँ	इसका आकार एशियाई चीता की तुलना में बड़ा होता है।	शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटा सिर व लंबी गर्दन आमतौर पर इनकी आँखें लाल होती हैं और प्राय: बिल्ली के समान दिखते हैं।
5.	चित्र		

सी ड़ैगन 22 अभ्यास

हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में यूएस सी ड्रैगन 22 अभ्यास शुरू हुआ।

• भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue- Quad) का भी हिस्सा हैं तथा मालाबार अभ्यास में भी भाग लेते हैं।

प्रमुख बिंदु

- सी ड़ैगन 22 अभ्यास के बारे में:
 - सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहु-राष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिये पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है।
 - यह एक वार्षिक अभ्यास है।
- महत्त्व:
 - चीन के साथ कुछ देशों के तनावपूर्ण संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में पीएलए-नौसेना के बढ़ते प्रयासों के मद्देनजर यह अभ्यास महत्त्व रखता है।
 - भारतीय नौसेना ने हाल ही में दो और पोसेडॉन 81 समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल किये हैं जो इस क्षेत्र में चीनी जहाजों व पनडुब्बियों पर नजर रखने की उसकी क्षमता को और मजबूत करेगे।

ई-डीएनए के माध्यम से जानवरों को ट्रैक करना

कुछ अध्ययनों के अनुसार हवा में तैरता डीएनए (यानी ई-डीएनए) दुनिया भर में जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है।

- परिचय:
 - ◆ दो टीमों के शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि पर्यावरण डीएनए (e-DNA) संभावित रूप से स्थलीय जानवरों की पहचान और निगरानी कर सकता है।
 - जानवर अपनी सांस, लार, फर या मल के माध्यम से पर्यावरण में डीएनए को छोड़ते हैं और इन नमूनों को ई-डीएनए कहा जाता है।
 - ◆ एयरबोर्न ई-डीएनए नमूनाकरण एक बायोमॉनिटरिंग विधि है जो जीविवज्ञानियों और संरक्षणवादियों के बीच लोकप्रियता से बढ़ रही है
 क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में जानकारी प्रदान करती है।
- महत्त्व:
 - ♦ यह पशु समुदायों की संरचना को समझने और गैर-देशी प्रजातियों के प्रसार का पता लगाने में मदद कर सकती है।
 - कुछ परिवर्तनों के बाद लुप्तप्राय प्रजातियों की निगरानी हेतु यह विधि मौजूदा तकनीकों के साथ बेहतर काम करेगी।
 - आमतौर पर जीवविज्ञानी जानवरों को व्यक्तिगत रूप से या जानवरों के पैरों के निशान या मल से डीएनए प्राप्त कर उसका विश्लेषण करते हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर फील्डवर्क की आवश्यकता होती है।
 - डीएनए प्राप्त करने हेतु जानवरों को खोजना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर वे दुर्गम आवासों में रहते हैं।
 - ◆ यह लंबी दूरी के प्रवासी पिक्षयों और अन्य पिक्षयों के उड़ने के पैटर्न को ट्रैक करने में सहायता कर सकता है। यह कीड़ों सिहत छोटे जानवरों के डीएनए को भी कैप्चर कर सकता है।
 - पिछले साल (2021), एक प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट अध्ययन ने स्थलीय कीड़ों की निगरानी के लिये एयरबोर्न ई-डीएनए का इस्तेमाल किया था।

- जैसे-जैसे वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र जलवाय परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों के कारण तीव्रता से बेहद अराजक हो जाते हैं, स्थलीय जैव-निगरानी तकनीकों से सटीक और समय पर निगरानी हेतु अनुकूलन और तीव्र प्रगति की उम्मीद की जाती है।
- संबंधित पहलें:
 - 🔷 ग्लोबल ईडीएनए प्रोजेक्ट: अक्तूबर 2021 में यूनेस्को द्वारा समुद्री विश्व धरोहर स्थलों पर जलवायु परिवर्तन के लिये प्रजातियों की भेद्यता का अध्ययन करने हेतु इस परियोजना की शुरूआत की गई।

DNA

- डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को संक्षिप्त में डीएनए कहते है। यह जीवों का वंशानुगत पदार्थ होता है जिसमें जैविक निर्देश होते हैं।
- डीएनए की रासायनिक संरचना सभी जीवों के लिये समान होती है, लेकिन डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स के क्रम में अंतर मौजूद होता है, जिसे बेस पेयर (Base Pairs) के रूप में जाना जाता है।
- बेस पेयर के अनूठे क्रम, विशेष रूप से दोहराए जाने वाले पैटर्न, प्रजातियों, आबादी और यहाँ तक कि व्यक्तियों की पहचान करने हेतु एक साधन प्रदान करते हैं।

पर्यावरणीय डीएनए (e-DNA):

- पर्यावरणीय डीएनए (ई-डीएनए) परमाणु या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जो एक जीव द्वारा पर्यावरण में छोड़ा जाता है।
- ईडीएनए के स्रोतों में गुप्त मल, श्लेष्मा और युग्मक शामिल हैं, जैसे- त्वचा और बाल और शव। e-DNA का पता कोशिकीय या बाह्य कोशिकीय (घुलित डीएनए) रूप में लगाया जा सकता है।
- जलीय वातावरण में e-DNA पतला तथा धाराओं और अन्य हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रियाओं द्वारा वितरित किया जाता है, लेकिन यह पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर केवल 7-21 दिनों तक रहता है।
- UVB विकिरण, अम्लता, गर्मी और एक्सोन्यूक्लिअस के संपर्क में आने से ई-डीएनए खराब हो सकता है।

माया सभ्यता

एक नए अध्ययन के अनुसार, माया सभ्यता की लगभग 500 सूखा प्रतिरोधी खाद्य पौधों तक पहुँच हो सकती है।

- माया सभ्यता के अचानक पतन के पीछे का रहस्य अभी भी हमें नहीं पता है। वैज्ञानिकों को लंबे समय से संदेह है कि सूखे ने लोगों को भुखमरी की ओर धकेल दिया।
- मक्का, बीन्स और स्क्वैश जैसी सूखा-संवेदनशील फसलों पर निर्भरता के कारण माया सभ्यता लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा।

- परिचय:
 - 🔷 माया मेक्सिको और मध्य अमेरिका के एक स्वदेसी लोग हैं जो मेक्सिको में आधुनिक युकटान, क्विंटाना, कैम्पेचे, टबैस्को, चियापास, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर और होंडुरास के माध्यम से दक्षिण के निवासी हैं।
 - 🔷 माया सभ्यता की उत्पत्ति युकाटन प्रायद्वीप में हुई थी। इसे अपनी विशाल वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान की उन्नत समझ के लिये जाना जाता है।
 - ♦ माया का उदय लगभग 250 ई० से शुरू हुआ और पुरातत्त्विवदों को माया संस्कृति के क्लासिक पीरियड के रूप में जाना जाता है जो लगभग 900 ई॰ तक चला। अपनी चरम स्थिति में माया सभ्यता में 40 से अधिक शहर शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक की आबादी लगभग 5,000 से 50,000 के बीच थी।
 - लेकिन फिर अचानक 800 से 950 ई० के बीच कई दक्षिणी शहरों को छोड़ दिया गया। इस अविध को क्लासिक माया सभ्यताओं का पतन कहा जाता है जो आधुनिक वैज्ञानिकों को भ्रमित करती है।

- विशेष लक्षण:
 - ◆ 1500 ईसा पूर्व माया सभ्यता गाँवों में बस गई थी तथा मकई (मक्का), सेम (beans), स्क्वैश (squash) की खेती के आधार पर एक कृषि विकसित की गई थी। यहाँ 600 ई० तक कसावा (Sweet Manioc) भी उगाया जाता था।
 - ◆ उन्होंने समारोह केंद्रों का निर्माण शुरू किया और तकरीबन 200 ई० तक ये मंदिरों, पिरामिडों, महलों, गेंद खेलने हेतु कोर्ट और प्लाजा वाले शहरों में विकसित हो गए थे।

 - माया सभ्यता के लोगों ने जंगली अंजीर के पेड़ों की भीतरी छाल से कागज़ बनाया और इस कागज़ से बनी किताबों पर अपनी चित्रलिपि लिखी। उन पुस्तकों को 'कोडेक्स' कहा जाता है।
 - माया सभ्यता के लोगों ने मूर्तिकला एवं नक्काशी की एक विस्तृत और सुंदर परंपरा भी विकसित की।
 - ♦ प्रारंभिक माया सभ्यता के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत वास्तुकला कार्य और पत्थर के शिलालेख व नक्काशीदार कार्य है।

अन्य प्राचीन सभ्यताएँ

- इंकान सभ्यता- इक्वाडोर, पेरू और चिली
- एज्टेक सभ्यता- मेक्सिको
- रोमन सभ्यता- रोम
- फारसी सभ्यता- ईरान
- प्राचीन यूनानी सभ्यता- ग्रीस
- चीनी सभ्यता- चीन
- प्राचीन मिस्र की सभ्यता मिस्र
- सिंधु घाटी सभ्यता- पाकिस्तान से उत्तर-पूर्व अफगानिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत
- मेसोपोटामिया सभ्यता- इराक, सीरिया और तुर्की

पहला बहु-आयामी साहसिक खेल अभियान: निमास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्री ने फ्राँस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान (NIMAS) द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है।

- परिचय:
 - ◆ अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक ने किया था जिसमें 12 लोग आठ सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के चार युवा शामिल थे।
 - अभियान दल ने आल्प्स पर्वत शृंखलाओं में 250 किलोमीटर से अधिक शीतकालीन ट्रेकिंग की, जिसमें फ्रेंच, स्विस और इतालवी आल्प्स को कवर करने वाला टूर डी मोंट ब्लांक ट्रेक शामिल था।
- राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान:
 - यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है।

- यह रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण और अधीक्षण में कार्य करता है।
- ◆ यह संस्थान जमीन, हवा और पानी में प्रशिक्षण प्रदान करता है जो न केवल राज्य में बिल्क भारत में भी अपनी तरह का पहला संस्थान है, यह नागरिकों की विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के समाधान करने के साथ-साथ साहिसक खेलों में किरयर बनाने का अवसर देता है।

आल्प्स:

- आल्प्स एक असंतत पर्वत शृंखला (Discontinuous Mountain Chain) का छोटा खंड है जो उत्तरी अफ्रीका के एटलस पर्वत से दक्षिणी यूरोप और एशिया में हिमालय से आगे तक फैला है।
- अल्पाइन क्षेत्र में आठ यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया, फ्रॉॅंस, जर्मनी, इटली, लिकटेंस्टीन, मोनाको, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।
 - ♦ आल्प्स एक इंटरज्ञोनल पर्वत प्रणाली (ओरोबायोम) या मध्य और भूमध्यसागरीय यूरोप के बीच एक "संक्रमण क्षेत्र" (Transition Area) है।
- मोंट ब्लांक सबसे ऊँची चोटी है।
- यद्यपि वे पैलियोजीन और नियोजीन काल (यानी लगभग 65 मिलियन से 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व) के दौरान निर्मित अन्य पर्वत प्रणालियोंकी तुलना में उच्च तथा व्यापक नहीं हैं, जैसे कि हिमालय (एशिया की महान पर्वत प्रणाली) और एंडीज एवं रॉकी पर्वत (क्रमश: दक्षिण अमेरिका व उत्तरी अमेरिका में) किंतु वे प्रमुख भौगोलिक घटनाओं हेतु उत्तरदायी हैं।
- अल्पाइन शिखर एक यूरोपीय क्षेत्र को दूसरे से अलग करते हैं और यूरोप की कई प्रमुख निदयों का स्रोत हैं।
- आल्प्स से उद्गमित निदयों का जल अंतत: उत्तर, भूमध्यसागर, एड्रियाटिक और काला सागर तक पहुँचता है।

सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन

हाल ही में कजाखस्तान के राष्ट्रपति ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) से देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को प्रबंधित करने में मदद का आह्वान किया।

- प्रिन्तराः
 - यह एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन (छह देशों का) है जो 2002 में लागू हुआ था।
 - ◆ 1991 में एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के बाद से मध्य एशियाई देश पर शासन करने वाले शासकों के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले विरोधों पर अंकुश लगाने के लिये इसने कजाखस्तान को प्रभावित करना शुरू कर दिया।
- इतिहास:
 - ♦ वर्ष 1992 में सोवियत संघ के बाद के छह राज्यों ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल से संबंधित रूस, आर्मेनिया, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने सामृहिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
 - इसे "ताशकंद पैक्ट" या "ताशकंद संधि" के रूप में भी जाना जाता है।
 - सोवियत संघ के बाद के तीन अन्य राज्यों- अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया ने अगले वर्ष हस्ताक्षर किये पर संधि 1994 में प्रभावी हुई।
 - पाँच साल बाद, नौ में से अज़रबैजान, जॉर्जिया और उज़्बेिकस्तान को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने इस संधि को पाँच और वर्षों के लिये नवीनीकृत करने पर सहमित व्यक्त की तथा वर्ष 2002 में उन छह राज्यों ने सीएसटीओ (CSTO) को एक सैन्य गठबंधन के रूप में बनाने पर सहमित व्यक्त की।
- मुख्यालय:
 - इसका मुख्यालय रूस की राजधानी मास्को में स्थित है।
- सदस्यः
 - वर्तमान में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिज्ञस्तान, रूसी संघ और ताजिकस्तान इसके सदस्य हैं।

- उद्देश्य:
 - ♦ साइबर सुरक्षा और स्थिरता सिहत शांति, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, स्वतंत्रता की सुरक्षा, सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता।

घड़ियाल

असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान (Orang National Park) को उसके मौजूदा आकार से तीन गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - घड़ियाल जिसे गेवियल भी कहते हैं, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे, पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होता हैं
 - मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल हैं।
 - भारत में मगरमच्छों की तीन प्रजातियाँ हैं:
 - घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस): IUCN रेड लिस्ट- गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - मगर (Crocodylus Palustris): IUCN- सुभेद्य।
 - खारे पानी का मगरमच्छ (Crocodylus Porosus): IUCN- कम चिंतनीय।
 - तीनों को CITES के परिशिष्ट I और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है।
 - अपवाद: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की खारे पानी की मगरमच्छ आबादी को CITES के परिशिष्ट II में शामिल किया गया है।
- घड़ियाल का निवास स्थान:
 - प्राकृतिक आवास: भारत के उत्तरी भाग का ताजा पानी।
 - प्राथमिक आवास: चंबल नदी (यमुना की एक सहायक नदी)।
 - माध्यिमक आवास: घाघरा, गंडक नदी, गिरवा नदी (उत्तर प्रदेश), रामगंगा नदी (उत्तराखंड) और सोन नदी (बिहार)।
- महत्त्वः घडियाल की आबादी नदी के स्वच्छ पानी का एक अच्छा संकेतक है।
- संरक्षण के प्रयास
 - 🔷 लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र व प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल इको पार्क, मध्य प्रदेश)।
- जोखिम:
 - 🔷 नदी प्रदूषण में वृद्धि, बाँध निर्माण, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना और बाढ़।
 - अवैध बालू खनन व अवैध शिकार।

ओरांग राष्ट्रीय उद्यानः

- ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है।
- यह असम के दर्शंग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर 78.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है।
- इसे 1985 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1999 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था।
 इसे 2016 में देश का 49वाँ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
- इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (IUCN साइट) का छोटा रूप भी माना जाता है क्योंकि दोनों पार्कों में एक समान परिदृश्य है जिसमें दलदल, जलधाराएँ और घास के मैदान हैं।
- यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर गैंडों का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व को 50वाँ नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है।

असम में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान।
- मानस राष्ट्रीय उद्यान।
- नामेरी राष्ट्रीय उद्यान।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
- देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान।
- बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य।

प्रवासी भारतीय दिवस 2022

हर साल ९ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas-PBD) भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने हेतू मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
 - ♦ 9 जनवरी को पीबीडी मनाने के दिन के रूप में चुना गया था क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी महान प्रवासी, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिये बदल दिया।
 - ◆ वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर दो वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। यह तब एक विषय-आधारित सम्मेलन था जिसे हर वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान किया जाता था।
 - ◆ PBD सम्मेलन हर दो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता हैं।
 - पीबीडी 2021: 16वाँ PBD सम्मेलन वस्तत: नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जिसका विषय था "आत्मिनिर्भर भारत में योगदान"।
 - इस दिन सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है।
 - यह एक अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित एवं संचालित एक संगठन/संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिन्होंने विदेशों में भारत को बेहतर ढंग से समझने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है तथा भारत के कारणों और चिंताओं का मूर्त रूप से समर्थन करते हैं।
- महत्त्व:
 - ♦ यह प्रवासी भारतीय समुदाय को सरकार और देश के मूल लोगों के साथ जुड़ने के लिये एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - 🔷 ये कन्वेंशन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच नेटवर्किंग में बहुत उपयोगी हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा करने में सक्षम बनाते हैं।

प्रवासी भारतीयों से संबंधित सरकारी पहलें

- प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY): प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना।
- प्रवासी बच्चों के लिये छात्रवृत्ति कार्यक्रम (SPDC): स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) और अनिवासी भारतीय (NRI) छात्रों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
- 'भारत को जानो' कार्यक्रम (केआईपी): यह भारतीय मूल के युवाओं (18-30 वर्ष) को उनकी भारतीय मूल और समकालीन भारत से परिचित कराता है।
- ई-माइग्रेट सिस्टम: यह एक विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है। यह कल्याण सुनिश्चित करता है और प्रवासियों के शोषण पर रोक लगाता है।
- VAJRA (उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का दौरा) योजना: यह एक रोटेशन कार्यक्रम को औपचारिक रूप देता है जिसमें शीर्ष एनआरआई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और पेशेवर एक संक्षिप्त अवधि के लिये भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की सेवा करते हैं, अपनी विशेषज्ञता की सेवा देते हैं।

रेड सैंडर्स

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने रेड सैंडर्स (या रेड सैंडलवुड) को एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय' की श्रेणी में वर्गीकृत किया है।

• वर्ष 2018 में इसे 'संकट निकट' (Near Threatened) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - चह प्रजाति 'पटरोकार्पस सैंटिलनस' (Pterocarpus santalinus) परिवार की एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है, जिसकी
 पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा है।
 - यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्रों के लिये स्थानिक है।
 - ♦ रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल िमट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवाय के साथ चट्टानी तथा परती भूमि में उगते हैं।
- खतरे:
 - तस्करी, वनाग्नि, मवेशी चराने और अन्य मानवजनित खतरों के साथ-साथ अवैध कटाई।
 - ♦ रेड सैंडर्स, जो अपने समृद्ध रंग और चिकित्सीय गुणों के लिये जाने जाते हैं, पूरे एशिया में, विशेष रूप से चीन और जापान में, सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधीय उत्पादों के साथ-साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प तथा संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिये प्रयोग किये जाते हैं।
- संरक्षण स्थिति
 - ♦ IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
 - ♦ CITES: परिशिष्ट II
 - ♦ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची II

सैंडलवुड स्पाइक रोग

- यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है।
 - फाइटोप्लाज्मा पौधों के ऊतकों के जीवाणु परजीवी हैं- जो कीट वैक्टर द्वारा संचरित होते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे तक संचरण में शामिल होते हैं।
- अभी तक इसके संक्रमण का कोई इलाज नहीं है।
 - ♦ वर्तमान में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिये संक्रमित पेड़ को काटने और हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- यह रोग पहली बार वर्ष 1899 में कर्नाटक के कोडागु में देखा गया था।
 - वर्ष 1903 और वर्ष 1916 के बीच कोडागु तथा मैसूर क्षेत्र में दस लाख से अधिक चंदन के पेड़ हटा दिये गए थे।

वीर बाल दिवस

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के चार पुत्रों "साहिबजादे" के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिये "वीर बाल दिवस" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

• इस तारीख को चुना गया है क्योंकि इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता था, जो मुगल सेना द्वारा सरहिंद (पंजाब) में छह और नौ साल की उम्र में मारे गए थे।

- साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में:
 - ♦ साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से हैं।
 - मुगल सैनिकों ने सम्राट औरंगजेब (1704) के आदेश पर आनंदपुर साहिब को घेर लिया।

- गुरु गोबिंद सिंह के दो पुत्रों को पकड़ लिया गया।
- मुसलमान बनने पर उन्हें न मारने की पेशकश की गई थी।
- 🔷 उन दोनों ने इनकार कर दिया और इसलिये उन्हें मौत की सजा दी गई और उन्हें जिंदा ईंटों से दीवार में चुनवा दिया गया।
- ♦ इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी।
- गुरु गोबिंद सिंह:
 - ♦ दस सिख गुरुओं में से अंतिम गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर,1666 को पटना, बिहार में हुआ था।
 - उनकी जयंती नानकशाही कैलेंडर पर आधारित है।
 - ♦ गुरु गोबिंद सिंह अपने पिता 'गुरु तेग बहादुर' यानी नौवें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने।
 - वर्ष 1708 में उनकी हत्या कर दी गई थी।
- योगदान:
 - धार्मिक:
 - उन्हें सिख धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिये जाना जाता है, जिसमें बालों को ढंकने के लिये पगडी भी शामिल है।
 - उन्होंने खालसा या पाँच 'क' के सिद्धांत की भी स्थापना की।
 - पाँच 'क' केश (बिना कटे बाल), कंघा (लकड़ी की कंघी), कारा (लोहे या स्टील का ब्रेसलेट), कृपाण (डैगर) और कचेरा (छोटी जाँघिया) हैं।
 - ये आस्था के पाँच प्रतीक हैं जिन्हें एक खालसा को हमेशा धारण करना चाहिये।
 - उन्होंने खालसा योद्धाओं के पालन करने हेतु कई अन्य नियम भी निर्धारित किये, जैसे- तंबाकू, शराब, हलाल मांस से परहेज आदि।
 खालसा योद्धा निर्दोष लोगों को उत्पीड़न से बचाने के लिये भी कर्तव्यिनिष्ठ थे।
 - उन्होंने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब (खालसा और सिखों की धार्मिक पुस्तक) को दोनों समुदायों का अगला गुरु घोषित किया।
 - सैन्यः
 - उन्होंने वर्ष 1705 में मुक्तसर की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ युद्ध किया।
 - आनंदपुर (1704) के युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी माँ और दो नाबालिग बेटों को खो दिया, जिन्हें मार डाला गया था। उनका बड़ा बेटा भी युद्ध में मारा गया।
 - साहित्यिक:
 - उनके साहित्यिक योगदानों में जाप साहिब, बेंती चौपाई, अमृत सवाई आदि शामिल हैं।
 - उन्होंने 'ज़फरनामा' भी लिखा जो मृगल सम्राट औरंगजेब को एक पत्र था।

'गेटवे ऑफ हेल': तुर्कमेनिस्तान

हाल ही में 'तुर्कमेनिस्तान' ने विशाल प्राकृतिक गैस भंडारण- 'दरवाजा गैस क्रेटर' (जहाँ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण मौजूद) में अक्सर लगने वाली आग को बुझाने का तरीका खोजने का फैसला किया है। 'दरवाजा गैस क्रेटर' को 'गेटवे टू हेल' के रूप में भी जाना जाता है।

- तुर्कमेनिस्तान को मीथेन रिसाव का केंद्र माना जाता है। वर्ष 2019 में तटवर्ती तेल और गैस परिचालन में 50 सबसे गंभीर मीथेन गैस रिसावों में से 31 तुर्कमेनिस्तान में हुए थे।
- यह 'एरिज्ञोना' में मौजूद सभी कारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर जलवायु प्रभाव डालता है।

मीथेन रिसाव की गंभीरता

- पृथ्वी की सतह पर मौजूद ओज़ोन, जो कि एक खतरनाक वायु प्रदूषक और ग्रीनहाउस गैस है, के निर्माण में मीथेन का प्राथमिक योगदान होता है, जिसके संपर्क में आने से प्रतिवर्ष 1 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है।
- मीथेन (Methane) भी एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। 20 साल की अवधि में यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को 80 गुना अधिक गर्म करती है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - ♦ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेगिस्तान में स्थित यह क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है।
 - क्रेटर देश में एक महत्त्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण बन गया है। 2018 में देश के राष्ट्रपित ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर "काराकुम की चमक" ("Shining of Karakum") कर दिया।
- क्रेटर की उत्पत्तिः
 - सोवियत भूवैज्ञानिक काराकुम रेगिस्तान में तेल के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, जब उन्होंने गलती से प्राकृतिक गैस के एक पॉकेट से पृथ्वी
 ढह गई और तीन विशाल सिंकहोल बन गए।
 - सिंकहोल जमीन में एक अवसाद है जिसमें कोई प्राकृतिक बाहरी सतह जल निकासी नहीं है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भूजल द्वारा अंतर्निहित
 चूना पत्थर के आधार को भंग कर देते हैं।
 - उत्पत्ति का विवरण वास्तव में ज्ञात नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि क्रेटर 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान बनाया
 गया था।
 - ◆ स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि क्रेटर वर्ष 1960 के दशक में बनाया गया था, लेकिन 1980 के दशक तक इसमें आग नहीं लगाई गई थी।
 - ◆ यह भी कहा जाता है कि सोवियत शासन के दौरान तेल और गैस बहुत महँगी वस्तुएँ थीं, इसलिये क्रेटर बनना एक गोपनीय जानकारी बनी हुई है।
- बंद करने का कारण:
 - ♦ यह पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
 - ♦ मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों की हानि और लोगों की भलाई में सुधार हेतु उनका उपयोग कर सकते हैं।
 - ♦ केंद्रीय काराकुम के उप-समृद्धि के त्वरित औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर

हाल ही में थाईलैंड ने एक बूचड़खाने में एकत्र किये गए सतह के स्वाब के नमूने में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता लगाया है।

- परिचय:
 - यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है, जो घरेलू तथा जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्त्रावी बुखार (Hemorrhagic Fever) से पीड़ित होते हैं।
 - 🔷 रोग के अन्य लक्षणों में तेज बुखार, अवसाद, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, त्वचा से रक्तस्राव, उल्टी और दस्त शामिल हैं।
 - इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था।
 - ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका और यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियन के कुछ हिस्सों में प्रकोप की सूचना मिली है।
 - हालाँकि हाल ही में (2007 से) अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू एवं जंगली सूअरों में यह बीमारी पाई गई।
 - 2021 में भारत में भी इस प्रकार के मामलों का पता चला था।
 - ♦ इस रोग में मृत्यु दर 100 प्रतिशत के करीब होती है और चूँिक इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, अत: इसके संक्रमण को फैलने से
 रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना है।
 - ♦ अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिये खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है।
 - अफ्रीकी स्वाइन फीवर, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक ऐसी बीमारी है जिसके संदर्भ में तुरंत OIE को सूचना देना आवश्यक है।

क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF):

- क्लासिकल स्वाइन फीवर को हॉग हैजा (Hog Cholera) के नाम से भी जाना जाता है, यह सूअरों से संबंधित एक गंभीर बीमारी है।
- यह दुनिया में सूअरों से संबंधित आर्थिक रूप से सर्वाधिक हानिकारक महामारी, संक्रामक रोगों में से एक है।
- यह 'फ्लेवीवीरिडी' (Flaviviridae) फैमिली के जीनस पेस्टीवायरस के कारण होता है, जो कि इस वायरस से निकटता से संबंधित है तथा मवेशियों में 'बोवाइन संक्रमित डायरिया' और भेड़ों में 'बॉर्डर डिज़ीज़' का कारण बनता है।
- इसमें मृत्यु दर 100% है।
- हाल ही में ICAR-IVR ने एक सेल कल्चर CSF वैक्सीन (लाइव एटेन्युएटेड) विकसित की है जिसमे विदेशी स्ट्रेन से लैपिनाइज्ड वैक्सीन वायरस का उपयोग किया जा रहा है।
 - ♦ यह नया टीका टीकाकरण के 14वें दिन से लेकर 18 महीने तक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनः

- यह दुनिया-भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उत्तरदायी एक अंतर-सरकारी संगठन (Intergovernmental Organisation)
- वर्तमान में कुल 182 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य है।
- यह नियमों से संबंधित मानक दस्तावेज विकसित करता है जिनके उपयोग से सदस्य देश बीमारियों और रोगजनकों से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें से एक क्षेत्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता भी है।
- इसके मानकों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा संदर्भित संगठन (Reference Organisation) के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियमों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में स्थित है।

विश्व हिंदी दिवस

प्रतिवर्ष 10 जनवरी को दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने हेतु 'विश्व हिंदी दिवस' (WHD) मनाया जाता है।

- इस वर्ष (2022) विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को के 'विश्व धरोहर केंद्र' (WHC) ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की है।
- 'विश्व धरोहर केंद्र' की स्थापना वर्ष 1992 में विश्व विरासत से संबंधित सभी मामलों के समन्वय हेतु की गई थी। यह केंद्र विश्व विरासत सिमिति और उसके ब्यूरो के वार्षिक सत्र का आयोजन करता है तथा साइट के नामांकन में राज्यों के दलों को सलाह प्रदान करता है।

- विश्व हिंदी दिवस
 - इस दिवस को पहली बार वर्ष 2006 में 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित पहले 'विश्व हिंदी सम्मेलन' की वर्षगाँठ के उपलक्ष्य
 में मनाया गया था। यह 'राष्ट्रीय हिंदी दिवस' से अलग है।
 - ♦ यह दिवस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी मनाया जाता है।
 - विश्व हिंदी सिचवालय भवन का उद्घाटन वर्ष 2018 में मॉरीशस में किया गया था।
- राष्ट्रीय हिंदी दिवस:
 - ◆ देवनागरी लिपि में हिंदी को 14 सितंबर, 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिये हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
 - काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास ने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
 - हिंदी आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा भी है।
 - अनुच्छेद 351 'हिंदी भाषा के विकास के निर्देश' से संबंधित है।

- हिंदी को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल:
 - 🔷 वर्ष 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी।
 - ♦ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations- ICCR) ने विदेशों में विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 'हिंदी पीठ' की स्थापना की है।
 - लीला (LILA)-राजभाषा (लर्निंग इंडियन लैंग्वेजे श्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) हिंदी सीखने के लिये एक मल्टीमीडिया आधारित स्व-शिक्षण अनुप्रयोग है।
 - ♦ ई-सरल हिंदी वाक्य कोष (E-Saral Hindi Vakya Kosh) और ई-महाशब्दकोश मोबाइल ऐप (E-Mahashabdkosh Mobile App), राजभाषा विभाग की दो पहलें है जिनका उद्देश्य हिंदी के विकास के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
 - राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी में योगदान हेतु प्रदान किये जाते हैं।

हिंदी भाषा:

- हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द 'हिंद' से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है 'सिंधु नदी की भूमि'। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी 'सिंधु नदी की भूमि की भाषा' नाम दिया।
- यह भारत की राजभाषा है, अंग्रेजी दूसरी अन्य राजभाषा है।
- भारत के बाहर कुछ देशों में भी हिंदी बोली जाती है, जैसे मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा नेपाल में।
- हिन्दी अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से उभरी है जिसके दौरान इसे अन्य नामों से जाना जाता था। पुरानी हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप अपभ्रंश (Apabhramsa) था। 400 ईस्वी में कालिदास ने अपभ्रंश में विक्रमोर्विशयम नामक एक रोमांटिक नाटक लिखा।
- आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्त्व में आई।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022

हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट 'हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022' (Henley Passport Index 2022) में भारत को 83वाँ स्थान दिया गया है।

- भारत की पासपोर्ट क्षमता में इस तिमाही में सुधार हुआ है, जो पिछले साल वर्ष 2021 की 90वी रैंक की तुलना में सात पायदान ऊपर है।
- मौजूदा रैंकिंग वर्ष 2022 की पहली तिमाही के लिये है।

सूचकांक के बारे में:

- 'हेनले पासपोर्ट इंडेक्स' दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है।
- यह इंडेक्स मूलत: डॉ. क्रिश्चियन एच. केलिन (हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष) द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी रैंकिंग 'इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन' (IATA) के विशेष डेटा पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक डेटाबेस प्रदान करता है।
- इसे 2006 में लॉन्च किया गया था और इसमें 199 विभिन्न पासपोर्ट शामिल हैं।
- इसे पूरे वर्ष वास्तविक समय में और जब वीजा नीति परिवर्तन प्रभावी होती इसका अद्यतन किया जाता है।

वैश्विक रैंकिंग:

- जापान और सिंगापुर सूचकांक में शीर्ष पर हैं
- जर्मनी और दक्षिण कोरिया नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है जबिक फिनलैंड, इटली, लक्जमबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर रहे है।
- अफगानिस्तान और इराक 'सबसे खराब पासपोर्ट रखने' की श्रेणी में बने हुए हैं।

भारत का प्रदर्शन:

- वर्ष २०२० में भारत ८४वें स्थान पर था, जबिक वर्ष २०१६ में भारत माली और उज्बेकिस्तान के साथ ८५वें स्थान पर था।
- इस वर्ष भारत (2022 में 83वाँ स्थान) रवांडा और युगांडा के बाद मध्य अफ्रीका में 'साओ टोम तथा प्रिंसिपे' के साथ अपना स्थान साझा कर रहा है।
- इस प्रकार भारत के पास अब ओमान और आर्मेनिया के नवीनतम पिरवर्द्धन के साथ दुनिया भर में 60 गंतव्यों के लिये वीजा-मुक्त पहुँच है।
 भारत ने वर्ष 2006 के बाद से इस सूची में 35 और गंतव्य स्थान जोड़े हैं।

ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण

हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक विस्तारित रेंज के समुद्र-से-समुद्र संस्करण का परीक्षण स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापत्तनम से किया गया था।

ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ने तैयार किया है।

- एडवांस वेरिएंट के बारे में:
 - ब्रह्मोस मिसाइल को शुरुआत में 290 किमी. की रेंज के साथ विकसित किया गया था।
 - ♦ मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) के दायित्त्वों के अनुसार, मिसाइल की रेंज मूल रूप से 290 किमी थी।
 - ♦ हालाँकि जून 2016 में MTCR में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज लगभग 450 किलोमीटर थी और भविष्य में 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है।
- ब्रह्मोस के बारे में:
 - ♦ ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (The Defence Research and Development Organisation) तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है।
 - इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
 - यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है।
 - यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया
 जा सकता है, जो किसी भी मौसम में दिन और रात में काम करती है।
 - यह 'फायर एंड फॉरगेट्स' सिद्धांत पर कार्य करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।
 - ♦ ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूजज िमसाइलों में से एक है, यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ कार्य करती है, जो िक ध्विन की गित से लगभग 3 गुना अधिक है।
- INS विशाखापत्तनम के बारे में:
 - ◆ यह प्रोजेक्ट-15B के तहत विकसित चार अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का पहला जहाज है।'प्रोजेक्ट-15B' के तहत अन्य तीन जहाज:
 - 'प्रोजेक्ट-15B' का दूसरा जहाज- 'मुरगाँव' को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था और इसे बंदरगाह परीक्षणों के लिये तैयार किया
 जा रहा है।
 - तीसरा जहाज (इंफाल) है जिसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था और यह अपने एक उन्नत चरण में है।
 - चौथा जहाज़ (सूरत) ब्लॉक इरेक्शन (Block Erection) के तहत है तथा इसे चालू वित्तीय वर्ष (2022) में लॉन्च किया जाएगा।
 - ♦ प्रोजेक्ट 15बी (P 15B) के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में निर्माणाधीन हैं।

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)

- यह मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने हेतु 35 देशों के मध्य एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है, जो 300 किमी से अधिक दूरी के लिये 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम है।
- इस प्रकार सदस्यों को ऐसी मिसाइलों और यूएवी प्रणालियों की आपूर्ति करने से रोका जाता है जो गैर-सदस्यों के लिये MTCR द्वारा नियंत्रित होती हैं।
- निर्णय सभी सदस्यों की सहमित से लिये जाते हैं।
- यह सदस्य देशों का एक गैर-संधि संघ है, जिसमें मिसाइल प्रणालियों के लिये सूचना साझा करने, राष्ट्रीय नियंत्रण कानूनों और निर्यात नीतियों तथा इन मिसाइल प्रणालियों की ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सीमित करने हेतु एक नियम-आधारित विनियमन तंत्र के बारे में कुछ दिशा-निर्देश हैं।
- इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में जी -7 देशों अमेरिका, यूके, फ्राँस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान द्वारा की गई थी।
- वर्ष 1992 में MTCR का ध्यान सभी प्रकार के सामूहिक विनाश (WMD) यानी परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों की डिलीवरी के लिये मिसाइलों के प्रसार पर केंद्रित था।
- यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। इसिलये शासन के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं किया
 जा सका है।
- वर्ष 2016 में भारत 35वें सदस्य के रूप में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ।
- भारत उच्च स्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी की खरीद कर सकता है और अन्य देशों के साथ मानव रहित हवाई वाहनों के विकास हेतु संयुक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर सकता है। उदाहरण के लिये इजरायल से थिएटर मिसाइल इंटरसेप्टर "एरो II" (Arrow II), संयुक्त राज्य अमेरिका से सैन्य ड्रोन जैसे "एवेंजर" (Avenger) आदि की खरीद।

राष्ट्रीय युवा दिवस 2022

स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस (National Youth Day NYD) के रूप में आयोजित किया जाता है।

• वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।

- राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में:
 - इस दिन को वर्ष 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था।
 - ♦ इस दिन का उद्देश्य युवाओं को सार्वजिनक मुद्दों से जुड़ने, आम आदमी की बात को समझने, अपनी राय बनाने और इसे स्पष्ट तरीके से
 व्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- 2022 की थीम: इट्स आल इन द माइंड।
- 25वाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव:
 - प्रधानमंत्री ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, यह पाँच दिवसीय उत्सव है।
 - इस उत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश की एकता को मजबूत करने के लिये देश की विविध संस्कृतियों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है।
 - यह उत्सव युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- संबंधित पहल:
 - राष्ट्रीय युवा नीति-2014
 - भारत में असीमित पीढ़ी (युवाह)

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- ◆ YUVA: युवा लेखकों को सलाह देने के लिये प्रधानमंत्री की योजना
- युवाओं के लिये वैश्विक कार्यक्रम
- वैश्विक युवा शिखर सम्मेलन
- वैश्विक युवा कौशल दिवस

स्वामी विवेकानंद (1863-1902):

- स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को हुआ तथा उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
- उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया।
- वे 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे।
- उन्होंने अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिये शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। साथ ही उन्होंने चिरत्र-निर्माण आधारित शिक्षा का समर्थन किया।
- वर्ष 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन एक संगठन है, जो मूल्य-आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, मिहला सशक्तीकरण, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है।
- वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है।

पशु से मानव प्रत्यारोपण (Xenotransplantation)

हाल ही में डॉक्टरों ने अमेरिका में एक मरीज की जान बचाने के अंतिम प्रयास में उसमें सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया।

- जोनोट्रांसप्लांटेशन के बारे में:
 - जेनोट्रांसप्लांटेशन (Xenotransplantation) में मानव में अमानवीय (मनुष्य के अलावा किसी अन्य से) ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण शामिल है।
 - ◆ सुअर के दिल का इंसान में यह पहला सफल प्रत्यारोपण है। हालाँकि यह बहुत जल्द पता चल जाएगा कि क्या ऑपरेशन वास्तव में काम करेगा।
 - जीन-एडिटिंग से गुजरने वाले सुअर के दिल का उपयोग उसकी कोशिकाओं में शुगर को हटाने के लिये किया गया है जो उस अंग अस्वीकरण हेतु उत्तरदायी है।
 - जीनोम एडिटिंग (जिसे जीन एडिटिंग भी कहा जाता है) तकनीकों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीऑक्सी-राइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) को बदलने की क्षमता प्रदान करता है।
 - ♦ इस तरह के प्रत्यारोपण या जोनोट्रांसप्लांटेशन के पहले के प्रयास विफल रहे हैं। प्रत्यारोपण में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अंग अस्वीकरण है।
 - इसने मानव प्रत्यारोपण के लिये सूअरों के उपयोग पर एक बहस फिर से छेड़ दी है, जिसका कई पशु अधिकार समूह विरोध करते रहे हैं।
- महत्त्व:
 - यह विकास हमें वैश्विक स्तर पर अंग की कमी को हल करने के लिये एक कदम और करीब ला सकता है।
 - भारत में मरीजों को वार्षिक रूप से 25,000-30,000 लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। लेकिन केवल 1,500 के बारे में ही उन्हें
 प्राप्त होता है।
 - अंग प्रत्यारोपण के लिये सूअर तेज़ी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं।
 - सुअर के अंग से लाभ प्राप्त किया जाता हैं, क्योंकि उन्हें छह महीने में वयस्क मानव आकार को बढ़ाना और प्राप्त करना आसान होता है।
 - सुअर के हृदय के वाल्व को नियमित रूप से मनुष्यों में प्रत्यारोपित किया जाता है और मधुमेह के कुछ रोगियों को पोर्सिन अग्न्याशय कोशिकाएँ प्रदान की जाती हैं।

फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज

हाल ही में मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने फिशरीज़ स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
 - ◆ यह चुनौती देश के भीतर स्टार्ट-अप्स को मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के भीतर अपने अभिनव समाधानों को प्रदर्शित करने के लिये एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
 - ◆ जलीय कृषि उत्पादकता को वर्तमान राष्ट्रीय औसत 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करने, निर्यात आय को दोगुना करने और फसल के बाद के नुकसान को 25% से 10% तक कम करने के लिये तथा मत्स्य पालन मूल्य शृंखला में मुद्दों को हल करने हेतु समाधान खोजे जाने चाहिये।
 - ♦ इस क्षेत्र के सामने स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने और उद्यमिता मॉडल की एक मजबूत नींव स्थापित करने की चुनौती है, मत्स्य विभाग ने इस चुनौती के लिये 3.44 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की है।
- संबंधित पहलः
 - वर्ष 2018-19 के दौरान मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) की स्थापना।
 - ♦ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: कार्यक्रम का लक्ष्य 2024-25 तक 22 मिलियन टन मछली उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है। साथ ही इससे 55 लाख लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
 - ♦ नीली क्रांति: यह मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये मत्स्य पालन के एकीकृत व समग्र विकास एवं प्रबंधन हेतु एक सक्षम वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
 - मछुआरों और मछली किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधाओं का विस्तार।
 - ◆ समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण: एमपीईडीए एक नोडल समन्वयक, राज्य के स्वामित्त्व वाली एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है।
 - ♦ समुद्री मात्स्यिकी विधेयक: विधेयक में केवल मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत पंजीकृत जहाजों को अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड)
 में मछली पकड़ने के लिये लाइसेंस देने का प्रस्ताव है।
 - ◆ समुद्री शैवाल पार्क: तिमलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क हब और स्पोक मॉडल पर विकसित गुणवत्ता वाले समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों का केंद्र होगा।

मत्स्य पालन क्षेत्र का महत्त्व:

परिचय:

- मत्स्य पालन क्षेत्र देश के आर्थिक और समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। "सूर्योदय क्षेत्र" के रूप में संदर्भित, मत्स्य पालन क्षेत्र में समान और समावेशी विकास की अपार संभावनाएँ है।
- भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है।
- ♦ भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।
- ◆ वर्तमान में यह क्षेत्र देश के भीतर 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। फिर भी, यह अप्रयुक्त क्षमता वाला क्षेत्र बना हुआ है।
 - भारत के आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 का अनुमान है कि अब तक देश की अंतर्देशीय क्षमता का केवल 58% का ही दोहन किया
 गया है।

- - 🔷 मात्स्यिकी क्षेत्र में मौजूद समग्र क्षमता स्केलेबल व्यापार समाधान लाने और मछुआरों और मछली किसानों हेतू लाभ को अधिकतम करने के लिये विभिन्न अवसर प्रदान करती है।
 - प्राथिमक उत्पादक क्षेत्रों में मत्स्य पालन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है।
 - ♦ हालाँकि, मात्स्यिकी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिये मात्स्यिकी मूल्य शृंखला की दक्षता और उत्पादन को बढ़ाने हेतु तकनीकी उपायों की आवश्यकता है।

कत्थक

हाल ही में मशहूर कत्थक डांसर पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया।

- उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में नृत्य-नाटक शान-ए-मुगल, इंदर सभा, अमीर ख़ुसरो, अंग मुक्ति, अन्वेषा, बहार, त्राटक, क्रौंच बढ़, धुनी शामिल हैं।
- नृत्य की दुनिया में उनके योगदान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (2006), साहित्य कला परिषद पुरस्कार (2003) और सरस्वती सम्मान (2011) से सम्मानित किया गया था।

- परिचय:
 - ♦ कत्थक शब्द का उदभव कथा शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है।
 - यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गाँव का प्रदर्शन था जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियाँ सुनाते थे।
 - यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है।
- विकास:
 - 🔷 पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित हुआ।
 - ♦ राधा-कृष्ण की किंवदंतियों को सर्वप्रथम 'रास लीला' नामक लोक नाटकों में प्रयोग किया गया था, जिसमें बाद में कत्थक कथाकारों के मुल इशारों के साथ लोक नृत्य को भी जोडा गया।
 - ♦ कत्थक को मुगल सम्राटों और उनके रईसों के अधीन दरबार में प्रदर्शित किया जाता था, जहाँ इसने अपनी वर्तमान विशेषताओं को प्राप्त कर लिया और एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हुआ।
 - अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में विकसित हुआ।
- नृत्य शैली:
 - ♦ आमतौर पर एक एकल कथाकार या नर्तक छंदों का पाठ करने हेतु कुछ समय के लिये रुकता है और उसके बाद शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उनका प्रदर्शन होता है।
 - ♦ इस दौरान पैरों की गति पर अधिक ध्यान दिया जाता है; 'एंकल-बेल' पहने नर्तिकयों द्वारा शरीर की गति को कुशलता से नियंत्रित किया जाता है और सीधे पैरों से प्रदर्शन किया जाता है।
 - 'तत्कार' कत्थक में मूलत: पैरों की गति ही शामिल होती है।
 - कत्थक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है।
 - कुछ प्रमुख नर्तकों में बिरजू महाराज, सितारा देवी शामिल हैं।
- भारत में अन्य शास्त्रीय नृत्य
 - तिमलनाडु- भरतनाट्यम
 - कथकली- केरल

- कुचिपुड़ी- आंध्रप्रदेश
- ओडिसी- ओडिशा
- सित्रया- असम
- मणिपुरी- मणिपुर
- मोहिनीअट्टम- केरल

भक्ति आंदोलनः

- भक्ति आंदोलन का विकास सातवीं और नौवीं शताब्दी के बीच तिमलनाडु में हुआ।
- यह नयनार (शिव के भक्त) और अलवर (विष्णु के भक्त) की भावनात्मक कविताओं में परिलक्षित होता था।
 - ये संत धर्म को मात्र औपचारिक पूजा के रूप में नहीं बिल्क पूजा करने वाले और उपासक के मध्य प्रेम पर आधारित एक प्रेम बंधन के रूप में देखते थे।
- उन्होंने स्थानीय भाषाओं, तिमल और तेलुगू में लिखा और इसिलये वे कई लोगों तक पहुँचने में सक्षम थे।
- समय के साथ दक्षिण के विचार उत्तर की ओर बढ़े लेकिन यह बहुत धीमी प्रक्रिया थी।
- भिक्त विचारधारा को फैलाने का एक अधिक प्रभावी तरीका स्थानीय भाषाओं का उपयोग था। भिक्त संतों ने अपने छंदों की रचना स्थानीय भाषाओं में की।
- उन्होंने व्यापक स्तर पर दर्शकों के लिये उन्हें समझने योग्य बनाने हेतु संस्कृत में अनुवाद भी किया। उदाहरणत: मराठी में ज्ञानदेव, हिंदी में कबीर, सूरदास और तुलसीदास, असमिया को लोकप्रिय बनाने वाले शंकरदेव, बंगाली में अपना संदेश फैलाने वाले चैतन्य और चंडीदास, हिंदी में मीराबाई और राजस्थानी शामिल हैं।

भारत-चीन सैन्य वार्ता

हाल ही में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। बैठक के परिणामस्वरूप हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से पीछे हटने के मामले में कोई सफलता नहीं मिली. लेकिन दोनों ही पक्षों द्वारा शीघ्र ही फिर से मिलने पर सहमति व्यक्त की गई।

 पिछली बैठक की तुलना में यह बैठक सकारात्मक रही क्योंिक पिछली वार्ता के दौरान कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया था लेकिन दोनों पक्षों ने स्थिति के लिये एक-दूसरे को दोषी ठहराते हुए स्वतंत्र बयान जारी किये थे।

प्रमुख बिंदु

- हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट की अवस्थिति:
 - ♦ हॉट स्प्रिंग्स चांग चेनमो (Chang Chenmo) नदी के उत्तर में है और गोगरा पोस्ट इस नदी के गलवान घाटी से दक्षिण-पूर्व दिशा से दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ने पर बने हेयरिपन मोड़ (Hairpin Bend) के पूर्व में है।
 - यह क्षेत्र काराकोरम श्रेणी (Karakoram Range) के उत्तर में है जो पैंगोंग त्सो (Pangong Tso) झील के उत्तर में और गलवान घाटी के दक्षिण में स्थित है।
- हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट का महत्त्व
 - ♦ यह क्षेत्र कोंग्का दर्रे (Kongka Pass) के पास है जो चीन के अनुसार भारत और चीन के बीच की सीमा को चिह्नित करता है।
 - भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दावा पूर्व की ओर अधिक है, क्योंिक इसमें पूरा अक्साई चिन (Aksai Chin) का क्षेत्र भी शामिल है।
 - ♦ हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट, चीन के दो सबसे अशांत प्रांतों (शिनजियांग और तिब्बत) की सीमा के करीब हैं।

पैंगोंग त्सो झील

- पैंगोंग झील केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है।
- यह लगभग 4,350 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊँचाई पर स्थित खारे पानी की झील है।
- लगभग 160 किमी. क्षेत्र में फैली पैंगोंग झील का एक-तिहाई हिस्सा भारत में है और दो-तिहाई हिस्सा चीन में है।

गलवान घाटी

- गलवान घाटी सामान्यत: उस भूमि को संदर्भित करती है, जो गलवान नदी (Galwan River) के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है।
- गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर अक्साई चिन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की श्योक नदी (Shyok River) में मिलती है।
- ध्यातव्य है कि यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चिन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण है।

चांग चेनमो नदी

- यह श्योक नदी की सहायक नदी है, जो सिंधु नदी (Indus River) प्रणाली का हिस्सा है।
- यह विवादित अक्साई चिन क्षेत्र के दक्षिणी किनारे पर और पैंगोंग झील बेसिन के उत्तर में स्थित है।
- चांग चेनमो का स्रोत लनक दर्रे (Lanak Pass) के पास है।

कोंग्का दर्रा

 कोंग्का दर्रा या कोंग्का ला एक पहाड़ी दर्रा है, जिससे चांग चेनमो घाटी में प्रवेश किया जाता है। यह लद्दाख में विवादित भारत-चीन सीमा क्षेत्र में है।

काराकोरम श्रेणी

- इसे कृष्णिगिरि के नाम से भी जाना जाता है जो ट्रांस-हिमालय पर्वतमाला की सबसे उत्तरी श्रेणी में स्थित है। यह अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती है।
- यह पामीर से पूर्व की ओर लगभग 800 किमी. तक फैली हुई है। यह ऊँची चोटियों [5,500 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई] के साथ एक सीमा है।
- कुछ चोटियाँ समुद्र तल से 8,000 मीटर से अधिक ऊँची हैं। इस श्रेणी में पृथ्वी की कई शीर्ष चोटियाँ स्थित हैं जैसे- K2, जिसकी ऊँचाई 8,611 मीटर है तथा जो विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है।
- लद्दाख पठार काराकोरम श्रेणी के उत्तर-पूर्व में स्थित है।

कला कुंभ-कलाकार कार्यशालाएँ

आजादी के अमृत महोत्सव के भव्य समारोह के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के सहयोग से स्क्रॉल पेंटिंग के लिये कला कुंभ कलाकार कार्यशालाओं का आयोजन किया।

 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के साथ महानिदेशक, एनजीएमए (नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट) ने स्क्रॉल पेंटिंग कार्यशालाओं के लिये संरक्षक के रूप में काम किया।

- परिचय:
 - ♦ इन कलाकृतियों का प्रमुख विषय भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के गुमनाम नायकों से संबंधित है।
 - ♦ अन्य प्रख्यात कलाकारों और सुलेखकों की एक टीम के साथ बंगाल स्कूल के आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख आचार्यों में से एक नंदलाल बोस द्वारा भारत के संविधान में दिये गए दृष्टांतों से भी प्रेरणा ली गई है।
- नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट:
 - परिचय:
 - यह एक राष्ट्रीय प्रमुख संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में तत्कालीन उपराष्ट्रपित डॉ. एस. राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थित में की थी।

- NGMA देश के सांस्कृतिक लोकाचार का भंडार है और विभिन्न कला के क्षेत्रों में वर्ष 1857 से शुरू होकर पिछले डेढ़ सौ वर्षों के दौरान बदलते कला रूपों को प्रदर्शित करता रहा है।
- मुख्यालयः नई दिल्ली।
- ♦ नोडल मंत्रालय: इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत चलाया और प्रशासित किया जाता है।

नंदलाल बोस (1882-1966)

- 3 दिसंबर, 1882 को बिहार के मुंगेर जिले में जन्मे नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में से एक थे और प्रासंगिक आधुनिकतावाद (Contextual Modernism) से संबंधित थे।
- बोस रवींद्रनाथ टैगोर के भतीजे अविनंद्रनाथ टैगोर जो पांच वर्ष के लिये वर्ष 1910 तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख कलाकार और निर्माता रहे के साथ ही बड़े हुए।
- टैगोर परिवार के साथ जुड़ाव और अजंता के भित्ति चित्रों ने एक राष्ट्रवादी चेतना, शास्त्रीय और लोक कला के प्रति प्रतिबद्धता के साथ-साथ इसकी अंतर्निहित आध्यात्मिकता और प्रतीकवाद के आदर्शवाद को जागृत किया।
- उनकी क्लासिक कृतियों में भारतीय पौराणिक कथाओं, महिलाओं और ग्रामीण जीवन के दृश्यों के चित्र शामिल हैं।
- बोस ने अपने कार्यों में मुगल और राजस्थानी परंपराओं तथा चीनी-जापानी शैली और तकनीकी का प्रयोग किया।
- बोस वर्ष 1922 में रवींद्रनाथ टैगोर के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन में कला भवन (कला महाविद्यालय) के प्राचार्य बने।
- जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था तब कांग्रेस ने बोस को के संविधान के पन्नों को चित्रित करने का कार्य सौंपा, साथ ही उनके शिष्य राममनोहर बोस ने संविधान की मूल पांडुलिपि को सुशोभित और सजाने का काम संभाला।
- 16 अप्रैल, 1966 को कलकत्ता में उनका निधन हो गया।
- आज कई आलोचक उनके चित्रों को भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण आधुनिक चित्रों में से एक मानते हैं।
 - ♦ वर्ष 1976 में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने "नौ कलाकारों" के बीच कार्यों की घोषणा की तथा इनके कार्यों को कलात्मक और सौंदर्य मुल्य के संबंध में कला के रूप में" जाना जाता था।

नारी शक्ति पुरस्कार 2021

नारी शक्ति पुरस्कार, 2021 के लिये नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2022 है।

- नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के बारे में:
 - ♦ इस पुरस्कार को वर्ष 1999 में शुरू किया गया। यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
 - प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर भारत के राष्ट्रपित द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
 - ♦ नारी शक्ति पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि और व्यक्तियों एवं संस्थानों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
 - मिहला एवं बाल विकास मंत्रालय व्यक्तियों/समूहों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/संस्थानों आदि के लिये इन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की घोषणा करता है। निम्नलिखित को पुरस्कार का वितरण किया जाता है:
 - महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिकाओं में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु।
 - पारंपिरक और गैर-पारंपिरक क्षेत्रों में मिहलाओं के कौशल विकास हेतु।
 - ग्रामीण महिलाओं को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये।
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति जैसे गैर-पारंपिरक क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी रूप से बढ़ावा देने के लिये।
 - सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, जीवन कौशल, महिलाओं के सम्मान और सम्मान आदि की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये।

- - समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबत करने के उद्देश्य से महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना।
 - यह युवा भारतीयों को समाज और राष्ट्र के निर्माण में मिहलाओं के योगदान को समझने का अवसर भी प्रदान करेगा।
 - यह वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
 - एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़िकयों को सशक्त बनाना।
- - ♦ दिशा निर्देशों के अनुसार, कम-से-कम 25 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम 5 वर्षों तक कार्य करने वाले संस्थान आवेदन करने के पात्र हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

- प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1909 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1977 में इसे अधिकारिक मान्यता प्रदान की गई।
- पहली बार महिला दिवस वर्ष 1911 में जर्मनी के क्लारा जेटिकन द्वारा मनाया गया था। प्रथम महिला दिवस की जड़ें मजदूर आंदोलन से जडी थीं।
- वर्ष 1913 में इसे 8 मार्च को मनाना निश्चित कर दिया गया था,जो वर्तमान तक जारी है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था।
- दिसंबर 1977 में महासभा के सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार, वर्ष के किसी भी दिन मनाए जाने वाला महिला अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया गया।

उल्कापिंड (ALH) 84001

हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक नया अध्ययन उल्कापिंड (ALH) 84001 नामक उल्कापिंड की सतह पर कार्बनिक यौगिकों के अस्तित्व के लिये एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है।

यह वर्ष 1984 में मंगल ग्रह से पृथ्वी पर उतरा और संभवत: मंगल (लाल ग्रह) पर जीवन के अस्तित्त्व को उजागर कर सकता है।

- परिचय:
 - ♦ एलन हिल्स (ALH) 84001 नाम का उल्कापिंड दिसंबर 1984 में अंटार्कटिका में एलन हिल्स के सुदूर पश्चिमी आइसफ़ील्ड में एक अमेरिकी उल्का मिशन में पाया गया था। इसकी खोज के समय इसे एक असामान्य चट्टान के रूप में पहचाना गया था।
 - खोज के समय इसके बारे में वर्णित किया गया था कि यह एक गोल ईंट या एक बड़े आलू के आकार का लगभग 6 इंच लंबा और आंशिक रूप से काले काँच के साथ कवर किया गया था।
 - वर्ष 2021 में नासा के 'पर्सिवरेंस रोवर' ने मंगल ग्रह की चट्टान का पहला नमूना एकत्र किया।
 - ♦ यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उल्कापिंड मंगल ग्रह/लाल ग्रह से आया है क्योंकि कुछ गैसों के निशान की उपस्थिति मंगल ग्रह के वातावरण के समान है।
- अध्ययन:
 - ♦ अध्ययन में कहा गया है कि उल्कापिंड में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक, जल और चट्टानों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम थे जो मंगल पर विद्यमान थे। यह पृथ्वी पर हुई प्रक्रिया के समान थी।
 - ♦ इस प्रकार की गैर-जैविक, भवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ कार्बनिक कार्बन यौगिकों के एक पुल को निर्मित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जिनसे जीवन का विकास संभव था और एक ऐसा आधार प्रस्तुत करता है जिसे मंगल पर पिछले जीवन के साक्ष्य की खोज करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिये।

- ◆ मंगल ग्रह पर जीवन की खोज केवल इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं है कि 'क्या हम अकेले हैं, बिल्क यह प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण से भी संबंधित है और 'हम कहाँ से आए हैं' के प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास है।
- उल्कापिंडों के अध्ययन का महत्वः
 - अंतिरक्ष एजेंसियों ने क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने में सक्षम होने के लिये विशिष्ट मिशन शुरू किये हैं।
 - ऐसा ही एक उदाहरण नासा का ओएसआईआरआईएस-आरईएक्स मिशन (NASA's OSIRIS-REx mission) है जिसे वर्ष 2018 में क्षुद्रग्रह बेन्नू (Asteroid Bennu) तक पहुँचने और प्राचीन क्षुद्रग्रह से नमूना वापस लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
 - वैज्ञानिक उल्कापिंडों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं क्योंिक उनकी जाँच से सौर मंडल और पृथ्वी की शुरुआत के बारे में सुराग मिलते हैं।

उल्का, उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह के बीच अंतर:

- उल्का (meteor), उल्कापिंड (meteorite) और क्षुद्रग्रह (Meteoroid) के बीच का अंतर और कुछ नहीं बल्कि वस्तुएँ है।
- क्षुद्रग्रह (meteoroid) अंतिरक्ष में ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्रग्रहों तक होता है। जैसे कि अंतिरक्ष चट्टान।
- जब क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें उल्का (meteors) कहा जाता है।
- लेकिन अगर कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जमीन से टकराता है तो उसे उल्कापिंड (meteorite) कहते हैं।

भारतीय सेना दिवस

भारत में हर साल 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस (Army Day) मनाया जाता है।

इस वर्ष भारत अपना 74वाँ सेना दिवस मना रहा है।

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
 - ◆ 15 जनवरी, 1949 को, फील्ड मार्शल कोडंडेरा एम. करियप्पा (Kodandera Madappa Cariappa), जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे, ने जनरल सर फ्रांसिस बुचर (जो उस पद को धारण करने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति) से भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया, थे।
 - ♦ के. एम. किरयप्पा ने 'जय हिंद' का नारा अपनाया जिसका अर्थ है 'भारत की जीत'। वह फील्ड मार्शल की पाँच सितारा रैंक रखने वाले केवल दो भारतीय सेना अधिकारियों में से एक हैं, दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशाॅ हैं।
- सेना दिवस:
 - ◆ देश के उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिये प्रत्येक वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने निस्वार्थ सेवा और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है तथा जिनके लिये देश-प्रेम सबसे बढ़कर है।
 - सेना दिवस के उपलक्ष्य में साल दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन किया जाता है।
- भारतीय सेनाः
 - भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई, जो बाद में 'ब्रिटिश भारतीय सेना' और अंतत: स्वतंत्रता के बाद, भारतीय सेना बन गई।
 - भारतीय सेना की स्थापना लगभग 126 साल पहले अंग्रेजों ने 1 अप्रैल, 1895 को की थी।
 - भारतीय सेना को विश्व की चौथी सबसे सशक्त/मजबूत सेना माना जाता है।



पढ़े भारत अभियान

केंद्रीय शिक्षामंत्री धमेन्द्र प्रधान आज से सौ दिन के अभियान - पढ़े भारत का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान मे बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय और शैक्षिक प्रशासन सिहत सभी हितधारकों को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर शामिल किया जाएगा। इसका उददेश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार लाना है। अभियान के तहत बच्चों में रचनात्मकता, विवेचनात्मकता, शब्दावली और मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित की जाएगी। इसे बच्चों को अपनी परिस्थितियों और वास्तिवक जीवन की यथार्थता समझने में मदद मिलेगी। बाल बाटिका के स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इस दौरान पढ़ाई को रूचिकर और आनंदमय बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक समूह के लिये प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। बच्चे इसे शिक्षकों, माता-पिता, भाई- बहन या परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से कर सकेंगे। यह अभियान अगले वर्ष दस अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।

मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय

प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारिशला रखी गई। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांवों में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केट बॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबर्ड़ी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिमनास्टिक के लिये हॉल, दौड़ के लिये सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमंग पूल तथा साइक्लिंग के लिये ट्रैक सिहत खेलों के आधुनिक बुनियादी ढाँचे की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वॉश, भारत्तोलन, तीरंदाजी तथा कई अन्य खेल सुविधाएँ भी होंगी। विश्वविद्यालय में 540 महिलाओं और 540 पुरूष खिलाड़ियों सिहत एक हजार 80 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा देश के सभी भागों में खेलों के लिये विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे स्थापित करने पर ध्यान दे रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, उनकी इस परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

विनय कुमार त्रिपाठी

विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसकी मंज़ूरी दे दी है। श्री त्रिपाठी वर्तमान में उत्तर-पूर्व रेलवे ज्ञोन के महाप्रबंधक हैं। त्रिपाठी ने रुड़की से बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) किया और 1983 के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स (आईआरएसईई) बैच से रेलवे में आए। उनकी पहली तैनाती उत्तर रेलवे में सहायक विद्युत अभियंता के रूप में हुई थी। मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, मुख्य विद्युत लोकोमोटिव इंजीनियर, अतिरिक्त महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे और रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य/ट्रैक्शन जैसे कई महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने स्विट्जरलैंड और अमेरिका में उच्च प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। श्री त्रिपाठी ने अत्याधुनिक तीन चरण वाले इंजनों को सेवा में शामिल करने और उनके स्वदेशीकरण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अब भारतीय रेलवे में सेवा में हैं। वह 1982 बैच के आईआरएसएमई अधिकारी सुनीत शर्मा का स्थान लेंगे।

अंडर-19 एशिया कप

भारत ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। आज दुबई में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 9 विकेट पर 106 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मैच 38 ओवर का कर दिया गया और भारतीय टीम ने 102 रन के संशोधित लक्ष्य को 21 ओवर और तीन गेंद में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रीलंका के लिये यासिरु रोड्रिंग्ज ने सबसे अधिक 19 रन बनाए। उनके अलावा रवीन डि सिल्वा ने 15 और सादिशा राजपक्षे-मधीसा पथीरना ने 14-14 रन बनाए। इनके अलावा को कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। टीम इंडिया के लिये विक्की ओस्तवाल और कौशल तांबे ने बढ़िया गेंदबाजी की। विक्की ने 8 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट झटके, जबिक कौशल ने 6 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिये।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' स्थापना दिवस

01 जनवरी, 2022 को 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) का 64वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' की स्थापना रक्षा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिये मात्र 10 प्रयोगशालाओं के साथ 01 जनवरी, 1958 को की गई थी एवं इसको भारतीय सशस्त्र बलों के लिये आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को तैयार कर उनका विकास करने का लक्ष्य सौंपा गया था। वर्तमान में यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत कार्य करता है। वर्तमान में डीआरडीओ सैन्य क्षेत्र में अनेक आधुनिक तकनीकों के निर्माण में सलग्न है, जिनमें एयरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, युद्धक वाहन, इंजीनियरिंग प्रणालियाँ, मिसाइलें, नौसेना प्रणालियाँ, एड्वांस कम्प्यूटिंग और सिम्युलेशन शामिल हैं। अपनी 63 वर्षीय लंबी अवधि में संगठन ने देश में रक्षा अनुसंधान और विकास के परिदृश्य को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ध्यातव्य है कि 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध अवसंरचनात्मक स्तर पर भी काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। संगठन द्वारा पीएम-केयर फंड की मदद से 850 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये गए हैं और '2DG' नामक एक दवा विकसित करने के अलावा देश भर में कई कोविड केंद्रित अस्पताल भी स्थापित किये गए हैं।

सावित्रीबाई फुले

03 जनवरी, 2022 को प्रख्यात समाजसेवी और भारत में महिला शिक्षा की प्रबल समर्थक सावित्रीबाई फुले को देश भर में श्रद्धांजिल अर्पित की गई। महाराष्ट्र में इस दिवस को 'बालिका दिवस' के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को महाराष्ट्र स्थित नायगाँव (सतारा जिला) में हुआ था और उन्हें भारत की प्रारंभिक आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। वर्ष 1848 में उन्होंने देश में लड़िकयों के लिये पुणे के भिडेवाडा में पहला विद्यालय शुरू किया था। महिला शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के उनके प्रयासों के कारण उन्हें पुरुष प्रधान समाज से बहिष्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। मात्र 9 वर्ष की उम्र में सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक, ज्योतिराव फुले के साथ उनका बाल विवाह कर दिया गया, और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सावित्रीबाई फुले के संघर्ष में ज्योतिराव फुले ने उनका पूरा समर्थन किया तथा उन्हों की सहायता से सावित्रीबाई फुले पढ़ना और लिखना सीख सकीं। उस समय लड़िकयों को पढ़ाना एक कट्टरपंथी विचार माना जाता था। जब वह स्कूल जाती थीं तो लोग अक्सर उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुईं। वह एक कवियत्री भी थीं, उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 10 मार्च, 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया।

विश्व का सबसे बडा मेट्रो नेटवर्क- शंघाई

शंघाई (चीन) में हाल ही में दो ड्राइवर-लेस मेट्रो लाइनें-लाइन 14 और लाइन 18 का पहला चरण शुरू किया गया है, जिसके साथ ही शंघाई ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी स्थित बनाए रखी है। नई मेट्रो लाइनों के उद्घाटन के साथ, शंघाई मेट्रो नेटवर्क समग्र तौर पर 831 किलोमीटर लंबा हो गया है। वहीं शंघाई में स्वचालित यानी ड्राइवर-लेस मेट्रो लाइनों की कुल संख्या 5 हो गई है। शंघाई शहर में अब कुल 508 मेट्रो स्टेशन हैं, जिसके कारण यह दुनिया का सबसे बड़ा सब-वे है। शंघाई के बाद बीजिंग का स्थान है, जहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क मौजूद है। हाल ही में दिल्ली को विश्व के तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली मेट्रो के चरण IV ट्रैक, कुल 103.93 किलोमीटर लंबा है, जो कि वर्ष 2024 तक शुरू हो जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में 'ज़िला सुशासन सूचकांक'

केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही 'जम्मू-कश्मीर' में 'जिला सुशासन सूचकांक' विकसित किया जाएगा, जिससे जम्मू-कश्मीर इस प्रकार का सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश बन जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत 'प्रशासनिक सुधार और जन-शिकायत विभाग' इस संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ काम कर रहा है। प्रदेश के सभी बीस जिलों में सुशासन सूचकांक बनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित करना है। इस सूचकांक से निश्चित समय के भीतर कार्यालयों में फाइलों तथा अन्य मामलों का निपटारा होगा और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जनभागीदारिता बढ़ेगी। 'जिला सुशासन सूचकांक' (DGGI) फ्रेमवर्क में कृषि व संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे जैसे 58 संकेतक शामिल हैं।

सूडान

सूडान के प्रधानमंत्री 'अब्दुल्ला हमदोक' ने देश भर में हो रहे लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद त्यागपत्र दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सूड़ान में पूर्ण नागरिक शासन की वापसी का आह्वान किया है। सूडान में हजारों लोग सेना के साथ सत्ता साझा करने हेतु प्रधानमंत्री 'अब्दुल्ला हमदोक' द्वारा किये गए एक हालिया सौदे का विरोध कर रहे हैं, गौरतलब है कि इसी वर्ष अक्तूबर माह में सेना ने सूडान में तख्तापलट किया था।

सूडान पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह उत्तर में मिस्र, उत्तर-पूर्व में लाल सागर, पूर्व में 'इरिट्रिया' एवं 'इथियोपिया', दक्षिण में 'दक्षिण सूडान गणराज्य', दक्षिण-पश्चिम में 'मध्य अफ्रीकी गणराज्य', पश्चिम में 'चाड' और उत्तर-पश्चिम में 'लीबिया' से घिरा हुआ है। 'इथोपियन हाइलैंड' से निकलने वाली 'ब्लू नील' और मध्य अफ्रीकी झीलों से निकलने वाली 'ब्लाइट नील' निदयाँ मिलकर सूडान की राजधानी- 'खार्तूम' में 'नील नदी' का निर्माण करती हैं, जो उत्तर की ओर मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर तक प्रवाहित होती है। पेट्रोलियम सूडान का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ क्रोमियम अयस्क, तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, चाँदी, सोना, टंगस्टन और जस्ता के महत्त्वपूर्ण भंडार हैं। भारत-सूडान के संबंध लगभग 5000 वर्ष पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं। बताया जाता है कि सिंधुवासी अरब सागर और लाल सागर के रास्ते सूडान से व्यापार करते थे।

रानी वेलु नचियार

03 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी 'वेलु निचयार' की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजिल अर्पित की। रानी वेलु निचयार तिमलनाडु के शिवगंगई जिले की 18वीं सदी की रानी हैं, जिन्होंने अपने राज्य को वापस प्राप्त करने हेतु ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। रानी वेलु निचयार को औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी के रूप में जाना जाता है। वेलू निचयार का जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था। उन्हें तीरंदाज़ी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट और विभिन्न हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया था। साथ ही वे फ्रेंच, उर्दू और अंग्रेज़ी जैसी कई भाषाओं की जानकार भी थीं। 16 वर्ष की उम्र में वेलु निचयार का विवाह शिवगंगई के राजा मुथु वदुगनाथपेरिया से हुआ। वर्ष 1772 में ब्रिटिश सेना और आर्कोट के नवाब ने एक साथ शिवगंगई पर आक्रमण किया। इस युद्ध के दौरान राजा मुथु वदुगनाथपेरिया अपने राज्य के लिये लड़ते हुए मारे गए। वहीं युद्ध के दौरान रानी 'वेलु निचयार' किसी तरह स्वयं को बचाने में सफल हो गईं। इसके पश्चात् उन्होंने आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न राजाओं के साथ गठबंधन किया और अपना राज्य वापस लेने हेतु ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध के पश्चात् रानी 'वेलु निचयार' ने अपने राज्य को पुन: प्राप्त कर लिया और अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने 'उदइयाल' नामक एक महिला टुकड़ी का गठन भी किया।

विश्व ब्रेल दिवस

दुनिया भर में ब्रेल (Braille) लिपि के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये प्रतिवर्ष 04 जनवरी को 'विश्व ब्रेल दिवस' का आयोजन किया जाता है। ब्रेल (Braille) नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिये प्रयोग की जाने वाली एक पद्धित है। यह दिवस ब्रेल लिपि के जनक 'लुई ब्रेल' (फ्राँस) की जयंती को चिह्नित करता है, जिन्होंने वर्ष 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी, 1809 को फ्राँस के एक गाँव में हुआ था और बहुत कम आयु में ही एक दुर्घटना के बाद उनकी आँखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। वर्ष 1824 में बनी इस लिपि को वर्तमान में दुनिया के लगभग सभी देशों में मान्यता मिल चुकी है। विश्व ब्रेल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नवंबर 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य आम लोगों के बीच ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व ब्रेल दिवस शिक्षकों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को नेत्रहीन एवं दृष्टिबाधित लोगों के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

संत कुरियाकोस एलियास चावरा

03 जनवरी, 2022 को केरल के कोट्टायम में संत कुरियाकोस एलियास चावरा की 150वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। संत कुरियाकोस एलियास चावरा का जन्म 10 फरवरी, 1805 को त्रावणकोर राज्य के अल्लेप्पी जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उन्होंने 19वीं शताब्दी में केरल में आध्यात्मक, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी समुदाय के बच्चों के लिये स्कूल खोलने और उन्हें मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की महत्त्वपूर्ण पहल भी की। 23 नवंबर, 2014 को कुरियाकोस एलियास चावरा को पोप फ्राँसिस द्वारा रोम में आधिकारिक तौर पर 'संत' घोषित किया गया था।

नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 'नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी' (NEAT) के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यह देश के विद्यार्थियों को सर्वोत्तम एड-टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से एक मंच के तौर पर कार्य करेगा। 'नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी' शिक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों का उपयोग कर युवाओं की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाने संबंधी एक पहल है। ये समाधान बेहतर शिक्षण परिणामों और विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु व्यक्तिगत एवं अनुकूलित सीखने के अनुभव के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। इस संबंध में जारी सूचना के मुताबिक, 58 वैश्विक और भारतीय स्टार्ट-अप्स एड-टेक कंपनियाँ इस पहल

में शामिल हैं, जो सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने व रोजगार योग्य कौशल विकसित करने हेतु 100 पाठ्यक्रम और ई-संसाधनों की पेशकश कर रही हैं। गौरतलब है कि 'नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी' कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न 'लर्निंग-लॉस' को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

5G माइक्रोवेव अवशोषक

हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक समूह ने '5G माइक्रोवेव अवशोषक' विकसित किये हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि स्मार्ट और उन्तत इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की बढ़ती खोज ने दुनिया को 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण' के अपरिहार्य खतरे में डाल दिया है। हाई-एंड उपकरणों को प्रभावित करने के अलावा 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप' (EMI) जीवित जीवों के स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक माना जाता है। 5जी प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के मौजूदा युग में जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट की मदद के बिना नियमित काम करना मुश्किल हो गया है तथा अधिकतर कार्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के आसपास ही हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याओं को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है। केरल के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह '5G माइक्रोवेव अवशोषक', एक 'मेयनाइट इलेक्ट्राइड' है, जो कि रासायनिक रूप से स्थिर है। इसने उच्च आवृत्ति क्षेत्र में विशेष रूप से 5G बैंड में असाधारण माइक्रोवेव अवशोषण क्षमता का प्रदर्शन किया है। आयनिक (रासायनिक पदार्थ जिनमें नकारात्मक रूप से आवेशित आयन होते हैं) इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित उच्च चालकता प्रदान करती है, जो उच्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग क्षीणन के इसके गुण हेतु उत्तरदायी है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार' के पंजीकरण के लिये एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में केंद्र एवं राज्य सरकारों के जिलों/संगठनों द्वारा किये गए असाधारण एवं अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के उद्देश्य से 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार' का गठन किया गया था। प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, नवाचार एवं महत्त्वाकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के कार्य को पहचानने के लिये वर्ष 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया था। इसके पश्चात रचनात्मक प्रतिस्पर्द्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में एक नए दृष्टिकोण के साथ पुरस्कार को नया रूप दिया गया है। हाल ही में वर्ष 2022 के पुरस्कारों के लिये भी कुछ नए बदलाव किये गए हैं, नए दृष्टिकोण के मुताबिक, मूल्यांकन के दौरान पुरस्कारों के लिये जिला कलेक्टरों के काम की अपेक्षा संपूर्ण जिले पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में 'कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी' का उद्घाटन किया है। अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिये छात्रों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नया अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह (CUSat) के लिये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में कार्य करेगा, जो एक इन-हाउस नैनो-उपग्रह है जिसे विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, साथ ही यह अनुसंधान के लिये भू-स्थानिक केंद्र भी होगा। यह उपग्रह उन 75 छात्र-निर्मित उपग्रहों में से एक होगा, जिन्हें वर्ष 2022 में 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा।

नील नोंगिकरिंह

'शिलांग चैंबर कोइर' के संस्थापक और प्रसिद्ध संगीतकार नील नोंगिकिरिंह का हाल ही में 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नील नोंगिकिरिंह का जन्म 09 जुलाई, 1970 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेघालय से प्राप्त की और संगीत की अधिकांश शिक्षा अपनी बहन पॉलीन वारजरी से प्राप्त की, जो कि एक जैज संगीतकार थीं। वर्ष 1988 में नील नोंगिकिरिंह संगीत का अध्ययन करने हेतु यूनाइटेड किंगडम चले गए। संगीत में स्नातक की शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नील ने यूनाइटेड किंगडम में पियानोवादक के रूप में कई कार्यक्रम किये। वर्ष 2001 में नोंगिकिरिंह भारत लौट आए और शिलांग में एक संगीत शिक्षक बन गए। इसी वर्ष उन्होंने प्रसिद्ध 'शिलांग चैंबर कोइर' की स्थापना की। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में नील नोंगिकिरिंह के नेतृत्त्व में शिलांग चैंबर कोइर ने 'इंडियाज गॉट टैलेंट' नामक एक टीवी कार्यक्रम जीता था। इसके अलावा वर्ष 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित 'एलएनजी एलायंस कंपनी' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस टर्मिनल की स्थापना 'न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट' (NMPT) के सहयोग से 2250 करोड रुपए के निवेश से की जाएगी। इस संबंध में की गई घोषणा के मुताबिक, यह परियोजना 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। यह कर्नाटक का पहला और देश का छठा 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस' (LNG) टर्मिनल होगा। यह वर्ष 2070 तक शृद्ध शन्य कार्बन का लक्ष्य प्राप्त करने हेत् वैकल्पिक ईंधन बाज़ार को बढ़ावा देने संबंधी केंद्र की व्यापक योजना में मददगार साबित हो सकता है। एक बार परा होने पर यह परियोजना मेंगलुरु के आसपास 300 किलोमीटर के दायरे में 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस' यानी एलएनजी की आपूर्ति करने में सक्षम होगी। 'तरलीकृत प्राकृतिक गैस' (LNG) प्राकृतिक गैस का तरल रूप है, जिसे आमतौर पर जहाजों के माध्यम से बड़ी मात्रा में उन देशों को भेजा जाता है जहाँ पाइप लाइन का विस्तार संभव नहीं है। प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके तरल अवस्था में लाया जाता है।

कैप्टन हरप्रीत चंडी

32 वर्षीय भारतीय मुल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिज़ियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रव का टैकिंग अभियान पूरा कर इतिहास रच दिया है और वह ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। इंग्लैंड के उत्तर-पश्चिम में एक मेडिकल रेजिमेंट के हिस्से के रूप में हरप्रीत चंडी की प्राथमिक भूमिका सेना के लिये नैदानिक प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में चिकित्सकों के प्रशिक्षण को व्यवस्थित करना है। इसके अलावा वह वर्तमान में लंदन में स्थित 'क्वीन मैरी विश्वविद्यालय' में खेल और व्यायाम चिकित्सा में स्नातकोत्तर (अंशकालिक) की भी पढाई कर रही हैं।

विश्व युद्ध अनाथ दिवस

विश्व भर में प्रतिवर्ष 06 जनवरी को 'विश्व युद्ध अनाथ दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का लक्ष्य उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो युद्धों के कारण अनाथ हो गए हैं। यह दिवस युद्ध के दौरान अनाथ हुए बच्चों की स्थिति को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है और बड़े होने के दौरान बच्चों के समक्ष आने वाली भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक चुनौतियों को उजागर करता है। यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत आँकडों की मानें तो वर्ष 2015 में वैश्विक स्तर पर लगभग 140 मिलियन अनाथ थे, जिनमें एशिया में 61 मिलियन, अफ्रीका में 52 मिलियन, लैटिन अमेरिका व कैरिबियन में 10 मिलियन और पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में 7.3 मिलियन शामिल थे।

ब्रांड इंडिया अभियान

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जल्द ही नए बाजारों में सेवाओं और उत्पादों के निर्यात को गति देने हेतू 'ब्रांड इंडिया अभियान' शुरू किया जाएगा। यह अभियान भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये एक 'अम्ब्रेला अभियान' के रूप में काम करेगा। प्रारंभिक चरण के दौरान यह अभियान विशिष्ट क्षेत्रों जैसे- रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, वृक्षारोपण उत्पादों (चाय, कॉफी, मसाले), शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मा और इंजीनियरिंग में भारतीय निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अभियान को 'इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन' (IBEF) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। 'इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन' वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विदेशों बाजारों में 'मेड इन इंडिया' लेबल के बारे में जागरूकता को बढावा देना और भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के ज्ञान के प्रसार को सुविधाजनक बनाना है। विभिन्न क्षेत्रों के लिये इस प्रकार का एक कॉमन अभियान काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में अलग-अलग क्षेत्रों पर अलग-अलग तरीकों से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष में देश का कुल निर्यात 400 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।

उत्तर कोरिया का 'हाइपरसोनिक मिसाइल' परीक्षण

हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक 'हाइपरसोनिक मिसाइल' का परीक्षण किया है, जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। उत्तर कोरिया ने इससे पूर्व सितंबर माह में पहली बार एक 'हाइपरसोनिक मिसाइल' का परीक्षण किया था, जिसके साथ ही वह उन प्रमुख सैन्य शक्तियों की सूची में शामिल हो गया था, जिनके पास इस प्रकार की उन्तत हथियार प्रणाली मौजूद है। 'हाइपरसोनिक मिसाइल' आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊँचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्विन की गित से पाँच गुना अधिक या लगभग 6,200 किलोमीटर प्रति घंटे (3,850 मील प्रति घंटे) की गति से लक्ष्य तक पहुँचते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढी के हथियार माना जाता है। ज्ञात हो कि भारत भी हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है। भारत में हाइपरसोनिक तकनीक का विकास और परीक्षण 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) एवं 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (ISRO) दोनों ने किया है। हाल ही में DRDO ने 'हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल' (HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसमें ध्विन की गित से 6 गुना गित से यात्रा करने की क्षमता है।

भारत में 'चीतों' की वापसी

वर्ष 1952 में विलुप्त होने के पश्चात् 'चीते' की एक बार पुनः भारत में वापसी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में देश में तकरीबन 50 चीते लाए जाएंगे। कार्य योजना के अनुसार, पहले वर्ष के दौरान सभी 'चीतों' को नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर- चीते को नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश में पुनः प्रस्तुत करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन महामारी के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। ध्यातव्य है कि चीता वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था। देश में चीतों की विलुप्ति के दो विशेष कारण थे। पहला- जानवरों के शिकार के लिये चीता को पालतू बनाया जाना तथा दूसरा- कैद में रहने पर चीता प्रजनन नहीं करते। अपनी तेज गित तथा बाघ व शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इसको पालना आसान था। तत्कालीन राजाओं और जमीदारों द्वारा इसका प्रयोग अक्सर शिकार के लिये होता था जिसमें ये अन्य जानवरों को पकड़ने में उनकी मदद करते थे।

कोप्पल टॉय क्लस्टर

कोप्पल टॉय क्लस्टर (KTC), जो कि देश में अपनी तरह की पहली बुनियादी अवसंरचना है, मार्च 2022 से संचालित हो जाएगी। 400 एकड़ से अधिक भूमि पर निर्मित 'कोप्पल टॉय क्लस्टर' में खिलौना बनाने, पैकेजिंग, उपकरण बनाने, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सहायक उपकरणों के विकास से लेकर क्षमताओं की संपूर्ण मूल्य शृंखला मौजूद होगी। कर्नाटक में निर्मित इस क्लस्टर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने और 25,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार (अधिकतर उत्तरी कर्नाटक में महिलाओं के लिये) एवं एक लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करने की क्षमता है। पूरा होने पर इस क्लस्टर में 100 से अधिक बड़ी और छोटी विनिर्माण इकाइयाँ शामिल होंगी। 'कोप्पल टॉय क्लस्टर' में खिलौना निर्माण और सहायक गतिविधियों के लिये एक इन्क्यूबेशन सेंटर भी मौजूद होगा।

स्टीफन हॉकिंग

08 जनवरी, 2021 को दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को उनकी 80वीं जयंती पर श्रद्धांजिल अपिंत की। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 08 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। वह छोटी उम्र से ही ब्रह्मांड के रहस्यों से प्रेरित थे। 21 वर्ष की आयु में वे एक न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग से पीड़ित हो गए, जिसके कारण वह चलने और अन्य दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो गए। स्टीफन हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जबिक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वह 'ब्लैक होल' के प्रति आकर्षित थे, जो कि उनके अध्ययन और शोध का एक महत्त्वपूर्ण विषय बना। वर्ष 1974 में उन्होंने अपने एक शोध में पाया कि 'कण' यानी 'पार्टिकल्स' ब्लैक होल से बच सकते हैं, उनके इस एक सिद्धांत को भौतिकी में उनका सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वर्ष 1974 में केवल 32 वर्ष की आयु में स्टीफन हॉकिंग प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के सदस्य चुने गए। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले वह विश्व के सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। वर्ष 2003 में उन्हें फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार, वर्ष 2006 में कॉप्ले मैडल और वर्ष 2009 में प्रेसिडेंशियल मैडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। उन्हें डॉक्टरेट की 14 मानद उपाधियाँ मिली थीं।

डिजिटल युआन वॉलेट एप्लीकेशन

चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में 'डिजिटल युआन वॉलेट एप्लीकेशन' के पायलट संस्करण को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य चीन की 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' विकसित करने हेतु प्रयासों को आगे बढ़ाना है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) के डिजिटल मुद्रा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 'e-CNY' (पायलट संस्करण) एप्लीकेशन शंघाई में डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। 'e-CNY' या डिजिटल युआन, एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से चीन में खुदरा भुगतान के लिये किया जाएगा। इस डिजिटल युआन वॉलेट का प्राथमिक लक्ष्य एक डिजिटल मुद्रा बनाना है जो अन्य डिजिटल मुद्राओं जैसे कि बिटकॉइन, स्टैब्लॉक्स और अन्य केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) के साथ प्रतिस्पद्धी कर सके, जबिक यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि रॅन्मिन्बी चीन में प्रमुख मुद्रा बनी रहे।

ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल

केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में 'ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल' (AGC) राष्ट्र को समर्पित किया है। 'ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल' प्रत्येक चार सेकेंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है, तािक देश की बिजली व्यवस्था की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता बनी रह सके। यह वर्ष 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित उत्पादन क्षमता के सरकार के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा। 'ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल' का संचालन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के माध्यम से 'पावर सिस्टम ऑपरेशन

कॉरपोरेशन' (POSOCO) द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ग्रिड आवृत्ति हमेशा 49.90-50.05 हर्ज़ बैंड के भीतर बनी रहे। राज्य द्वारा संचालित पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन 'नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर' (NLDC) और 'क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर' (RLDC) तथा 'राज्य लोड डिस्पैच सेंटर' (SLDC) के माध्यम से देश के महत्त्वपूर्ण बिजली लोड प्रबंधन कार्यों की देखरेख करता है। भारत में राष्ट्रीय ग्रिड बनाने वाले पाँच क्षेत्रीय ग्रिडों के लिये 33 SLDCs, पाँच RLDCs और एक NLDC है।

भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया, जिनकी उम्र तकरीबन 3.3 बिलियन वर्ष से लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। इस संग्रहालय का लक्ष्य आम जनमानस को ऐतिहासिक चट्टानों के संबंध में शिक्षित करना है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इन चट्टानों को ओडिशा, तिमलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और जम्मू-कश्मीर से लाया गया है।

फातिमा शेख की जन्म वर्षगाँठ

गूगल ने 9 जनवरी, 2022 को शिक्षक और समाज सुधारक फातिमा शेख को उनकी 191वीं जयंती पर होमपेज पर डूडल बनाकर सम्मानित किया। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी को वर्ष 1831 में पुणे में हुआ था। वह शिक्षक और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी, जिन्होंने जाति, सती प्रथा, महिला सशक्तीकरण, विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह और शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये फातिमा शेख के साथ लगातार काम किया। तत्कालीन समाज में फातिमा शेख को एक नारीवादी प्रतीक माना जाता था और स्वतंत्र भारत में उन्हें देश में बदलाव लाने के लिये सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव से लड़ना पड़ा। उन्होंने वर्ष 1848 में फुले के साथ स्वदेशी पुस्तकालय की सह-स्थापना की जो लड़िकयों के लिये भारत के पहले स्कूलों में से एक था। उन्होंने निम्न जाति में पैदा हुए लोगों को अवसर प्रदान करने के लिये फुले के साथ काम करते हुए जो प्रयास किये, उन्हें सत्यशोधक समाज आंदोलन के रूप में मान्यता मिली। वर्ष 2014 में शेख की उपलब्धियों को सरकार द्वारा उर्दू पाठ्यपुस्तकों में एक प्रोफ़ाइल के रूप में उनके समय के ऐसे अन्य अनुकरणीय और दृढ़ शिक्षकों के साथ चित्रित किया गया था।

निर्भया कढ़ी अभियान

ओडिशा के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। जिला प्रशासन ने दो वर्ष 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह और वीडियो-रिकॉर्ड 48,383 विवाहों को रोकने में सक्षमता दिखाई। इसके लिये गंजम जिले में में निर्भया कढ़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोकने और उनकी काउंसिलंग करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि अगर 12 से 18 वर्ष की लड़की पाँच दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना दें। पिछले दो वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग एक लाख किशोरियों ने परामर्श लिया है। प्रशासन ने किसी भी बाल विवाह की सूचना देने वालों के लिये 5,000 रुपए की घोषणा भी की थी। यह राशि अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है।

वीर गाथा प्रोजेक्ट

भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया जिसके तहत भारत की आजादी के 75वें वर्ष पर पहली बार कई कार्यक्रम पेश किये गए। वीर गाथा परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसे देश के स्कूली बच्चों को युद्ध नायकों और बहादुर दिलों की कहानियों से प्रेरित करने के लिये शुरू किया गया था। परियोजना के विजेताओं के रूप में कुल 25 छात्रों का चयन किया गया है। वीर गाथा परियोजना के तहत छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर गतिविधियों को करने के लिये प्रेरित किया गया। ऐसा करने के लिये शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने पूरे देश में 21 अक्तूबर से 21 नवंबर, 2021 तक वीर गाथा परियोजना का आयोजन किया। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वीर गाथा परियोजना में देश भर के 4,788 स्कूलों के 8,03,900 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इन छात्रों ने बहादुरों के सम्मान में अपने निबंध, कविताएँ, चित्र और मल्टीमीडिया प्रस्तुति साझा कीं। एक राष्ट्रीय समिति द्वारा कई दौर के मूल्यांकन के बाद सुपर-25 कहे जाने वाले कुल 25 छात्रों का चयन कर और उन्हें विजेता घोषित किया गया। वीर गाथा परियोजना में जीतने वाले छात्रों को 25 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा और वे रक्षा मंत्रालय के विशेष अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे।

पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह

उद्योग संवर्द्धन और आंतिरिक व्यापार विभाग 10 जनवरी से 16 जनवरी तक पहले स्टार्ट अप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश में उद्यमिता विकास और विस्तार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। स्टार्टअप क्षेत्र में वर्ष 2021 को यूनिकॉर्न वर्ष के रूप में चिह्नित किया गया था। इस दौरान 40 नए स्टार्टअप जुड़े हैं। भारत, विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप अनुकुल तंत्र के साथ वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भी उभर रहा है।

विश्व हिंदी दिवस 2022

विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में किया था। सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री है। यह हमारी राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सबसे सरल स्रोत है। यह हमारी विरासत है और देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। विश्व हिंदी दिवस पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। इस दिन हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये निबंध लेखन, पोस्टर बनाने, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद जैसी कई प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। इस दिन देश भर के अधिकांश स्कूल और कॉलेज छात्रों को विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं जैसे कि कविता प्रतियोगिता, निबंध और भाषा में पत्र लेखन आदि।

विश्व हिंदी दिवस 2022: प्रेरणादायक उद्धरण-

- "यदि सभी भारतीय भाषाओं के लिये एक लिपि की आवश्यकता है, तो वह देवनागरी ही हो सकती है" -जस्टिस कृष्णास्वामी अय्यर
- "हिंदी हमारे देश की अभिव्यक्ति का सबसे सरल स्रोत है" -सुमित्रा नंदन पंत
- "हमारी नागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है" -राहुल सांकृत्यायन
- "एक राष्ट्र राष्ट्रभाषा के बिना गूँगा है" -महात्मा गांधी
- "हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है" -कमलापित त्रिपाठी

फिनटेक विभाग

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिये एक आंतरिक "फिनटेक विभाग" की स्थापना की। RBI सर्कुलर के अनुसार, फिनटेक विभाग की स्थापना 4 जनवरी, 2022 को हुई थी। इस विभाग की स्थापना का निर्णय गतिशील रूप से बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल रखते हुए फिनटेक क्षेत्र में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लिया गया था। फिनटेक विभाग का उद्देश्य फिनटेक इनोवेशन पर जोर देना, विनियमन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के साथ-साथ ऐसी चुनौतियों का समाधान करना है। आरबीआई ने मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करने और वित्तीय समावेशन में सुधार के उद्देश्य से नवाचार को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। फिनटेक में अधिकांश स्टार्टअप ने अनियमित संस्थाओं के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। जून 2018 में आरबीआई की वरिष्ठ प्रबंधन समिति की एक बैठक के परिणामस्वरूप विनियमन विभाग में एक फिनटेक इकाई का निर्माण हुआ था। वर्ष 2019 में आरबीआई ने एक नियामक सैंडबॉक्स के लिये रूपरेखा जारी की। चूंकि अधिकांश फिनटेक गतिविधियाँ तब भुगतान क्षेत्र में थीं, इस युनिट को जुलाई 2020 में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग में स्थानांतिरत कर दिया गया था।

गंगासागर मेला

हर साल मकर संक्रांति के दौरान आयोजित होने वाला गंगासागर मेला पश्चिम बंगाल के गंगासागर (सागर के रूप में भी जाना जाता है) द्वीप पर 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को कोविड-19 की जाँच के लिये आवश्यक उपाय करने के बाद कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमित दी। न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और राज्य के प्रतिनिधि सहित तीन सदस्यीय पैनल का गठन करने का निर्देश दिया, ताकि सागर द्वीप में कोविड -19 उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस मेले के दौरान मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों तीर्थयात्री, संत और पर्यटक गंगा एवं बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं तथा किपल मुनि मंदिर में पूजा करते हैं।

RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियक्त

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल इस बहुपक्षीय विकास बैंक के पाँच उपाध्यक्षों में से एक के रूप में तीन साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव डी.जे. पांडियन, जो उपाध्यक्ष के रूप में एआईआईबी के निवेश कार्यों और दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया में सभी संप्रभ तथा गैर-संप्रभ ऋण देने का नेतत्व कर रहे थे. का स्थान लेंगे। उर्जित पटेल ने दो वर्ष की सेवा के बाद "व्यक्तिगत कारणों" का हवाला देते हुए दिसंबर, 2018 में एक आश्चर्यजनक निर्णय में आरबीआई गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2015 में बीजिंग में लॉन्च किये गए AIIB ने बैंक के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिये अधिक ऋण स्वीकृत किये हैं। चीन इसका सबसे बडा शेयरधारक है और भारत दुसरा सबसे बडा। अमेरिका और जापान इसके 104 सदस्यों में से नहीं हैं।

टकीला मछली

चेस्टर चिडियाघर और मेक्सिको के मिचोआकाना विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के निरंतर संरक्षण प्रयासों के बाद दशकों बाद टकीला मछली को विलुप्त होने से बचाया गया है। समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 2003 में टकीला मछली (जुगोनेटिकस टकीला) को समुद्र से पूरी तरह से विलुप्त मान लिया गया था जिसका कारण प्रदूषण और जल में अन्य विदेशी प्रजातियों का आक्रमण था। वर्ष 1998 में मेक्सिको के मिचोआकाना विश्वविद्यालय को चेस्टर चिडियाघर से 10 टकीला मछिलयाँ दी गईं जिन्हें एक कृत्रिम तालाब में छोड़ दिया गया जहाँ कुछ वर्षों के बाद इनकी संख्या बढ़ गई। जब यह संख्या 1,500 तक हो जाएगी उसके बाद इन्हें दक्षिण-पश्चिम मेक्सिको में तेउचिटलान नदी में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहाँ टकीला मछली की आबादी पन: बढ रही है। इस मछली की लंबाई केवल 70 मिमी तक होती है। टकीला मछली स्प्लिटफिन परिवार की सदस्य है जिन्हें स्थानिक प्रजातियों (उनके भौगोलिक स्थान द्वारा परिभाषित) के रूप में जाना जाता है। टकीला मछली केवल मेक्सिको में अमेरिकी नदी बेसिन में पाई जाती है। टकीला मछली के सिर, शरीर और पंखों का रंग गहरा जैतनी या दुधिया नीला-भरा रंग का होता है जिसके शल्कों में रंग बदलते इंद्रधनुष जैसी चमक होती है।

राष्ट्रीय युवा दिवस

प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती (12 जनवरी) को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को हुआ तथा उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया। वे 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने अपनी मातुभूमि के उत्थान के लिये शिक्षा पर सबसे अधिक ज़ोर दिया। साथ ही उन्होंने चरित्र-निर्माण आधारित शिक्षा का समर्थन किया। वर्ष 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन एक संगठन है, जो मूल्य-आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, यवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। वर्ष 1902 में बेलुर मठ में उनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवाओं का एक वार्षिक सम्मेलन है जिसमें प्रतिस्पर्द्धाओं सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) द्वारा किसी एक राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। वर्ष 2019 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (National Youth Parliament Festival- NYPF) का आयोजन भी किया जाता है।

बेटर हेल्थ स्मोक-फ्री कैंपेन

ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नई पहल 'बेटर हेल्थ स्मोक-फ्री कैंपेन' (Better Health Smoke-Free Campaign) शुरू की गई है, इसके द्वारा धम्रपान करने वालों को नए वर्ष के संकल्प के रूप में अस्वास्थ्यकर आदत को त्यागने का आह्वान किया जा रहा है। यह पहल धूम्रपान करने वाले युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इस कैंपेन के माध्यम से धूम्रपान करने वालों को यह कहते हुए धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया गया है कि जिन किशोरों के माता-पिता धम्रपान करते हैं. उनके ऐसा करने की संभावना चार गुना अधिक होती है। इस अभियान द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, 4.9 प्रतिशत किशोर जिनके माता-पिता धूम्रपान करते हैं, उन्होंने धूम्रपान की आदत को अपनाया है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) द्वारा इस विषय पर एक शैक्षिक फिल्म को रिलीज़ किया गया है। यूनाइटेड किंगडम की तरह न्यूज़ीलैंड द्वारा वर्ष 2030 तक धुम्रपान-मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, जबिक कनाडा और स्वीडन ने अपनी आबादी में धुम्रपान के प्रसार को 5 प्रतिशत से भी कम करने का लक्ष्य रखा है।

पाकिस्तान में मंदिरों की देखभाल के लिये प्रबंधन समिति का गठन

हाल ही में पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम बहुल देश हैं, में अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिये हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया गया है। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने पहले से कार्य कर रहे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन सिमित की तर्ज पर पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन सिमित का गठन किया। इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (Evacuee Trust Property Board- ETPB) द्वारा इस बात को साझा किया गया था। ETPB एक वैधानिक बोर्ड है जो विभाजन के बाद भारत में प्रवास करने वाले हिंदुओं और सिखों की धार्मिक संपत्तियों एवं तीर्थस्थलों का प्रबंधन करता है। गठित प्रबंधन सिमित हिंदू पूजा स्थलों से संबंधित मामलों को देखेगी। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में से एक है आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, देश में 75 लाख हिंदू निवास करते हैं। पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी सिंध प्रांत में बसी है जहाँ वे मुस्लिम निवासियों के साथ संस्कृति, परंपरा और भाषा साझा करते हैं। वे अक्सर चरमपंथियों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत करते हैं।

डॉ. एस सोमनाथ

प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस. सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है। एस. सोमनाथ कैलासवादिवू सिवान की जगह लेंगे, जो शुक्रवार को अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। डॉ. सोमनाथ लॉन्च व्हीकल डिजाइन सिहत कई विषयों के विशेषज्ञ हैं। उन्हें लॉन्च व्हिकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, इंटीग्रेशन डिजाइन और प्रोसेड्योर, मैकैनिज्म डिजाइन तथा पायरोटेक्नीक में महारत हासिल है। वर्तमान में डॉ. एस सोमनाथ केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSV) के निदेशक हैं। अपने कॅरियर की शुरुआत में वह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) के इंटीग्रेशन के दौरान टीम लीडर थे। डॉ. सोमनाथ एक ऐसे महत्त्वपूर्ण मोड़ पर इसरो की बागडोर संभाल रहे हैं, जब इस अंतरिक्ष एजेंसी की आगे की यात्रा को परिभाषित करने के लिये व्यापक सुधार और महत्त्वपूर्ण मिशन निर्धारित हैं। विचार यह है कि अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र अधिक जीवंत, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनना चाहिये। ऐसे समय में जब IN-SPACe एक नए मॉडल को परिभाषित कर रहा है, जिसे हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिये भी डिजाइन किया गया है, इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नए अध्यक्ष की होगी। इसरो वर्ष 2022 में गगनयान मिशन की योजना पर कार्य कर रहा है, इस मिशन में भारत स्वयं के बल पर 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। इस योजना की सफलता के पश्चात् इसरो इस मिशन को जारी रखना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। भारत ने वर्ष 2017 में ही स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीक पर शोध करने के लिये बजट का प्रावधान किया था। ऐसे महत्त्वपूर्ण मिशनों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी नए अध्यक्ष के समक्ष होगी।

लोहड़ी

भारत में फसल कटाई त्योहार को मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व जैसे विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। लोहड़ी पौष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद (माघ संक्रांति से पहली रात) मनाया जाता है। यह प्राय: 12 या 13 जनवरी को पड़ता है। यह मुख्यत: पंजाब का पर्व है, यह द्योतार्थक (एक्रॉस्टिक) शब्द लोहड़ी की पूजा के समय व्यवहत होने वाली वस्तुओं के द्योतक वर्णों का समुच्चय होता है, जिसमें ल (लकड़ी) +ओह (गोहा = सूखे उपले) +ड़ी (रेवड़ी) = 'लोहड़ी' के प्रतीक हैं। इसको मनाने के दौरान रात्रि में खुले स्थान पर परिवार और आस-पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बना कर बैठते हैं। इस दौरान रेवडी, मुँगफली आदि खाए जाते हैं।

राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह

प्रगतिशील भारत के 75वें वर्ष, 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय (एमओई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी) संयुक्त रूप से 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक 'राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह' का आयोजन कर रहे हैं। यह नवाचार सप्ताह शिक्षा मंत्रालय का प्रतीकात्मक सप्ताह भी है। यह नवाचार सप्ताह भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिशा में जागरूकता फैलाने के लिये इन एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न पहलों को रेखांकित करेगा। 10 जनवरी से शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, युक्ति 2.0 और टॉयकैथॉन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से चुनी गई 75 नवीन प्रौद्योगिकयाँ ई-प्रदर्शनी में भाग लेंगी और अपने नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। इस प्रदर्शनी के साथ-साथ 11 और 12 जनवरी के लिये निर्धारित पूरे दिन की गतिविधियों में उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों में नवाचार एवं उद्यमिता से संबंधित उभरते क्षेत्रों के बारे में कई महत्त्वपूर्ण व्याख्यान सत्र और पैनल चर्चा शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 11 और 12 जनवरी, 2022 को 'शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार

संबंधी इकोसिस्टम के निर्माण विषय पर एक दो-दिवसीय ई-संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कई प्रख्यात उद्योगपित, उभरते हए यूनिकॉर्न के संस्थापक, निवेशक और नीति निर्माण से जुड़ी हस्तियाँ नवाचार व स्टार्ट-अप के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने विचार एवं दृष्टिकोण साझा करने के लिये प्रमुख वक्ता एवं पैनलिस्ट के रूप में शामिल हए। स्कूली बच्चों तथा युवाओं को नवाचार और उद्यमिता को करियर के विकल्प के रूप में अपनाने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरुआती दौर के स्टार्ट-अप के संस्थापकों व नवाचार में संलग्न छात्रों को शामिल करते हुए विशेष पैनल सत्र आयोजित किये जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के हिस्से के तौर पर विभिन्न हितधारकों को नवाचार के प्रति संवेदनशील और उन्मख बनाना है।

मणिपुर को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस

संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिये एक एतिहासिक उपलब्धि के तहत मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को 8 जनवरी, 2022 को वीडियो लिंक के माध्यम से रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा रवाना किया गया। यह ट्रेन सेवा अगरतला से सिलचर (अरुणाचल स्टेशन के पास) और जिरिबाम तक यात्रा के समय को कम करेगी। यह ट्रेन सेवा पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापार और पर्यटन को काफी बढ़ावा देगी। यह ट्रेन दो राज्यों की संस्कृति को जोड़ने वाली कड़ी है। इम्फाल-मोरेह रेल खंड एक रणनीतिक लाइन होगी, जिससे भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच संबंधों में वृद्धि होगी। लगभग 300 किलोमीटर दूरी के यात्रा समय को ट्रेन आधे से कम कर देगी, जबिक 12 घंटे के सड़क मार्ग के मुकाबले यात्रा समय लगभग 06 घंटे का होगा। जनशताब्दी ट्रेन अब मणिपुर के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु त्रिपुरा जाने के लिये सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी तथा त्रिपुरा के लोगों को क्षेत्र की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये व्यापार, पर्यटन आदि हेतु मणिपुर जाने का भी अवसर मिलेगा।

लाल बहादुर शास्त्री

11 जनवरी, 2022 को देश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्तूबर, 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया और भारत के भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने असहयोग आंदोलन एवं नमक सत्याग्रह में भाग लिया। भारत को आजादी मिलने के बाद वर्ष 1961 में उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में और 'भ्रष्टाचार निरोधक समिति' में नियुक्त किया गया। उन्होंने प्रसिद्ध 'शास्त्री फॉर्मुला' बनाया जिसमें असम एवं पंजाब में भाषा आधारित आंदोलन शामिल थे। उन्होंने भारत में आनंद, गुजरात के 'अमूल दूध सहकारी सिमिति' का समर्थन और 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' का निर्माण करके 'श्वेत क्रांति' को बढ़ावा दिया। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने 10 जनवरी, 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयब खान के साथ वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिये ताशकंद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये। 11 जनवरी, 1966 को ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें वर्ष 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

'जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप' परियोजना

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 'वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी' ने 'जगन्नाथ स्मार्ट टाउनिशप' की वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ किया है। स्मार्ट टाउनशिप में मध्यम आय वर्ग के लोगों को उचित मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। ज्ञात हो कि आंध्र प्रदेश सरकार पहले ही गरीबों को 31 लाख आवास स्थल लीज पर प्रदान कर चुकी है और आवास कार्यक्रम के पहले चरण के तहत 15.6 लाख घरों का निर्माण शुरू किया गया है। 18 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले मध्यम आय वर्ग के लोग इस स्मार्ट टाउनशिप में भूखंडों हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। इसके तहत उन्हें तीन श्रेणियों- 150 वर्ग गज, 200 वर्ग गज और 240 वर्ग गज में भूखंड प्रदान किये जाएंगे। 'जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप' परियोजना के तहत भूखंडों का आवंटन पारदर्शी तरीके से कम्प्यूटरीकृत लॉटरी विधि के माध्यम से जाति, धर्म, क्षेत्र या राजनीतिक संबद्धता जैसे कारकों को ध्यान में रखे बिना किया जाएगा। पात्र लोग टाउनिशप में भूखंडों के लिये संबंधित वेबसाइट पर कुल मूल्य का 10% भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं।

मैन-पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हाल ही में 'मैन-पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल' (MPATGM) का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित 'मैन-पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल' एक कम वजन की 'फायर एंड फॉरगेट' मिसाइल है। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल होती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना है। इसे 15 किलोग्राम से कम वजन के साथ 2.5 किलोमीटर की अधिकतम रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से आधुनिक युद्ध में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का रणनीतिक महत्त्व सबसे अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण टैंकों के कवच को भेदने में सक्षम हथियारों का विकास करना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है।

मिशन अमानत

पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के तहत 'रेलवे सुरक्षा बल' (RPF) ने रेल यात्रियों के लिये अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने हेतु 'मिशन अमानत' नामक एक नई पहल शुरू की है। इस नई पहल के तहत 'रेलवे सुरक्षा बल' (RPF) रेल यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाएगा और वेबसाइट पर सामान का फोटो और विवरण अपलोड करेगा और फिर यात्री अपने सामान की पहचान कर सकते हैं एवं इसे पुन: प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञात हो कि 'रेलवे सुरक्षा बल' ने वर्ष 2021 के दौरान कुल 1,317 रेल यात्रियों से 2.58 करोड़ रुपए का माल बरामद किया है और उचित सत्यापन के बाद उन्हें उनके सही मालिकों को वापस कर दिया गया है।

ई-दाखिल पोर्टल:

उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिये शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्टल (E-Daakhil Portal) अब 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू है, में उपभोक्ता आयोग में ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने हेतु ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिये निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है। यह उपभोक्ता आयोगों के लिये भी सहायक है। इसकी मदद से उपभोक्ता आयोग आसानी से ऑनलाइन शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय ले सकते हैं और संबंधित आयोग के पास आगे की कार्रवाई के लिये अग्रेषित कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये यह निर्णय लिया गया कि सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को ई-दाखिल के साथ एकीकृत किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर कई उपभोक्ता ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोनिक संसाधन उपलब्ध न हों या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो, ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता आयोग तक पहुँचाने के लिये सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाएँ ले सकते हैं।

माघी मेला

हाल ही में कोविड की तीसरी लहर के बावजूद हजारों लोग ऐतिहासिक गुरुद्वारों में माघी देने और माघी के अवसर पर 'सरोवर' (पिवत्र तालाब) में डुबकी लगाने के लिये एकत्र हुए। पंजाब के मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी अथवा नानकशाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में माघी मेले का आयोजन किया जाता है। माघी वह अवसर है जब गुरु गोबिंद सिंह जी के लिये लड़ाई लड़ने वाले चालीस सिखों के बिलदान को याद किया जाता है। माघी की पूर्व संध्या पर लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है, इस दौरान परिवारों में बेटों के जन्म की शुभकामना देने के उद्देश्य से हिंदू घरों में अलाव जलाया जाता है और उपस्थित लोगों को प्रसाद बाँटा जाता है। माघी का दिन की वीरतापूर्ण लड़ाई को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को खोज रही मुगल शाही सेना द्वारा किये गए हमले से उनकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुगल शाही सेना और चाली मुक्ते के बीच यह लड़ाई 29 दिसंबर, 1705 को खिदराने दी ढाब के निकट हुई थी। इस लड़ाई में शहीद हुए चालीस सैनिकों (चाली मुक्ते) के शवों का अंतिम संस्कार अगले दिन किया गया जो कि माघ महीने का पहला दिन था, इसलिये इस त्योहार का नाम माघी रखा गया है। नानकशाही कैलेंडर को सिख विद्वान पाल सिंह पुरेवाल ने तैयार किया था तािक इसे विक्रम कैलेंडर के स्थान पर लागू किया जा सके और गुरुपर्व एवं अन्य त्योहारों की तिथियों का पता चल सके।

विभिन्न भारतीय फसल कटाई त्योहार

भारत में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व आदि के रूप में विभिन्न फसल कटाई त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य का आभार प्रकट करने के लिये समर्पित है। इस दिन लोग अपने प्रचुर संसाधनों और फसल की अच्छी उपज के लिये प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। यह त्योहार सूर्य के मकर (मकर राशि) में प्रवेश का प्रतीक है। लोहड़ी मुख्य रूप से सिखों और हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है। यह दिन शीत ऋतु की समाप्ति का प्रतीक है और पारंपिरक रूप से उत्तरी गोलार्द्ध में सूर्य का स्वागत करने के लिये मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति से एक रात पहले मनाया जाता है, इस अवसर पर प्रसाद वितरण और पूजा के दौरान अलाव के चारों ओर पिरक्रमा की जाती है। पोंगल शब्द का अर्थ है 'उफान' (Overflow) या विप्लव (Boiling Over)। इसे थाई पोंगल के रूप में भी जाना जाता है, यह चार दिवसीय उत्सव तिमल कैलेंडर के अनुसार 'थाई' माह में मनाया जाता है, जब धान आदि फसलों की कटाई की जाती है और लोग ईश्वर तथा भूमि की दानशीलता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि बिहु उत्सव असम में फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है। असिमया नव

वर्ष की शुरुआत को चिह्नित करने के लिये लोग रोंगाली/माघ बिहु मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत उस समय हुई जब ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों ने जमीन पर हल चलाना शुरू किया। मान्यता यह भी है बिहू पर्व उतना ही पुराना है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी। मकरविलक्कृ उत्सव सबरीमाला में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। यह वार्षिक उत्सव है तथा सात दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति (जब सर्य ग्रीष्म अयनांत में प्रवेश करता है) के दिन से होती है। त्योहार का मुख्य आकर्षण मकर ज्योति की उपस्थिति है, जो एक आकाशीय तारा है तथा मकर संक्रांति के दिन कांतामाला पहाड़ियों (Kantamala Hills) के ऊपर दिखाई देता है। मकरविलक्कू 'गुरुथी' नामक अनुष्ठान के साथ समाप्त होता है, यह उत्सव वनों के देवता तथा वन देवियों को प्रसन्न करने के लिये मनाया जाता है।

भारत- फिलीपींस रक्षा समझौता

भारत के रक्षा निर्यात को बढावा देने के लिये फिलीपींस ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के लिये भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। फिलीपींस ने भारतीय नौसेना के लिये तट-आधारित एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति हेत भारतीय ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के 375 मिलियन अमेरिकी डालर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि फिलीपींस सरकार के साथ नवीनतम ब्रह्मोस निर्यात ऑर्डर इस क्षेत्र में भारत के लिये अब तक का सबसे बड़ा समझौता होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। यह मिसाइल 'दागो और भूल जाओ' (Fire and Forget) के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात् इसे लॉन्च करने के बाद आगे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी स्थापना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (The Defence Research and Development Organisation) रूस की मिशनोस्ट्रोयेनिया (Mashinostroyenia) ने की है। यह मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समानांतर चलते हैं और उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। गति के आधार पर ऐसी मिसाइलों को उपध्वनिक/सबसोनिक (लगभग 0.8 मैक), पराध्वनिक/सुपरसोनिक (2-3 मैक) और अतिध्वनिक/हाइपरसोनिक (5 मैक से अधिक) क्रज मिसाइलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रज मिसाइल है, साथ ही सबसे तेज क्रियाशील एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइल भी है। इसकी वास्तविक रेंज 290 किलोमीटर है परंतु लड़ाकू विमान से दागे जाने पर यह लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तक पहुँच जाती है। भविष्य में इसे 600 किलोमीटर तक बढाने की योजना है। ब्रह्मोस के विभिन्न संस्करण, जिनमें भूमि, युद्धपोत, पनडुब्बी और सुखोई -30 लड़ाकू जेट शामिल हैं, जिनको को पहले ही विकसित किया जा चुका है तथा अतीत में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। 5 मैक की गति तक पहुँचने में सक्षम मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण विकासशील है।